राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तांत

अंक : 2] बारहवीं विधान सभा के दूसरे सत्र का पन्द्रहवां दिवस [संख्या : 5

बुधवार :

14 जुलाई, 2004

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : डा. चन्द्रशेखर बैद।

तारानगर व राजगढ़ तहसील (चूरू) के अनुमोदित ग्रामों का विद्युतीकरण

65. डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला चूरू की तारानगर एवं राजगढ़ तहसील में किन-किन गांवों का विद्युतीकरण नहीं हुआ है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त तहसीलों में विद्युतीकरण से वंचित गांवों का विद्युतीकरण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(3) क्या यह सही है कि जिन गांवों के विद्युतीकरण का अनुमोदन हो चुका है उनका विद्युतीकरण अब तक नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों व इस उदासीनता के लिए कौन उत्तरदायी ?

शिक्षा मंत्री (श्री घनश्याम तिवाड़ी) : (1) जिला चूरू की तारानगर व राजगढ़ तहसील के कुल 330 गांवों में से 316 गांवों को विद्युतीकृत किया जा चुका है। शेष 14 गांव वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार गैर आबाद हैं। इनका विवरण प्रपत्र 'अ' में सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जनगणना वर्ष 1991 के अनुसार उक्त वर्णित तहसीलों के 14 गांव गैर

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

आबाद हैं। इनमें विद्युत कनेक्शन हेतु आवेदन पत्र प्राप्त होने पर तदनुसार उनके विद्युतीकरण करने की कार्यवाही की जाएगी।

(3) उक्त शेष रहे 14 गैर आबाद गांवों में विद्युत कनेक्शन हेतु आवेदन पत्र प्राप्त होने पर ही तदनुसार विद्युतीकरण करने की कार्यवाही करने का प्रावधान है।

(प्रपत्र के लिए परिशिष्ट-1 देखें)

डा. चन्द्रशेखर बैद : माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं यह पूछना चाहता हूं, आपने विद्युतीकरण की डेफिनिशन क्या ली है? विद्युतीकरण की जो डेफिनिशन कागजों में लिखी हुई है वह है या फिजिकल विद्युतीकरण की डेफिनिशन है या गवर्नमेंट आफ इंडिया का तीन महीने पहले नोटिफिकेशन निकला है वो डेफिनिशन है?

नम्बर दो , आपने जो सूचना दी उस सूचना के अन्दर जोधपुर विद्युत वितरण निगम की एक चिट्ठी मेरे पास है उसके अन्दर उन्होंने क्लीयरली बताया है कि कौन-कौनसे गांव हैं जिनका विद्युतीकरण नहीं हुआ है। और किन कारणों से नहीं हुआ है। ये सारे वो गांव हैं जो आबाद हैं। आज की तारीख की वस्तु स्थिति यह है कि तारानगर और राजगढ़ तहसील के 19 गांव जो कि आबाद हैं, जिनकी पॉपुलेशन 500 से 1000 के बीच में है, उनका विद्युतीकरण नहीं हुआ है।

श्री समर्थ लाल (राजगढ़) **:** यह राजगढ़ (अलवर) है?

डा. चन्द्रशेखर बैद : राजगढ़-सादुलपुर, चूरू डिस्ट्रिक्ट।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। इन्होंने कहा है कि विद्युतीकरण की परिभाषा क्या है ? अध्यक्ष महोदय, बिलकुल साफ-साफ सदन को निवेदन करना चाहूंगा, पहले विद्युतीकरण का मतलब था कि गांव के अन्दर या गांव के पास तक बिजली और तार ले जाएं और गांव का विद्युतीकरण मान लिया। अब राज्य सरकार ने विद्युतीकरण की परिभाषा को बदलने का निश्चय कर लिया है और उसके अन्तर्गत बहुत-से गांव अब अविद्युतीकृत हो जाएंगे, क्योंकि हमने तय किया है कि ग्राम की कुल आबादी में से जब तक 10 प्रतिशत घरों का विद्युतीकरण नहीं होगा तब तक गांव को

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

विद्युतीकृत नहीं माना जाएगा। इसलिए आज के पहले जो गांव विद्युतीकृत हो गये थे उन गांवों को भी हम अब सर्वे कराकर अविद्युतीकृत संख्या में लाएंगे।

दूसरा, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, उसके लिए आधारभूत यंत्र, विद्युत वितरण लाइन, ट्रांसफार्मर, गांव की आबादी में दलित बस्ती और इसके साथ ही ढाणी में स्थापित होना चाहिए। गैर परम्परागत स्रोत से विद्युतीकरण के मामले में वितरण ट्रांसफार्मर की अनिवार्यता नहीं है। नम्बर दो, उसी गांव के सार्वजनिक स्थान, स्कूल, पंचायत कार्यालय, स्वास्थ्य केन्द्र, चिकित्सालय, सामुदायिक विकास केन्द्र इनमें भी जब तक विद्युतीकरण नहीं होगा तब तक उस गांव को विद्युतीकृत की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। नम्बर तीन, ग्रामों की...

श्री अध्यक्ष : कब तक कर देंगे, आप तो यह बता दो, यह काम कब तक कर देंगे ?

डा. चन्द्रशेखर बैद : अध्यक्ष महोदय, आप....

श्री घनश्याम तिवाडी़ : पूरा कर दें, लेट मी कम्पलीट ।

श्री अध्यक्ष : आप कब तक कर देंगे ? (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) **:** यह भारत सरकार की नीति है। (व्यवधान) Don't take the credit.

श्री घनश्याम तिवाडी़ : बता रहा हूं।

डा. सी. पी. जोशी : भारत सरकार की गाइड लाइंस के तहत आवश्यक है।

श्री घनश्याम तिवाडी़ : हां, बता रहा हूं।

डा. सी. पी. जोशी : भारत सरकार की गाइड लाइंस हैं, आपसे कहने से नहीं हैं।

डा. चन्द्रशेखर बैद : जो विद्युत का नोटिफिकेशन है यह राजस्थान सरकार का जारी किया हुआ नहीं है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं (व्यवधान) जो आप बढ़कर सुना रहे हैं। (व्यवधान) माननीय मंत्री महोदय ......

श्री हीरालाल (निवाई) **:** मंत्रीजी कह रहे हैं वो सुनिए तो सही आप।

श्री अध्यक्ष : मूल प्रश्नकर्ता को पूछने दीजिए। नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य, मूल प्रश्नकर्ता को प्रश्न पूछने दीजिए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं आपको जवाब दे रहा हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बैठे-बैठे बोल रहे हैं।

डा. चन्द्रशेखर बैद : माननीय मंत्री महोदय, जो नोटिफिकेशन अभी आपने सुनाया और जिसके बारे में सारे लोग बहुत हर्षित हुए, आपकी जानकारी के लिए यह नोटिफिकेशन गवर्नमेंट आफ इंडिया का निकाला हुआ है। यह अपने राजस्थान में ही नहीं, पूरे देश में गया है और पूरे देश में ही निर्देशित किया गया है कि इलैक्ट्रिफिकेशन की डेफिनिशन आज की तारीख के बाद में यह मानी जाएगी, यह खाली राजस्थान के लिए नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सुनें तो सही, क्या है। अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि ग्रामीण विद्युतीकरण के बारे में भारत सरकार की कुछ घोषणाएं होती हैं जिनको हम कार्यान्वित करते हैं। भारत सरकार ने आज के चार महीने पहले यह तय किया था, उसमें से केवल यह भी आपको बता दूं कि राजस्थान ही पहला राज्य है जिसने इसको स्वीकार किया है। दूसरे नम्बर का राज्य उत्तर प्रदेश है। और स्वीकार ही नहीं किया है, स्वीकार करने के साथ-साथ हमने इसी साल बजट में 51 करोड़ रुपये का प्रावधान घरेलू कनेक्शन के लिए किया है। अध्यक्ष महोदय, बहुत बड़ी समस्या थी, गांव के अन्दर तो लगता था 1500 रुपये और गांव के बाहर जो ढाणियां थीं उनमें 100 रुपये मीटर के हिसाब से लगता था, 80-80 हजार का विद्युत कनेक्शन जाता था। अब हमने यह तय कर लिया कि 1500 रुपये ही किसान से लिए जाएंगे। यह गांव वाले से लिए जाएंगे, चाहे वे ढाणी में हैं, चाहे मजरे में हैं। 8500 रुपये राज्य सरकार अपनी ओर से देगी और 1500 रुपये उससे लेगी, चाहे उस पर ट्रांसफार्मर लगे, चाहे लाइन खींचनी पडे। इस हिसाब से यह महत्वपूर्ण निर्णय करके हमने इसका बजट में प्रावधान किया है।

रहा सवाल यह, आपने जिन 19 गांवों का नाम लिया है उन 19 गांवों को भी आपके कहे अनुसार हम अविद्युतीकृत की श्रेणी में मान लेते हैं और अगर वे आबाद हैं तो तुरन्त कार्यवाही करके उन गांवों का विद्युतीकरण करने की कार्यवाही प्रारम्भ कर

देंगे।

श्री अमराराम (धोद) **:** अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से मैं जानना चाहूंगा, आज से पहले क्या था ? यह तो आप आगे की घोषणा कर रहे हैं। आज से पहले जो विद्युतीकृत गांव की परिभाषा थी उसमें गांव में ट्रांसफार्मर लगाना, वहां तक लाइन ले जाना, यह परिभाषा थी। यह जो आप सदन में उत्तर दे रहे हैं, 14 ही गांव हैं जो गैर आबाद हैं जबकि विद्युत वितरण निगम कह रहा है इतने गांव हैं। 19 गांव हैं जिनमें कोई लाइन ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष : वो केवल तारानगर की बात कह रहे हैं।

श्री अमराराम (धोद) **:** तारानगर की ही मैं कह रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय यह बताएं कि ये 19 गांव जिनको 1981 से विद्युतीकृत किया हुआ बताया है, और 2004 तक उन 19 गांवों में लाइन नहीं गई, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आपने सदन को गुमराह किया है कि विद्युतीकृत हैं। आगे की लाइन किसको है, विद्युतीकृत घोषित करेंगे, लेकिन 19 गांव जिनको 1981 में विद्युतीकृत घोषित किया, आज तक वहां लाइन नहीं गई। और आप यहां कह रहे हैं आगे की बात। मैं समझता हूं, आज तक नहीं हुआ, 1981 से लेकर 2004 तक, इसके लिए कौन जिम्मेदार है और उन अधिकारियों के खिलाफ आप क्या कार्यवाही करना चाहते हैं?

श्री घनश्याम तिवाडी : देखिए...

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर) **:** अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न है । (व्यवधान) मंत्रीजी, प्लीज।

श्री अध्यक्ष : पहले जवाब आने दीजिए उनका।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी) **:** अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि सैटलमेंट के बाद में जो नये राजस्व गांव बने, 1991 की जनगणना में वे शामिल हैं और पंचायत मुख्यालय भी हैं, आबादी भी उनकी एक हजार से ऊपर है उन गांवों को वास्तव में विद्युतीकृत नहीं किया– न तो लाइन खीचीं है, न ट्रांसफार्मर लगाया है, उनको डीम्ड इलैक्ट्रिफाइड मान लिया है। अब डीम्ड इलैक्ट्रिफाइड का क्या मतलब है, यह आप मुझे समझाने की कृपा करें? डीम्ड इलैक्ट्रिफाइड जिनको माना है उनको वास्तव में इलैक्ट्रिफाइ करने का विचार रखते है ? और रखते हैं तो कब तक?

श्री अध्यक्ष : श्री रामसिंहजी।

श्री जोगेश्वर गर्ग : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न है, रामसिंहजी से पहले मैं खड़ा हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं, पहले भी यह नियम था, निर्देश थे कि जब तक...

श्री अध्यक्ष : मैंने तो रामसिंहजी का नाम पुकारा था, आप कैसे खडे हो गये ?

श्री जोगेश्वर गर्ग : अब पुकार लीजिए। मैं बहुत देर से हाथ ऊंचा करके बैठा हुआ हूं, पांच मिनट हो गये मुझे। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं पहले भी ये निर्देश थे कि जब तक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की बस्ती में ट्रांसफार्मर व लाइन नहीं पहुंचे तब तक गांव को विद्युतीकृत नहीं माना जाए। बीच में इन नियमों की अवहेलना हुई और नियमों को हटा दिया गया। वो कब हटाये गये, कृपया स्पष्ट करें?

श्री अध्यक्ष : मूल प्रश्नकर्ता।

डा. चन्द्रशेखर बैद: एक बात मैं यह जानना चाहता हूं कि आपने जो सौ दिन की कार्य योजना बनाई थी उस सौ दिन की कार्य योजना के अन्दर यह पत्र मेरे पास आया है...

श्री अध्यक्ष : मूल प्रश्नकर्ता पूछ रहे हैं, उनका अधिकार है।

डा. चन्द्रशेखर बैद : मैंने कलक्टर साहब से पूछा था कि सौ दिन की कार्य योजना में मेरे विधान सभा क्षेत्र में कौन-कौन से लोक कल्याणकारी कार्य आप कर रहे हैं, जिससे जन प्रतिनिधि होने के नाते मैं भी उन कार्यों के अन्दर सहयोग कर सकूं। तो यह कलक्टर साहब का जो लेटर आया है उसमें उन्होंने क्लीयरली लिखा है कि तारानगर और राजगढ़ के सारे गांवों का विद्युतीकरण हो चुका है, सिर्फ 27 गांव ऐसे हैं जिनका विद्युतीकरण नहीं हुआ है। ये 27 के 27 गांव गैर आबाद गांव हैं, नम्बर वन, इसके अन्दर गलत सूचना। नम्बर टू, आपने जो जवाब दिया उसके अन्दर गलत सूचना कि सारे आबाद गांवों का विद्युतीकरण हो चुका है।

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, एक तो जिन गांवों का विद्युतीकरण होना है वहां पर जब कोई काश्तकार या व्यक्ति फार्म जमा कराना चाहते हैं तो 15-20

(श्री रामसिंह विश्नोई)

फार्म नहीं होते हैं तब तक वे जमा करते ही नहीं हैं, नम्बर एक, नम्बर दो, इनका एस्टीमेट इतना ज्यादा बढ़ाकर दे देते हैं, घर में कनेक्शन लेने वाले गरीब आदमी, काश्तकार को 10 हजार, 15 हजार का एस्टीमेट बनाकर देते हैं। 400,500,1500 तक तो फिर भी भर देता है, 15 हजार का एस्टीमेट बनवाने वाला व्यक्ति वह ले तो सकता नहीं है, उसका खारिज हो जाता है, फिर नये सिरे से उसको फार्म भरने पड़ते हैं। आप एक ही जगह पर ट्रांसफार्मर लगा देते हैं और वहां पर ट्रांसफार्मर लगाने के बाद उसमें से तेल निकाल देते हैं, कनेक्शन आपका होता नहीं है, तार तोड़कर ले जाते हैं तो बड़ा भारी कम्पनी को घाटा होता है। यह 40 परसेंट जो लीकेज है इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि आप सब लोगों को समय पर बिजली उपलब्ध नहीं कराते हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, 2-3 बातें बिलकुल साफ-साफ कहना चाहता हूं, एक तो तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य के लिए, उन्होंने कहा कि आबाद गांव हैं, तो राजस्व के हिसाब से हमारे पास गांवों की आती है, मैंने कह दिया है इसकी जांच कर लेंगे, और उन गांवों को जो गैर-आबाद बताए हुए हैं, मगर आबाद हैं तो उनमें विद्युतीकरण करने का काम इसी साल पूरा करवा देंगे। यह मैं आपको बता रहा हूं।

दूसरी जो बात आपने पूछी है, वह बहुत महत्वपूर्ण बात है, अध्यक्ष महोदय, 15 हजार का, 20 हजार का डिमाण्ड नोटिस जाता है, कहीं 50-50 हजार का भी जाता है, इसलिए तय कर लिया हमने कि 15 सौ रुपये ही किसान से लेंगे और प्रति कनेक्शन साढे आठ हजार रुपये राज्य सरकार अपनी ओर से देगी। स्थिति यह है कि राजस्थान में 71 लाख हाउस होल्ड हैं उनमें सिर्फ 28 लाख के कनेक्शन हैं, इसलिए हमने तय किया है कि 1 लाख 60 हजार कनेक्शन तो हम इस बार देंगे और इसका बजट प्रावधान 51 करोड़ का कर दिया है। इसी प्रकार अगले साल दो लाख, उसके बाद 3 लाख, सारे राजस्थान को 2007 तक सम्पूर्ण विद्युतीकृत, 71 लाख गांवों को 2012 तक पूर्ण ऊर्जाकृत करने के संकल्प के साथ हम काम कर रहे हैं और उसके लिए हमने इसकी घोषणा की है। इसलिए माननीय सदस्यों को मैं इस सम्बन्ध में और मदद करने का आग्रह करता हूं।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। नवरतन राजोरिया। (व्यवधान) मैंने नैक्स्ट क्वेश्चन पुकार लिया है। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) **:** अध्यक्ष महोदय, जो 19 गांवों का मैंने पाइंटेड सवाल

पूछा, 19 गांव जिनको विद्युतीकृत 1979 में कर रखा है...(व्यवधान) उनके लिए कौन जिम्मेदार है?

श्री अध्यक्ष : मैंने नैक्स्ट क्वेश्चन पुकार लिया। आप यह मानकर चलिये कि नियमों के मुताबिक 12 कवेश्चन रोज आने चाहिए, यह नियमों में प्रावधान है। हम एक क्वेश्चन में ही अटक जाएंगे तो बाकी तो सब क्वेश्चन रह जाएंगें। इसलिए मैंने नैक्स्ट क्वेश्चन पुकार लिया है। नवरतन राजोरिया।

श्री अमराराम (धोद) **:** अध्यक्ष महोदय, मैंने तो वह क्वेश्चन पूछा है जो इससे बिलकुल रेलेवेंट है। दूसरे दे रहे हैं कि इनको कर देंगे। 19 गांव जिनको 1979 में आज के 27 साल पहले विद्युतीकृत घोषित कर दिया, आज कह रहे हैं विद्युतीकृत हैं और वहां लाइन नाम की कोई चीज नहीं है तो उनके लिए कौन दोषी है ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य । (व्यवधान) आपको विद्युत के ऊपर पूरा मौका मिलेगा, एक दिन रखा गया है तब आप इन सब बातों को रखिएगा। अब मैंने नैक्स्ट क्वेश्चन पुकार लिया है। नवरतन राजोरिया।

श्री अमराराम (धोद) **:** यह मौका तो, अध्यक्ष महोदय, कब मिलेगा? मंत्री महोदय दूसरे जवाब दे रहे हैं। यह बताएं कि 27 साल से जिनको विद्युतीकृत घोषित कर रखा है और आज तक जहां बिजली का तार नहीं पहुंचा उसके लिए कौन जिम्मेदार हैं, मंत्रीजी उसका उत्तर दें। क्या इसको देंगे, उसको देंगे।

श्री घनश्याम तिवाडी : उसके लिए जो जिम्मेदार होंगे, उनको बख्शा नहीं जाएगा, देख लेंगे।

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी, मैंने नैक्स्ट क्वेश्चन पुकार लिया है।

श्री घनश्याम तिवाडी : हां, ठीक है।

सांभर व किशनगढ़-रेनवाल में उपभोक्ता संघ की मेडिकल दुकान हेतु स्वीकृति

66. श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा) **:** क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री नवरतन राजोरिया)

(1) राज्य में राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ की मेडिकल की दुकानें खोले जाने के क्या मानदण्ड हैं? मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य में वर्तमान में संघ की मेडिकल की दुकानें कहां-कहां संचालित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के सांभर व किशनगढ़ रेनवाल कस्बे में संघ की मेडिकल दुकान खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

सहकारिता मंत्री (श्री मदन दिलावर) : (1) राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड द्वारा मेडिकल की दुकानें खोले जाने बाबत कोई मापदण्ड निर्धारित किए हुए नहीं हैं। क्षेत्र विशेष में खोले जाने वाली प्रस्तावित दुकान के सर्वे के आधार पर दुकान की सम्भावित आर्थिक सक्षमता, क्षेत्रीय निवासियों की मांग एवं उपलब्ध संसाधन ही मुख्य रूप से मेडिकल दुकान खोलने के मापदण्ड रहे हैं।

(2) वर्तमान में संघ द्वारा संचालित दुकानों की सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

श्री नवरतन राजोरिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ के द्वारा मेडिकल दुकानों की सूची दी गई है उसमें अधिकांश जयपुर शहर में स्थित हैं। अगर संघ की यही नीति है, जैसाकि माननीय मंत्रीजी ने कहा कि कोई मापदण्ड नहीं हैं, तो जो सहकारी संघ की तरफ से बिक्री की जाती है दवाइयों की, वह सस्ती दर पर की जाती है, जनता को राहत देने के लिए की जाती है, मगर ग्रामीण क्षेत्र में और विशेषकर जहां बड़े हास्पिटल हैं वहां पर अगर उपभोक्ता संघ की दुकानें नहीं होगी तो जो जनता के लिए नीति बनाई गई है, 30 उपभोक्ता संघ की दुकानों के माध्यम से सस्ती दवाइयां दी जाती हैं, वे नहीं मिल पाएंगी। जैसाकि आपके प्रतिवेदन में देखने को मिला है, पहले जो लाभ मिलता था, वह बढ़ता हुआ था, 1999-2000 तक, लेकिन अब यह लाभ घटता हुआ दिख रहा है, तो मेरा मानना है कि जब ये

दुकानें लाभ के लिए हैं...

श्री अध्यक्ष : प्रश्न पूछिए, माननीय सदस्य।

श्री नवरतन राजोरिया : और जनता को राहत देने के लिए हैं तो... (व्यवधान)प्रश्न पूछ रहा हूं, क्या यह सही है दुकानों को खोलने के लिए नये मापदण्ड बनाऐ जाएंगे?

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही निवेदन किया है कि लिखित में तो कोई मापदण्ड नहीं हैं लेकिन फिर भी हम वहां की डिमाण्ड एवं सम्भावित आर्थिक सक्षमता और इनके आधार पर खोलते हैं। फिर भी जैसा माननीय सदस्य ने पूछा था खण्ड 3 में कि क्या दुकान खोलने का विचार रखते हैं, तो मेरा इसमें निवेदन है कि वहां की मार्केटिंग सोसायटी यानी क्रय विक्रय सहकारी समिति ने कांफेड से एक एन.ओ.सी. चाही है कि हम यहां सस्ती दवाइयां बेचने के लिए दुकान खोलना चाहते हैं इसलिए हमें एन.ओ.सी. दी जाए, हमने उनको एन.ओ.सी. दे दी है और वहां क्रय विक्रय सहकारी समिति सस्ती दवाई की दुकान खोल सकेगी और इससे माननीय सदस्य का जो परपज था, वह पूरा हो जाएगा।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ) **:** माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी के सम्बन्ध में एक बात है। सच्चाई तो यह है कि जितनी भी उपभोक्ता संघ की दुकानें हैं या तो वे जयपुर शहर में हैं या अगर एकाध हैं तो एक चौमूं में है और एक सांगानेर में है। इतने वर्षों से यह सहकारी उपभोक्ता संघ काम कर रहा है, क्या ग्रामीण क्षेत्र में अस्पताल नहीं हैं। आपके पास में अगर सूची है तो उसमें यह बता दें, जयपुर तक सीमित हैं और जयपुर से ज्यादा से ज्यादा सांगानेर तक पहुंचे हैं या चौमूं तक पहुंचे हैं। आखिर ग्रामीण क्षेत्र में भी लोग-बाग़ रहते हैं इसके मापदण्ड लागू कर दें। धन्यवाद।

श्री नवरतन राजोरिया : यहां जो राजस्थान का नाम लिया है आपने, जयपुर शहर की बात आई है तो जयपुर शहर ही रख देते इसको।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) **:** माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं, अब तक तो राठौड़ी चल रही थी, कोई मापदण्ड, यह कह रहे हैं, लिखित कोई फार्मूला कुछ नहीं है, आप इसके लिए कोई निर्धारित मापदण्ड बनाने का विचार रखते हैं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, आपका राठौडी से क्या मतलब है? (व्यवधान) क्या मतलब है आपका राठौडी से? (व्यवधान) ये आरोप लगा रहे हैं, राठौडी से क्या मतलब है आपका (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : आप तो राठौड़ हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीगण । (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : क्या मतलब है ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीगण आप खामख्वाह उत्तेजित हो रहे हैं। वह राठौडी बता रहे हैं उधर की, आप खामीखवाह में ही उत्तेजित हो रहें हैं? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप राठौड़ है, आप क्यों चिन्ता कर रहे हैं? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : राठौडी से मतलब हम अनियमितता के केन्द्र हैं? जहां भी अनियमितता होती है राठौडें से होती है? (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, मेरा आशय यह था कि अब तक कोई नियम बने हुए नहीं हैं, क्या आप नियम बनाने का इरादा रखते हैं? ये दुकानें खोलने के कोई नियम बनाने का इरादा रखते हैं तो कब तक नियम या कायदे-कानून बना लेंगे ? यह मैं आसन के माध्यम से आपसे जानना चाहता हूं? मैंने राठौड़ नहीं कहा, राठौडी कहा है।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली) **:** माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जिस प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में उपभोक्ता संघ की दुकानें नहीं हैं, बडे-बडे अस्पताल भी वहां पर हैं...

श्री अध्यक्ष : पूछ तो लिया । अब क्या पूछ रहे हो ? पूछ लिया न ।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा : इसी से सम्बन्धित है। राज्य सरकार ने नीति बना रखी है कि पेंशनर्स को भी उपभोक्ता संघों से या मेडिकल स्टोर से जो संघ ने बनाये हैं, उन्हीं से दवाइयां दी जाएंगी। ग्रामीण क्षेत्रों में जितने भी पेंशनर्स हैं उनके हित के लिए सरकार ने अब तक क्या व्यवस्था की है? उनको दवाइयां सही उपलब्ध नहीं हो

रही हैं, महंगी दवाइयां उपलब्ध हो रही हैं और गलत तरीके से दवाइयों का इस्तेमाल किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा : मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं…

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी जवाब दें।

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने यह पूछा है कि गांव के जो लोग पेंशनर्स हैं और वे दवाइयां लेना चाहते हैं तो कैसे लें। सरकार ने मेडिकल स्टोर्स को अधिकृत किया हुआ है कि इन पेंशनर्स को अमुक मेडिकल स्टोर दवाइयां देगा। राजस्थान में सभी पेंशनर्स के लिए यह सुविधा है कि वह किसी न किसी मेडिकल स्टोर जो सरकार ने अधिकृत किया हुआ है, उससे दवा खरीद सकता है। यह जरूरी नहीं है कि उपभोक्ता संघ की दुकान हो तभी पेंशनर्स को दवा मिलेगी। नगर से आने वाले माननीय सदस्य माहिर आजाद साहब ने पूछा है कि नियम कब बनाने जा रहे हैं, तो मैंने यह निवेदन किया है कि यह उपभोक्ता भण्डार ऑटोनॉमस बाडी है, इसका एक बोर्ड होता है, वे अपने डिसीजन स्वयं अपने स्तर पर वहां करते हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा, वहां की स्थिति कैसी है, बिक्री कैसी होगी, वहां कितना बड़ा अस्पताल है, कितनी आवश्यकता है, लोगों की डिमाण्ड कैसी है, उसके आधार पर वो स्वयं निश्चित करते है। फिर भी जब यह सदन में मामला उठा है तो निश्चित रूप से मैं इसमें एकरूपता लाने के लिए विचार करूंगा और कोई न कोई इसमें एक कमेटी गठित करके क्या उचित हो सकता है वह करने का हम प्रयास करेंगे।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन, श्री नन्दलाल पूनिया। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, मापदण्ड भी तो बनाने चाहिए।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन, श्री नन्दलाल पूनिया।

नीमा से बास लालसिंह (चूरू) सड़क निर्माण

67. श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर) **:** क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री नन्दलाल पूनिया)

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में स्थानीय विधायक विकास कोष से नीमा से बास लालसिंह सड़क की स्वीकृति जारी की गई थी? यदि हां, तो कब?

(2) सरकार द्वारा उक्त सड़क मार्ग पर कितनी राशि व्यय की जा चुकी है?

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा उक्त सड़क मार्ग के निर्माण हेतु अतिरिक्त राशि आबंटित की गई थी? यदि हां, तो कब ?

(4) क्या यह सही है कि अतिरिक्त राशि के आबंटन के बाद भी उक्त सड़क का कार्य अधूरा है? यदि हां, तो क्यों ?

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री (श्री कालूलाल गुर्जर) **:** (1) जी हां। डब्ल्यू.बी.एम. सड़क की स्वीकृति दिनांक 7.9.2000 तथा बी.टी. सड़क निर्माण की प्रथम स्वीकृति दिनांक 28.3.2003 को जारी की गई।

(2) रुपये 3.63 लाख व्यय किये जा चुके हैं।

(3) जी हां। दिनांक 7.1.2004 को जिला परिषद् द्वारा।

(4) जी हां। कार्यकारी एजेंसी सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सड़क की चौडाई बढ़ाये जाने के कारण लागत 5.21 लाख रुपये के स्थान पर रुपये 11.43 लाख का तख्मीना प्रस्तुत किया गया जिसकी अभिशंसा माननीय विधायक महोदय से प्राप्त हो चुकी है। कार्य की संशोधित प्रशासनिक/वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति जारी होनी शेष है।

श्री नन्दलाल पूनिया : अध्यक्ष महोदय, इस सड़क की स्वीकृति 7.9.2000 को जारी हुई थी, दो बार संशोधित तख्मीने के आधार पर पैसे भी जमा करा दिये, एन.आई.टी. भी मंजूर हो गई, लेकिन ठेकेदार की एन.आई.टी. डाउन जाने से ठेकेदार और एक्स.ईएन. ने मिलकर वर्क आर्डर जारी नहीं किये, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि एन.आई.टी. जारी होने के बाद भी विभाग ने वर्क आर्डर क्यों नहीं दिये, किस कारण से नहीं दियें? क्या विभाग और ठेकेदार की मिलीभगत थी? मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जिन आदमियों की मिलीभगत थी, जिन आदमियों ने मिलकर यह काम किया, षड्यंत्र किया, क्या विभाग उन अधिकारियों के

(श्री नन्दलाल पूनिया)

खिलाफ कार्यवाही करने का इरादा रखता है?

दूसरा मेरा क्वेश्चन यह है कि तीन बार संशोधित स्वीकृति जारी होने के बाद में भी जब 3.5 मीटर की स्वीकृति जारी की थी, आज पुन: यह 3.75 मीटर का तखमीना पेश कर रहे हैं फिर 4 साल तक उस सड़क को बनाया नहीं, तीन बार संशोधित स्वीकृति जारी हो गई, फिर भी क्या इसको 3.5 मीटर बनाने का विचार रखते हैं? मैं ये दो क्वेश्चन मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं।

श्री कालूलाल गुर्जर : माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले विधायक महोदय ने जिस सड़क की स्वीकृति जारी करने की अभिशंसा की, उसकी स्वीकृति जारी हो गई और उस पर कुल मिलाकर 3.63 लाख रुपये खर्च हुए। बाकी रुपये डवटेल के कारण, हालांकि स्वीकृति उस समय जो जारी हुई थी...

श्री अध्यक्ष : आपने 3.63 लाख लिखा है।

श्री कालूलाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, आपने यह कहा कि जिन अधिकारियों ने किया, हमारा जो ग्रामीण विकास विभाग है, केवल माननीय सदस्य की अनुशंसा के आधार पर स्वीकृति जारी कर देता है, उसके बाद सड़क पी.डब्ल्यू.डी. बनाता है। पी.डब्ल्यू.डी. ने सड़क बनाने में देरी की उसका कारण एक तो यह बताया गया कि तीन महीने बीच में विधान सभा के चुनाव आ गये थे इस कारण से एन.आई.टी. एक बार लगाई वह कैंसिल करनी पड़ी। फिर दुबारा इन्होंने लगाई तब तक इसमें चूंकि डब्ल्यू.बी.एम. तो ठीक टाइम पर हो गया, लेकिन बी.टी. रोड की स्वीकृति के लिए जो अनुशंसा की थी उसके बीच में चूंकि एक तो उसमें पहले कम स्वीकृति जारी हुई थी इसलिए दुबारा वापस स्वीकृति जारी होने के लिए आई। 4.31 के बजाय 5.21 के लिए विभाग ने लिखा। तो इस लौटा-फेरी में थोडा टाइम लग गया। फिर उसके तीन महीने बाद जब पी.डब्ल्यू.डी. ने एन.आई.टी. इसमें लगाई तो उसके बाद विधान सभा के चुनाव आ गये तो आचार संहिता लगने के कारण वह एन.आई.टी. कैंसिल हो गई। फिर इन्होंने दुबारा वापस जारी की। तो एक साल और 15 दिन का जो समय है वह पी.डब्ल्यू.डी. के अधिकारियों ने ज्यादा लगाया। इसमें हमारे ग्रामीण विकास विभाग की कोई गलती नहीं है। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा, ग्रामीण विकास विभाग के अन्दर स्वीकृति जारी करने में किसी प्रकार का कोई डिले नहीं है, पी.डब्ल्यू.डी. ने काम कराने में देरी की है। हमने इनसे...

श्री रमेश खींची (कठूमर) **:** पी.डब्ल्यू.डी. मंत्री महोदय जवाब दे देंगे न उसका। पी.डब्ल्यू.डी. मंत्री महोदय विराजमान हैं। (व्यवधान) वो जवाब दे देंगे। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण विकास विभाग ने...

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं और आप खड़े है। वो जवाब दे रहे है, आप जवाब सुनिये तो सही। आप जवाब सुनिये। मिस्टर संयम लोढ़ा, जवाब सुनिये।

श्री कालूलाल गुर्जर : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस विभाग से आपने अनुशंसा की, विधायक महोदय ने काम कराने की अनुशंसा की, उस विभाग में देरी हुई इसलिए हमने उस विभाग में कार्यवाही करने हेतु लिख दिया है। जो भी अधिकारी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ कार्यवाही हो जाएगी।

श्री नन्दलाल पूनिया : चाहे पी.डब्ल्यू.डी. के अधिकारी दोषी हों चाहे पंचायती राज के अधिकारी दोषी हों.......

श्री अध्यक्ष : पहले मूल प्रश्नकर्ता सप्लीमेंट्री पूछेगें।

श्री नन्दलाल पूनिया : दोषी चाहे पंचायती राज विभाग के अधिकारी हों, चाहे पी.डब्ल्यू.डी. के अधिकारी हों, एन.आई.टी. स्वीकृत होने के बाद में वर्क आर्डर नहीं दिये और वर्क आर्डर देने के कारण दो बार रिवाइज्ड एस्टीमेट जारी किये और दोनों बार पैसे दे दिये, ठेकेदारों और पी.डब्ल्यू.डी. के एक्स.ईएन. की मिलीभगत थी उसके कारण इसमें डिले हुआ। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि क्या उस अधिकारी के खिलाफ आप कोई कार्यवाही करने का इरादा रखते हैं और भविष्य में जो सड़क की स्वीकृति में पैसे दे दिये उसका निर्माण कराने का विचार रखते हैं ?

श्री कालूलाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी निवेदन किया कि हमने पी.डब्ल्यू.डी. को जिन अधिकारियों के पार्ट में डिले हुआ है, उनके खिलाफ कार्यवाही करने के लिए लिख दिया है। इससे ज्यादा और तो हम क्या कर सकते हैं।

एक माननीय सदस्य : पी.डब्ल्यू.डी. मंत्री जवाब तो दें, सार्वजनिक निर्माण मंत्री यहां बिराजमान हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : पी.डब्ल्यू.डी. मंत्रीजी को लिखा कि पी.डब्ल्यू.डी. अधिकारियों को लिखा ? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि इस डिले के कारण मैटीरियल कास्ट कितनी बढी और लेबर कास्ट कितनी बढी, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? उसकी रिकवरी आप किससे करेंगे, यह भी बताएं?

श्री नन्दलाल पूनिया : सार्वजनिक निर्माण विभाग के मंत्री यहां विराजमान हैं तो सार्वजनिक निर्माण विभाग के मंत्री जवाब दे दें।

श्री अध्यक्ष : सड़क की चौड़ाई बढेगी तो पैसा तो ज्यादा खर्च होगा ही, क्या नई बात है? सड़क की चौड़ाई बढ़ रही है, पैसा खर्च होगा।

मोहम्मद माहिर आजाद : Who is responsible for that delay ?

श्री अमराराम (धोद) **:** माननीय सदस्य का सवाल है कि एन.आई.टी. लगने के बाद, टेंडर होने के बाद वर्क आर्डर आज डेढ़ साल तक नहीं दिये हैं। एक साल पहले एन.आई.टी. होने के बाद वर्क आर्डर आज तक सवा साल में नहीं दिये हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये।

श्री अमराराम (धोद) **:** सवाल यह था माननीय सदस्य का कि ठेकेदार और एक्स.ईएन. मिले हुए हैं और वर्क आर्डर आज तक नहीं दिया तो निश्चित रूप से हाउस इसमें सख्त कार्यवाही करें और माननीय पी.डब्ल्यू.डी. मंत्री इसमें जवाब दें। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : अब बताओ कि राठौडी चली कि नहीं चली? अब देओ जवाब । बड़े उत्तेजित हो रहे थे, अब दो जवाब ? आसन अलाउ करेगा आपको।

श्री नन्दलाल पूनिया : निर्माण विभाग के मंत्रीजी, कृपया जवाब दें। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी : ...नहीं तो यह उनकी सड़क तो वैसे ही रह जाएगी, दूसरे विधायक आते तो बनने ही नहीं देते।

श्री अध्यक्ष : ऐसा है, माननीय सदस्यगण, माननीय पंचायती राज मंत्रीजी ने तो अपना जवाब दे दिया और गुनाहगार बता दिया पी.डब्ल्यू.डी. को, आप उनसे पूछियेगा। अब आप प्रश्न उनसे पूछियेगा। आप दुबारा प्रश्न इनसे करें, ये जवाब देंगे।

अनेक माननीय सदस्य : वे जवाब दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : नहीं, अभी तो क्यों देंगे ? अभी तो क्यों जवाब देंगे। ये लेकिन आप प्रश्न पूछिएगा इनसे कि देरी क्यों हुई, ये देंगे जवाब आपको।

श्री नन्दलाल पूनिया : निवेदन कर दिया है, साहब, मैंने वे जवाब दे रहे हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : यह तो इन्होंने कार्यवाही करने के लिए लिख दिया।

श्री अमराराम (धोद) **:** अध्यक्ष महोदय, कह दिया ना इन्होंने। एक मंत्रीजी ने कह दिया कि विभाग को लिख दिया तो उस विभाग के मंत्री जवाब दें। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल पूनिया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पी.डब्ल्यू.डी. मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं...

मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं, यह पूछिये कि किसको लिखा?

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट प्रश्न, श्री फतेह सिंह ।

मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो स्पष्ट करें मंत्रीजी इन्होंने कहा कि कार्यवाही करने के लिए पी.डब्ल्यू.डी. मंत्रीजी को लिख दिया है, पर किसको लिखा और कब लिखा, यह तो मंत्रीजी जवाब दें? यह स्पेसिफिक सवाल मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि इसमें कार्यवाही में दोषी पाये गये.....

श्री अध्यक्ष : नगर से आने वाले माननीय सदस्य, आप जानते हैं, विधायक कोष का जो पैसा है जिसकी आप अनुशंसा करते हैं कि इसका निर्माण पी.डब्ल्यू.डी. कराएगी, वह काम वैसे कुछ आमतौर पर लेट होता है बजाय उसके कि आपका सरंपच या आपकी पंचायत समिति कराए, क्योंकि उनके पास काम बहुत होते हैं, इसलिए वह लेट होता है, आप और हम जानते हैं इस बात को। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) **:** नहीं, नहीं, अध्यक्ष महोदय, वह ठेकेदार को करना पडता है। विभाग को क्या करना पड़ता है ? विभाग तो केवल टेंडर करके ठेकेदार को आर्डर करता है। डेढ़ साल तक उसका वर्क आर्डर नहीं करें, इससे बुरी बात और क्या होगी ?

श्री अध्यक्ष : नहीं, मैंने आपसे निवेदन किया, आप यह प्रश्न पी.डब्ल्यू.डी. मंत्रीजी से पुन: दूसरे रूप में पूछिएगा, वे जवाब देंगे।

श्री अमराराम (धोद) : अभी ग्रामीण विकास मंत्री महोदय ने जवाब दे दिया और मंत्रीजी कह रहे हैं कि सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी उस पर एक्शन करें। डेढ़ साल तक वर्क आर्डर नहीं दिया है।

श्री अध्यक्ष : पी.डब्ल्यू.डी. मंत्रीजी जवाब देंगे। मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं आपको, मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं। (व्यवधान) दे रहे हैं न जवाब।

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाडा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं...(व्यवधान) मैं बहुत देर से हाथ खड़ा कर रहा हूं, आप मौका दीजिये। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह कौन-सा तरीका हो गया? (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमंद) : माननीय अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के राज में काली सड़क डामरीकृत बताई गई और मौके पर डामरीकृत सड़क है भी नहीं और ये लोग उस डामरीकृत सड़क के पैसे उठा लिये और कांग्रेस के राज में इन्होंने खा लिया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री बंशीलाल खटीक : x x x

श्री हीरालाल (निवाई) : x x x

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, कृपया स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान) माननीय सदस्यगण, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री अशोक बैरवा : x x x

श्री कैलाश त्रिवेदी : x x x

अनेक माननीय सदस्य : x x x

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैं सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों को

इस बात की चेतावनी देना चाहती हूं कि आपके मंत्रीजी सक्षम हैं, वे जवाब देंगे, आप क्यों खडे होते हैं जवाब देने के लिए? आप किस हैसियत से खडे होते हैं ? गलत बात है। आपके मंत्रीजी सक्षम हैं, वे जवाब देंगे इस बात का। आप लोगों को बीच में खडे होकर इस प्रकार से बोलने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन वह प्रश्न तो खतम हो गया।

श्री कैलाश त्रिवेदी : x x x

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट प्रश्न, श्री फतेह सिंह ।

श्री अमराराम (धोद) **:** x x x

श्री अध्यक्ष : पी.डब्ल्यू.डी. मंत्रीजी, कोई प्रश्न पूछा है क्या आपसे इन्होंने ? आप कुछ कहना चाहते हैं क्या ? (व्यवधान)

श्री फतेह सिंह : प्रश्न संख्या 68.

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट प्रश्न, फतेह सिंह ।

मोहम्मद माहिर आजाद : x x x

श्री अध्यक्ष : यह आसन किसी को बाध्य नहीं कर सकता। वे जवाब नहीं देना चाहते हैं तो नहीं दे रहे हैं। मैं किसी को बाध्य नहीं कर सकती। मैं कैसे बाध्य कर सकती हूं।

मोहम्मद माहिर आजाद : x x x

श्री कैलाश त्रिवेदी : x x x

(अध्यक्ष महोदय ने हाथ के इशारे से अंकित नहीं करने के निर्देश दिये)

श्री अध्यक्ष : मैंने नैक्स्ट प्रश्न पुकार लिया है, आप फतेह सिंहजी का जवाब दीजिये। आप क्यों बोल रहे हैं बीच में? आप क्यों बोल रहे हैं बीच में? माननीय सदस्य, आप बीच में क्यों बोल रहे हैं?

श्री रामचन्द्र सराधना : x x x

श्री कालूलाल गुर्जर : x x x

श्री अध्यक्ष : नहीं, आप तो बैठिये ना। मैंने नैक्स्ट प्रश्न पुकार लिया है।

श्री रामचन्द्र सराधना : x x x

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट प्रश्न, श्री फतेह सिंह ।

बांसवाड़ा जिले में जनजाति उपयोजना से कृषि कनेक्शन हेतु अनुदान

68. श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) **:** क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला बांसवाड़ा के जनजाति बहुल क्षेत्र में कितने लघु, सीमांत व छोटे काश्तकारों को वर्ष 2002 से 2004 तक जनजाति उपयोजना से कृषि कनेक्शन के लिए अनुदान स्वीकृत किया गया ? सूची पंचायत समितिवार सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि कुशलगढ़ क्षेत्र में काश्तकारों के आवेदन पत्र वास्ते स्वीकृति जमा हैं ? यदि हां, तो कितने ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार उक्त काश्तकारों को कब तक स्वीकृति जारी करने का विचार रखती है? यदि हां तो क्यों?

जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री (श्री कनकमल कटारा) : (1) बांसवाड़ा जिले के सीमान्त/लघु जनजाति योजना के वर्ष 2002 से 2004 तक कुल 138… (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मुख्य सचेतक महोदय, अपने सदस्यों को नियंत्रित करो।

श्री महावीर प्रसाद जैन (सरकारी मुख्य सचेतक) **:** माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर कोई माननीय सदस्य प्रश्न के उत्तर से संतुष्ट नहीं हो तो आधा घंटे की चर्चा मांग सकता है आपसे और प्रक्रिया में बहुत माध्यम हैं। यह सदन में है कि जिसका जवाब आ गया…..

श्री संयम लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं और ये बीच में खडे हो गये, यह कौन-सा तरीका है ? आप किस नियमों के तहत खड़े हुए ? आप किस नियमों के तहत खड़े हुए ? (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : अब इनसे पूछ कर खड़ा हूं मैं। माननीय सदस्य, मैं इनसे पूछ कर खड़ा हुआ हूं। खड़ा नहीं होउगां क्या ? (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : आपके चीफ व्हिल की यह हालत है चीफ व्हिल की। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : आप क्यों खडे हो गये? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो ।

श्री संयम लोढ़ा : x x x

श्री महावीर प्रसाद जैन : x x x

श्री जुबरे खान : x x x

अनेक माननीय सदस्य : x x x

श्री संयम लोढ़ा : x x x

मोहम्मद माहिर आजाद : x x x

श्री महावीर प्रसाद जैन : x x x (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है, आसन पांवों पर है। सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य गण, आसन का काम आप करने लग जाते हैं।

एक माननीय सदस्य : इनको अक्ल ही नहीं है इसकी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इस सदन के अन्दर व्यवस्था रखने का काम आसन का है और यदि कोई विपक्ष, प्रतिपक्ष के कोई भी माननीय सदस्य कुछ कहते हैं, उनको रोकने का। जवाब देने का काम, या तो मंत्रीजी जवाब देंगे या फिर मैं कुछ न कुछ कहूंगी। लेकिन आप लोग खामख्वाह में खडे होते हैं तो उससे अव्यवस्था फैलती है, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगी, खास तौर से राजसमन्द से आने वाले माननीय सदस्य को, जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य को कि आप खामख्वाह में बीच-बीच में खडे नहीं हो जवाब आपके मंत्रीजी दे रहे हैं, ये पूछ रहे है, आप बीच में क्यों खड़े होते हैं? नैक्स्ट प्रश्न । जवाब दीजिये मंत्रीजी।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं पूछना चाहता हूं कि मैं आपकी परमिशन से बोला हूं

कि नहीं? पहले आप यह बताइये कि मैं जो खड़ा हुआ, आपने मुझे कहा कि मुख्य सचेतकजी आप अपने सदस्यों को नियंत्रित करें, फिर मैंने आपको एक सुझाव दिया .... (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : आदिवासियों से सम्बन्धित सवाल है, वे नहीं चाहते कि उसका उत्तर आए। नहीं चाहते महावीर प्रसादजी कि उसका उत्त्तर आए और उनको फायदा मिले। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आप मुझे सुनेंगे ? आसन खड़ा है, आप सुनेंगे मुझे?

श्री फतेह सिंह : यह प्रश्न जो लगा है, वह आदिवासी समाज के हितों का था इसलिए इसमें रोड़ा डाला जा रहा है। यह प्रश्न आदिवासी बहुल क्षेत्र का था, उसके ऊपर मंत्रीजी जवाब देना चाहते हैं और माननीय सदस्य उलझाकर इस बात को दबाने की कोशिश करते हैं, यह क्या तरीका होता है ? हम कभी बोलते नहीं है और यह प्रश्न लगा है, उसमें मंत्रीजी जवाब देंगे, उसमें हम भी कुछ पूछेगें और कुछ आदिवासियों के हित में कोई न कोई मसला हल होगा, यह हम सोचते थे लेकिन सारे सदस्य इस बात को लेकर अडे कि नहीं, मंत्रीजी जवाब दें, मंत्रीजी जवाब दें। जब सम्बन्धित मंत्री ने जवाब दे दिया, पंचायत राज मंत्री हैं और पंचायतों को किसी एम.एल.ए. ने बजट दिया है उसका पी.डब्ल्यू.डी. मिनिस्टर से जवाब मांगने का क्या कारण है? इसका मतलब तो यही है कि इस प्रश्न को किसी न किसी तरह से दबाया जाए। मैं आपसे प्रोटेक्शन चाहता हूं।

श्री कनकमल कटारा : माननीय अध्यक्ष महोदय, खण्ड-एक, बांसवाड़ा जिले के...

एक माननीय सदस्य : महावीरजी को...

श्री अध्यक्ष : महावीरजी को लेकर ऐसा है, मेरी बात सुनिये पहले आप, जवाब देने से पहले, मंत्रीजी। सत्ता पक्ष के मुख्य सचेतक को मैंने कहा कि आप अपने सदस्यों को नियंत्रित करें, उस पर उठकर खडे होकर उन्होंने कहा कि यदि आप उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं तो आधे घंटे की चर्चा भी आप कर सकते हैं, तो उन नियमों का आप उपयोग क्यों नहीं करते हैं। वह यह कह रहे थे उस पर शोर-शराबा हो गया। बात तो

सही थी कि आधे घंटे की चर्चा कर सकते हैं आप, आप संतुष्ट नहीं हैं तो करें आप आधे घंटे की चर्चा। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह देखो, यह देखो, खडे हो गये।

श्री अध्यक्ष : आप भी शांत रहे थोड़ा। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपने मुझे अधिकृत कर रखा है न।

जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री (श्री कनकमल कटारा) : (1) बांसवाड़ा जिले के सीमान्त/लघु जनजाति कृषकों को वर्ष 2002 से 2004 तक कुल 138 कृषकों को कृषि कनेक्शन हेतु अनुदान राशि जारी की गई है। पंचायत समितिवार एवं ग्रामवार सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) जी हां। कुशलगढ़ क्षेत्र के 39 कृषकों के कृषि-कूप-ऊर्जीकरण-अनुदान के प्रकरण विचाराधीन हैं। सूची परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(3) वर्ष 2004-05 में कृषि कनेक्शन हेतु रुपये चालीस लाख के प्रस्ताव संविधान की धारा 275(1) के अंतर्गत भारत सरकार को भिजवाये जा रहे हैं। भारत सरकार से राशि प्राप्त होने पर इन लम्बित प्रकरणों के लिए राशि स्वीकृत करने पर विचार किया जा सकेगा।

(सूची के लिए परिशिष्ट-3 देखें)

श्री फतेह सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने जो जवाब दिया है कि बांसवाड़ा जिले 2002 से 2004 तक कुल 138 आवेदकों की स्वीकृति जारी की गई, मैं मंत्रीजी से यह जानना चाहता था कि क्या 2002 से 2004 तक सिर्फ 138 ही आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे? स्वीकृति के बाद में कोई आवेदन पत्र बचे थे या नहीं, एक तो उसका जवाब आप दें? एक जवाब, क्या यह सही है कि कुशलगढ़ क्षेत्र के काश्तकारों के आवेदन पत्र वास्ते स्वीकृति जमा हैं ? यदि हां, तो कितने? तो आपने जवाब दिया है कि कुशलगढ़ क्षेत्र के 39 कृषकों के ऊर्जीकरण-अनुदान के प्रकरण विचाराधीन हैं। क्या कुशलगढ़ क्षेत्र के सिर्फ 39 ही प्रार्थना पत्र जिले में प्रस्तुत हुए हैं ? इससे अधिक हुए हैं या 39 ही हुए हैं, उसके बारे में भी आप बताएं, क्योंकि मेरी जानकारी के अनुसार उस क्षेत्र के काश्तकारों के फार्म करीब सौ के आसपास हैं और आपने दर्शाया है 39 कृषकों के । दूसरा मैं आपसे यह जानना चाहता था, 2004-05 में कृषि कनेक्शन के लिए चालीस लाख रुपये जिले में बताये गये हैं, लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार जो विभाग

ने आपको जानकारी दी है, वह सही नहीं है, बांसवाड़ा जिले में डेढ करोड़ रुपये अनुदान कृषि कनेक्शन को देने के लिए विभाग के पास में है और जब तक कमिश्नर महोदय उसकी स्वीकृति जारी नहीं करेंगे तब तक अनुदान की राशि स्वीकृत नहीं होगी। तो मैं आपसे यह जानना चाहता था कि 2002 से 2004 में कुल आवेदन बांसवाड़ा जिले में कितने प्रस्तुत हुए थे? और दूसरा मैं यह जानना चाहता था कि कुशलगढ़ में 39 फार्म पेश हुए, क्या इससे अधिक नहीं थे? और तीसरा मैंने आपसे पूछा है कि यह चालीस लाख रुपये के बजाय मेरी जानकारी के अनुसार डेढ़ करोड़ रुपये है, इस सम्बन्ध में आप स्पष्टीकरण दें, जवाब दें।

श्री कनकमल कटारा : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि वर्ष 2002 से 2003 एवं 2003 से 2004 में जब कांग्रेस का राज था उस समय कोई प्रावधान ऐसा नहीं किया गया था। अभी आपने कहा है, कुल जो प्रार्थना पत्र हैं, 336 प्राप्त हुए, उसमें से 138 लाभान्वित किये गये। जो सूची संलग्न है, आप इसी में देख सकते हैं, इनमें से पैण्डिंग 198 हैं। कुशलगढ में लाभान्वित 17 हो गये, उसमें लम्बित सूची, जमा 39 है जिसके पैसे जमा हैं जिसमें चालीस लाख के प्रस्ताव और जो -जो शेष पैण्डिंग रहते हैं, भारत सरकार से राशि आने पर उन काश्तकारों को हम लाभ दे सकेंगे।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली) **:** अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से एक जानना चाहता हूं, जो जनजाति क्षेत्र में....

श्री फतेह सिंह : मेरे को तो पूछ लेने दो। (व्यवधान)

श्री शांतिलाल चपलोत : नहीं, इनके साथ ही दे देंगे वह ।

श्री अमराराम (धोद) **:** यह पूछ लें, उसके बाद में पूछें आप।

श्री शांतिलाल चपलोत : पूछ लिया न इन्होंने, इन्होंने जवाब दे दिया, उसी के साथ में आ जाएगा यह।

श्री फतेह सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता था कि पिछली बार जो स्वीकृतियां जारी हुई हैं उसमें घाटोल पंचायत समिति के दस फार्म स्वीकृत हुए हैं, पीपलखूंट के 23 हुए हैं, कुशलगढ़ के 17, सज्जनगढ के 4, तलवाडा के 26, गढी के 3 और बागीदोरा के 62 । पिछली बार जब पूरे जिले के काश्तकारों और लघु/सीमांत काश्तकारों के लिए बजट आया था तो क्या कारण रहा कि अन्य पंचायत

समितियों में कम स्वीकृति निकली और बागीदोरा में 62 काश्तकारों को पैसा दिया ? इसकी क्या वजह थी क्योंकि सभी पंचायत समितियों से आवेदन पत्र आये थे ? एक ही पंचायत समिति में 62 काश्तकारों को लाभ दिया, उसका मेरा विरोध नहीं है लेकिन समान दृष्टि से उस इलाके को बजट अगर दिया होता तो मेरे ख्याल से अन्य लोगों को भी लाभ मिलता। दूसरी बात यह थी कि आवेदन पत्र जमा होने के बाद में जब डिमाण्ड जारी होती है, काश्तकार विभाग में जो अनुदान मिलेगा उसके अलावा जो डिमाण्ड में ज्यादा पैसा है वह जमा कराता है, जमा कराने के बाद में छह महीने…

श्री अध्यक्ष : प्रश्न पूछिये आप। प्रश्न पूछिये।

श्री फतेह सिंह : मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि छह महीने लग जाते हैं उसके बाद में अनुदान की राशि स्वीकृत होती है, इसका क्या कारण है उसका भी हमें खुलासा होना चाहिए। छह महीने तक काश्तकार द्वारा पैसा विभाग में जमा कराने के बाद भी स्वीकृति जारी नहीं होती है उस देरी का क्या कारण रहा और जो आवेदन पत्र आपके पैण्डिंग हैं उनको आप कब तक स्वीकृत करेंगे, यह आप बताएं?

श्री शांतिलाल चपलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसके बीच में ही पूछ लेता हूं जिससे सब का ही उत्तर आ जाएगा, जनरल प्रश्न पूछ रहा हूं मैं।

श्री अध्यक्ष : हां, पूछिये, पूछिये। (व्यवधान) बन एट ए टाइम।

श्री शांतिलाल चपलोत : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि जो क्षेत्र उपयोजना में हैं, दूसरी योजना में हैं, जनजाति क्षेत्र में हैं पर जहां जनजाति की आबादी बहुत है, मसलन उदयपुर में मावली तहसील में 32 हजार लोग जनजाति के हैं और नाथद्वारा में भी हैं, एक गिर्बा के आसपास में भी हैं, बल्लभनगर में भी हैं, जो क्लस्टर में फैले हुए हैं या छितरी हुई आबादी में हैं उनको भी इस योजना में किसी न किसी प्रकार का फायदा देने का सरकार का कोई इरादा है?

श्री कनकमल कटारा : अध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य ने पूछा था कि बागीदोरा में सबसे ज्यादा कैसे स्वीकृत हुए। जैसे-जैसे प्रार्थना पत्र आते है कार्यक्रम की स्वीकृति करने की अपनी एक प्रक्रिया है और उस आधार पर जो फार्म पहले जमा होंगे उनको पहले दिया है।

उसके बाद आपने उल्लेख किया, कुशलगढ में जैसी स्थिति है उसके अनुसार अधिकारियों ने उस कार्य को स्वीकृत करने के लिए आगे भेजा उसके अनुसार

(श्री कनकमल कटारा)

ही आयुक्त ने उसे स्वीकृत किया है। अगर कमी है तो आने वाले समय में अभी जो बजट होगा उसमें कुशलगढ क्षेत्र का विशेष रूप से आपका ध्यान रखा जाएगा। जैसा आपने पूछा, माडा-टाडा क्षेत्र के अन्तर्गत भी हमारी मंशा है कि इस क्षेत्र के अन्दर भी अधिक से अधिक काश्तकारों को लाभ मिले। उसके लिए भारत सरकार से राशि उपलब्ध होने पर निश्चित रूप से हम उसकी कार्यवाही करके, ऐसी छितरी बस्तियों में मैं जानता हूं कि जहां दूरदराज के क्षेत्र में काश्तकार या कोई लोग रहते है, वहां पर आज भी एक भी लट्टू नहीं हैं, सम्भवत: हम सब चर्चा करते हैं, माननीय सदस्य सभी, लेकिन दूरदराज के क्षेत्र में आज भी अंधेरा ही अंधेरा है और हम लिखते हैं कि अंधियारे से उजियारे की और लेकिन शायद मैं सोचता हूं कि अभी तक उस बात को हम पूरा नहीं कर पाये। हमारी मंशा आपकी भावना के अनुसार है। मैं सोचता हूं कि उस क्षेत्र के अन्दर जहां मूल क्षेत्र जनजाति बहुल क्षेत्र हैं, मैं रहता हूं डूंगरपुर, बांसवाडा और जनजातीय क्षेत्र अपने उदयपुर का, अधिक से अधिक वहां पर बिजली के लिए हम राशि कितनी उपलब्ध करा सकें, जैसे-जैसे आवेदन काश्तकारों के और भी आते रहेंगे उसके अनुसार हम निश्चित रूप से उसको लाभ देंगे, ऐसा मेरा कहना है।

श्री अर्जुन लाल मीणा (सलूम्बर) **:** माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय जनजाति मंत्री से सम्बन्धित मेरा प्रश्न है, माणिक्य लाल वर्मा आदिम जाति संस्थान उदयपुर में हैं.....

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली) **:** अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। जो माडा-टाडा में नहीं हैं, बहुत छितरी हुई आबादी है, बहुत अंत में रह रहे हैं, तीन सौ चार-चार सौ अनुसूचित जनजाति के मकान हैं, माडा और टाडा या अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र से भी ज्यादा कहीं आबादी है, पांच सौ घर, चार-चार सौ घर हैं उन लोगों के लिए भी क्या कोई अलग से व्यवस्था करने का विचार रखते हैं, जो माडा में भी नहीं हैं, टाडा में भी नहीं हैं ?

श्री कनकमल कटारा : उसके लिए सोचना पडेगा। विचार करेंगे इस पर।

श्री अर्जुन लाल मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, माणिक्य लाल वर्मा अनुसूचित जाति/जनजाति संस्थान, उदयपुर से प्रति वर्ष कितने जनजाति छात्र-छात्राएं शोध प्राप्त करते है? माननीय मंत्री महोदय से सम्बिन्धत प्रश्न है उक्त शोध संस्थान पर प्रति वर्ष कितनी राशि प्रशासनिक एवं संस्था चलाने के लिए व्यय

होती है तथा उस संस्था की उपयोगिता क्या है?

श्री अमराराम (धोद) **:** अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय यह बताएं कि एप्लाई जो...

श्री अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछें, प्रश्न।

श्री अर्जुन लाल मीणा : मंत्री महोदय से सम्बन्धित प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न पूछिये।

श्री कनकमल कटारा : यह प्रश्न अलग से है, इसको अलग से रखें।

श्री अमराराम (धोद) **:** अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय यह बताएं कि बिजली कनेक्शन में अनुदान के लिए जिन्होंने एप्लाई किया है, उनकी क्या प्रायोरिटी मेंटेन की जाती है ? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आया क्या उनको प्रायोरिटी के अनुसार ही अनुदान स्वीकृत हुआ है ? और नहीं हुआ तो केवल इसमें भ्रष्टाचार होता है। मूल प्रश्नकर्ता की मंशा यह है कि जो एप्लाई करता है उसके बजाय जो सेवापानी करता है विभाग में, उसके पास भेजा जाता है और कमिश्नर उसको स्वीकृत कर देता है। तो क्या इसमें प्रायोरिटी मेंटेन की जाती है और क्या प्रायोरिटी के अनुसार स्वीकृतियां जारी की गयी हैं?

श्री कनकमल कटारा : अध्यक्ष महोदय, अगर इस प्रकार की स्थिति है तो में दिखवा लूंगा इसको। प्रायोरिटी के अनुसार हम कोशिश करेंगे और पर्टीकुलरली कोई ऐसा है जो माननीय सदस्य की जानकारी में है तो निश्चित रूप से आप दे दें, मैं इसको दिखवा करके मदद करूंगा।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन, श्री संयम लोढा।

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं.....

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन पुकार लिया।

श्री नन्दलाल मीणा : 15 मिनट से हाथ खड़ा कर रहा हूं सवाल के लिए, सवाल रिलेवेंट है।

(श्री संयम लोढ़ा)

श्री अध्यक्ष : सबके सवाल रिलेवेंट हैं, किसी का इररिलेवेंट नहीं है।

श्री नन्दलाल मीणा : ...(व्यवधान)...कि यह जनजाति विकास विभाग जो अनुदान देता है आदिवासी कृषकों को...

श्री अध्यक्ष : मैंने नैक्स्ट क्वेश्चन पुकार लिया है।

क्रीड़ा उप केन्द्र स्वीकृति के मानदण्ड

69. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : क्या युवा खेलकूद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य में क्रीडा उप केन्द्र स्वीकृति की नीति एवं मानदण्ड क्या है? राज्य में वर्ष 2004 में कितने क्रीडा उप केन्द्र स्वीकृत किये गये ?

(2) क्या सरकार इस वर्ष राज्य में युवा वर्ग में खेल वातावरण बनाने के लिए कोई कार्य योजना बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

युवा एवं खेलकूद मंत्री (श्री यूनूस खां) **:** (1) माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य में वर्ष 2004 में अब तक दो उप केन्द्र खोले गये हैं :-

(1) आबू पर्वत एवं (2) डीडवाना। खेलों के प्रचलन एवं खेल सुविधाओं/खेल मैदानों की उपलब्धता को देखते हुए उप केन्द्र खोले जाते हैं।

(2) जी हां। इस वर्ष युवा वर्ग में खेल का वातावरण बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा भरसक प्रयत्न किये जा रहे हैं। सरकार खेलों के लिए अन्तरराष्ट्रीय स्तर की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु प्रयासरत है। युवा एवं खेलकूद हेतु गत वर्ष के आयोजना मद के 1 करोड़ 62 लाख रुपये करना प्रस्तावित है। अजमेर, कोटा एवं उदयपुर में 'युवा आवास' का निर्माण, सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में एथेलेटिक्स सिन्थेटिक ट्रैक, हॉकी एस्ट्रो टर्फ, टेनिस कोर्ट, इंडोर स्टेडियम का विकास किया जाना प्रस्तावित है। इसी प्रकार अजमेर स्टेडियम में हॉकी एस्ट्रो टर्फ एवं झालावाड में खेल संकुल का विकास किया जाना प्रस्तावित है।

(श्री यूनूस खां)

युवाओं को ग्रीष्मकाल में प्रत्येक जिला स्तर पर शिविर आयोजित कर राज्य में लगभग 5000 बालक/बालिकाओं को खेल की विभिन्न विधाओं में नि:शुल्क प्रशिक्षण दिया गया है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय आवासीय प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन माउण्ट आबू, उदयपुर, डीडवाना, डूंगरपुर व जयपुर में किया गया। उदयपुर व डूंगरपुर में जनजाति क्षेत्र के युवाओं को विभिन्न खेलों का सघन प्रशिक्षण दिया गया, जबकि डीडवाना में ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया।

युवा वर्ग में क्रीड़ा का वातावरण बनाने के लिए खेल नीति तैयार करने हेतु एक समिति का गठन प्रमुख शासन सचिव, युवा मामले एवं खेल विभाग की अध्यक्षता में किया गया है। राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय स्तर के खिलाडी विकसित करने के लिए 'खेल प्रतिभा का चयन योजना' लागू करना प्रस्तावित है। इस योजना के तहत चयनित खिलाडियों को छात्रवृत्ति, प्रशिक्षण एवं नकद पुरस्कार आदि दिया जाना प्रस्तावित है।

श्री संयम लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य की माननीय मुख्य मंत्री को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आयोजना मद में खेलों के लिए 7 करोड़ रुपये से अधिक राशि का प्रावधान किया है, लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह आवश्यक है कि उस धन का प्रयोग खिलाड़ियों और खेलों के हित में हो।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने जैसा अपने उत्तर में कहा है कि खेल सुविधाओं और खेल मैदानों की उपलब्धता के आधार पर उपकेन्द्र खोले जाते है, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि डीडवाना में क्या खेल सुविधा उपलब्ध है? राष्ट्रीय और राज्य स्तर के कितने खिलाड़ी डीडवाना में हैं? दूसरा पांच केन्द्रीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर माउण्ट आबू, उदयपुर, डीडवाना, डूंगरपुर व जयपुर में किये गये, पांचों शिविरों में कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया? माननीय अध्यक्ष महोदय, डीडवाना में खिलाड़ी प्यासे मर गये। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि हम खेल का वातावरण बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, 2004 के अन्दर राज्य के किस-किस जिले में जिला क्रीड़ा परिषद की बैठक आयोजित की गयी, मुझे यह जानकारी देने का कष्ट करें ?

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी, बोलें। ...(व्यवधान)...आप फिर बोलने लगे। जवाब देने दीजिये उनका। आदत से लाचार हैं।

(श्री यूनूस खां)

श्री यूनुस खां : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि डीडवाना के अन्दर राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी बहुत सारे उपलब्ध हैं। और डीडवाना में हर वर्ष राज्य स्तरीय और दो बार नेशनल लेवल की बास्केटबाल प्रतियोगिताएं भी आयोजित हुई हैं। वहां बास्केटबाल के मैदान हैं और मिर्धा स्टेडियम पारम्परिक रूप से वहां पर बना हुआ है और सांसद कोटे से और विधायक कोटे से वहां पूरी खेल सुविधाएं भी हैं, एक्स्ट्रा सरकार पर कोई खर्चा नहीं आया है। उसके अलावा मूल प्रश्नकर्त्ता माननीय सदस्य ने पूछा है, उनके जिले में आबू पर्वत में अभी हमने नया उप केन्द्र खोला है, उसके पहले भी तीन उप केन्द्र खोले गये हैं। उसके अलावा इन्होंने पूछा कि प्रशिक्षण शिविरों में कौन-कौन से जिलों में कितने-कितने खिलाड़ी आये, मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय अध्यक्षजी, आपके माध्यम से कि माउण्ट आबू के कैम्प में संख्या थी प्रशिक्षणार्थियों की 203, जयपुर के कैम्प में 98, उदयपुर के कैम्प में 126, डूंगरपुर के कैम्प में 190 और डीडवाना के कैम्प में 201 और मैं यह कहना चाहता हूं, डीडवाना की जनता ने जो खिलाड़ी पूरे राजस्थान भर से आये, उनके लिए पलक पांवड़े बिछा करके सारी सुविधाओं की व्यवस्था की। किसी भी खिलाड़ी को कोई शिकायत नहीं थी, पानी लिए हुए हमारी सब वहां की जनता खड़ी रहती थी। इसलिए यह जवाब मैंने पूर्णतया दे दिया है। धन्यवाद।

श्री संयम लोढ़ा : अभी आपने यह नहीं बताया कि राज्य के किस-किस जिले में क्रीड़ा परिषद् की इस साल में बैठक हुई? राज्य के किस-किस जिले में क्रीड़ा परिषद् की बैठक हुई है, इसकी भी आप जानकारी दे दीजिये।

श्री अध्यक्ष : क्रीड़ा परिषद् की बैठक हुई है क्या हर जिले में?

श्री संयम लोढ़ा : जिले क्रीड़ा परिषद् की बैठक हुई है, हर जिले में बैठक हुई है?

श्री अध्यक्ष : हां, आप बिराजिये। दे रहे हैं जवाब।

श्री यूनूस खां : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मूल प्रश्न से अलग है। उसके अलावा भी मैं निवेदन...

श्री संयम लोढ़ा : यह खेलों के वातावरण बनाने से सम्बन्धित है, माननीय

मंत्रीजी। राजस्थान सरकार जिला क्रीड़ा परिषद् के माध्यम से ही जिलों के अन्दर खेल गतिविधियों का काम-काज देखती है। आपके खेल अधिकारी उसके सैक्रेटरी हैं।

श्री अध्यक्ष : तो दे रहे हैं न आपका जवाब।

श्री संयम लोढ़ा : आपने पूरे राजस्थान में इस साल में एक मीटिंग नहीं करवायी है किसी जिले में और आप कह रहे हैं कि हम खेलों का वातावरण बना रहे हैं। किसी जिले में आपने एक मीटिंग नहीं करायी।...(व्यवधान)

श्री यूनूस खां : यह अलग प्रश्न का विषय है, माननीय अध्यक्ष महोदय। यह अलग प्रश्न का विषय है।

एक माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस साल पूरी नहीं हुई है।

श्री अध्यक्ष : जवाब दे रहे हैं न।

श्री यूनूस खां : यह अलग से प्रश्न है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ। प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(12.00 बजे)

(प्रश्नकाल समाप्त)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्न स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है :-

डा. श्री गोपाल बाहेती एवं 9 अन्य सदस्य की ओर से अजमेर पुलिस लाइन में कार्यरत एक सिपाही द्वारा आत्मदाह करने की घटना के सम्बन्ध में।

चूंकि दिनांक 19 जुलाई, 2004 को पुलिस विभाग की मांग पर चर्चा के समय माननीय सदस्य इस विषय को उठा सकते हैं, अत: इस पर मैं अनुमति देने में

असमर्थ हूं।

नियम 295 के अंतर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री राकेश मेघवाल, सदस्य की ओर से नगरपालिका मकराना द्वारा मुख्य सड़क पर गंदगी डालने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री संयम लोढा, सदस्य की ओर से अरठवाडा जलप्रदाय योजना का कार्य शुरू करने के सम्बन्ध में।

(3) श्री मांगीलाल गरासिया, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा की कतिपय सड़कों का डामरीकरण करने के सम्बन्ध में।

(4) श्री जगत सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ (अलवर) में हुई ओलावृष्टि से किसानों को हुए नुकसान का मुआवजा देने के सम्बन्ध में।

(5) श्री बहादुर सिंह गोदारा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र नोहर में पिछले 5 वर्ष से नकली खाद एवं पेस्टिसाइड्स का धंधा पनपने के सम्बन्ध में।

(6) श्री राव राजेन्द्र सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बैराठ के ग्राम रामपुरा के वन क्षेत्र में सूखें पेडों की नीलामी में बरती गई अनियमितता के सम्बन्ध में।

(7) श्रीमती सुर्यकान्ता व्यास, सदस्य की ओर से जोधपुर शहर के मुख्य अस्पतालों की चिकित्सा व्यवस्था में सुधार के सम्बन्ध में।

(8) श्री नवरतन राजोरिया, सदस्य की ओर से कृषि अनुसंधान केन्द्र दुर्गापुरा (जयपुर) को जोबनेर (जयपुर) स्थानन्तरित करने के सम्बन्ध में।

(9) श्री अमराराम धोद, सदस्य की ओर से राजकीय महाविद्यालयों में योग्य विद्यार्थियों के प्रवेश से वंचित रहने के सम्बन्ध में।

(10) श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र फागी में महाविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में।

(11) श्री रिछपाल सिंह मिर्धा, सदस्य की ओर से राज्य की निजी शिक्षण संस्थाओं के संचालकों द्वारा की जा रही मनमानी कार्यवाही पर अंकुश लगाने के सम्बन्ध में।

(12) श्री नाथूराम अहारी, सदस्य की ओर से जिला डूंगरपुर में अनावृष्टि से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

मैं माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढने की अनुमति दूंगी। श्री राकेश मेघवाल।

श्री रामचन्द सराधना (जमुवारामगढ़) : माननीय अध्यक्षजी, मैं एक सूचना देना चाहता हूं, पाइंट आफ इंफारमेशन।

डा. गोपाल बाहेती (पुष्कर) : माननीय अध्यक्षजी , मैंने जो स्थगन प्रस्ताव आपको दिया है..

श्री अध्यक्ष : आसन पांवों पर।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : आसन पांवों पर हैं और अधिकारी जा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय गृह मंत्रीजी, अलवर के सम्बन्ध में आप कब अपना वक्तव्य देना चाहेंगे?

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री) : आपकी तरफ से जो भी समय निश्चित हो।

श्री अध्यक्ष : 4 बजे लेना पसंद करेंगे या अभी?

श्री जुबेर खान : जीरो आवर के तुरन्त बाद करा दीजिए।

श्री अध्यक्ष : जीरो आवर के तुरन्त बाद अलवर के सम्बन्ध में वक्तव्य देंगे।

श्री रामचन्द्र सराधना : अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ इंफारमेशन।

श्री अध्यक्ष : नो, आई डोंट अलाउ। बैढ़िए, स्थान ग्रहण कर लें। श्री राकेश

(श्री राकेश मेघवाल)

मेघवाल।

डा. गोपाल बाहेती : अध्यक्षजी, जो स्थगन प्रस्ताव मैंने दिया है…

श्री अध्यक्ष : नो, मैंने नाम पुकार लिया है। आपको जो भी बोलना है इसके बाद बोलिए। मैं नाम पुकार चुकी हूं।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

मकराना नगरपालिका द्वारा कचरा निस्तारण से उत्पन्न स्थिति

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख के तहत सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

ग्राम मंगलाना तहसील परबतसर की सरहद में राज्य सरकार द्वारा मकराना की नगरपालिका को मार्बल पत्थर के कचरे एवं मार्बल स्लेरी डालने हेतु रेलवे फाटक एवं मंगलाना-मकराना मुख्य सड़क से एक किलोमीटर दूर उत्तरी तरफ पहाडों की तलहटी में 55 बीघा भूमि आबंटित की हुई है। किन्तु नगरपालिका, मकराना द्वारा अवैध रूप से उक्त भूमि के आबंटन की शर्तों का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन कर मुख्य सड़क के किनारे पर मकराना शहर की गंदगी का ढेर लगा दिया गया है जिससे उक्त क्षेत्र के आस-पास की ढाणियों/गांवों में आगामी वर्षा काल में महामारी फैलने की स्थिति की पूर्ण सम्भावना है। क्षेत्र के आम नागरिक उक्त गंदगी से इतने परेशान हो गये है क्योंकि उक्त गंदगी से उत्पन्न होने वाले मच्छर…

श्री अध्यक्ष : मिस्टर राकेश मेघवाल, आपने जो 295 लिख कर दिया है वही पढ़ें उसके अतिरिक्त कुछ और नहीं बोलें।

श्री राकेश मेघवाल : ठीक है, अध्यक्ष महोदय। जीवाणु इस पूरे क्षेत्र में फैल चुके हैं जिनका वर्षा की नमी पाकर प्रकोप अत्यन्त ही बढ जाएगा। जिसके कारण राज्य सरकार को उक्त क्षेत्र के नागरिकों की स्वास्थ्य रक्षा करने में अत्यन्त ही कठिनाई होगी, इससे इन्कार नहीं किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में मेरे द्वारा क्षेत्र के नागरिकों की प्रार्थना पर समय-समय पर राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट किया

(श्री संयम लोढ़ा)

गया किन्तु इस प्रकरण में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

अत: अनुरोध है कि मंगलाना ग्राम की सरहद में नगरपालिका मकराना द्वारा निरन्तर रूप से मकराना शहर की गंदगी डालने के कार्य को तुरन्त रूकवाया जाए तथा पूर्व में डाले गये कचरे एवं गंदगी को अन्यत्र डलवाया जाए अन्यथा भविष्य में क्षेत्र की जनता को अत्यंत ही विपरित स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है जो राज्य सरकार को परेशानी में डाल सकती है, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री संयम लोढ़ा (व्यवधान) 295 को पूरा पढ़ने दीजिए।

सिरोही जिले की अरठवाड़ा जलप्रदाय योजना का कार्यान्वयन

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : अध्यक्ष महोदय, मैं राज्य विधान सभा के प्रक्रिया संचालन नियम 295 के अंतर्गत अरठवाडा जलप्रदाय योजना का कार्य शुरू करने के सम्बन्ध में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार द्वारा गत वर्ष 2003 में अरठवाडा जलप्रदाय योजना को स्वीकृत किया गया था और इसके लिए 56 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई थी।

गत वर्ष सिरोही जिले के प्रभारी मंत्री डा. जितेन्द्र सिंह ने इस कार्य का जलदाय विभाग के उच्चाधिकारियों की उपस्थिति में शिलान्यास किया था, लेकिन अब राज्य सरकार इस योजना को आगे नहीं बढा़ रही है।

जलदाय विभाग द्वारा गत वर्ष दी गई वित्तीय स्वीकृति होने के बावजूद विभाग ग्राम पंचायत को अनगर्ल पत्र भेज रहा है।

सिरोही विधान सभा क्षेत्र में कांग्रेस की विजय का खामियाजा अरठवा़डा की जनता को भुगतना पड रहा है। मेरा आपसे निवेदन है कि इस कार्य को तुरन्त शुरू करें और इसमें विलम्ब के दोषी अधिकारियों के खिलाफ कडी कार्यवाही करने का कष्ट करें।

(श्री बहादुर सिंह गोदारा)

श्री अध्यक्ष : श्री मांगीलाल गरासिया। (अनुपस्थित) (व्यवधान) पहले 295 को कम्प्लीट होने दीजिए । श्री जगत सिंह। (अनुपस्थित) श्री बहादुर सिंह गोदारा।

नोहर में नकली बीज, खाद व कीटनाशकों का बढ़ता व्यापार

श्री बहादुर सिंह गोदारा (नोहर) : अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 295 के तहत नकली खाद-बीज-पेस्टीसाइड के स्कैंडल की जांच हेतु आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र नोहर में पिछले पांच साल से नकली बीज-खाद-पेस्टीसाइड का धंधा राजनैतिक संरक्षण में जोरों से चलता आ रहा है। अनेकों बार शिकायत की मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही है।

पिछले दिनों स्कैंडल उजागर हुआ तो पता चला कि हनुमानगढ़ जिले के कांग्रेस के महामंत्री तोलाराम तथा उनका लड़का शंकर गणपति नाम की नोहर में सांझा फर्म चलाते हैं, जिन्होंने अब तक किसानों को हजारों क्विंटल नकली बीज-खाद-पेस्टीसाइड बेचकर करोड़ों रुपयों को नुकसान पहुंचाया है।

स्कैंडल उजागर होने के बाद पुलिस में रिपोर्ट दर्ज हो गई मगर अभी तक मुल्जिमों को गिरफ्तार नहीं किया गया, वे खुले फिर रहे हैं तथा अपने स्कैंडल को उसी रूप में अंजाम दे रहे हैं।

सरकार का ध्यान आकर्षित कर निवेदन है कि सही जांच करवाकर मुल्जिमों के खिलाफ कार्यवाही की जाए एवं किसानों को मुल्जिमों से मुआवजा दिलवाया जाए।

श्री अध्यक्ष : श्री राव राजेन्द्र सिंह।

बैराठ क्षेत्र के ग्राम रामपुरा वन क्षेत्र के सूखे पेड़ों की नीलामी में अनियमितता

श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख के

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

माध्यम से निवेदन है कि बैराठ विधान सभा क्षेत्र की विराटनगर पंचायत समिति के ग्राम रामपुरा के वन क्षेत्र में सूखें पेड़ों को कटवाने के लिए नीलामी ग्राम पंचायत द्वारा की गयी थी जिसमें कई प्रकार की अनियमितताएं पाई गई थी। वहां के विकास अधिकारी, उप प्रधान और तत्कालीन सरपंच को इसके लिए दोषी भी पाया गया था और जिला कलक्टर द्वारा विकास अधिकारी, उप प्रधान और सरपंच को अपने-अपने पदों से बर्खास्त करने की अनुशंसा की गई थी, लेकिन पूर्ववर्ती सरकार में अपनी ऊंची पहुंच के चलते उप प्रधान को अभी तक अपने पद से बर्खास्त नहीं किया गया है और आगे भी कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम रामपुरा में सूखे पेड़ों को कटवाने के लिए नीलामी सिर्फ रामपुरा के लिए ही की गई थी जबकि ठेकेदार द्वारा रामपुरा के साथ ही गिरधरपुरा की नर्सरी के पेड़ भी कटवा लिये गये और उक्त प्रकरण में सूखें पेड़ों के स्थान पर हरे पेड़ों को भी कटवा लिया गया और राज्य के राजस्व को लाखों रुपये का नुकसान पहुंचाया गया है।

इस प्रकरण की जांच करने पर उप वन संरक्षक ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि बाजार मूल्य के हिसाब से नीलाम किये गये पेड़ों की कीमत 9.3 लाख थी किन्तु रामपुरा पंचायत ने केवल 7 लाख में ही नीलामी कर राजस्व को नुकसान पहुंचाया है। ग्राम पंचायत रामपुरा ने उप वन संरक्षक द्वारा सम्बन्धित कागजात मांगने पर कागजात उपलब्ध कराने से भी इंकार कर दिया। साथ ही, उप वन संरक्षक ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि राज्यादेश संख्या एफ/17/11/राज./8/82, दिनांक 5.6.1982 के अनुसार पेड़ों का विदोहन वन विभाग से विचार विमर्श और तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के बाद ही किया जाना चाहिए था, किन्तु पंचायत द्वारा इस प्रकार की कोई स्वीकृति नहीं ली गई और अपने स्तर पर ही नीलामी की कार्यवाही कर ली गई।

साथ ही, पंचायत द्वारा प्राप्त राजस्व का आधा हिस्सा वन विभाग को जमा कराया जाना था, किन्तु वह भी जमा नहीं कराया गया। निवेदन है कि उप वन संरक्षक की जांच के बाद अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वारा भी इस प्रकार की जांच करवायी गयी और अतिरिक्त जिला कलक्टर ने जांच कर अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि ग्राम सेवक व पदेन सचिव, ग्राम पंचायत, रामपुरा द्वारा अपना असहमति पत्र इस नीलामी बाबत लगाया गया था कि यह नीलामी पंचायत के अधिकार क्षेत्र में नहीं आती है, इसकी वन विभाग से पूर्व स्वीकृति के बाद, पत्र-पत्रिकाओं में नीलामी के

प्रचार-प्रसार के बाद ही यह कार्यवाही की जा सकती है जो कि पंचायत द्वारा नहीं की गयी।

साथ ही, अतिरिक्त जिला कलक्टर ने अपनी रिपोर्ट में विकास अधिकारी को भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करने का दोषी पाये जाने के साथ ही उप प्रधान और सरपंच को भी इस प्रकरण में दोषी और जिला कलेक्टर को अपनी रिपोर्ट प्रेषित कर दी।

इस सम्बन्ध में, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के माध्यम से माननीय राजस्व मंत्री और माननीय वन मंत्री का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहता हूं कि उक्त प्रकरण में करीब 48 लाख का घोटाला कर राज्य की राजस्व आय को हानि पहुंचाई गयी है। अत: उक्त दोषी उप प्रधान और विकास अधिकारी के खिलाफ अविलम्ब कार्यवाही करने का कष्ट करें। धन्यवाद, जयहिन्द।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास।

जोधपुर शहर के मुख्य अस्पतालों की व्यवस्था में सुधार

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : अध्यक्ष महोदय, नियम प्रक्रिया 295 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव.....

श्री अध्यक्ष : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव नहीं है, 295 पर विशेष उल्लेख है।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : महोदयाजी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान जोधपुर शहर के मेडिकल कालेज से सम्बन्धित तीनों अस्पतालों में चिकित्सा व्यवस्था में सुधार हेतु निम्न तथ्यों एवं सुझावों की ओर ध्यान दिलाना चाहती हूं :

1. इन अस्पतालों में उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं का पूरा उपयोग न हो पाने से आम जनता को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रेडियोलोजी विभाग तीनों ही अस्पतालों में सेवाएं दे रहा है परन्तु इसके लिए इनके पास समुचित स्टाफ ही नहीं है। ट्रोमा सेन्टर में एक्स-रे मशीन रखी है परन्तु स्टाफ न होने से मरीजों को मथुरादास माथुर अस्पताल में एक्स-रे विभाग में भेजा जाता है। इस अस्पताल में चौबीस घण्टे की ड्यूटी हेतु केवल चार व्यक्ति उपलब्ध हैं। अत: छुट्टियों के वक्त या आपातकाल हेतु व्यक्ति उपलब्ध नहीं हो पाता है। मेरा राज्य सरकार से

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

अनुरोध है कि रेडियोलोजी विभाग, जोधपुर में तुरन्त चार रेडियोग्राफर नियुक्त करें और जब तक नई नियुक्ति नहीं हो जब तक मेडिकेयर सोसायटी के माध्यम से अनुबन्ध के आधार पर रेडियोग्राफर उपलब्ध कराएं और ट्रोमा सेन्टर स्थित एक्स-रे मशीन तुरन्त आरम्भ करें।

2. महात्मा गांधी अस्पताल में कैन्सर के उपचार हेतु आडकोलाजी विभाग का भवन बनकर तैयार है।

श्री अध्यक्ष : मुख्य सचेतकजी, क्या दरबार लगा रखा है आपने यहां?

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : सभी उपकरण भी आ चुके हैं और अब किसी भी प्रकार का वित्तीय खर्च नहीं होना है। इसे अभी तक आरम्भ नहीं किया गया है। इसे तुरन्त आरम्भ करवा कर आम जनता को राहत पहुंचाई जाए।

3. मथुरादास माथुर अस्पताल में कैथ लैब के भवन निर्माण एवं उपकरणों को उपलब्ध करवाने हेतु राज्य सरकार द्वारा 3.5 करोड़ रुपया खर्च किया जा चुका है परन्तु यह आरम्भ नहीं हो पा रही है क्योंकि इसमें अब केवल 50 लाख रुपयों के और उपकरण एवं प्रशिक्षित स्टाफ की आवश्यकता है। मैं राज्य सरकार से यह मांग करती हूं कि इस राशि एवं प्रशिक्षित स्टाफ की तुरन्त व्यवस्था करवाऐं क्योंकि पूरे पश्चिमी राजस्थान में कैथ लैब की सुविधा नहीं है और जोधपुर में यह सुविधा उपलब्ध होने से पूरे पश्चिमी राजस्थान के लोगों को लाभ होगा।

4. उम्मेद अस्पताल में लेबर रूम अव्यवस्थाओं का घर है। यहां महिलाओं को नीचे सुलाया जा रहा है। मेरी मांग है कि इस अस्पताल में तुरन्त ही कम से कम 50 बैड की व्यवस्था करवायी जाए और यहां सफाई व्यवस्था में सुधार हेतु प्रभावी कार्यवाही की जाए।

5. मथुरादास माथुर अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ की बेहद कमी है। गांधी अस्पताल में 350 नर्सिंग स्टाफ हैं, वहीं इस अस्पताल में 12 विभाग हैं और 500 बेड हैं परन्तु नर्सिंग स्टाफ केवल 140 है। मैं राज्य सरकार से मांग करती हूं कि इस अस्पताल में कम से कम 200 और नर्सिंग स्टाफ की नियुक्ति करें एवं जब तक यह नियुक्ति न हो तब तक मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी के माध्यम से संविदा के आधार पर उक्त नर्सिंग स्टाफ उपलब्ध करवाया जाएं।

6. एड्स पश्चिमी राजस्थान में तेजी से फैल रहा है लेकिन इसकी जांच हेतु सी.डी. फोर काउण्ट की व्यवस्था जोधपुर के अस्पतालों में नहीं है जिस कारण इस जांच के लिए व्यक्ति/सैम्पल को जयपुर भेजना पड़ रहा है। मैं राज्य सरकार से मांग करती हूं कि समुचित मात्रा में इसकी व्यवस्था इस अस्पताल में की जाए जिससे मरीजों/सैम्पल को जयपुर नहीं भेजना पड़े और जोधपुर में ही जांच हो सके।

7. यूरोलोजी के मरीजों के लिए ए.बी. फिस्टूला सर्जरी हेतु जयपुर भेजना पड़ता है जबकि यहां विशेषज्ञ डाक्टर तो हैं परन्तु उचित उपकरण नहीं हैं। राज्य सरकार से मैं यह मांग करती हूं कि जोधपुर में तुरन्त ये उपकरण उपलब्ध करवाएं । जिससे पश्चिमी राजस्थान के मरीजों को लाभ पहुंच सके। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री नवरतन राजोरिया।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी थोड़ा इसके ऊपर, जोधपुर के अस्पतालों का सवाल है, मंत्री महोदय, स्वयं विराजमान हैं। मेरा आपसे सादर निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी हैं नहीं यहां। मंत्रीजी, सुना आपने, माननीय सदस्य कुछ कह रही हैं आप से।

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा मंत्री) : मैं माननीय सदस्या को यह निवेदन करना चाह रहा हूं कि चिकित्सा विभाग के लिये जो समस्याएं आपने बतायीं, आपने बहुत ज्यादा एग्जेजरेटेड करके इसको बताया है, क्योंकि एक अस्पताल जहां आप कह रही हैं, 4 रेडियोग्राफर्स की आप डिमाण्ड कर रही हैं, मेरे ख्याल से सम्भव नहीं है क्योंकि रेडियोग्राफर 24 आवर्स सर्विस पर नहीं रहता है। ड्यूटी टाइम में रेडियोग्राफर रहता है, फिर उसके बाद इमर्जेसी काल पर रेडियोग्राफर रहते हैं, तो 4 रेडियोग्राफर्स की एक छोटे अस्पताल मैं आवश्यकता नहीं होती है। परन्तु जो भी आपकी डिमाण्ड्स हैं उन पर निश्चित रूप से सहानुभूतिपूर्वक विचार करके उनको पूरा करने का प्रयास करेंगे।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : माननीय अध्यक्ष महोदय, विशेष उल्लेख एक मेरा...

श्री अध्यक्ष : विशेष उल्लेख पर इतना ही होता है। विशेष उल्लेख पर कह दिया, बहुत हो गया, अब आप विराजें।

श्रीमती सूर्यकान्ता : लेबर रूप के बारे में मैं आपसे चाहूंगी, लेबर रूम के बारे में जो बहुत अव्यवस्था है इसके बारे में मंत्री महोदय बताएं।

डा. दिगम्बर सिंह : आपका कहना है कि लेबर रूम में 40 बेड्स की व्यवस्था है।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : नहीं, 50 की है।

डा. दिगम्बर सिंह : मेरे ख्याल से लेबर रूम में बेड्स की व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है। लेबर रूम में केवल डिलीवरीज होती हैं, उन पर लेबर टेबल होती हैं और उसके लिए पोस्ट नेटल वार्डस में बैड्स की व्यवस्था रहती है, वह समुचित व्यवस्था आज की तारीख में जोधपुर में मौजूद है। परन्तु इसके अलावा भी अगर माननीय सदस्या आवश्यक समझें तो मैं वह पूर्ति करने का भी प्रयास करूंगा।

श्री अध्यक्ष : यह विशेष उल्लेख का जो प्रस्ताव इन्होंने रखा है, यह आपके पास जाएगा। इस पर आप विचार कीजिएगा और उन्होंने कहा है इसका उन्हें जवाब दीजिएगा, उसके बाद। श्री नवरतन राजोरिया।

जयपुर में दुर्गापुरा स्थित कृषि अनुसंधान केन्द्र का जोबनेर में स्थानान्तरण

श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, कृषि अनुसंधान केन्द्र, दुर्गापुरा, जयपुर को जोबनेर, जयपुर स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में नियम-295 के अन्तर्गत मेरा प्रस्ताव है।

महोदय, जयपुर शहर में बढ़ती आवासीय गतिविधियों एवं शहर के विस्तार के कारण कृषि अनुसंधान केन्द्र, दुर्गापुरा, जयपुर को अन्यत्र स्थानान्तरित करने की योजना बनायी जा रही है। मेरे विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में जोबनेर कस्बा कृषि की दृष्टि से राजस्थान का महत्वपूर्ण स्थान है। देश की स्वतंत्रता के साथ वर्ष 1947 में जोबनेर में राजस्थान के प्रथम कृषि महाविद्यालय की स्थापना राजस्थान के प्रथम विधान सभा के सदस्य रावल नरेन्द्र सिंह के हाथों हुई। उस समय राजस्थान तो क्या समूचे उत्तर भारत में कृषि क्षेत्र में उच्च शिक्षा के लिए जोबनेर कृषि महाविद्यालय के समकक्ष कोई दूसरा संस्थान नहीं था। कृषि शिक्षण, अनुसंधान एवं प्रसार में इस महाविद्यालय का महत्वपूर्ण स्थान रहा है।

(श्री नवरतन राजोरिया)

जोबनेर कस्बा जयपुर से लगभग 40 किलोमीटर दूर राज्य मार्ग पर स्थित है। यहां पर बहुत बड़ा भू-भाग कृषि अनुसंधान एवं कृषि कार्यों के लिए महाविद्यालय के पास उपलब्ध है। यहां पर कृषि महाविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं के लिए भी यह कृषि अनुसंधान केन्द्र लाभदायक होगा। यहां पर सभी प्रकार की आवासीय सुविधाएं, स्कूल, कालेज, रेलवे, चिकित्सा केन्द्र उपलब्ध होने एवं जयपुर शहर से नजदीक होने से दुर्गापुरा अनुसंधान केन्द्र कर्मचारियों को भी किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी।

जोबनेर कस्बा वर्तमान उप राष्ट्रपति महामहिम श्री भैरोंसिंहजी शेखावत एवं पूर्व मुख्य मंत्री श्री हीरालाल शास्त्री की कर्मस्थली रहा है। ये दोनों महानुभाव राज्य के प्राचीन एवं प्रतिष्ठित जोबनेर स्कूल से ही शिक्षित हुए हैं। अपनी गौरवशाली ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत के साथ जोबनेर विगत एक शताब्दी से शिक्षा का एक प्रमुख केन्द्र रहा है। कृषि के क्षेत्र में तो जोबनेर राजस्थान में महत्वपूर्ण स्थान रखता है।

अतः सभी दृष्टि से कृषि अनुसंधान केन्द्र, दुर्गापुरा के प्रस्तावित स्थानान्तरण पर पहला हक जोबनेर का ही बनता है। इस प्रतीक्षा के माध्यम से मेरा माननीय कृषि मंत्रीजी से अनुरोध है कि उक्त अनुसंधान केन्द्र को जोबनेर में स्थानान्तरित करने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री अमराराम (धोद)।

राजकीय महाविद्यालयों में योग्य छात्रों का प्रवेश

श्री अमराराम (धोद) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से हमारे शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जो राजस्थान में हम एक तरफ बारबार यह कहते हैं कि राजस्थान को शिक्षा में देश के अन्य राज्य जो एडवांस हैं, उनके बराबर लाने का भरसक प्रयत्न करेंगे और उनके बराबर लाने की कोशिश करेंगे।

श्री अध्यक्ष : आप वह पढ़िये जो आपने लिखा है। भाषण नहीं।

श्री अमराराम (धोद) : वही पढ़ रहा हूं। यह लिखा हुआ है इसमें।

(श्री अमराराम)

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं लिखा हुआ है। आप पढ़िये।

श्री अमराराम (धोद) : प्रक्रिया के नियम 295 के तहत राज्य के राजकीय महाविद्यालयों-सीकर, तारानगर, जयपुर आदि में योग्य विद्यार्थियों के एडमिशन से वंचित होने से उत्पन्न स्थिति।

महोदय, राजस्थान शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ राज्य है। सरकार एक तरफ बार-बार घोषणा कर रही है, राज्य को शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी पंक्ति में जाने का संकल्प व्यक्त कर रही है, दूसरी तरफ राजकीय महाविद्यालयों में प्रथम श्रेणी प्राप्त विद्यार्थियों का एडमिशन नहीं हो रहा है। राज्य में एस.एफ.आई. एवं अन्य छात्र संगठन एवं विद्यार्थी आन्दोलनरत हैं। विद्यार्थियों की स्थिति दयनीय हो रही है तथा विद्यार्थियों को मजबूर किया जा रहा है कि वे प्राइवेट महाविद्यालयों में एडमिशन लें, जबकि निजी महाविद्यालयों में फीस कई गुणा अधिक है जो गरीब परिवार के विद्यार्थी एवं परिजन वहन नहीं कर सकते। कई स्थानों पर निजी महाविद्यालय भी नहीं हैं। अत: दूसरे स्थानों पर एडमिशन लेना किसी भी प्रकार से सम्भव नहीं है। अंत: मेरा सरकार से अनुरोध है कि राज्य में महाविद्यालयों में योग्य छात्रों एवं मिनिमम प्राप्तांक आधार वाले सभी छात्रों को एडमिशन करवाने की व्यवस्था की जाए। इसमें उचित व्यवस्था करवाई जाए। शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को एडमिशन की व्यवथा करवायी जाए।

अध्यक्ष महोदय, हालात यह है कि राजस्थान का एक भी राजकीय महाविद्यालय नहीं है जहां पर फर्स्ट डिवीजन के लड़के और यहां तक कि महिला और एस.सी. के भी फर्स्ट डिवीजन के लड़के एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं इसलिए सरकार को जहां-जहां भी जो एलिजिबिलिटी 45 परसेंट और 48 परसेंट है, इन तमाम महाविद्यालयों में शैक्षणिक, एक्स्ट्रा सैक्शन नहीं देंगे, संकाय में जितने भी... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप भाषण थोड़े ही देंगे? आपने 295 पढ़ लिया न अपना ?

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, सवाल भाषण का नहीं है । सवाल है राजस्थान के हजारों विद्यार्थियों का जिन्होंने फर्स्ट डिवीजन ली है और राजकीय महाविद्यालयों में 45 और 48 परसेंट इन्होंने मिनिमम मार्क्स रखें हैं ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : शिक्षा की डिमाण्ड आएगी तब आप इसको विस्तार से कहें।

श्री अमराराम (धोद) : नहीं, वह आएगी तब तक ये कहां जाएं ?

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, लड़के जिन्होंने फर्स्ट डिवीजन लिया है, जो एस.सी., एस.टी. के हैं, डूंगरपुर हो, तारानगर हो, सीकर हो जहां 50 परसेंटर से ऊपर विद्यार्थी आज भी … (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा।

श्री अमराराम (धोद) : जो एस.सी. के हैं, ओ.बी.सी. के हैं यहां तक कि महिलाएं, जो दूसरी जगह नहीं जा सकती हैं, केवल 60 से 80 करने से 15 हजार विद्यार्थियों को लाभ होगा। जब तक सीट्स नहीं बढ़ाएगें…(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप चालू करिये। आप बहुत वरिष्ठ और जिम्मेदार सदस्य हैं, आपने 295 के जरिए बात कह दी। फिर मौका मिलेगा आपको, तब कहिएगा।

श्री अमराराम (धोद) : मौका नहीं, उनको एडमिशन मिले। शिक्षा मंत्री जी यहां पर बैठे हुए हैं, इनके सैक्शन अगर नहीं खोलेंगे तो वे कहां जाएगें। अध्यक्ष महोदय, 50 गुनी फीस है, निजी महाविद्यालयों और सरकारी महाविद्यालयों में 50 गुनी से लेकर 100 गुनी तक फीस है।

श्री अध्यक्ष : 295 है, उनका बोलना आवश्यक नहीं है 295 पर कि वह इमीजिएट बोलें। (व्यवधान)

फागी में महाविद्यालय की स्थापना

श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा (फागी) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख में विधान सभा क्षेत्र फागी में एक महाविद्यालय खोलने बाबत निवेदन है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र फागी में वर्तमान में पांच राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय निमेड़ा, माधोराजपुरा, रेनवाल, चूरू एवं फागी में स्थित हैं।

उपरोक्त राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रतिवर्ष लगभग 2000

(श्री संयम लोढ़ा)

छात्र एवं छात्राएं अध्ययन पूर्ण करते हैं, उनके अग्रेतर अध्ययन के लिए इस क्षेत्र में कोई महाविद्यालय नहीं है जिसके कारण अधिकांश छात्र/छात्राओं को अग्रेतर अध्ययन बंद करना पड़ता है तथा जो छात्र/छात्रा अग्रेतर अध्ययन करना चाहते हैं, उन्हें जयपुर, अजमेर, टोंक, मालपुरा स्थित महाविद्यालयों में अध्ययन हेतु जाना पड़ता है। फागी एवं उसके आस-पास के ग्रामों में निरन्तर अकाल पड़ने के कारण उस क्षेत्र के गरीब ग्रामीणों के बालक/बालिकाओं के लिए अग्रेतर अध्ययन करना दुशवार हो गया है जिससे इस क्षेत्र के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा न मिलने के कारण उन्हें उच्च (अधिकारी वर्ग) की सेवाओं में जाने का मौका नहीं मिल रहा है।

अत: माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री महोदय से निवेदन करना है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में शीघ्रातिशीघ्र एक महाविद्यालय खोलने की कृपा करें जिससे इस क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो सके। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री रिछपाल सिंह मिर्धा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो स्थगन प्रस्ताव हमने दिया था वह पुलिस की मांग पर बोलने का विषय नहीं है वह एक अलग से विषय है। एक पुलिस के कांस्टेबल ने पुलिस लाइन में इसलिए आत्म-दाह कर लिया कि वह उपस्थित था और उसकी गैर-हाज़िरी दर्ज की गयी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जैसा मैंने कहा, जिस विषय पर आसन की व्यवस्था दी जा चुकी है अब आप उसी पर .... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : मेरा अलवर वाला मामला भी है।

श्री संयम लोढ़ा : नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विषय पर सरकार का वक्तव्य आना चाहिए। एस.पी. और... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप क्या चाहते हैं ? आप सदन की कार्यवाही नहीं चलने देना चाहते हो ? कार्यवाही नहीं चलने देना चाहते हो ? (व्यवधान)

(अध्यक्ष महोदय द्वारा अंकित नहीं करने के निर्देश दिये गये)

श्री संयम लोढ़ा : xxx

श्री रमेश खींची : xxx

श्री बाबूलाल नागर : xxx

श्री निर्भयलाल : xxx

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आसन पांवों पर है। माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है। बिराजिए।

श्री संयम लोढ़ा : xxx

श्री रमेश खींची : xxx

श्री अध्यक्ष : मैं कह रही हूं, स्थान ग्रहण करें। मैं कह रही हूं, स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य, यह सदन नियमों से चलता है। जब स्थगन प्रस्ताव पर व्यवस्था दी गयी थी उस समय आप खड़े होकर कुछ कहते तो समझ में आने वाली बात थी, अब नहीं, नो। (व्यवधान) मैंने कहा, स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान) मैंने कहा, बैठ जाइये। मैंने कहा, उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है।

श्री संयम लोढ़ा : xxx

श्री रमेश खींची : xxx

श्री अशोक (खण्डार) : xxx

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं निवेदन कर रही थी, यह सदन नियमों से चलता है। उस समय आप कुछ कह सकते थे। 295 शुरू हो गया, बीच में चल रहा है, कुछ दो-एक बाकी हैं और बीच में यों ही उठकर खड़े हो गये। समय आएगा। मैंने जब व्यवस्था दी थी कि पुलिस की डिमाण्ड है, पुलिस की डिमाण्ड पर विस्तार के साथ आप अपनी बात कहियेगा तब तो आप शांत बैठे रहे। (व्यवधान) बीच में नहीं, बीच में नहीं। मैं पांव पर हूं। (व्यवधान) बीच में नहीं खड़े होंगे आप। नो-नो I am not going to tolerate it.

मैंने कह दिया, मैं बिलकुल इस बात को बर्दाश्त नहीं करूंगी। आप नियमों की पालना करें। (व्यवधान) आप नहीं बोलें। मैं आपसे निवेदन कर रही हूं, सदन नियमों से चलता है, इस सदन की कुछ परम्पराएं हैं, इस सदन की गरिमा है और आसन की व्यवस्था है इन

(श्री रिछपाल सिंह मिर्धा)

सबको आपको ध्यान में रखना चाहिये। आप चाहें जब खड़े हो जाएं, चाहे जो कुछ बोलने लग जांए, यह बात चलेगी नहीं। इसलिए मैं आपसे कह रही हूं, अब 295 चल रहा है, मैं नाम पुकार चुकी हूं रिछपाल जी मिर्धा का। कृपया खड़े होइये। (व्यवधान)

श्री निर्भय लाल (रूपवास) : इसके बाद व्यवस्था देंगे, साहब ?

श्री अध्यक्ष : मैं व्यवस्था दे चुकी हूं। आप विराजिये। व्यवस्था दी जा चुकी है।

निजी शिक्षण संस्थानों में अनियमितता व अव्यवस्था

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा के कार्य संचालन के नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत राजस्थान में निजी शिक्षण संस्थानों के संचालकों द्वारा की जा रही मनमानी और दोहरी लूट के सम्बन्ध में विशेष उल्लेख के जरिये निवेदन करता हूं।

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि आजकल प्रदेश में निजी शिक्षण संस्थाओं की चारों और धूम मची हुई है। सरकारी पाठशालाओं में छात्र-छात्राओं की संख्या निरन्तर घटती जा रही है तथा पढ़ाई का स्तर भी गिरता जा रहा है। सरकारी पाठशालाएं तो केवल नाम मात्र की रह गयी हैं, जबकि सरकार द्वारा शिक्षा पर करोंड़ों रुपये व्यय किये जा रहे हैं, तथा अधिक से अधिक बच्चों और बच्चियों को पढ़ाने के लिये प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। दूसरी और सरकारी अध्यापक बच्चों को स्कूल में न पढ़ाकर अपने घरों पर ट्यूशन के लिये प्रेरित करते हैं और मजबूर होकर बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं। सम्बन्धित शिक्षा अधिकारी तो स्कूलों को कभी जाकर देखते ही नहीं। यही कारण है कि अधिकांश बच्चे सरकारी स्कूलों से दु:खी होकर निजी स्कूलों और कालेजों में पढ़ने चले जाते हैं।

निजी स्कूलों में फीस के नाम पर लूटपाट मचा रखी है। गरीब व्यक्ति तो ऐसे विद्यालयों में अपने बच्चों को पढ़ा ही नहीं सकते। निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को ऐसे शिक्षण संस्थाओं के संचालन लूटते है। बच्चों को स्कूलों में पुस्तकें, स्टेशनरी आदि जो सामान दिया जाता है, उसकी कीमत बाजार भाव से कई गुना अधिक वसूली जाती है। ऐसी लूट के बावजूद भी निजी स्कूलों के अध्यापकों को भी इन संस्थानों के

संचालक कम वेतन देकर अधिक राशि के वाउचरों पर हस्ताक्षर करवाकर लूटते हैं। यह दोहरी लूट है। कई न्यायालयों ने फैसले में निजी स्कूलों एवं कालेजों द्वारा रजिस्ट्रेशन फीस बताई गई है और शिक्षा को कम खर्चीला बनाने के लिये आदेश दिये हैं, लेकिन इसके बावजूद भी निजी स्कूलों एवं कालेज वाले अपनी हठधर्मिता से न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करके जनता को लूट रहे हैं। अंत: आपके माध्यम से मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान इस और आकृष्ट कर पुरजोर शब्दों में निवेदन करता हूं कि राज्य सरकार निजी स्कूलों और कालेजों में हो रही फीस और अन्य वसूलियों की सख्त निगरानी रखे तथा इस दोहरी लूट पर पाबन्दी लगावें। समय-समय पर इन प्राइवेट संस्थानों और सरकारी स्कूलों के आकस्मिक निरीक्षण हेतु एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन करें जिसमें क्षेत्रीय विधायक, पंचायत समिति के प्रधान, जिला परिषद के सदस्य आदि को सम्मिलित करके इस अव्यवस्था और लूट पर अंकुश लगाया जा सके और जनता और इन प्राइवेट स्कूलों में लगे अध्यापकों को राहत मिल सके।

मैं अध्यक्ष महोदय, अभी राज्य सरकार के जो विद्यमान मंत्री तिवाड़ीजी हैं, उनसे यह उम्मीद करता हूं कि इस सम्बन्ध में जरूर वह कुछ कहेंगे और इस लूट पर कुछ अंकुश लगाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री नाथूराम अहारी।

डूंगरपुर में अनावृष्टि से उत्पन्न स्थिति

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया में नियम 295 के तहत जिला डूंगरपुर में अनावृष्टि से भंयकर स्थिति होने से उत्पन्न स्थिति पर विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन कर रहा हूं।

मेरे डूंगरपुर जिले में अनावृष्टि से हालात बहुत खराब हो गये हैं। आज श्रावण का महीना आधा गुजर जाने के बाद भी बराबर बरसात नहीं होने से किसान की हालत खराब हो रही है। लोगों ने अनाज जो बोया था वह सूख गया है। पानी कहीं भी नहीं है। मजदूरी नहीं है। गत वर्ष फसल बिलकुल नहीं हुई थी। इल्लियों ने सारी फसल बर्बाद कर डाली। गत वर्ष कांग्रेस के शासन में किसी प्रकार की तकलीफ नहीं थी। हर 15 रोज में पेमेंट होता था, गांव-गांव में घास के डिपो थे, लोगों को समय पर मजदूरी मिलती थी, मजदूरी में गेंहू दिया जाता था, फलस्वरूप लोगों को कोई तकलीफ नहीं

(डा. गोपाल बाहेती)

थी। आज लोग मजदूरी के लिये मारे-मारे घूमते फिरते हैं। अनाज के लिये मारे-मारे घूम रहे हैं। आज गांवों में चोरियां होने लगी हैं। लोगों के घरों में अनाज का दाना नहीं हैं, दो-दो रोज तक लोग भूखे रहने लगे हैं। पानी व घास के बिना पशु मर रहे हैं। लोग घर छोड़कर भागने लगे हैं, कहीं कोई आसरा नहीं है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि तुरन्त अकाल राहत कार्य खोले, घास की व्यवस्था करे, कंट्रोल की दुकानों से सस्ता अनाज दिलाऐ, खाने की व्यवस्था करे। तभी जाकर लोगों को राहत मिलेगी और इस कठिन घड़ी में समस्या हल हो सकेगी। हालात बहुत खराब हैं। मैं समझता हूं कि आधे एरिये में पानी नहीं गिरा है। फसल सारी सूख गयी हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि आप इसकी पूरी व्यवस्था करावें, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री अमराराम, धोद कालेज के विद्यार्थियों को एडमिशन एवं अन्य पिछड़ा वर्ग को छात्रवृत्ति नहीं दिये जाने के सम्बन्ध में पर्ची पर चर्चा करेंगे।

श्री संयम लोढ़ा : नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने जो आपसे निवेदन किया था। (व्यवधान)

डा. गोपाल बाहेती (पुष्कर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि जो कांस्टेबल जीवन और मौत से जूझ रहा है, उसके लिए पूरी संवेदना के साथ सदन में चर्चा करनी चाहिये। वह व्यक्ति हो सकता है कुछ समय में मृत्यु के पास पहुंच जाए। हमारा यह फर्ज बनता है कि हम उस पर चर्चा करें। जो पवन सोनवाल एक एस.सी. का कांस्टेबल है, उसको इतना प्रताड़ित किया गया, जिसके पिता इसी विधान सभा से डिप्टी सैक्रेटरी से रिटायर हुए हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। आप स्थान ग्रहण करें।

डा. गोपाल बाहेती : उस व्यक्ति पर हम पांच मिनट का समय नहीं दे सकते ? पांच मिनट का समय हमें देना चाहिये। (व्यवधान)

श्री अशोक (खण्डार) : गम्भीर स्थिति में पड़ा हुआ है। उस पर चर्चा आप मरने के बाद करोगे ? (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : xxx

श्री अशोक : xxx

श्री रमेश खींची : xxx

श्री अध्यक्ष : अंकित हो नहीं रहा है। अंकित नहीं हो रहा है।

श्री रमेश खींची : xxx

श्री अशोक : xxx

श्री संयम लोढ़ा : xxx

श्री जुबेर खान : xxx

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण कर लें।

श्री जुबेर खान : xxx

श्री अध्यक्ष : सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण कर लें। (व्यवधान) आसन की व्यवस्था को नियमों में चुनौती नहीं दी जा सकती। मैंने व्यवस्था दे दी है और आप इसको दूसरे तरीके से यदि आपको मंत्रीजी से जवाब चाहिए तो आप उसे तरीके से उठाइये । स्थगन प्रस्ताव के जरिये मैंने इसकी व्यवस्था दे दी है।

श्री संयम लोढ़ा : माननीय अध्यक्षजी, हम बिलकुल नियमों के तहत आये हैं। स्थगन प्रस्ताव हमने दिया और आपने यह कहा कि उसके बाद आप बोलें, हम उसके बाद बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : नहीं, मैंने नहीं कहा यह। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : पुलिस लाइन के अन्दर अपने अधिकारियों की गैर-जिम्मेदाराना हरकत की वजह से जल जाए, पूरी पुलिस लाइन के कांस्टेबल भूख हड़ताल पर बैठ जाएं और सरकार हमें जवाब भी नहीं दे ?

डा. गोपाल बाहेती : अध्यक्ष महोदय, हम न तो व्यवस्था को चैलेंज कर रहे हैं, हम केवल आपसे यह कह रहे हैं कि जो संवेदना है......(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : चैलेंज नहीं कर रहे हैं, आपकी व्यवस्था को हम शिरोधार्य कर रहे हैं। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि यह ऐसा मसला है

जिसमें पुलिस की डिमाण्ड से सम्बन्ध नहीं है। एक सरकारी अधिकारी ने अपने जूनियर की हाजिरी होने के बाद जो उसके साथ व्यवहार किया, उससे यह दुर्घटना हुई है। इसलिए आपसे निवेदन करना चाहते हैं, आप कृपया उस दिन डिमाण्ड के दिन जनरल में या तो मंत्रीजी को कह दीजिये कि आधा घंटा इसी पर बोल लें, तब तो कोई बात ही नहीं है, जनरल डिमाण्ड में इसका रैफरेंस आएगा तो परपज साल्व नहीं होगा।

इसलिए इसमें उद्देश्य यह है कि जिस अधिकारी ने यह स्थिति पैदा की, जिससे उस आदमी को आत्महत्या करने का स्टैप लेना पड़ा, यह मसला उसके साथ नहीं जोड़ा जाए। इसलिए आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि या तो मंत्रीजी से स्टेटमेंट के लिए बोल दें या यह कह दें कि जिस दिन डिमाण्ड होगी उस दिन आधा घंटा एक्सक्लूजिव इसी पर बोलेंगे। यह आप निर्णय कर लीजिये तो ठीक रहेगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, वैसे जिस प्रकार की घटना हुई, बहुत दु:खद है। मैं इसके ठीक दूसरे दिन मौके पर जाकर देख कर आया हूं, सारी बात को मैंने समझा और उसी समय मैंने लौटते हुए डी.जी. गिल को इस सारी जांच के लिए अधिकृत किया। जो अधिकारी वहां हैं उनको वहां से हटाया। सारा रिकार्ड उन्होंने लिया है, वह जांच कर रहे हैं। फिर भी आसन से जैसी आप व्यवस्था देंगे उसके अनुसार मैं उसकी पालना के लिए तैयार हूं।

श्री अध्यक्ष : अब आप क्या चाहते हैं?

श्री संयम लोढ़ा : स्टेटमेंट।

श्री अध्यक्ष : नहीं, स्टेटमेंट ऐसे थोड़े ही। स्टेटमेंट के लिए समय तय करना पड़ेगा। आप यों ही स्टेटमेंट चाहोगे? यह क्या बात हुई ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : हो गया न, दे दिया स्टेटमेंट।

डा. सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रीजी ने कहा, उसमें हम स्टेटमेंट नहीं चाहते। गृह मंत्रीजी ने सदन को जिन बातों से भिज्ञ किया...

श्री अध्यक्ष : उन्होंने सारी बात तो कह दी।

डा. सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, एक बात कही है कि आपने एक्शन लेने के लिए डी.जी. गिल को कहा, उस बात को कितने दिन हो गये हैं ? आज कम से कम

ऐसे मामले में आप कल कर दें, परसों कर दें, इस रिपोर्ट में कोई 10 दिन, 15 दिन लगने की तो आवश्यकता नहीं है, यह तो 24 घंटे, 48 घंटे में होनी चाहिए। इसलिए हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, आप पर छोड़ते हैं, कल कर लें, परसों कर लें, पर अध्यक्ष महोदय, आप यह तो उचित मानेंगे ? मंत्री महोदय ने एक्शन लिया उसके लिए धन्यवाद, पर एक्शन की रिपोर्ट पर आप एक-दो महीने तक तो नहीं बैठेंगे। इसका रिलीफ तो इमिजिएट मिलना चाहिए। इसलिए 24 घंटे हो गये, 48 घंटे हो गये, कम से कम वो व्यक्ति मर जाए उससे पहले तो कोई निर्णय होना चाहिए।

आप यह तो डाइरेक्शन दे दीजिये, गृह मंत्रीजी, आप पर छोड़ते हैं।

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्ताव आज दिया है, आज वो कह रहे हैं, बात करेंगे। मैं बुलाकर बात करूंगी, उसके बाद कोई व्यवस्था होगी।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू) : अध्यक्ष महोदय, मैंने भी एक स्थगन प्रस्ताव दिया है।

श्री अध्यक्ष : अब मैं बिलकुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। कृपया आप स्थान ग्रहण कर लें। स्थान ग्रहण करिये। पर्ची के लिए श्री अमरारामजी अपनी बात कहेंगे।

श्री बाबूलाल नागर : अध्यक्ष महोदय, मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया है।

श्री अध्यक्ष : फिर वही बात।

श्री बाबूलाल नागर : उस पर नहीं है, मैंने अलग से स्थगन प्रस्ताव दिया है।

श्री अध्यक्ष : क्या दिया आपने?

श्री बाबूलाल नागर : मैं जानकारी चाह रहा हूं, परसों दिया था मैंने।

श्री अध्यक्ष : काहे की चाह रहे हैं ? मेरे सामने कोई आपका अभी तक स्थगन प्रस्ताव नहीं आया।

श्री बाबूलाल नागर : मैंने लगाया है दफ्तर में, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : मेरे सामने कोई नहीं आया आपका।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़) : आपने मुझे कहा था पहले।

श्री बाबूलाल नागर : यहां भी अन्याय कर रहे हैं। मैंने लगाया है, अध्यक्ष

महोदय।

श्री अध्यक्ष : आसन के सामने कोई आपका स्थगन प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्री रामचन्द्र सराधना : अध्यक्ष महोदय, आपने स्वयं ने फर्माया था 295 के बाद में बोलेंगे। मैंने पाइंट आफ इंफार्मेशन उठाया है।

श्री अध्यक्ष : मैंने पर्ची के लिए नाम पुकार लिया है।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : मैंने दो स्थगन प्रस्ताव दिये हैं, वह आप तक नहीं पहुंच पाते तो यह तो बड़े दुर्भाग्य की बात है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : दुर्भाग्य इस बात का है कि आप कहना नहीं मान रहे हैं।

श्री जुबेर खान : मैंने स्वयं ने दो स्थगन प्रस्ताव दिये हैं इस सत्र में और आप तक पहुंच ही नहीं पाते।

श्री अध्यक्ष : दुर्भाग्य तो यह है कि आप कहना नहीं मानते हैं। मैंने नाम पुकार लिया है, अब पर्ची पर बोलेंगे श्री अमरारामजी।

श्री रामचन्द्र सराधना : अध्यक्ष महोदय, आपने पहले मुझे कहा था 295 के बाद पाइंट आफ इंफार्मेशन उठाएंगे। आपने कहा था पहले।

श्री अध्यक्ष : दुर्भाग्य तो यह है कि आप नियमों की अवहेलना करते हैं। यह दुर्भाग्य है।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

सीकर के श्री कल्याण कालेज के अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रों को छात्रवृति का विवरण नहीं

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार के एक विषय ध्यान में लाना चाहता हूं। सरकार बजट में घोषणएं करती हैं, विभिन्न वर्गों को फायदा देने के लिए बजट में प्रोविजन करती है लेकिन कितना उन वर्गों को फायदा मिलता है ? यह कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि सीकर के श्री कल्याण महाविद्यालय में अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी पढ़ते हैं और शायद राजस्थान में पहला महाविद्यालय है जिसकी राजकीय महाविद्यालयों में सबसे ज्यादा छात्र एवं छात्राओं

की संख्या है, उसके अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति के रूप में पिछले साल एक करोड़ रुपए देने के लिए गये, अफसोस इस बात का है कि उस एक करोड़ रुपए में से एक रुपया भी किसी भी अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी को आज तक नहीं दिया गया है। इससे अफसोसजनक बात नहीं हो सकती कि बजट में हम अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और महिलाओं के लिए बड़ी-बड़ी घोषणाएं कर दें, उनके लिए बड़ा-बड़ा बजट में प्रोविजन भी कर दें और एक नया पैसा उसमें नहीं आए। यह केवल सीकर के कल्याण महाविद्यालय की ही नहीं, मैं समझता हूं कि अगर आप दरियाफ्त करेंगे तो राजस्थान के करीब-करीब महाविद्यालयों की हालत यह मिलेगी, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ कर अन्य पिछड़ा वर्ग जिसके लिए बहुत बड़ा प्रोविजन था, एक भी विद्यार्थी को एक नया पैसा छात्रवृत्ति के रूप में नहीं मिलता। इसलिए एक तो मेरा सबसे पहले आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि ऐसे अधिकारी जो इस बात के लिए जिम्मेदार हैं, उन पर तुरन्त एक्शन किया जाए जिससे आने वाले समय में चाहे वो अन्य पिछड़ा वर्ग हो, चाहे शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब हो, उनका पैसा समय पर मिले जिससे उस पैसे का सदुपयोग हो सके, विद्यार्थी अपना अध्ययन समय से कर सके और दोबारा कोई इस तरह की गलती नहीं करे। जो पैसा था, उसका इस साल वितरण कराने की व्यवस्था की जाए। अन्यथा मैं समझता हूं कि प्रोविजन हम कितने ही कर दें, यहां बजट पास कर दें, बड़ी-बड़ी वाहवाही लूट लें लेकिन सरकार बिलकुल सोयी हुई सरकार है, जहां न छात्रवृत्ति मिले....

श्री अध्यक्ष : आप जगाइये उसे। सोयी है तो आप जगाइये उन्हें। आपका काम जगाने का है, जगाइये।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, मैं तो जगाने के लिए लगा हुआ हूं। सारे विद्यार्थी चाहे छात्रवृत्ति के लिए हों, चाहे एडमिशन के लिए हों, मैंने अभी-अभी आपके सामने कहा था कि लगातार वहां अनशन कर रहे हैं, बंद हो रहे हैं। पूरे राजस्थान में हनुमानगढ, गंगानगर से लेकर डूंगरपुर तक आदिवासी बैल्ट तक जिन विद्यार्थियों ने 67 प्रतिशत अंक लिये हैं, शिड्यूल्ड कास्ट में 61 प्रतिशत अंक लिये हैं, सीकर और तारानगर में उनका एडमिशन नहीं हो रहा है। जिनका एडमिशन हो जाए उनके लिए छात्रवृत्ति जाए, एक महाविद्यालय में एक करोड़ रुपया और उसमें से एक रुपया नहीं जाए और फिर भी हमारे मंत्री जी कागज पढ़ते रहें, मैं समझता हूं इससे ज्यादा सोयी हुई सरकार नहीं हो सकती। हमारे ही मंत्री होने के बाद उस सीकर के....

श्री अध्यक्ष : पढ़ रहे हैं तो सोयी कहां, जाग रही है। नहीं तो सोते। पढ़ रहे हैं।

श्री अमराराम (धोद) : उसी महाविद्यालय से पढ़ कर आये हैं। उसी महाविद्यालय के विद्यार्थियों की एक करोड़ की छात्रवृत्ति लैप्स हो जाए और हमारे मंत्रीजी सोये रहें, मैं समझता हूं कि इससे बड़ा निंदनीय कोई काम नहीं हो सकता।

श्री अध्यक्ष : आप कैसे बोलेंगी ? आप किस नियम से बोलेंगी ?

श्री अमराराम (धोद) : इसलिए, अध्यक्ष महोदय, उस छात्रवृत्ति के लिए व्यवस्था दें और आगे से उनके लिए इस तरह के.....

श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सीकर) : अध्यक्ष महोदय, हमारा सीकर का कल्याण महाविद्यालय है, यह पिछले साल की बात बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : कौन-से नियम में बोलेंगी, यह तो बताइये मुझे पहले ? कौन-से नियम में बोलेंगी ? (व्यवधान)

श्रीमती राजकुमारी शर्मा : सीकर से ही बोल रही हूं मैं। हमारा कल्याण महाविद्यालय है, यह पिछली बार की बात कर रहे हैं। अभी छात्र और छात्राएं हमारे माननीय शिक्षा मंत्रीजी से मिले.... (व्यवधान) आप सुन लीजिये।

श्री अध्यक्ष : श्री नवरतन राजोरिया अपनी पर्ची पर बोलेंगे। (व्यवधान)

श्रीमती राजकुमारी शर्मा : आप सुन लीजिये। शिक्षा मंत्री जी से हम मिल चुके हैं।

श्री अमराराम (धोद) : राजकुमारीजी, नहीं मिलना चाहिए क्या छात्रवृत्ति ?

श्री अध्यक्ष : श्री नवरतन राजोरिया। (व्यवधान)

श्री रामचन्द्र सराधना : अध्यक्ष महोदय, मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की एक ज्वलंत समस्या की और सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं।

श्रीमती राजकुमारी शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं पहले आपसे अनुमति चाहती हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री नवरतन राजोरिया, बोलिये। (व्यवधान)

(श्री विष्णु मोदी)

श्रीमती राजकुमारी शर्मा : मुझे सीकर महाविद्यालय की बात कहनी है, अध्यक्ष महोदय, आप आसन से उनको व्यवस्था दीजिये। मैं हमारे इस महाविद्यालय पर बोलना चाहती हूं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, महिलाओं को बोलने दें।

श्री रामचन्द्र सराधना : मान्यवर, जब राजस्थान की सरकार विद्यालयों में प्रवेशोत्सव मनाने जा रही है, मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक माजीपुरा उच्च प्राथमिक विद्यालय है, वहां पर एक जुलाई से लेकर आज 14 जुलाई तक एक भी बच्चा नहीं जा रहा है। (व्यवधान) गांव वालों ने, छात्रों ने अभिभावकों ने वहां पर धरना दे रखा है। राज्य सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर शान्ति भंग होने का खतरा है।

श्रीमती राजकुमारी शर्मा : 5 साल में इन्होंने किसी को छात्रवृत्ति नहीं दी। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने न स्कूल खोली न क्रमोन्नत किये । (व्यवधान)

श्री रामचन्द्र सराधना : राज्य सरकार का ध्यान जाना चाहिए। वहां की शान्ति व्यवस्था बनाये रखनी चाहिए। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, फिर आप कहेंगी, हमारा कहना नहीं मानते। आप हमारा नाम ही कॉल नहीं करती। (व्यवधान) आपने अव्यवस्था कर दी।

श्री विष्णु मोदी : 5 साल तक राजस्थान की जनता के साथ……. (व्यवधान) अगस्त, सितम्बर, अक्टूबर में आपने नये स्कूल खोले हैं और आज आपको 7 महीने में ही तकलीफ हो रही है। अभी बजट पेश हुआ है, जिन परिस्थितियों में राजस्थान गुजरा है….(व्यवधान)…. विधान सभा चुनाव के बाद लोक सभा चुनाव की घोषणा हो गयी, अभी बजट पेश किया गया है।

श्री रामचन्द्र सराधना : अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन कर रहे हैं, हमारी बात को सुनिये। हमारी बात सुनने का मौका आता है आप मुंह फेर लेती हैं।

श्रीमती राजकुमारी शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं सीकर के कल्याण महाविद्यालय के बारे में कुछ चाहती हैं, आप उनको व्यवस्था दीजिये।

श्री अध्यक्ष : श्री नवरतन राजोरिया, आप पर्ची पर बोलें।

श्री रामचन्द्र सराधना : आपका ध्यान भी महिलाओं की तरफ ही जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, इधर मुंह करो।

श्रीमती राजकुमारी शर्मा : अध्यक्ष महोदय, कल्याण महाविद्यालय में पिछली बार....

श्री अध्यक्ष : आपकी बात सुन ली हमने। आप जो बोली हैं सदन में अंकित हो गया, आपकी बात सुन ली।

श्री रामचन्द्र सराधना : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी पीड़ा को समझता हूं लेकिन मेरी पीड़ा को भी आप सुनिये।

श्री नवरतन राजोरिया : बिजली के हाई-टेंशन लाइन के तार टूटने और करन्ट की वजह से होन वाली .....(व्यवधान)

श्री रामचन्द्र सराधना : मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक उच्च प्राथमिक विद्यालय 14 दिन से बंद पडा है, उसके ताले लगे हुए हैं। गांव वालों ने धरना दे रखा है।

श्री अमराराम (धोद) : मंत्रीजी, कम से कम यह तो करवाएं। एक महाविद्यालय में एक करोड़ रुपये सरकार की निष्क्रियता से और सीकर से आने वाली माननीय सदस्य कह रहीं हैं कि पिछली सरकार में, 4 महीने तो इस सरकार ने इस सत्र में बिताये हैं, नवम्बर से लेकर अप्रैल तक 5 महीने तो इस सरकार ने बिताये हैं। इस सरकार के हों या उस सरकार के हों, अन्य पिछड़ा वर्ग का वह विद्यार्थी जिसको एक करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए......(व्यवधान) वह छात्रवृत्ति मिलेगी या नहीं?

श्रीमती राजकुमारी शर्मा : अध्यक्ष महोदय, 4 महीने ही सरकार ने बिताये हैं, बहुत सारे स्कूल, बहुत सारे ये क्रमोन्नत कर दियें हैं। शिक्षा मंत्रीजी से एस.एफ.आई. के बच्चे ए.बी.बी.पी. के बच्चे और छात्र संघ मिल कर गये हैं, इन्होंने हमें पूरा-पूरा आश्वासन दिया है। हम सब के सब शिक्षा मंत्रीजी से मिलकर गए हैं, इन्होंने हमें पूरा -पूरा आश्वासन दिया है, और जो पिछली बार इनकी राशि थी वह भी इस बार दिला देंगे। यह पिछली सरकार की किमयां अभी भी क्यों गिना रहे हैं? पिछली सरकार की कमियां थी ।

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी खड़े हैं अपनी बात कहने के लिए । मंत्रीजी खड़े हैं, आप सुन लो इनको। (व्यवधान)

श्री रामचन्द्र सराधना : माननीय शिक्षा मंत्रीजी, मेरी बात सुन लें, गौर कर लें। अध्यक्ष महोदय, शिक्षा मंत्रीजी को आपके माध्यम से एक सूचना देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : शिक्षा मंत्रीजी बोल रहे हैं।

श्री राजकुमारी शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुमति लेकर खड़ी हुई हूं, पहले आप हमारी बात सुन लीजिए।

श्री रामचन्द्र सराधना : आपकी बात मेरे सुनने में नहीं आ रही, क्या फर्मा रहे हैं आप ?

श्री अध्यक्ष : आप किसकी अनुमति से बोल रहे हैं ? (व्यवधान) आसन ने कोई अनुमति नहीं दी आपको । आप कुछ कहना चाहते हैं ?

श्री रामचन्द्र सराधना : अब दे दीजिए स्वीकृति । माननीय अध्यक्षजी, मेरे विधान सभा क्षेत्र में 1 जुलाई से 14 जुलाई तक……(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इस तरीके से कोई भी माननीय सदस्य खड़ा होकर किसी भी विषय के ऊपर यदि बोलने लग जाएगा तो सदन के नियमों की अवहेलना होती है उससे। (व्यवधान) पर्ची चल रही है, पर्ची पर बोलने दीजिए और आप विराजिए।

श्री रामचन्द्र सराधना : कुछ व्यवस्था तो दें इस बात पर। सुनें तो सही हमारी बात को।

श्री अध्यक्ष : आप बीच-बीच में खड़े हो रहे हैं।

श्री रामचन्द्र सराधना : सुनना ही नहीं चाहते आप ।

श्री अध्यक्ष : क्या नहीं सुनना चाहते ?

श्री रामचन्द्र सराधना : मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, यह ज्वलंत समस्या है।

श्री अध्यक्ष : ज्वलंत समस्या है, पर्ची पहले है। (व्यवधान) यह सदन कायदे से चलेगा, 295 के बाद पर्ची आएगी। (व्यवधान) क्या नहीं सुनना चाहते ?

श्री रामचन्द्र सराधना : हम अनुशासन में रहना चाहतें हैं, आपकी बात को

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

सुनना चाहते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री रामचन्द्र सराधना : xxx

श्री अध्यक्ष : बोलिए, पेट भरके बोलिए, अंकित नहीं होगा।

श्री रामचन्द्र सराधना : xxx

श्री बीरू सिंह राठौड़ : xxx

श्री रामचन्द्र सराधना : xxx

श्री अध्यक्ष : पर्ची चल रही है। पर्ची की समाप्ति के बाद में....(व्यवधान) इसके पहले कुछ नहीं।

श्री रामचन्द्र सराधना : xxx

श्री अध्यक्ष : श्री नवनतन राजौरिया ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, दो बात महत्वपूर्ण रूप से मैं कहना चाहूंगा । श्री कल्याण कालेज, सीकर में छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिली, यह तो बहुत दुर्भाग्य की बात है, इसलिए मैंने यह निर्देश दिया है कि फार्म नहीं भरे हुए हैं, जो पिछली साल के छात्र भी हैं और इस साल के भी हैं उनसे वापस फार्म भरा लिए जांए। और समाज कल्याण विभाग से मैं आग्रह कर रहा हूं, पिछली साल का बजट उधर वापस चला गया था, बजट आ जाएगा और जो छात्र फार्म भरेंगे वे उसी विद्यालय में हैं इस साल भी एडमिशन लेकर, पिछले साल और इस साल की उनको छात्रवृत्ति दिला देंगे।

यह त्रुटि रही है, कोई मीन-मेख नहीं है छात्रवृत्ति दिलाने की बात में।

दूसीर बात कही हैं कालेजों में एडमिशन के बारे में। मैं बहुत साफ स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि पहले तो हमने सैक्शन बढ़ाकर, संख्या बढ़ाकर बीस हजार छात्रों को अतिरिक्त, यहां तक कि राजस्थान विश्वविद्यालय में बीस प्रतिशत

(श्री नवरतन राजोरिया)

सीटें बढ़ाकर कर दी हैं और जिन-जिन महाविद्यालयों में यह समस्या है, मैं व्यक्तिगत रूप से आग्रह करूंगा, जहां-जहां यह समस्या है मुझे व्यक्तिगत रूप से बताएगें तो मैं उनके समाधान करने की पूरी कोशिश करूंगा।

आवासीय क्षेत्रों में बिजली की हाईटेंशन लाइनों से बढ़ रहे हादसे

श्री अध्यक्ष : श्री नवरतन राजोरिया।

श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जयपुर शहर के ग्रामीण इलाकों में बिजली की हाईटेंशन लाइन के कारण जो हादसे हो रहे हैं, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान उस और दिलाना चाहूंगा। पिछले डेढ-दो साल में जयपुर शहर में अनेक ऐसे हादसे हुए हैं जिसके कारण अनेक मौतें हुईं। जयपुर शहर में नहीं, ग्रामीण क्षेत्र में भी ऐसे हादसे लगातार होते रहे हैं। अभी हाल ही में, पांच-सात रोज पहले ही, मेरी फुलेरा तहसील में लाइन टूटी हुई थी, अधिकारियों ने उस लाइन को हटाया नहीं, पड़ी रही, शौच जाते समय एक व्यक्ति की करन्ट लगने से मृत्यु हो गयी। मैं आपका ध्यान इस और दिलाना चाहूंगा कि आज जयपुर शहर में अनेक कालोनियां बसी हैं, हजारों मकान ऐसी हाई टेंशन लाइन के नीचे बसे हुए हैं जिसके कारण अनेक हादसे पहले भी हो चुके हैं और अब भी होने की आशंका हो रही है। जयपुर शहर में पिछले एक साल में 15 व्यक्तियों की मौत हो चुकी है और चालीस लोग घायल हो चुके हैं मेरे फुलेरा विधान सभा क्षेत्र में तीन हादसे इतने बड़े हो चुके हैं जिसमें चार-चार, पांच-पांच लोग एक साथ मारे जा चुके हैं।

मैं आपके माध्यम से ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जयपुर शहर में ऐसी अनेक कालोनियां हैं जैसे न्यू सांगानेर रोड़ पर एस.बी. विहार, सोडाला में रामनगर, गोविन्दपुरी, सीकर रोड़ पर विजय वाड़ी, दुर्गा कालोनी, जगन्नाथपुरी, मुरलीपुरा, टोंक रोड़ पर महावीर नगर, वसुन्धरा कालोनी, सूर्य नगर, अजमेर रोड़ पर जगदम्बा नगर, सिरसी रोड भट्ठा बस्ती, गूजर की थड़ी, सांगानेर, आमेर जयपुर ग्रामीण में फुलेरा आदि स्थानों पर अनेक ऐसे स्थान जिसके नीचे हजारों मकान भय की आशंका में हैं, मौत की आशंका है, कभी भी तार टूट सकते हैं और कभी भी हादसे हो सकते हैं।

मैं जयपुर शहर और आस-पास के ग्रामीण क्षेत्र की बता रहा हूं, पिछले वर्ष जनवरी में जगदम्बा नगर में 17 वर्षीय राजेन्द्र सेवदा, अगस्त में सांगानेर के 26

(श्री नवरतन राजोरिया)

वर्षीय रामस्वरूप की तार टूटकर गिरने से मौत हो गयी। इसके बाद दिसम्बर में गूजर की थड़ी में सुरेन्द्र कुमार, जवाहर नगर में राजू की मौत हो चुकी। इसी प्रकार जुलाई में भट्ठा बस्ती के इकराम, किशनगढ़ के बासड़ी खुर्द के भैंरूराम, प्रागपुरा के चेतराम और मेरे विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में अभी हाल ही में पांच-सात दिन पहले ही एक व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है।

अध्यक्ष महोदय, विद्युत अधिकारी बार-बार आग्रह करने के बावजूद भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं और हाई टेंशन लाइन के तार बिलकुल ढीले और जर्जर हो चुके हैं जिसकी वजह से लगातार झूलते हुए तारों के करंट आने से, छत पर जाने से करंट आने से कभी भी हादसा होने की सम्भावना बनी रहती है। विद्युत लाइन डाली गयी है वह अनेक वर्षों पुरानी हो चुकी है, जर्जर हो चुकी है, जगह-जगह तार झूल गये हैं। पिछले साल जयपुर वितरण निगम ने सर्वे करवाया था लाइनों का और पांच हजार जगह फाल्ट होने का पता चला है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पुरानी लाइनें बदलने और तारों की मरम्मत करने की जो योजना तैयार की थी, इस योजना पर आज तक कोई अमल नहीं हुआ है और जब कोई प्रार्थी इन अधिकारियों के पास में इस बारे में ध्यान दिलाने जाता है तो यह नीति बना रखी है कि उसका आधा खर्चा उससे मांगा जाता है। हाई टेंशन लाइन सरकार ने डाली है और आधा पैसा हाई टेंशन लाइन हटाने का यानि कि लाखों रुपया वह व्यक्ति कहां से देगा, यह ध्यान देने की बात है।

इसलिए पर्ची के माध्यम से मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि हाई टेंशन लाइन शहर के बाहर शिफ्ट की जाए। इसके लिए विद्युत वितरण निगम आधा खर्चा भुगतने को जिस प्रकार तैयार है उनको मेरा आग्रह है कि पूरा खर्चा भुगते। उसमें जो लाइनें जर्जर हो चुकी हैं उनको अविलम्ब जयपुर वितरण निगम बदले। जिन लाइनों के तार झूल गये हैं या जो मरम्मत योग्य हैं उनकी शीघ्र मरम्मत कराएं।

(12:58 बजे)

(श्री सुरेन्द्र गोयल, सभापति, पदासीन)

जिस प्रकार से अभी कृषि नीति माननीय मुख्य मंत्री ने कृषकों के लिए की है कि अगर कृषक की कार्य करते हुए मौत हो जाती है या हादसा हो जाता है या घायल

(मोहम्मद माहिर आजाद)

हो जाता है उसको तीस हजार के मुआवजे की व्यवस्था की, पचास हजार रुपये देने की व्यवस्था की है। लेकिन अगर कोई विद्युत लाइन टूट जाती है, उसको कोई मुआवजे की राशि सरकार की और से या किसी एजेन्सी के द्वारा नहीं दी जाती। मेरा आग्रह है कि उसको भी मुआवजे की राशि का प्रावधान किया जाए। धन्यवाद।

अल्पसंख्यकों व दलितों की विभिन्न समस्याएं

श्री सभापति: श्री माहिर आजाद।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में करोड़ों अरबों रुपयें की वक्फ जायदादें हैं जिनका रेवेंयू रिकार्ड दुरूस्त नहीं है। कई सम्पत्तियां ऐसी हैं जो रेवेंयू रिकार्ड में वक्फ जायदाद चढ़ी हुई हैं लेकिन उस पर दूसरे लोग काबिज हैं। कई परिसम्पत्तियां ऐसी हैं जो दूसरों के नाम चढ़ी हुई हैं लेकिन वहां मौके पर कब्रिस्तान या वक्फ से सम्बन्धित चीजें हैं। इनका सर्वे करवाकर रेवेन्यू रिकार्ड दुरूस्त करने के लिए पिछली सरकार ने घोषणा की थी और इसके लिए वक्फ बोर्ड रिकार्ड ने एक सर्वे आयुक्त भी नियुक्त किया था। उस सर्वे आयुक्त की जो समय सीमा निर्धारित की थी वह समय सीमा समाप्त हो गयी और वक्फ बोर्ड ने राजस्थान सरकार को यह निवेदन किया है कि अभी भी हमारा बहुत सारा काम बाकी रह गया है, कृपया इसकी समय सीमा छह माह बढ़ायी जाए ताकि हम इस रिकार्ड को दुरूस्त कर सकें।

(13:00 बजे)

दूसरी तरफ मदरसा बोर्ड नयी सरकार आने के बाद बदं कर दिया गया और आज पूरे राजस्थान के जो रजिस्टर्ड मदरसे हैं उनके पैरा टीचर्स वेतन और अपनी दूसरी समस्याओं के लिये दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। कोई उनका धणी-धोरी नहीं है। राजस्थान प्रशासनिक सेवा के एक अधिकारी को उसका अध्यक्ष बना दिया गया है। कई बार मैंने स्वयं उनसे बात करने का प्रयास किया, जब शासन सचिवालय में बात करते हैं तो कहते हैं कि मदरसा बोर्ड, कृषि पंत भवन में मिलेंगे। जब जहां के नम्बर पर बात करते हैं तो कहते हैं, शिक्षा संकुल कार्यालय में गये हुए हैं, वहां मिलेंगे। जब मेरे से ही बात नहीं हो पाती तो आम पूरे राजस्थान के मदरसा पैरा टीचर्स और मदरसों से सम्बन्धित लोगों की क्या स्थिति होगी ?

(मोहम्मद माहिर आजाद)

तीसरी तरफ राजस्थान उर्दू अकादमी का कार्यालय समाप्त हो गया, उर्दू अकादमी की गतिविधियां भी मृत प्राय: है।

चौथी तरफ अल्पसंख्यकों से सम्बन्धित जितने विभाग हैं, चाहे अल्प संख्यक कल्याण आयोग हो, चाहे दूसरे हों, नयी सरकार आने के बाद उनके जैसे पर कतर दिये जाते हैं, उन पर इस तरीक का अकुंश लगा दिया गया है कि कहीं भी काम नहीं हो रहा है।

इतना ही नहीं, माननीय सभापति महोदय, मैं आज आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि कर्नाटक, केरल, बिहार में अल्पसंख्यकों को नौकरियों में आरक्षण देने की व्यवस्था पहले से थी। जैसे हमारे यहां ओ.बी.सी. के लिये 27 परसेंट रिजर्वेशन है, उस 27 परसेंट में ओ.बी.सी. की जितनी बिरादरी आती हैं, कई राज्यों ने उनका स्लैब बनाकर उनके लिये उतना कोटा निश्चित कर दिया है। अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने भी अल्पसंख्यकों के लिये सरकारी नौकरियों में 5 परसेंट आरक्षण की व्यवस्था की है। मैं आपके माध्यम से राजस्थान सरकार से भी निवेदन करना चाहता हूं कि अगर अल्पसंख्यकों को भी आप मेनस्ट्रीम से जोड़ना चाहते हैं, एक स्कूटर के दो पहिये हैं और एक में तीस पौंड तथा दूसरे पहियें में दस पौंड हवा है तो वह स्कूटर चल नहीं सकता है, इसलिये इनका जीवन स्तर उन्नत करने के लिये आपको राजस्थान में भी अल्पसंख्यकों को आरक्षण देने की घोषणा करनी चाहिये। इनका शैक्षणिक स्तर ऊंचा उठाने के लिये, इनके विकास के लिये।

इतना ही नहीं, विधान सभा चुनाव के बाद राजस्थान में सरकार बनी तब तक तो सारा काम सही चल रहा था, लेकिन लोक सभा चुनाव के बाद राजस्थान के अल्पसंख्यकों को और राजस्थान के दलितों के ऊपर शोषण और अत्याचार की घटनाएं बढ़ी हैं। इनका हैरेसमेंट किया जा रहा है ? और यह किस लिये किया जा रहा है ?.....(व्यवधान) आपको मैं कहना चाहता हूं इसलिये......(व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : गलत।

डा. जालम सिंह रावलोत : अल्पसंख्यकों का कोई शोषण नहीं हो रहा है। आप लोगों ने पांच साल में क्या किया? (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (सरकारी मुख्य सचेतक) : विद्रोहात्मक और अपशब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते, यह व्यवस्था है। सदन का उपयोग इसमें न करें, यह गलत परम्परा है। …..(व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : माननीय सभापति महोदय, अल्पसंख्यकों और दलितों का शोषण कांग्रेस की पूर्व सरकार, गहलोत सरकार के राज में जितना शोषण हुआ उतना शोषण कभी नहीं हुआ। अल्पसंख्यकों का शोषण कांग्रेस की सरकार ने किया है इसलिये आप विपक्ष में बैठे हो और हम….(व्यवधान)

प्रो. बीरूसिंह राठौड़ : कांग्रेस के राज में एक लाख छत्तीस हजार अपराध हुए हैं एस.टी., एस.सी. के ऊपर। एक लाख छत्तीस हजार अपराध किये हैं।….(व्यवधान)

श्री सभापति : जीरो आवर में इस प्रकार की ….(व्यवधान)

प्रो. बीरूसिंह राठौड़ : एक लाख छत्तीस हजार अपराध गहलोत सरकार ने किये हैं…..(व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : अनर्गल आरोप मत लगाओ, कोई तथ्यात्मक बात करो। विरोध करने के लिये विरोध मत करो, कोई तथ्यात्मक बात करो।

श्री सी. डी. देवल : +++ शब्द का उपयोग कर रहे हैं आप। कांग्रेसी हैं तो फिर आप ही साहूकार हो क्या? असंसदीय भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, इनको रोकिये आप। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय देवल साहब, आप विराजिये। (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल : सत्ता पक्ष के संचेतक हैं, आखिर वाद-विवाद है, इसमें कोई गाली-गलौच करने का अधिकार नहीं है। जैसा यह माननीय सदस्य कर रहे हैं…(व्यवधान) राजसमंद से आने वाले माननीय सदस्य गाली-गलौच का काम कर रहे हैं, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, सभापतिजी ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप विराजिये .। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता : माननीय माहिर आजादजी, अल्पसंख्यकों पर जितना अत्याचार कांग्रेस ने किया है, वोट पूर्ण लेते हो, काम कुछ करते नहीं हो और

(श्री रामप्रताप कासनिया)

उनको बेवकूफ बनाते हो, इसके लिए... (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : अत्याचार अल्पसंख्यकों के ऊपर आप करते हो और बदनाम हमें करते हो....(व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता : कहां का न्याय है ? यह अल्पसंख्यकों को बेवकूफ बनाते हैं....(व्यवधान) माननीय सभापति महोदय, आप कहो तो मैं प्रमाण दे दूं कि अल्पसंख्यकों को बेवकूफ बनाया जा रहा है....(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : माननीय सभापति महोदय, असंसदीय भाषा का उपयोग कर रहे हैं माननीय सदस्य... (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया : पर्ची का दुरूपयोग कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल : असंसदीय भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, उसका कुछ नहीं किया जाए। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता : आप जयपुर शहर की एक कालोनी बता दो अल्पसंख्यकों की...।(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : मैं बता रहा हूं.।(व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता : थोक के भाव में वोट लेते हो, बेवकूफ बनाते हो अल्पसंख्यकों को। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य जब भी बोलते हैं तो सदन में कंट्रोवर्सी पैदा करने का प्रयास करते हैं। (व्यवधान) वर्ग विशेष पर बोलना राजस्थान के हित में नहीं है। सभापति महोदय, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि पुरानी विधान सभा में भी यह रूमाल में बंद करके हड्डी लाये थे। हर वक्त यह खुद साम्प्रदायिकता पैदा करना चाहते हैं। पर्ची का दुरूपयोग करके जाति विशेष पर बोलने का काम हमेशा करते हैं। राजस्थान शान्तिप्रिय है..(व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : राष्ट्रपति माननीय अब्दुल कलामजी को उच्च सिंहासन पर भारतीय जनता पार्टी ने बिठाया न कि कांग्रेस की सरकार ने....।

श्री सभापति : बिराजिये आप..।(व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता : आप चाहें तो बहस करा लें जयपुर शहर में क्या अल्पसंख्यकों के लिये किया है। क्या किया आपने कांग्रेस के पांच साल के राज्य में, आप चाहे तो बहस करा सकते हैं। जितनी सीमेंटेड सड़कें हैं, हमने बनायी है। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्यगण...(व्यवधान) आसन पैरों पर। (व्यवधान) विराजिये। आप विराजिये....(व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता : माननीय सभापति महोदय, बहस करा लीजिये, अल्पसंख्यकों के साथ क्या किया है आपने। अल्पसंख्यकों के तथ्य पेश कर रहे हैं, बहुत पैरवी कर रहे हैं..। (व्यवधान)

श्री सभापति : आसन पैरों पर है..।(व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता : माननीय सभापति महोदय, यह सब गलत बयानी कर रहे हैं और सब रिकार्ड पर आनी चाहिये कि अल्पसंख्यकों को धोखा दे रहे हैं। उनके विकास के लिये कुछ नहीं कर रहे हैं। जो सड़कें बनायी हैं, हमने बनायी हैं। बिजली के पोल लगाये हैं, हमने लगाये हैं।

श्री जुबेर खान : माननीय सभापति महोदय, जब आप सदन चलाने के लिये इस कुर्सी पर बैठे हैं तो माननीय सदस्यों को, यह नियम है कि आपको सम्बोधित करना चाहिये। इनका मौका आएगा तो यह खूब बोलें माननीय सदस्य, हमें क्या दिक्कत है? आप यह व्यवस्था दे दीजिये कि जिस आदमी को भी कहना है आपकी तरफ कहे।(व्यवधान)

श्री सभापति : आपको किसने बोलने के लिये कहा है ? (व्यवधान) माननीय सदस्य, आप विराजिये। माननीय माहिर आजादजी.। (व्यवधान) गुप्ताजी, आप बैठिये...(व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता : जितने गार्डन है जयपुर में, मैंने गार्डन की तरफ भी देखा है। सारे गार्डन हम लोगों ने ठीक कराये हैं। उन गार्डनों में एक ट्यूबवैल नहीं लगाया।

श्री सभापति : माननीय सदस्य गुप्ताजी। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया : माननीय सभापति महोदय, मैं बीच का आदमी हूं, कोई भेदभाव नहीं रखता हूं। मैं राजस्थान के हित में कहता हूं कि इस तरह के भाषण इस सदन में नहीं दें तो राजस्थान के हित में होगा।

श्री सभापति : माननीय कासनियांजी, आप बिराजिये। बैठ जाइये। (व्यवधान) माननीय आजाद साहब, मैं आपसे निवेदन कर चुका हूं और दुबारा निवेदन कर रहा हूं कि जीरो आवर में जो अपनी बात आप कह रहे हैं, तथ्यों से परे जाकर न कहें...

मोहम्मद माहिर आजाद : तथ्यों पर कह रहा हूं। आप, आसन विपक्ष का काम नहीं करे...(व्यवधान)

श्री सभापति : दो मिनट के लिये बोलना है। आपको जो बात कहनी है वह कह दें आप। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता : अब यह तथ्यों पर कहें तो बहस करा लें। आज इस सदन में इस बात पर बहस हो जाए...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : बिलकुल तथ्यों पर कह रहा हूं। अगर गलत है तो...

श्री मोहन लाल गुप्ता : किसने किया है? (व्यवधान) कांग्रेस ने किया। (व्यवधान)

श्री अशोक : यह व्यवस्था दे दें, सभापति महोदय...(व्यवधान) यह प्रधानी करने का काम कौनसा हो गया?

श्री मोहन लाल गुप्ता : आप अभी बहस करा लीजिये। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप बिराजिये...(व्यवधान) अंकित नहीं हो। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता : x x x

श्री सभापति : बैठिये, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल : x x x

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप बिराजें।

श्री वीरेन्द्र मीणा : x x x

श्री सी. डी. देवल : x x x

श्री मोहन लाल गुप्ता : x x x

मोहम्मद माहिर आजाद : मैं डरने वाला नहीं हूं, पूरी बात कहकर रहूंगा। आप सारे ही खड़े हो जाएं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता।

श्री सभापति : आप बार-बार खड़े हो जाते हैं, व्यवधान पैदा कर रहे हैं, आप बिराजिये।

श्री जालम सिंह रावलोत : x x x

श्री रामप्रताप कासनिया : x x x

मोहम्मद माहिर आजाद : सभापति महोदय, ऐसा ही नहीं कि इस सरकार के आने के बाद केवल अल्पसंख्यकों को ही प्रताड़ित किया जा रहा हो, हैरेसमेंट किया जा रहा हो, दलितों की स्थिति भी कमोबेश यही है। आपने पढ़ा होगा और जानकारी होगी कि श्रीमती सुशीला नागर, एक अनुसूचित जाति की न्यायिक अधिकारी, चार-चार न्यायिक अधिकारियों ने उसके साथ...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद : x x x

श्री मोहन लाल गुप्ता : x x x

श्री सभापति : माननीय आजादजी, आपकी पर्ची सिर्फ...(व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : x x x

श्री हीरालाल (निवाई) : x x x

श्री सभापति : आसन पैरों पर, आप बिराजिये। माननीय माहिर आजाद साहब, मेरा आपसे पुन: निवेदन है कि आपकी पर्ची सिर्फ अल्पसंख्यकों की और दलितों की समस्याओं की सम्बन्ध में है...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : यही तो बोल रहा हूं, दलित महिलाओं की ही तो बता रहा हूं, सुशीला नागर दलित है। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप सुनिये, माननीय सदस्य। आप इस प्रकार से जो 15-20 मिनट टाइम ले रहे हैं जीरो आवर में, वह उचित नहीं है। जो आपको कहना है, आप दो मिनट में अपनी बात पूरी कीजिए...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : लेकिन व्यवधान होगा वह समय कटेगा। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : x x x

श्री जालम सिंह रावलोत : x x x

श्री मोहन लाल गुप्ता : x x x

श्री महावीर प्रसाद जैन : x x x

श्री सभापति : माननीय सदस्य आप बिराजें।

श्री जुबेर खान : x x x

श्री सभापति : आपको आसन को सिखाने की जरूरत नहीं है, आसन यही व्यवस्था कर रहा है। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : x x x

श्री बंशीलाल खटीक : x x x

श्री जुबेर खान : x x x

श्री सभापति : आपको आसन को चैलेंज करने की जरूरत नहीं है, आप बिराजें। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : x x x

श्री सभापति : आप बिराजें, माननीय सदस्य। (व्यवधान) सदन के सभी माननीय सदस्यों से मेरा पुन: आग्रह और निवेदन है कि दो मिनट का समय है जीरो

आवर में, बोलने दीजिये। और मैं आपसे भी निवेदन कर रहा हूं कि आपका समय पूरा हो गया है, मैं दूसरा नाम पुकार रहा हूं, नहीं तो आप चुपचाप बोल लीजिए। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि नयी सरकार आने के बाद दलितों पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ी हैं। दलित महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाओं में वृद्धि हुई है। दलित कर्मचारियों और दलित लोगों का शोषण किया जा रहा है। यह सुशीला नागर के साथ चार-चार अधिकारियों +++ ने इनको प्रताड़ित किया है...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद : x x x

श्री सभापति : माननीय सदस्य, यह न्यायालय का मैटर है और न्यायालय के मैटर को हमें सदन में नहीं उठाना चाहिये। यह अच्छी बात नहीं है। (व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी : x x x

मोहम्मद माहिर आजाद : न्यायालय के सम्बन्ध में नहीं की है... (व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी : x x x

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय उद्योग मंत्रीजी, मैंने न्यायालय के सम्बन्ध में कोई टिप्पणी नहीं की है। मैंने यह कहा है कि न्यायिक अधिकारी जो दलित वर्ग की है, उसके साथ जो शोषण किया है, जो उसको प्रताड़ित किया है, क्या सरकार उसको न्याय दिलाने के लिए कोई कार्य करेगी, मेरा सवाल यह है? मैं न्यायालय का सम्मान करता हूं। आई एम ला ग्रेजुएट एण्ड एल.एल.एम., मैं जानता हूं इस चीज को।

श्री सभापति : अब आप बिराजिये।

मोहम्मद माहिर आजाद : मेरी बात पूरी कर लेने दीजिये, सिर्फ एक मिनट में।

श्री सभापति : आपकी बात पूरी हो गयी...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : एक मिनट में पूरी कर रहा हूं। कहां, सब तो

डिस्टर्ब कर रहे हैं। लैट मी कनक्लूड, आनरेबल चेयरमैन साहब। लैट मी कनक्लूड, ओनली वन मिनट।

श्री सभापति : माननीय आजादजी, आपकी बात सुन ली है।

मोहम्मद माहिर आजाद : आई कनक्लूड। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निहायत अदब के साथ, न मैं किसी पर आक्षेप लगा रहा हूं...(व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया : x x x

मोहम्मद माहिर आजाद : जानता हूं सब...(व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासिनया : x x x

मोहम्मद माहिर आजाद : आप बैठिये, देखिये, यह क्या तरीका हुआ? आप बैठ जायें, क्या तरीका है यह? (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया : x x x

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप बिराजें। आसन पैरों पर है। (व्यवधान)

श्री जालम सिंह रावलोत : x x x

श्री बंशीलाल खटीक : x x x

श्री सभापति : माननीय राजसमन्द से आने वाले सदस्य, बिराजें आप। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : मैं आपके माध्यम से केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार आने के पहले लोगों को भरोसा था कि माननीय आडवाणीजी ने कन्याकुमारी से अजमेर के गद्दी नशीनजी को बुलवाया, अटलजी ने भी हिमायत यात्रा निकाली...(व्यवधान) एक भी अल्पसंख्यक ने वोट नहीं दिया।

श्री महावीर प्रसाद जैन : x x x

श्रीमती राजकुमारी शर्मा : x x x

मोहम्मद माहिर आजाद : कांग्रेस इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय संयम लोढ़ा। (अनुपस्थित)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सभापति महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता था न्यायिक मंत्रालय की हैसियत से, माननीय सदस्य ने जो बात कही है वह मामला हाई कोर्ट के विचाराधीन मामला है, एक बात। दूसरी बात, जिन अधिकारियों का नाम लिया गया वे अधिकारी सदन में उपस्थित नहीं हैं जिन पर चार्ज लगाया गया है, मैं चाहूंगा, उसको एक्सपंज किया जाए।

मोहम्मद माहिर आजाद : जांच चल रही है, सरकार को कहा है, कहीं न्यायालय की बात नहीं कही है। महिला को प्रताड़ित करने का न्यायालय से मामला ही नहीं है...(व्यवधान) मैंने कहा है कि उसे प्रताड़ित किया, सरकार क्या करेगी उस पर?...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान : उन्होंने जो बात कही है, यह बात...(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य ने जिन न्यायिक अधिकारियों के नाम लिये हैं मैं उनको एक्सपंज करता हूं। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : माननीय मंत्री महोदय ने जो बात कही है, यह बात आगे भी परम्परा बने कि जो व्यक्ति सदन में मौजूद नहीं हो, उसका नाम नहीं लिया जाए। अगर यह आप आज एक्सपंज करते हैं तो आगे के लिये भी यह व्यवस्था होनी चाहिए कि कोई माननीय सदस्य उस व्यक्ति का नाम नहीं ले जो इस सदन में मौजूद नहीं है।

श्री जुबेर खान : यह आपको व्यवस्था देनी चाहिए।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह व्यवस्था पहले से है।

श्री सभापति : गृह मंत्रीजी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : पहले से है।

श्री जुबेर खान : है तो आगे से करेंगे।

श्री सभापति : माननीय गृह मंत्रीजी वक्तव्य दे रहे हैं, माननीय सदस्य।

श्री रामचन्द्र सराधना : सभापति महोदय, अध्यक्षजी ने व्यवस्था दी थी पाइंट आफ इन्फार्मेशन के लिए...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : पहले वक्तव्य सुनिये...(व्यवधान)

श्री रामचन्द्र सराधना : पाइंट आफ इंफार्मेशन के लिए व्यवस्था दी थी उन्होंने कि पर्ची के बाद में बोलना। उन्होंने व्यवस्था दी थी मेरे को।

एक माननीय सदस्य : वह व्यवस्था देकर गयीं...(व्यवधान)

श्री सभापति : ऐसा है, उन्होंने व्यवस्था दी, वह शिरोधार्य है, लेकिन आपका इस पर्ची में नाम नहीं है इसलिए आप बिराजें।

श्री रामचन्द्र सराधना : पर्ची में नाम नहीं है, यह पाइंट आफ इन्फार्मेशन था।

श्री सभापति : माननीय गृह मंत्रीजी अपना वक्तव्य दे रहे हैं, आप बिराजें।

श्री रामचन्द्र सराधना : माननीय अध्यक्षजी, व्यवस्था देकर गयी हैं, मुझे यह कहा गया है कि पर्ची के बाद मैं बोलूंगा।

श्री जुबेर खान : पूरा हाउस गवाह है।

श्री रामचन्द्र सराधना : सब जानते हैं इस बात को और आपके रेकार्ड में है, फिर आप उस व्यवस्था को बदल रहे हैं। सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मेरा पाइंट आफ इंफार्मेशन का मामला है।

श्री सभापति : आपको कोई व्यवस्था नहीं दी है, आप बिराजें।

श्री रामचन्द्र सराधना : सभापति महोदय, व्यवस्था नहीं दी है तो अब दे दो।

श्री सभापति : आप बिराजें, माननीय सदस्य।

श्री रामचन्द्र सराधना : सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक उच्च प्राथमिक विद्यालय 1 जुलाई से 14 जुलाई तक बंद पडा है।

श्री सभापति : आप बिराजें, माननीय सदस्य।

श्री रामचन्द्र सराधना : आप मेहरबानी करें, थोड़ा-सा मैं निवेदन करना चाहता हूं सरकार से...(व्यवधान)

श्री सभापति : आसन पैरों पर है, आप बिराजें।

श्री जितेन्द्र सिंह : सभापति महोदय, आप द्वारा मैं गृह मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगा...(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजें।

श्री जितेन्द्र सिंह : पूरा राजस्थान और यह सदन आपको देख रहा है जिस घटना के बारे में आप स्टेटमेंट दे रहे हैं।

श्री सभापति : माननीय अलवर से आने वाले सदस्य, बिराजें। (व्यवधान)

श्री जितेन्द्र सिंह : अलवर का ही सवाल है...(व्यवधान)

श्री सभापति : ऐसा है, माननीय सदस्य, पहले आप इनका वक्तव्य सुन लीजिये उसके बाद जो भी आपके पाइंटेड क्वेश्चन हैं...(व्यवधान)

श्री जितेन्द्र सिंह : जिस घटना पर आप स्टेटमेंट दे रहे हैं, अलवर का ही सवाल है, सभापति महोदय।

श्री सभापति : ऐसा है, माननीय सदस्य, आप पहले इनका वक्तव्य सुन लीजिए, फिर जो भी पाइंटेड क्वेश्चन करने हों, कर लीजिए। आप बिराजिए। प्लीज, माननीय सदस्य, बिराजिए।

श्री जितेन्द्र सिंह : मैं उसके बारे में ही पूछ रहा हूं।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़) : माननीय सभापतिजी, आपके वक्तव्य के बाद मेरा नम्बर आएगा क्या? आपके वक्तव्य के बाद में मेरा नम्बर आएगा क्या?

श्री सभापति : अध्यक्ष महोदय का निर्देश था, इसके बाद कह दीजिए आप। (व्यवधान) पहले स्टेटमेंट हो जाए, उसके बाद आपको कोई पाइन्टेड क्वेश्चन करने हों

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

तो कीजिए, प्लीज बिराजिए।

श्री रामचन्द्र सराधना : हां तो इसके बाद में बुला लीजिए।

श्री सभापति : माननीय अलवर से आने वाले सदस्य, मैं आपसे रिक्वैस्ट कर रहा हूं।

श्री रामचन्द्र सराधना : माननीय सभापति महोदय, मैं...

श्री सभापति : मैं रिक्वैस्ट कर रहा हूं आपसे, आप बिराजिए।

शासकीय वक्तव्य

अलवर में दिनांक 9.7.2004 को हुई मारपीट की घटना से उत्पन्न स्थिति

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री) : सभापति महोदय, दिनांक 9.7.2004 को श्री नेहपाल सिंह पुत्र भंवर सिंह, जाति राजपूत, निवासी केशव कृपा, कुश मार्ग, अलवर एवं उनके साथ राजवंत यादव, खेमचंद, कला महाविद्यालय अलवर से मोटर साइकिल से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कार्यालय जा रहे थे। तेज मण्डी की रोड से निकल रहे थे तभी एस.टी.डी. की दुकान के बरामदे से अचानक विक्टर मोटर साइकिल तेज गति से निकली जिस पर दो लड़के कैलाश सैनी का भाई मनोज और उसका दोस्त बैठा था। उन्होंने मोटर साइकिल लापरवाही से चलाकर नेहपाल की मोटर साइकिल से टक्कर मारी जिस पर हुई तकरार के कारण कैलाश सैनी, राजकुमार उर्फ बंटी एवं 10-12 अन्य लोगों ने आकर नेहपाल वगैरह के साथ में मारपीट की। इसके पश्चात् नेहपाल सिंह और उसके साथ राजवंत, खेमचंद, कुछ और लड़के एक राय होकर करीब 3 पी.एम. पर कैलाश चन्द सैनी की दुकान पर आये। उस समय वह कैलाशचन्द मैसर्स इण्डिया सेल्स की दुकान के सामने बरामदे में बैठकर बंटी उर्फ राजकुमार के साथ टीवी देख रहा था। नेहपाल वगैरह ने आते ही दोनों के साथ लाठियों से मारपीट शुरू कर दिया। उसी समय गश्त करती हुई पुलिस पार्टी भी वहां पहुंच गई जिसे देखकर नेहपाल वगैरह भाग गये। इस घटना के विरोध में तेज मण्डी के दुकानदारों ने रोष प्रकट किया, जिस पर पुलिस-जाब्ता कानून-व्यवस्था बनाने की कार्यवाही हेतु मौके

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

पर पहुंचा और कानून व्यवस्था बहाल की। मज्लूम कैलाश चन्द सैनी का सामान्य चिकित्सालय, अलवर में पर्चा बयान लिया गया। पर्चा बयान में अपराध अंतर्गत धारा 147, 148, 149, 451, 323 घटित होना पाए जाने पर अभियोग संख्या 359/4, थाना कोतवाली में पंजीबद्ध किया गया। नेहपाल सिंह पुत्र भंवर सिंह राजपूत, निवासी केशव कृपा मार्ग, अलवर ने भी एक रिपोर्ट तहरीर इस घटना बाबत थाना कोतवाली पर पेश की, जिसका अभियोग संख्या अभियोग संख्या 360/4 धारा 279, 336, 143, 323, 341, दर्ज किया गया। 359 मज्लूम कैलाश पुत्र रामकिशोर एवं राजकुमार उर्फ बंटी जो सामान्य चिकित्सालय, अलवर में बाद घटना भर्ती हुए थे, की चोट प्रतिवेदन एवं एक्स-रे रिपोर्ट प्राप्त की गई। मज्लूम राजकुमार के चोट प्रतिवेदन में 8 चोटें आना पाया गया, उसमें 3 चोटें दर्दनुमा मेडिकल ज्यूरिस्ट ने अंकित कीं। बायीं भुजा, सिर, बायां कंधा, सीना, दायीं भुजा पर चोट पर एक्स-रे करवाने की राय दी गई, जिस पर उक्त चोटों का एक्स-रे करवाया गया तो दायें पैर में फ्रैक्चर होना पाया गया। इसी प्रकार चोट प्रतिवेदन की चोट संख्या 3 के अलावा सभी चोटें साधारण प्रकृति की, लाठियों द्वारा पहुंचाया जाना पाया गया। चोट नम्बर 3 गम्भीर प्रकृति की है जो लाठी-डण्डे से पहुंचाई गई। मज्लूम कैलाश की मेडिकल ज्यूरिस्ट ने 4 चोटें अंकित की, जिसमें से सिर पर, बायीं भुजा की चोट का एक्स-रे करवाया गया। इन चोटों के एक्स-रे रिपोर्ट का अवलोकन करने से कोई गम्भीर चोट आना नहीं पाया गया। इसी प्रकार कैलाश के चारों चोटें साधारण और मोटिव चार्ज से पहुंचाई गई। अभियोग संख्या 359/4 के अनुसंधान में नेहपाल सिंह, राजवंत, खेमचंद, योगेश शरीक जुर्म होना पाया गया। अभियोग का अनुसंधान जारी है। अभियोग संख्या 360/4 मज्लूम नेहपाल सिंह, राजवंत सिंह की चोटों का मेडिकल मुआयना करवाया गया जो नेहपाल सिंह की चोट प्रतिवेदन में मेडिकल ज्यूरिस्ट ने 10 चोटें आना अंकित किया। बाए पैर पर, दाहिने पर चोटों का एक्स-रे करवाने की राय दी गई। वह एक्स-रे रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई। राजवंत की चोट प्रतिवेदन में 2 चोटें आना अंकित है जिसमें चोट नम्बर 1 का एक्स-रे कराने की राय अंकित है। एक्स-रे रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं है। राजवंत की दूसरी चोट दर्दनुमा होना अंकित किया गया। अभियोग के अनुसंधान से मनोज सैनी, शेरसिंह, कैलाशचन्द सैनी, बंटी उर्फ राजकुमार का जुर्म होना पाया गया। अभियोग का अनुसंधान जारी है।

दिनांक 9.7.2004 को अभियोग संख्या 360/4 में नेहपाल सिंह और राजवंत का मेडिकल मुआयना कराने के लिए सहायक उप निरीक्षक, सामान्य अस्पताल ले

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

जाने लगा तो गेट पर बाहर खड़े उनके दो साथी खेमचंद और योगेश ने मज्लूमों से बात की। चारों उग्र होकर आवेश में आकर कहने लगे कि हमारे साथ कैलाश वगैरह ने ही पहले मारपीट की थी और अब वही हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करा रहे हैं। हम उन्हें जिन्दा नहीं छोड़ेंगे।

कानून-व्यवस्था की स्थिति को मद्देनजर रखते हुए उक्त चारों को धारा 151 में गिरफ्तार किया गया। तत्पश्चात् उन्हें एस डी एम साहब, अलवर शहर को पेश किया गया। जहां से गैर सायलान को पांच-पांच हजार रुपये के जमानत मुचलके अंतर्गत धारा 116/3, अंतरिम रूप से पाबन्द किया जाकर रिहा किया गया।

दिनांक 10.7.2004 को दोपहर 12 बजे तेज मण्डी आटोमोबाइल व्यापार संघ के 50-60 व्यापारी तेज मण्डी चौराहे पर एकत्रित हुए और तत्पश्चात् जिलाधीश निवास पर जाकर, अलवर शहर विधायक, श्री भंवर जितेन्द्र सिंह के नेतृत्व में ज्ञापन दिया। जिसके बाद तेज मण्डी मार्केट के प्रतिष्ठान सामान्य रूप से खुल गये, शांति रही। शाम को साढ़े आठ बजे के करीब तेज मण्डी चौराहे पर उसी मार्केट के 20-25 दुकानदारों ने आटोमोबाइल एसोसिएशन के अध्यक्ष गुप्ता की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की। इस बैठक में एक समझौता बातचीत दोनों के बीच हुई। अलवर शहर के मण्डी इलाके में पिछले दिनों हुई मारपीट की घटना के बाद मंगलवार शाम आर.एस.एस. कार्यकर्ता और तेज मण्डी आटोमोबाइल व्यापार मण्डल के प्रतिनिधियों के बीच सौहार्द वार्ता हुई। वार्ता में दोनों पक्षों ने सौहार्द का वातावरण बनाने पर जोर दिया। इस अवसर पर संघ के विभाग प्रचारक, संजय कुमार ने कहा कि ऐसी घटना से संघ का कोई लेना-देना नहीं है, संघ हिंसा में विश्वास नहीं करता। व्यापार मण्डल के सचिव, दिनेश रावत ने बताया कि व्यापारी भी प्रशासन की कार्यवाही से संतुष्ट है। दोनों ही पक्ष के दोषियों के खिलाफ उचित कार्यवाही की मांग प्रशासन से की गई। वार्ता में व्यापार मण्डल के अध्यक्ष, सत्यनारायण खण्डेलवाल, अशोक सोढ़ी, संतोष अग्रवाल, कन्हैया लाल तथा वहां विधायक का चुनाव लड़ीं पुष्पा गुप्ता और संघ के प्रचारक, इन सब लोगों के बीच में यह वार्ता होकर दोनों ने ही दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की मंशा जाहिर की। शांति और अमन-चैन कायम हो, इसके लिए उन सब ने एक मत होकर अपने विचार व्यक्त किये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (संसदीय कार्य मंत्री) : बात खतम, अब क्या बचा है?

श्री जितेन्द्र सिंह : बहुत कुछ बचा है। बहुत कुछ बचा है, आपको मालूम ही नहीं है। क्या मालूम है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अब कुछ नहीं बचा है स्टेटमेंट के बाद।

श्री जितेन्द्र सिंह : माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे सुरक्षा चाहूंगा। आपको मालूम नहीं है घटना के बारे में, आप कौन हैं पूछने वाले कि क्या है और क्या बचा है? (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) : आप बीच में मत बोला कीजिए, मामला बहुत गम्भीर है। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : आप मंत्रीजी की गरिमा रिखए, आप हर मामले में बीच में मत बोलिए। (व्यवधान)

श्री सभापति : अलवर से आने वाले माननीय सदस्य।

श्री जितेन्द्र सिंह : माननीय सभापति महोदय निर्णय करेंगे।

श्री सभापति : वह बोल रहे हैं माननीय सदस्य, उनकी बात सुनिए।

श्री जितेन्द्र सिंह (अलवर) : सभापति महोदय, मैं आप द्वारा गृह मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि जब यह घटना हुई, दो मोटर साईकिलों की टक्कर हुई। आसपास के जो व्यापारी थे, दुकानदार थे, उन्होंने बीच-बचाव किया, दोनों लोगों को समझाकर वापस भेजा। तीन घण्टे बाद आर.एस.एस. के कार्यकर्ता अपनी यूनिफार्म के अन्दर लाठियों के साथ, चेनों के साथ आये, यूनिफार्म के अन्दर। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द) : आर.एस.एस. को बदनाम करने की बात कर रहे हो। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : माननीय सदस्य पूरी शालीनता के साथ अपनी बात कह रहे हैं, वह बीच में ही बोल रहे हैं, आप प्रताड़ित करिए उनको। आप प्रताड़ित करिए उनको। (व्यवधान) माननीय सदस्य बहुत ही कम बोलते हैं और शालीनता से अपनी बात कह रहे हैं।

श्री बंशीलाल खटीक : आर.एस.एस. को बदनाम नहीं किया जाए। यदि आर.एस.एस. नहीं होता तो यह देश इनके काले कारनामों द्वारा कभी का बर्बाद हो गया होता।

श्री सभापति : बिराजिए, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री जितेन्द्र सिंह : इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है, सभापति महोदय, उसके बाद लाठियों और चैन के साथ, सरियों के साथ उन्होंने आकर हमला किया। दुकानदारों को बाहर निकाला, बाहर पकड़-पकड़कर रोड पर घसीटा और मारा। सिर पर चोट आयी है, यह उसका फोटो देखिए। फोटो बनायी हुई नहीं है, यह रही फोटो। निवेदन यह है कि जब दो-तीन पुलिसकर्मी...(व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : वो तो थे ही नहीं, आप बता रहे हैं।

श्री जितेन्द्र सिंह : गृह मंत्री महोदय, जब आपके पुलिसकर्मी पहुंचे तो उन आर.एस.एस. के कार्यकर्ताओं ने...

श्री बंशीलाल खटीक : आर.एस.एस. का नाम न लें।

श्री सभापति : महावीर प्रसादजी, इनको रोकें। हर बार यही मामला है।

श्री बंशीलाल खटीक : आर.एस.एस. का नाम न लें। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : मजा ले रहे हैं आप।

एक माननीय सदस्य : सदन शुरू होने के बाद यही काम कर रहे हैं।

श्री बंशीलाल खटीक : आर.एस.एस. का नाम न लें।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर पश्चिम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अनावश्यक आर.एस.एस. को बदनाम करने की कोशिश न की जाए। (व्यवधान) आर.एस.एस. को बदनाम करने की कोशिश न की जाए। (व्यवधान) हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आर.एस.एस. को बदनाम न किया जाए। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि हाउस में बिना तथ्य के आर.एस.एस. को बदनाम न किया जाए।

श्री जुबेर खान : माननीय सभापति महोदय, जब आपके खुद के सदस्य मान रहे हैं इस बात को...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : गृह मंत्री महोदय ने खुद ने लिया है और एफ.आई.आर. में भी आर.एस.एस. का हवाला है। आप उसको कैसे रोकेंगे?

श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सीकर) : है ही नहीं। आप कैसे नाम ले रहे हो? (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : कोई भी अपराधी हो, कानून से बड़ा नहीं हो सकता।

श्री बंशीलाल खटीक : आपके पास फोटो है क्या कि आर.एस.एस. कार्यकर्ता हैं?(व्यवधान)

श्री जुबेर खान : रोकिये इनको। (व्यवधान) कानून से बड़ा कोई अपराधी नहीं हो सकता। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय मुख्य सचेतकजी, आप बिराजें। कृपया उत्तेजित मत होइए आप।

श्री मदन दिलावर : आप अपराधी तत्वो को पनपने मत दो।

श्री जितेन्द्र सिंह : जब गृह मंत्री खुद की बात में मान रहे हैं तो ये कौन होते हैं बीच में बोलने के लिए?

श्री बंशीलाल खटीक : बोलने वाले हम होते हैं। अनावश्यक बात न करें। (व्यवधान) एफ.आई.आर. पूरी तथ्यात्मक है...(व्यवधान)

श्रीमती राजकुमारी शर्मा : गृह मंत्रीजी ने सारी बातों की जानकारी दे दी, फिर आप क्यों बोल रहे है? (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : तथ्यात्मक बात एफ.आई.आर. में दर्ज है, इनके पास कोई तथ्यात्मक बात नहीं है। ऐसे ही बदनाम करने के लिए तुले हुए हैं।

श्री सभापति : माननीय मुख्य सचेतकजी, आप इनको जरा कंट्रोल कीजिए।

श्री जितेन्द्र सिंह : सभापति महोदय, उसके बाद...(व्यवधान)

श्री सभापति : ऐसा है, अलवर से आने वाले माननीय सदस्य, जो आपको लगे कि जो बात वक्तव्य में नहीं आयी है...(व्यवधान)

श्री जितेन्द्र सिंह : वही बात मैं कह रहा हूं।

श्री सभापति : जो आप कहना चाहते है उसके बारे में आप प्रश्न पूछकर इनसे उत्तर लीजिए।

श्री जितेन्द्र सिंह : सभापति महोदय, दो पुलिसकर्मी वहां तैनात थे, जब वे बीच में पहुंचे बीच-बचाव करने के लिए तो उन लोगों ने...(व्यवधान)

श्री सभापति : आप चुप रहिए, बिराजिए। बीच में व्यवधान मत डालिए।

श्री जितेन्द्र सिंह : पुलिस से बैल्ट नं. पूछा। वहां तुरन्त मोबाइल बैन आ गई। (व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी : एक्सक्यूज मी, सभापति महोदय, पाइंट आफ आर्डर। सभापति महोदय, वक्तव्य देने के बाद भाषण नहीं होता। आज तक की परम्परा है पाइंटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं। पाइंटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : पाइंटेड क्वेश्चन पूछने के लिए मैंने निवेदन किया है इनसे।

डा. सी. पी. जोशी : मदनजी दिलावर प्रतिपक्ष में थे आपने कौनसी परम्परा निभायी थी? (व्यवधान) किसने? रेकार्ड में लिखा हुआ है। रेकार्ड में है, आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। रेकार्ड में लिखा हुआ है। डोंट बी डिफेंसिब। बात सुनिए हिम्मत करके। कुछ काम हो, सुन नहीं सकते क्या? सुनने में क्या तकलीफ है? आपको सुनने में क्या तकलीफ है? (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय मंत्री महोदय, बिराजिए।

डा. सी. पी. जोशी : डोंट बी डिफेंसिव। आप तो सुन नहीं सकते। आप बोलने नहीं देंगे किसी को। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय मंत्री महोदय। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : वे माननीय सदस्य वहां की अपनी बात कह रहे है, बोलने नहीं दे रहे हैं आप। कभी वो खड़े हो रहे हैं, कभी आप खड़े हो रहे हैं।

श्री बंशीलाल खटीक : एफ.आई.आर. में तथ्य है...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : यह तो कोई तरीका नहीं है। (व्यवधान) आप कौन होते हैं, बैठिए। आप कौन होते हैं? आप बैठिए।

श्री हरिमोहन शर्मा : सभापति महोदय, आप रोक दीजिए। उनको यह नहीं चलेगा। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : माननीय सभापति महोदय, इन्होंने ऐसे-ऐसे इशारा किया।

डा. सी. पी. जोशी : कोई कोई तरीका बना रखा है। (व्यवधान) इन्होंने ऐसा क्या कह दिया?

श्री जुबेर खान : यह क्या तरीका है? (व्यवधान)

(कांग्रेस दल के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

एक माननीय सदस्य : बोलने का अधिकार हमें नहीं है क्या? (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : चलाइए हाउस को। चलाइए। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्यगण। (व्यवधान) माननीय सरकारी मुख्य सचेतकजी, बहुत ही गलत है। (व्यवधान) मंत्रीजी कोई बात कह रहे हैं। (व्यवधान) मंत्रीजी कोई बात कह रहे हैं। (व्यवधान) आप अपने आसन पर जाइए, मैं व्यवस्था दे रहा हूं। (व्यवधान) मैं व्यवस्था दे रहा हूं। (व्यवधान) आप जाइए, बिराजिए। (व्यवधान) माननीय मुख्य सचेतकजी, राजसमन्द से आने वाले माननीय सदस्य को आप जाकर समझाइए, इस प्रकार हाउस में उत्तेजना न फैलाएं। (व्यवधान) आप बिराजिए, मैंने व्यवस्था दे दी है। आप बिराजें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय सभापति महोदय...(व्यवधान) आप बिराजिए।

श्री सभापति : माननीय सदस्यगण, मेरा निवेदन है...(व्यवधान) व्यवस्था कर रहे हैं। (व्यवधान)

(श्री सभापति)

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं इनको कहकर आया हूं, बीच में खड़े न हों आप। मैं पूरा प्रयास करूंगा। (व्यवधान)

श्री सभापति : मेरा माननीय सदस्यों से…(व्यवधान) मेरा प्रतिपक्ष के सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि आप अपनी सीट पर पधारिये। मैंने मुख्य सचेतकजी से कह दिया है, वे जाकर अभी…(व्यवधान) कोई नहीं मारेगा, आप बैठिए। नहीं, नहीं, कोई नहीं मारेगा। आसन आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, आप बैठिए। (व्यवधान) प्लीज रिक्वैस्ट। (व्यवधान) आसन से पूरा प्रोटेक्शन आपको मिल रहा है, पूरा प्रोटेक्शन मिलेगा। आप आसन ग्रहण कीजिए प्लीज। (व्यवधान)

(कांग्रेस दल के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

आप बिराजिए। (व्यवधान) माननीय प्रतिपक्ष के सदस्यों से निवेदन है कि कृपया अपना आसन ग्रहण करें। (व्यवधान) कृपया आसन ग्रहण करें। (व्यवधान) माननीय सदस्यगण, बैठें सीट पर। मैं दुबारा आप लोगों के सामने राजसमन्द से आने वाले माननीय सदस्य से निवेदन करता हूं कि बार-बार आप अपनी सीट से खड़े हो जाते हैं, यह अच्छी बात नहीं है। आप स्वयं जानते हैं कि सदन परम्पराओं और नियमों से चलता है, आप कोई भी बात को लेकर, छोटी-छोटी बातों को लेकर खड़े हो जाते हैं और व्यवधान पैदा करते हैं। मैं आपको दुबारा निवेदन करता हूं कि अगर आप बार बार खड़े होंगे तो आसन को दूसरी व्यवस्था करनी पड़ेगी, इसलिए आप कृपया बिराजें। (व्यवधान) आप बैठें। (व्यवधान) माननीय प्रतिपक्ष के सदस्यों से मेरा पुन: निवेदन है कि कृपया आप अपनी सीटों पर पधारें। (व्यवधान) माननीय मुख्य सचेतकजी। (व्यवधान) माननीय सदस्यगण, आपसे मैं निवेदन कर रहा हूं, आप बिराजिये। मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपनी-अपनी सीटों पर बिराजें। (व्यवधान) माननीय जोशीजी, आप बिराजिए। आप बिराजिए, वरना मैं फिर आगे बिजनेस शुरू करता हूं। (व्यवधान) अब, माननीय सदस्यगण, सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचनाएं

(कृषि विभाग)

(श्री नरपत सिंह राजवी)

श्री प्रभुलाल सैनी।

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, मैं निम्नांकित अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं :-

1.अधिसूचना संख्या-प.1(3)कृषि-1/एम.सी./2004 दिनांक 21.6.2004 जिसके द्वारा खरीफ, 2004 की फसलों हेतु राज्य में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की क्रियान्विति की गई है।

2.अधिसूचना संख्या-प.(3) कृषि-1/एम.सी./2003 दिनांक 4.2.2004 जिसके द्वारा रबी, 2003 की फसलों हेतु राज्य में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की क्रियान्विति की गई है। (व्यवधान)

श्री सभापति : आपको कह रहे हैं, बार-बार रिक्वैस्ट कर रहा हूं, आप बिराजिए। (व्यवधान) प्रतिवेदन एवं लेखे। श्री राजेन्द्र राठौड़, संसदीय कार्य मंत्री।

प्रतिवेदन

राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड का 19वां वार्षिक प्रतिवेदन

राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड का 19वां वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (संसदीय कार्य मंत्री) : सभापति महोदय, मैं कम्पनी के आर्टिकल आफ एसोसिएशन की धारा 114 के अन्तर्गत राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड का 19वां वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री सभापति : श्री नरपत सिंह राजवी।

सांभर साल्टस लिमिटेड का 38वां वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2002-2003)

श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री) : सभापति महोदय, मैं (1) वित्त अधिनियम, 1951 की धारा-37(7) के अन्तर्गत राजस्थान वित्त निगम के लेखों की 31 मार्च, 2003 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आडिट रिपोर्ट,

(II) कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 619-ए के अन्तर्गत सांभर साल्ट्स लिमिटेड का 38वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2002-2003 एवं

राजस्थान स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड का 42वां वार्षिक

प्रतिवेदन (वर्ष 2002-2003)

(III) कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत दी राजस्थान स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड का 42वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2002-2003 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सभापति महोदय, मैं आपसे एक विनम्र आग्रह करना चाहता हूं (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप सुनोगे भी, वह बजट तो हो जाएगा अभी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सभापति महोदय, यह कुछ उत्तेजना सदन में माननीय विपक्ष के सदस्यों को किस माननीय सदस्य के कहने से आई है, सदन में सब का सम्मान करना बहुत जरूरी है और जिस प्रकार से आप सदन में कार्यवाही चला रहे हैं, मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा, विनम्र प्रार्थना है कि जो भी बात है उसको आप देख लेंगे, बात भी कर लेंगे माननीय सदस्य से...(व्यवधान) बोलने तो दो। माननीय सदस्य के कारण से आपको जो तकलीफ हुई है उसके लिए खेद है ही, उसमें आप लोग बिराजें, सदन की कार्यवाही में भाग लें, बिराजें। (व्यवधान) चलो शुरू कराइए।

श्री सभापति : श्री यूनुस खान, यातायात मंत्री राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के लेखों का 31 मार्च, 2003 को समाप्त हुए वर्ष के लिए अंकेक्षण प्रतिवेदन तथा प्रमाण पत्र एवं राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम का 39वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2002-2003 सदन की मेज पर रखेंगे। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपने व्यवस्था दे दी। आगे का बिजनेस आपने पुकार लिया, आपने पेपर ले-डाउन करवा लिये, आपने माननीय सदस्य का नाम पुकार लिया। अब आगे करें साहब।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : सभापति महोदय, चर्चा अभी पूरी नहीं हुई है अलवर वाले किस्से के ऊपर, तब तक आपने दूसरा कार्य ले लिया, कहीं ऐसा नहीं है। अगर आप चाहो तो उसके ऊपर चर्चा कम्प्लीट करा दें, इनको पढ़ा हुआ मान लिया जाए जो इन्होंने सदन के पटल पर कागज रखे हैं। उसमें कहीं बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे, आपकी चर्चा हो सकती है, आप कृपया चर्चा करा दीजिए जिससे कि शांति भी

बनी रहे सदन में और सदन में कार्यवाही सुचारू रूप से चल सके, यही मेरा आपसे निवेदन है।

श्री सभापति : माननीय सदस्यगण, मेरा निवेदन है कि मैंने यह अगला बिजनेस शुरू कर लिया, ज्यों ही ये प्रतिवेदन सदन के पटल पर रख दिये जाएंगे, उसके बाद में वापस उसको ले लेंगे। माननीय श्री युनुस खान।

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का अंकेक्षण प्रतिवेदन तथा अंकेक्षण प्रमाण-पत्र एवं 39वां वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2002-2003)

श्री यूनुस खां (यातायात मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, मैं (1) सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा 33(4) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के लेखों का 31 मार्च, 2003 को समाप्त हुए वर्ष के लिए अंकेक्षण प्रतिवेदन तथा प्रमाण-पत्र एवं

(2) सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा 35(3) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम का 39वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2002-2003 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री सभापति : श्रीमती उषा पूनिया।

राजस्थान स्टेट होटल्स कारपोरेशन लिमिटेड का 36वां वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2002-2003)

श्रीमती उषा पूनिया (पर्यटन राज्य मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, मैं कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 619-ए की उप धारा-3 के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट होटल्स कार्पोरेशन लिमिटेड का 36वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2002-2001 सदन की मेज पर रखती हूं।

श्री सभापति : समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन। श्री हरलाल सिंह खर्रा।

समिति का प्रतिवेदन

महिलाओं एवं बालकों के कल्याण सम्बन्धी समिति 2004-05 का प्रथम प्रतिवेदन

श्री हरलाल सिंह खर्रा (सभापति, महिलाओं एवं बालकों के कल्याण सम्बन्धी समिति) : माननीय सभापति जी, मैं महिलाओं एवं बालकों के कल्याण सम्बन्धी समिति, 2004-2005 के प्रथम प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

श्री सभापति : श्री समर्थ लाल।

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति 2004-05 का प्रथम प्रतिवेदन

श्री समर्थ लाल (सभापति, अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति) : सभापति महोदय, मैं अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति, 2004-2005 के प्रथम प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

श्री सभापति : विधायी कार्य। पुर:स्थापित किये जाने वाले विधेयक। श्री वीरेन्द्र मीणा, राजस्थान स्टाम्प (संशोधन) विधेयक, 2004

विधायी कार्य : विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान स्टाम्प (संशोधन) विधेयक, 2004

श्री वीरेन्द्र मीणा (वित्त राज्य मंत्री) : सभापति महोदय, मैं राजस्थान स्टाम्प (संशोधन) विधेयक, 2004 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान स्टाम्प (संशोधन) विधेयक, 2004 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई। प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित करेंगे।

श्री वीरेन्द्र मीणा : सभापित महोदय, मैं राजस्थान स्टाम्प (संशोधन) विधेयक, 2004 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री सभापति : प्रभारी मंत्री प्रक्रिया के नियम 63(1) के अन्तर्गत राजस्थान स्टाम्प (संशोधन) अध्यादेश, 2004 को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री वीरेन्द्र मीणा : सभापति महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 63(1) के

अन्तर्गत राजस्थान स्टाम्प (संशोधन) अध्यादेश, 2004 को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री सभापति : राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 2004 श्री वीरेन्द्र मीणा।

राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 2004

श्री वीरेन्द्र मीणा (वित्त राज्य मंत्री) : सभापति महोदय, मैं राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 2004 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 2004 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई। प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित करेंगे।

श्री वीरेन्द्र मीणा : सभापति महोदय, मैं राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 2004 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री सभापति : प्रभारी मंत्री प्रक्रिया के नियम 63(1) के अन्तर्गत राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) अध्यादेश, 2004 को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री वीरेन्द्र मीणा : सभापति महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 63(1) के अन्तर्गत राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) अध्यादेश, 2004 को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री सभापति : दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2004 श्री गुलाब चन्द कटारिया।

दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2004

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री) : सभापति महोदय, मैं दण्ड प्रिक्रया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2004 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2004 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर: स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई। प्रभारी मंत्री ।

विधेयक को पुर: स्थापित भी करेंगे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : सभापति महोदय, मैं दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2004 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री सभापति : राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2004 श्री घनश्याम तिवाड़ी।

राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2004

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय सभापति महोदय, मैं राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2004 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2004 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई। प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सभापति महोदय, मैं राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री सभापति : प्रभारी मंत्री प्रक्रिया के नियम 63 (1) के अन्तर्गत अध्यादेश

को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सभापति महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 63(1) के अन्तर्गत राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2004 को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री सभापति : राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2004. श्री घनश्याम तिवाड़ी।

राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2004

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री) : सभापति महोदय, मैं राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2004 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2004 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर: स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई। प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर : स्थापित करेंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सभापति महोदय, मैं राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2004 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री सभापति : प्रभारी मंत्री प्रक्रिया के नियम 63 (1) के अन्तर्गत अध्यादेश को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सभापति महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 63 (1) के अन्तर्गत राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) अध्यादेश, 2004 को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री सभापति : राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2004 श्री प्रभुलाल सैनी।

राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2004

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, मैं राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2004 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2004 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर: स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई । प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

श्री प्रभुलाल सैनी : सभापति महोदय, मैं राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2004 को पुर: स्थापित करता हूं।

श्री सभापति : राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 2004. श्री प्रताप सिंह सिंघवी।

राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 2004

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (स्वायत्त शासन राज्य मंत्री) : सभापति महोदय, आपकी आज्ञा से, मैं राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 2004 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 2004 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई। प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : सभापति महोदय, मैं राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 2004 को पुर:स्थापित करता हूं।

शासकीय वक्तव्य

(श्री हरिमोहन शर्मा)

अलवर में दिनांक 9.7.2004 को हुई मारपीट की घटना से उत्पन्न स्थिति

श्री सभापति : अलवर से आने वाले माननीय सदस्य। पाइंटेड सवाल पूछिये।

श्री जितेन्द्र सिंह (अलवर) : सभापति महोदय, बहुत शर्म की बात है, एक माननीय सदस्य ने आज जिस तरह की बात हमारे माननीय सदस्य के लिए रख दी....

श्री सभापति : आप पाइंटेड प्रश्न करिये । प्रश्न पर आइये।

श्री जितेन्द्र सिंह : मैं गृह मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि इस घटना के बाद क्या पुलिस ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आफिस के अंदर जाकर हथियार बरामद किये या नहीं, नम्बर एक?

(14:00 बजे)

नम्बर दो, घायल लोगों के सिर पर चोटें थी या नहीं थी ? अगर चोटें थीं तो उनके ऊपर 307 की कार्यवाही क्यों नहीं की गई? दुकानों के अन्दर से लोगों को, व्यापारियों को बाहर निकाला गया तो 452 की धारा क्यों नहीं लगाई गई ? कृपया इनका जवाब दें।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) : माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय गृह मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि दो घटनाक्रम हैं, एक घटनाक्रम हुआ है दिन के 12:30 बजे मोटरसाइकिल एक्सीडेंट वाला, उस घटनाक्रम की रिपोर्ट 6:30 बजे पुलिस स्टेशन पर की गई। उस एक्सीडेंट के घटनाक्रम के बाद ये लोग आर.एस.एस. के कार्यालय में गये और इन्होंने दुबारा वहां पर जाकर तैयारी की इस बात की कि ये अपराध कमिट करेगें। उस तैयारी के साथ ये लाठियां लेकर, हथियार लेकर वापस आये और बकोल आपकी इंफोर्मेशन के जो आपने सदन में रखी है, एक व्यक्ति के 18 चोटें है, एक आदमी के चार चोटें हैं, सिर पर चोट है, 452 की धारा के जो इनग्रेडिएंट्स हैं कि कोई भी आदमी अगर तैयारी करके अपराध करने की नीयत से आता है तो 452 लगेगा। मिलीभगत करके पुलिस ने उनको काबिल जमानत जुर्म बनाने के लिए 451 लगाया, यह

सरकार की और पुलिस प्रशासन की अयोग्यता और पक्षपात है। इसके साथ, 18 चोटें आने के बाद, 4 चोट आने के बाद, उनके शरीर पर जगह-जगह पर चोटें आने के बाद एक आदमी को एस.एम.एस. अस्पताल में रैफर किया गया और फिर आप 323 लगा रहे हो, फिर आप 307-बी लगा रहे हो। 307 आपने नहीं लगाया, 452 आपने नहीं लगाया, दोनों धाराएं आपने जान-बूझकर उनकी जमानत लेने के दृष्टिकोण से एक फोर्मेलिटी कर दी आपने। और फार्मेलिटी क्या कर दी कि अभी फिलहाल 107 और 151 में पकड़ लिया तो.....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप प्रश्न पूछिये।

श्री हरिमोहन शर्मा : जब 18 चोटें हैं, 4 चोटें हैं, उन्हें जयपुर रैफर किया, तो 307 पुलिस ने इसमें क्यों नहीं लगाया ? दूसरा मेरा प्रश्न है, जब आप मकान और दुकान में मारपीट करना मान रहें हैं, 451 आपने लगाया, जब वे कानूनी तैयारी करके आये, जो परिभाषा है 452 की, उसके अनुरूप 452 का जुर्म बनता है तो पुलिस ने 452 क्यों नहीं लगाया?

श्री जुबेर खान : माननीय सभापति महोदय, मेरा भी इसी से सम्बन्धित प्रश्न है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं सोचता हूं, आप इसको क्यों लम्बा कर रहें हैं?

श्री महावीर प्रसाद जैन : मेरा निवेदन है, अब क्यों लड़ाना चाहते हो? वे समझौता कर रहे हैं, आप लड़ाना चाह रहे हो। आर.एस.एस. आ गया इसमें।

श्री जुबेर खान : मैं आपकी एफ.आई.आर. से ही पूछ रहा हूं। मेरा निवेदन है, सभापति महोदय, जो गृह मंत्रीजी से वक्तव्य दिया है, उसमें यह कहा है, मैं यह जानना चाहता हूं, एक तो क्या कैलाश सैनी के सिर पर चोट लगी या नहीं लगी? और लगी तो कितने टांके आये हैं ? और उसको जयपुर रैफर किया गया था या नहीं? दूसरा मेरा निवेदन है, माननीय सभापति महोदय, मैं बड़ी शालीनता से गृह मंत्रीजी से ये कहना चाहता हूं....

श्री महावीर प्रसाद जैन : आर.एस.एस. का नाम आ गया इसलिए मजा आ रहा है।

श्री जुबेर खान : .... कि तीन घंटे के बाद, जैसा गृह मंत्रीजी ने अपने

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

वक्तव्य में कहा, पहले नेपालसिंह के साथ कैलाश सैनी वगैरह ने मारपीट की और उसके बाद में नेपाल सिंह ने जो पता दिया है, एफ.आई.आर. में जो अपना एसोसियेशन बताया है कि आर.एस.एस. जैसे संगठन की, जो सत्ता से जुड़ा हुआ है, क्या उसकी यह जिम्मेदारी बनती थी कि वह पुलिस में जाकर रिपोर्ट कराते कि हमारे साथ मारपीट हुई हैं या मांग करते सड़क पर बैठकर कि जब तक गिरफ्तार नहीं करेंगे, नहीं उठेंगे ? यह कहां की बात हुई कि सत्ता से जुड़े हुए संगठन को.......

श्री सभापति : आप पाइंटेड प्रश्न पूछिये।

श्री भवानी जोशी : ये बार-बार आर.एस.एस. का नाम लेकर गलतबयानी कर रहे हैं।

श्री जुबेर खान : ...राजस्थान की कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाता कि सत्ता से जुड़ा हुआ संगठन तीन घंटे अपने कार्यालय में मीटिंग करके मारपीट करे और पुलिस वाले बचाने आंए तो बैल्ट नम्बर पूछे, क्या इनसे न्याय मिलने की उम्मीद है ? आप, गृह मंत्रीजी, काबिल हैं, यह मैं मानता हूं क्योंकि मैंने इनको शिक्षा मंत्री के रूप में देखा है, आज आपके ऊपर सवालिया निशान है, क्या आप इनको न्याय दिला पाएंगे, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं ?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : माननीय सभापति महोदय, अपराधी की न तो पार्टी होती है न कोई जात होती है, चाहे वह आर.एस.एस. के हों चाहे और किसी पार्टी के हो, अपराध करेंगे तो उनको न्याय के तहत निश्चित रूप से दण्ड मिलेगा। और इसकी मैंने पूरी कोशिश की है, मैंने इसमें कोई बात नहीं छिपाई है। चूंकि उन्होंने अपनी एफ.आई.आर. में ही जो एड्रेस लिखा, अपनी एफ.आई.आर. में स्वयं उन्होंने आर.एस.एस. के कार्यालय का एड्रेस लिखा, वह पढ़ा, इसमें कोई एतराज नहीं है। मैंने डाक्यूमेंट के अलावा कोई चीज अपनी तरफ से नहीं जोड़ी। 151 में जो गिरफ्तार किया, वह एक दूसरे दिन का केस था, जिस दिन उनको मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा था तो वहां उनके और 2-3 साथी मिले, उन्होंने पुलिस को जिस प्रकार के शब्द कहे कि हम मार देंगे, उसके कारण से वह अलग केस बनाया। 151 के तहत उनको गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया और वहां उनकी जमानत हुई, वह अलग है। ये दोनों केस अलग-अलग अभी भी हैं और दोनों ही बेलेवल है। सवाल यह है कि इसमें जो 18 चोटें हैं, मेडिकल है, मेडिकल में केवल एक चोट है जिसमें उसका फ्रैक्चर बताया है, वह

(श्री विष्णु मोदी)

इसमें निश्चित रूप से है। इसी तरह से जैसे 18 चोटें इसके हैं, वैसे ही उसके भी 10 चोटें हैं, उसका भी मेडिकल है। एक जो दूसरा व्यक्ति उसके साथ था, उसके दो चोटें हैं। एक राजकुमार है उसकों 18 चोटें हैं। एक उसका भाई है उसके चार चोटें हैं। मैंने कोई चीज इसमें छिपाने की कोशिश नहीं की।

मैं आपको अब भी विश्वास दिलाता हूं कि कानून के तहत अगर इस रिपोर्ट के आधार पर उसका कोई दोष बनेगा तो मैं उनको दुबारा देखूंगा और देखने के बाद मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कानून से ऊपर न आर.एस.एस. है, न कांग्रेस है, जो अपराध करेगा, उसे निश्चित रूप से सज़ा मिलेगी, इसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं होगी।

श्री सभापति : धन्यवाद। परिवर्तित आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2004-2005 पर सामान्य वाद-विवाद। श्री विष्णु मोदी।

श्री जितेन्द्र सिंह : माननीय सभापति महोदय, हम सब स्वागत करते हैं उनके जवाब का, लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, जब उनके चोट ही बता रहे थे, कम चोटें आई थीं तो उनको जयपुर रैफर क्यों किया गया ? अलवर अस्पताल में उनका इलाज क्यों नहीं कराया गया ? जयपुर उनको क्यों रैफर किया ?

श्री सभापति : माननीय विष्णु मोदी ।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री विष्णु मोदी (मसूदा) : सभापति महोदय, मैं आज मैडम चीफ मिनिस्टर ने बजट पैश किया है, उसके समर्थन में यहां खड़ा हुआ हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं बजट को यह कहूं कि यह सम्पूर्ण बजट है, मैं अगर यह कहूं कि राजस्थान के इतिहास में ऐसा अभूतपूर्व बजट पहले कभी नहीं आया। सभापति महोदय, मैं जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं सन् 1952 से लेकर 1980 तक, 1981 से 2001 तक और 2001 के बजट के बाद में 2002 व 2003 के बजट को पढ़कर, उनका अध्ययन करने के बाद में यह बात कहने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं कि यह बजट एक अदभुत बजट है, एक ऐतिहासिक बजट है। आज 52 साल के इतिहास

(श्री विष्णु मोदी)

में सरकारें आती रही हैं, जाती रही हैं, वित्त मंत्री , मुख्य मंत्री बजट पढ़ते रहे हैं, लेकिन जो बजट माननीय वसुन्धराजी ने पढ़ा और जिस बजट में उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं तय की हैं, यह पहला मौका है कि उन्होंने छह प्राथमिकताएं तय की हैं। और वे भी कौन-सी प्राथमिकताएं हैं ?

माननीय सभापति महोदय, यह मात्र एक बजट नहीं है, यह एक दस्तावेज है जिसमें माननीय मुख्य मंत्रीजी इस राजस्थान का एक ड्रीम पेपर बनाकर लाई हैं। मुख्य मंत्रीजी राजस्थान में जब अध्यक्ष बनकर आई तो उन्होंने परिवर्तन यात्रा निकाली और उस परिवर्तन यात्रा के माध्यम से वे राजस्थान के कोने-कोने में गईं और राजस्थान के कोने-कोने में जाने के बाद में वहां सिर्फ उन्होंने भाषण ही नहीं किये, वहां अपनी पूरी टीम के साथ गईं। जहां पर जो-जो समस्याएं थीं, उसका उन्होंने एक दस्तावेज बनाया। वह दस्तावेज बनाने के बाद में उन्होंने परिकल्पना की कि जब मैं राजस्थान की मुख्य मंत्री बनूंगी तब मैं इस राजस्थान को, मुझे याद आता है, वे गोवा में एक मीटिंग में गईं और गोवा में मीटिंग में जब उनसे प्रश्न पूछा गया कि राजस्थान तो बहुत पिछड़ा हुआ है, राजस्थान की तो माली हालत बहुत खराब है, राजस्थान की साख बहुत खराब है, तो उन्होंने कहा कि राजस्थान एक आन और शान का प्रदेश है और राजस्थान का आदमी यह कभी नहीं चाहेगा कि वह कटोरा हाथ में लेकर भीख मांगे। राजस्थान का आदमी अपनी आन और शान से जीना चाहता है। उसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने अपना एक ड्रीम पेपर बनाया। ड्रीम पेपर बनाया इस पिछड़े हुए प्रदेश का जिसमें दो तिहाई हिस्सा मरूस्थल है, पहाड़ी क्षेत्र है, एक हजार किलोमीटर से ज्यादा अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ा हुआ प्रदेश है, बारिश की कमी होती है, अकाल पड़ते रहते हैं और इण्डस्ट्रीज में कोई बहुत बड़ा इनवैस्टमेंट पिछले कुछ वर्षों से नहीं आ पाया है। तो उन्होंने अपना एक ड्रीम पेपर तैयार किया, और ड्रीम पेपर तैयार करके अभी रावी-सतलुज-व्यास का जिस तरह से इश्यू बना और उन्होंने एक सर्वदलीय मीटिंग बुलाई, उसी तरह सब की राय एक कर उन्होंने यह दर्शाया कि मैं सब की राय से, सभी लोगों को साथ लेकर राजस्थान का विकास करना चाहती हूं, राजस्थान को आगे बढ़ाना चाहती हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैंने पिछले तीन दिन से इन सब बजटों को पढ़ा है, कहीं-कहीं कुछ देखने को भी मिला, लेकिन जो माननीय मुख्य मंत्री ने अपनी छह प्रायोरिटीज बनाइ– दरिद्रता, कुपोषण और भूख से मुक्ति, मैं समझता हूं कि किसी

प्रदेश में अगर इस तरह की बातें होगीं तो वह आगे किस प्रकार से बढ़ सकेगा ? तो जो बेसिक चीज थी उसमें उन्होंने अपना मन्तव्य सारा कहा। मैं कोई रिपीटीशन नहीं करना चाहता, मैं कोई आंकड़ों के भ्रमजाल में आपकों नहीं डालना चाहता क्योंकि यह सब कुछ इस दस्तावेज में लिखा हुआ है। दूसरा उन्होंने अशक्त और महिलाओं को सम्बल बनाने का कहा। आधे से ज्यादा जनसंख्या महिलाओं की हो और उन पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाए तो मैं समझता हूं कि कोई भी प्रदेश आगे नहीं बढ़ सकता। मानव संसाधन विकास व सामाजिक आधारभूत सुविधाओं में वृद्धि। रोजगार सृजन तथा प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण, अच्छा शासन व राजकोषीय सुधार तथा आर्थिक आधारभूत सुविधाओं का विकास।

माननीय सभापति महोदय, मैं कल से इस बजट पर सभी लोगों के भाषण सुन रहा था, पूर्व वित्त मंत्रीजी भी बोल रहे थे, लेकिन मुझे लगा कि किसी के पास इस बजट के ऊपर न तो कुछ कहने के लिए है, न प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए है और जो मात्र एक औपचारिकता पूरी करनी है, वह औपचारिकता पूरी की गयी है, मुझे लगा हो। सकता है मैं गलत हूं, मेरा ज्ञान भी बहुत सीमित है...(व्यवधान) मेरा ज्ञान भी बहुत सीमित है, यहां मेरे से बहुत बड़े-बड़े विद्वान लोग हैं....(व्यवधान)

श्री संयम लोढा : आपके पास तो समय की दृष्टि है तब समय से पहले ही पाला छोड़ कर उधर चले गये, आपको भविष्य भी दिखता है।

श्री ओम बिरला : आप भी हो सकते हैं, आ जाओ। आप भी आ जाओ।

श्री विष्णु मोदी : माननीय सभापति महोदय, सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य की...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, व्यवधान पैदा न करें।

श्री विष्णु मोदी : बात पर मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि मैं और मेरा परिवार, वह शायद पैदा भी नहीं हुए होंगे उससे पहले से कांग्रेस में रहा है और कांग्रेस में मैं भी रहा हूं, लेकिन जब वह कांग्रेस, कांग्रेस नहीं रही जिस कांग्रेस के सिद्धांतों पर कांग्रेस बनी थी, तब मैंने कांग्रेस छोड़ी।

श्री टीकमचन्द कान्त : रियासतें खतम हो गई...

प्रो. बीरूसिंह राठौड़ : सभापति महोदय, कांग्रेस पर एक इकोनोमिक्स का सिद्धांत लागू होता है, बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को बाजार से बाहर कर देती है। तो कांग्रेस की यह स्थिति है और उसमें सारी की सारी बुरी मुद्रा आ गई हैं।

श्री विष्णु मोदी : माननीय सभापति महोदय, यह बजट रिफार्म का बजट है, इसमें जितने रिफार्म मुख्य मंत्री जी ने करने की कोशिश की है, मैं समझता हूं कि शायद आज से पहले राजस्थान में कभी कोशिश भी नहीं हुई। ट्रांसपेरेंट है, जो कुछ भी वह करना चाहती हैं, जिस तरह से वह राजस्थान को आगे ले जाना चाहती हैं वह सब कुछ इसमें है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह एक ड्रीम बजट है। जैसे मैंने ड्रीम विजन की बात कही, वह डाक्यूमेंट है और, माननीय सभापति महोदय, इन्क्लूसिव है। मैंने इसको बार-बार पढ़ा और मुझे लगा कि कहीं कोई बात छूट गई हो तो मैं अपने सुझाव के रूप में सरकार को कहूं, लेकिन मुझे बार-बार पढ़ने के बावजूद भी इसमें कोई ऐसी बात नहीं लगी कि वह छूट गई हो तो मैं यह कहूं। यह इन्क्लूसिव है, वास्तव में इन्क्लूसिव है।

माननीय सभापति महोदय, जिस तरह से राजस्थान की, मैं थोड़ा-सा परिप्रेक्ष्य में जाना चाहता हूं, मैं भली-भांति जानता हूं कि मैं बजट की चर्चा पर खड़ा हुआ हूं तो मुझे यह ज्ञान देने की कतई किसी को आवश्यकता नहीं है कि मैं बजट पर बोलूं। सन् 1998 में तत्कालीन मुख्य मंत्री भैरोंसिंहजी की सरकार चली गई और कांग्रेस की सरकार आई। पांच साल हमने, शुरू-शुरू में जब सरकार आई तो यह अखबारों में, विधान सभा में विवाद का विषय भी बना कि मुख्य मंत्रीजी ने अपना घोषणा पत्र मुख्य सचिव को और सारे सचिवों को भेजा है। माननीय सभापति महोदय, इतना ही नहीं, जो पहला बजट माननीय चन्दनमलजी बैद ने 26 मार्च, 1999 को पेश किया उसमें भी वह कहते हैं, पहले कांग्रेस के द्वारा जारी किये गये घोषणा पत्र के आधार पर वे राज्य सरकार का संचालन करेंगे। अखबारों में भी चर्चा हुई कि यह चीफ सैक्रेटरी को भेजना और सैक्रेटरीज को भेजना वाजिब है कि नहीं है। मैंने भी सन् 1998 का चुनाव....

श्री टीकमचन्द कान्त : सभापति महोदय, मोबाइल बज रहा है, बदं कराओ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : नहीं, जब्त करने की बात है।

श्री ओम बिरला : मोबाइल पर तो स्ट्रिक्ट होना चाहिए बहुत ज्यादा यहां पर ऐसा यंत्र लगना चाहिए जो पार्लियामेंट में हैं।

(श्री विष्णु मोदी)

श्री सभापति : बार-बार अध्यक्ष महोदय की हिदायत के बाद भी यह मोबाइल बज रहा है जो अच्छी बात नहीं है। मैं पुन: आपसे निवेदन कर रहा हूं कि अगर मोबाइल की घंटी बजी तो स्वेच्छा से यहां लाकर सदन के पटल पर रख दें वह। (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : माननीय सभापति महोदय, उस वक्त के माननीय वित्त मंत्रीजी ने कहा कि यह सरकार हमारे मेनिफेस्टो के आधार पर चलेगी। मैंने 1998 का चुनाव कांग्रेस के टिकट पर लड़ा था तो मेरे पास मेनिफेस्टो था और वह मेनिफेस्टो सब को पढ़-पढ़ कर और खूब दिखा-दिखा कर हर मीटिंग में हम कहते थे कि हमने ये वायदे किये हैं, आप हमें वोट दीजिये और आप देखेगें, कल आदरणीय चपलोत साहब बोल रहे थे, वह ठीक ही बोल रहे थे कि उन्होंने सब झूठे वायदे किए हैं। यह एक-एक पन्ना मैंने सारा इसको अन्डरलाइन कर रखा है, पढ़कर सुनाऊंगा तो भारी तकलीफ होगी।

श्री बाबूसिंह राठौड़ : वह लखाबतजी के जिम्में दे दिया है। लखाबतजी के जिम्में दे दिया है घोषणा-पत्र।

श्री विष्णु मोदी : लखाबतजी कोई हैडमास्टर हैं क्या?

श्री बाबूसिंह राठौड़ : हां।

श्री विष्णु मोदी : मैं नहीं जानता कब से घोषणा-पत्र के पोलिटिकल पार्टीज को वह नम्बर देंगे। तो, माननीय सभापति महोदय, इन्होंने पहले चुनाव में सिर्फ झूठे वायदे किये कि नौकरी देंगे, बिजली देंगे, अच्छा शासन चलाएंगे। शासन में आते ही यह तो कह दिया कि मेनिफेस्टो से चलाएंगे लेकिन सबसे पहले कहते हैं, राज्य की जिस आर्थिक स्थिति में हमने पुन: शासन की बागडोर सम्भाली है वह अत्यन्त कठिन है, हमने जब शासन छोड़ा था उस समय इतना कर्जा था जो इतना कर्जा हो गया और राज्य की वर्तमान आर्थिक वित्तीय स्थिति से जनता को अवगत कराने की दृष्टि से राज्य की आर्थिक स्थिति पर एक श्वेत पत्र जारी करेंगे। माननीय सभापति महोदय, पिछले पांच साल में इस राजस्थान राज्य की अर्थव्यवस्था से जिस प्रकार का खिलवाड़ किया गया, जिस तरह का कुशासन दिया गया यहां, उसी की परिणति थी कि परिवर्तन यात्रा के बाद में विधान सभा के चुनाव में 4 सितम्बर को, मैंने तो

(श्री विष्णु मोदी)

अखबारों से, टी.वी. से यह भी सुना था कि सरकार बनाने की तैयारी थी और दिल्ली से उनके एक महासचिव भी यहां पहुंच चुकी थी, लेकिन ग्यारह-साढे ग्यारह बजे आते-आते तक जब वसुन्धराजी त्रिपुर सुन्दरी के मंदिर में पूजा कर रही थीं। पूजा करने से पहले उन्होंने कहा था कि मेरी पूजा पूरी नहीं हो जाती तब तक मुझे डिस्टर्ब नहीं करना, लेकिन वहां के जो मुख्य पुजारी थे उन्होंने जब टेलीविजन पर देखा तो उनकी पूजा के बीच में घंटा बजाकर कहा कि महारानीजी एक सौ के ऊपर आप पार कर चुकी हैं। तो, माननीय सभापति महोदय, मैं अपने पुराने साथियों को इस मौके पर एक ही सलाह देना चाहता हूं, वो सलाह यह है कि पांच साल जो आपने किया और अभी सात महीने में भी बिलकुल वास्तव में देखा जाए तो विधान सभा का आज दूसरा दिन है, आपको दो महीने में ही स्कूल नहीं खुलने की तकलीफ हो गयी और 12 दिन का आप हिसाब मांगने लगे कल कि आपने 12 दिन में क्या किया रावी, ब्यास, सतलुज के लिए। आदरणीय प्रतिपक्ष के नेता तो इंदिरा गांधी कैनाल के ऊपर पैट्रोलिंग करने की सलाह दे रहे थे। आप जब पांच साल राज में थे तो आपने क्या किया ? तो मैं यही कहना चाहूंगा कि वसुन्धराजी के मुख्यमंत्री बनने के बाद लोक सभा चुनाव की घोषणा हो गयी और लोक सभा के चुनाव आ गये, इस कारण अब उन्होंने अपना बजट प्रस्तुत करके बता दिया कि मैं क्या करना चाहती हूं। माननीय सभापति महोदय, उन्होंने एक बार भी मुख्यमंत्री बनने के बाद में और यहां इस बजट डाक्यूमेंट में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं किया कि इन्होंने आर्थिक स्थिति किस स्थिति में लाकर छोड़ी थी, उस कर्जे की दुहाई देने वाले कि कितना कर्जा छोड़ा था। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं राजस्थान आन, बान और शान का प्रदेश है, मेरी जो भी स्थिति होगी मैं कहीं से भी संसाधन जुटाऊंगी, मैं कहीं से भी कोई भी व्यवस्था करूंगी। मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ, कल जब पूर्व वित्त मंत्री कह रह थे कि आपके फाइनेंसेज ठीक हो गये। फाइनेंसेज को ठीक करने की कोशिश की है इसलिए हो गये। आपने तो कोशिश भी नहीं की। यह जो ड्रीम बजट बनाकर।

श्री महावीर प्रसाद जैन : इन्होंने क्या कोशिश की वो कल बताई थी न।

श्री विष्णु मोदी : हां, कोशिश यह की कि चुनाव के ठीक दो महीने पहले, तीन महीने पहले कम से कम एक हजार करोड़ से ऊपर कुछ चुनिंदा लोगों को कनेक्शन दिये। उसका विवरण कल जो सदन के पटल पर रखा जा रहा था, तो मैं जिक्र करने की कोशिश कर रहा था। तो यह किया। माननीय सभापति महोदय, जब

कोई भी वित्त मंत्री बजट बनाता है तो उस पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं होती हैं, जैसे अभी माननीय चिदम्बरमजी ने यूनियन बजट पेश किया तो कोई उसे सेन्टर्ड टू लैफ्ट कहता है तो कोई सेन्टर्ड टू राइट कहता है। कोई उन्होंने 2 प्रतिशत टर्न ओवर टैक्स लगाया उसको रोल बैंक कह रहा है। उन्होंने एफ.डी.आइज. को जो कुछ लिमिट बढ़ाने की बात कही, उसके ऊपर येचुरी साहब ने आकर टीवी पर कहा कि अगर आपको गलतफहमी हो तो You should know the numbers, what numbers you have. And we will never allow you to do this.

माननीय सभापति महोदय, जब कोई भी वित्त मंत्री बजट बनाता है तो उसके सामने एक डैलीकेट लाइन ड्रा करने की स्थिति होती है, लेकिन मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं कि माननीय वसुन्धराजी ने जो बजट बनाया वो प्रो-पूअर है, वो प्रो-फार्मर है, किसान का बजट है, वो गरीब का बजट है, वो महिलाओं का बजट है, वो प्रायोरिटीज बनाकर राजस्थान के विकास करने का बजट है। वो कनक्लूसिव है। और सब तरह के लोगों को कुछ न कुछ राहत और रिफार्म बजट तो है ही। वसुन्धराजी ने यह कभी नहीं कहा कि आप ये वित्तीय परिस्थितियां छोड़ गये थे, आप इतना कर्जा छोड़ गये थे। उन्होंने तो वो किया, माननीय सभापति महोदय, जब कभी समुद्र में तूफान आता है तो जो किश्तियां होती हैं, जो जहाज होते हैं उनके लंगर डाल दिये जाते हैं, लेकिन वसुन्धराजी ने कहा कि मांझी से कह दो कि लंगर उठा दे। समुद्र में तूफान आ रहा था तो जो मांझी लंगर डाल रहा था उससे कहा, मांझी से कह दो कि लंगर उठा दे, हमें इस तूफां का जहद जद्द देखना है, इस तूफान में कितनी ताकत है वो देखना है। उन्होंने यह नहीं कहा कि आप इतने हजार करोड़ रुपयों का कर्जा छोड़ गये। क्या किया आपने पंचायती राज संस्थाओं के साथ ? बड़े फख्र के साथ कहते हैं कि कांग्रेस ने कास्टीट्यूशन अमेंड किया। और नगरपालिकाओं और पंचायती राज संस्थाओं को अधिकार देने की बात कही थी। आपने जब 6 महीने रह गये चुनाव के, जब लगा कि दिल्ली से आपको डर लग रहा है तब आपने एकदम से न सोचा न समझा और सब कुछ ट्रांसफर कर दिया, ऐसी स्थिति में राजस्थान की..

श्री श्रवण कुमार : आप लोग मत कर देना।

श्री विष्णु मोदी : हम लोग जो करेंगे वो तो आप तसल्ली रखो। वसुन्धराजी जब प्रदेशाध्यक्ष बन कर आयी थीं तो तीनों उप चुनाव हारे थे, राजस्थान की लैंथ में हारे थे एक अलवर में हारे थे बानसूर का, एक बाली में हारे थे, तीसरा सागवाड़ा में, तब उन्होंने कहा था कि यह तो ट्रेलर है, फिल्म दिखाना बाकी है। यह आप याद करिये उस

वक्त की बात कि यह तो ट्रेलर है, फिल्म दिखाना बाकी है। तो अभी तो आप…

श्री जुबेर खान : वो ट्रेलर देखकर गये थे क्या आप?

श्री विष्णु मोदी : मान्यवर, मैं तो इसलिए गया था …

श्री श्रवण कुमार : वो ट्रेलर चला तब कांग्रेस में थे आप।

श्री कालूलाल गुर्जर : इनको मालूम था कि कांग्रेस अब चलने वाली नहीं है।

श्री श्रवण कुमार : मोदीजी, कांग्रेस को तो, हमें तो अपनों ने ही मारा गैरों में कहां दम था। मेरी नाव तो वहां डूबी जहां पानी भी कम था। हमें तो अपनों ने ही मारा है, जब पचास साल से आप खुद कह रहे हैं कि मेरा परिवार कांग्रेस में था और अचानक छोड़ कर चले गये।

श्री विष्णु मोदी : आज भी है मेरे अलावा मेरा परिवार आज भी आपकी पार्टी में बैठा हुआ है, लेकिन मेरा जमीर गंवारा नहीं किया कि मैं इस भ्रष्टाचार के साथ रहूं। मेरे जमीर ने मुझे कहा कि ये नहीं। आंख बंद करने के लिए मेरे को मेरे दिल ने मजबूर नहीं किया। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : मोदीजी, एक मिनट।

श्री सभापति : माननीय श्रवणजी।

श्री कालूलाल गुर्जर : माननीय सदस्य, मोदीजी कह रहे हैं कि मत पूछो कि किस-किस ने धोखे दिये, वरना अपनों के ही चेहरे उतर जाएंगे।

श्री राकेश मेघवाल : अभी वो मोदीजी पूरी कांग्रेस की पचास साल की पोल खोल देंगे इसलिए इनको सुनो, धैर्य रखो और सुनो।

श्री श्रवण कुमार : मोदीजी, एक बात सुनो, हम दोनों जब साथ-साथ चलते हैं तो लोग हमारे लिए रास्ता तक छोड़ देते हैं और कांग्रेस तो वो पार्टी है जो आंधी और तूफान चिराग में बदल जाता है।

श्री कालूलाल गुर्जर : आपके चेहरे उतर जाएंगे मोदीजी बोलेंगे तो।.. (व्यवधान)

(श्री विष्णु मोदी)

श्री राकेश मेघवाल : मोदीजी को एक-एक चीज का पता है इसलिए पोल मत खुलवाओ। आप शांति से मोदीजी के भाषण को सुनिये। ...(व्यवधान)

श्री भंवरू खान : इनको मंत्री बना दो सब ठीक हो जाएगा।

श्री मोहन लाल गुप्ता : ये सी.पी. जोशीजी कैसे बैठे हैं, पता नहीं। बुद्धिजीवी रह नहीं सकते आपके यहां, बुद्धिजीवी तो हमारे यहां आते हैं।

श्री सभापति : गुप्ताजी, बैठिये। आप बोलिये।

श्री विष्णु मोदी : माननीय सभापति महोदय, मुझे खुशी है कि कुछ प्रतिपक्ष के मेरे साथी मेरी बात से सहमत हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पुरानी यादें भी ताजा हो रही हैं।

श्री विष्णु मोदी : हां, पुरानी यादें भी ताजा हो रही हैं तो मैं उनका वास्तव में शुक्रगुजार हूं।

माननीय सभापति महोदय, जितना सरलीकरण टैक्स का इस बजट के माध्यम से किया गया है, वो शायद कोई सोच भी नहीं सकता था। क्या स्थिति बना रखी थी। एन्ट्री टैक्स, टर्न ओवर टैक्स, सरचार्ज और फिर ये स्लैब वो स्लैब, फार्म ए, फार्म बी, फार्म सी और फोर्टीन, फिफ्टीन, सिक्सटीन पता नहीं क्या जंजाल बना रखा था। तो इस बजट को अगर हम कहें कि यह सरलीकरण का बजट है, सब झंझट खतम। जो सबसे ज्यादा टैक्स दे रहा है उसको गोल्डन टोकन और सब तरह के झंझट, स्लैब के झंझट भी खतम। ईवन इन्ट्रैस्ट रेट घटा दी। मैं समझ नहीं पाया कि इस बजट के ऊपर क्या कोई प्रतिक्रिया दे सकता है। न यह सेंटर से लैफ्ट है न यह सेन्टर से राइट है न इसमें ऐसी कोई बातें हैं, बल्कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह कहा है कि अगर और भी कोई सुविधाएं देने की बात आई बजट बहस के दौरान तो एप्रोप्रियेशन बिल के वक्त मैं उन सब बातों को भी ध्यान में रखूंगी। She has not compromised on anything. कि कहीं वित्तीय स्थिति को देखते हुए, कर्जे की स्थिति को देखते हुए, उन्होंने जयपुर के लिए कहा कि नहीं, ये तो बुलियन मंडी बन कर रहेगी। कपड़ा व्यापार के ऊपर जो परेशानी थी उसको हटाया। कांग्रेस सरकार ने क्या किया ? कि चुनाव आये तो भरतपुर से आने वाले हमारे विजय बंसल साहब जानते होंगे कि खल पर

(श्री विष्णु मोदी)

जो टैक्स लगाया था उसको थोड़े दिन डैफर कर दिया। वसुन्धराजी ने आफिस में बैठते ही सबसे पहला जो निर्णय किया वह यह किया, उन्होंने कहा कि नहीं, अभी इसको डैफर करो, बजट में देखेंगे, उन्होंने उसे समाप्त कर दिया। इसमें इतरी सारी बातें हैं कि न उन्होंने कोई कम्प्रोमाइज किया, न यह सेंटर से लैफ्ट है, न सेंटर से राइट है, न फारवर्ड है, न बैकवर्ड है। यह इनफैक्ट कमप्लीट विजन डाक्यूमेंट है। मैं तो अगर कहूं कि यह वह सीढ़ी है जिस सीढ़ी से चढ़कर इस राजस्थान को मरू प्रदेश, बीमारू प्रदेश, रुग्ण प्रदेश, पिछड़ा हुआ प्रदेश इन सबसे निजात दिलानी पड़ेगी, उसकी यह सीढ़ी है। (व्यवधान) सभापति महोदय, not only this, it shows a clear-cut road map. यह रोड मैप दिखाता है कि राजस्थान को किस तरह इन सब परेशानियों से निकाल कर एक विकसित प्रदेश के रूप में खड़ा किया जा सकता है। यह रोड मैप कि किस तरह से गरीबी हटेगी, किस तरह से प्रोसपरस होगा।

श्री सभापति : आप कनक्लूड करें।

श्री विष्णु मोदी : सभापति महोदय, स्कूल में जब घंटी बजती थी तो मैं एकदम से बस्ता उठाकर भाग जाता था, तो आप कृपा करके यह घंटी नहीं बजाएं, मैं अपने आप ही कनक्लूड कर लूंगा।

श्री सभापति : आपकी विद्वता पर किसी को शक नहीं है, आप अच्छा बोल रहे हैं, मानते हैं, पर दूसरे माननीय सदस्य भी हैं जिनको बोलना है।

श्री विष्णु मोदी : अच्छा, मैं जल्दी करूंगा, लेकिन आप प्लीज घंटी मत बजाना। माननीय सभापति महोदय, जब बजट पेश हुआ तो प्रतिक्रियाएं मैंने टी.वी. पर देखीं, अखबारों में भी पढ़ी। सबसे पहले मैंने जो नंबर वन। मुख्य मंत्री देश के कहलाये जाते थे, number one amongst all the chief ministers in the country, उनकी प्रतिक्रिया देखी। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को इस बजट से निराशा हाथ लगी। मुझे बड़ा अचम्भा हुआ कि कर्मचारियों को, मुझे ध्यान आया कि शहद जैसा मीठा, हंस जैसा सफेद, कौवे जैसा काला और पिछली गहलोत सरकार जैसी कर्मचारी विरोधी सरकार इसमें तो किसी को कोई शक होना ही नहीं चाहिये।

दूसरी प्रतिक्रिया पढ़ने को मिली श्रीमान कल्ला साहब की कि यह तो साधारण बजट है। असाधारण बजट कौन-सा होता ? आपने इसको समझने की ही

(श्री विष्णु मोदी)

कोशिश नहीं की। आपने यही जानकारी करने की कोशिश नहीं की कि यह क्या है। (व्यवधान) मैं प्रतिक्रिया बता रहा हूं। जो आपके नेता हैं, शायद आप नहीं मानते होंगे क्योंकि आप तो डिवाइडेड हैं, लेकिन फिर भी दिल्ली से तो वही है आपके नेता। दिल्ली से भेजे हुए नेता तो आदरणीय कल्ला साहब ही हैं, आप भले मानें या नहीं मानें। दिल्ली की बात तो आपको माननी ही पड़ेगी। उन्होंने कहा कि साधारण है। कैसे साधारण है ? कोई टैक्स नहीं, इसमें सब चीजों का सरलीकरण किया गया। माननीय सभापति महोदय, मैंने खुद ने जितनी बार इस डाक्यूमेंट को पढ़ा, खेल का जिक्र आया तो मैडम ने डेढ़ करोड़ से साढ़े सात करोड़ कर दिया। कस्तूरबा गांधी आवास विद्यालय खोलने की बात की, प्राइवेट सैक्टर से डवलपमेंट करने की बात की, विधवाओं और परित्यक्ताओं के लिये नौकरी में आरक्षण की बात की , सड़क निधि कोष बनाने की बात की। और सबसे बड़ी बात, स्माल मीडियम इर्रिगेशन प्रोजेक्ट्स को पांच साल में पूरा करने की बात की। माननीय सभापति महोदय, मैं मसूदा से चुनकर आया हूं। मसूदा जब मैं चुनाव लड़ने गया तो मैंने वहां देखा कि पीने के पानी की कितनी किल्लत है। पहले बजट में बैद जी ने, और बाद में निरन्तर चारों बजट में यह बात आई कि जो फ्लोराइड से ग्रस्त गांव हैं उनमें हम प्राथमिकता से पानी देंगे। मसूदा विधान सभा क्षेत्र करीब-करीब सम्पूर्ण फ्लोराइड ग्रस्त है और वहां पर पिछले पांच साल में चार बार पाइपों का पूजन कर दिया गया कि अब इस पाइप लाइन से बीसलपुर का पानी आएगा, एक बार नहीं चार बार। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्री जी को कि उन्होंने दिसम्बर, 2005 में भिनाय और मसूदा फ्लोराइड युक्त गांवों को बीसलपुर के पानी से जोड़ने की बात की और खाली जोड़ने की बात नहीं की है, 26 करोड़ का अलाटमेंट कर दिया।

माननीय सभापति महोदय, मैं कनक्लूड करूं उससे पहले दो बार कल भी और पहले भी जिस दिन हमने संकल्प पारित किया, रावी, व्यास, सतलुज के बारे में बहुत कुछ कहा गया है, लेकिन अभी जो हाल में पंजाब ने किया वह बहुत रेलेवेंट है।

The entire nation is watching the actions of Amrinder Singh, the Chief Minister of Punjab. There are numerous debates in the various State Legislative Assemblies, Parliament as well as many other forums. His leadership is under threat from within his own party. This Congress has lost complete ground in the State of Punjab. In such circumstances, he is trying to create an external enemy to ease his Internal threat. So he wants to create an external enemy problems, his through Rajasthan and Haryana. Who is this

external enemy, I want to quote Mr. B.K. Nehru. Mr. B.K. Nehru was an I.C.S. officer.

जब हिन्दुस्तान और पाकिस्तान बन गये तो कई मसले थे जो नहीं सुलझे थे। उन मसलों को सुलझाने के लिये न्यूयार्क में वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में कुछ फैसले हुए। उस वक्त का एक नैरेशन मिस्टर बी.के. नेहरू ने एक्टरनल एनीमी के बारे में लिखा है, and I quote :

"As I had nothing to do with the stores, I took no part in the negotiations but spent my time visiting my friends who are many. I stayed with Ameenuddin."

Mr. Ameenuddin was also an I.C.S. officer and he was a principal Secretary of Pakistan.

"I used to read Muslim League (and therefore official) newspaper awn whose function it had been in Delhi and whose function it continued to be in Karachi to abuse India and the Hindus without rhyme or reason in the most vituperative language. Every morning my blood boiled at the false charges about persecution of the Musims and of all kinds of meanners and trickry Hindus and the Government of Bharat."

"I asked Mohammad Ali, the then Cabinet Secretary of Pakistan." Mr. Nehru asked the Cabinet Secretary of Pakistan. Why he was doing this. He knew those charges were false. Nothing of the kind was happening. His answer was as simple and as straightforward as the man himself. Of course, the news and the charges printed in Dawn ware false. But this was necessary to build a new nation of Pakistan. The peoples of Pakistan were diverse. There was nothing to bind them together except religion. They could be external enemy. Hindus and India provided a readymade one. I asked, how long would Pakistan need this entered enemy how long would it take to consolidate the nation. 5 years, he said. "(This conversation took place 48 years ago. The need for an external enemy, however, still continues.)" तो माननीय सभापति महोदय, जो माननीय अमरिन्दर सिंह साहब हैं, अपनी परेशानी के कारण वे परिस्थितियां पैदा कर रहे हैं। Hon'ble Chairman, Sir, are we to believe that the Karnataka and Tamilnadu water issue and the Ravi-Beas issue suddenly happened as a mere coincidence as soon as the Congress came to power under its current leadership ? Let me make the House aware that for petty political interests if we are going to place the delicate federal structure…

माननीय सभापति महोदय, हमारा जो यूनियन आफ इण्डिया, जो हमारा देश बना हुआ है यह बहुत डैलिकेट फैडरल स्ट्रक्चर का है, …. delicate federal structure at stake? Hon'ble Chairman, Sir, India is a very vast country with so many cultural diversity that we may not realise today how damaging, destructive and

(श्री विष्णु मोदी)

shortsighted this act of Punjab Government may be. If the Congress has decided that it must destroy every constitutional institution in the country, then it is a different story. Let us take the office of the prime Minister for an example.

श्री राजेन्द्र राठौड़ : क्यों, है न बुद्धिजीवियों का मामला ?

श्री हरिमोहन शर्मा : हम पहले इधर से सुनते थे अब उधर से सुन रहे हैं, इसमें दिक्कत क्या है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कुछ समझ में आया कि नहीं, यह आंग्ल भाषा का प्रयोग धड़ाधड़ चल रहा है?

श्री हरिमोहन शर्मा : हम तो उनकी सुनते ही रहे हैं। पहले इधर से सुनते थे, अब उधर से सुन लेंगे। (व्यवधान)

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री विष्णु मोदी : दो मिनट. The founder of our Constitution and the spirit of our democracy was to have a person in the Prime Minister's chair behind whom the whole country rallies and elects as a leader. Of course, we can have Dr. Manmohan Singh in the chair. I have the highest regards for Dr. Singh and his contribution to the Indian economy, but I fail to accept that the people who had a vision of creating the world's largest democracy did not have in their minds that the congres of today wild Instate chair somebody who has never won any election. It has been only 40 days since the new government has sworn-in in New Delhi and their treatment of the Governors of some States was as if they were dealing with people on daily wages. When I think about this ,I realize that this is the very party that even tried to destroy the very word democracy from our country in 1975. This was also indeed the party who tried to interfere in the judiciary and their appointments.

Hon'ble Chairman, Sir, the point I am trying to make is there are many unwritten, unspoken laws and feelings that we Indians abide by. So many times in our political lives and otherwise.

We are faced with a question 'Can I or Can I not' and the other questions 'Should I or should I not'. I leave it to the House and its hon'ble members and their inner voice to decide which voice they want to hear. Let us not for any interest meddle with these institutions as the results could be disastrous.

माननीय सभापति महोदय, मैं अपनी बात यह कह कर समाप्त करना चाहता हूं कि कांग्रेस में अंतरात्मा की आवाज पर बहुत बड़े-बड़े फैसले हुए हैं, वह अंतरात्मा बची है, थोड़ी भी बची है तो मैं यह उम्मीद करूंगा कि यहां इस भाषण पर बोलने से पहले अपनी अंतरात्मा से पूछेंगे और अपनी अंतरात्मा अगर उनको यह जवाब दे कि यह बजट राजस्थान को आगे ले जाने वाला है, राजस्थान का विकास करने वाला है और राजस्थान के हर हिस्से में इससे कुछ-न-कुछ मिलने वाला है और अंत में….(व्यवधान) अंत में शेर-शायरी नहीं, माननीय मीणा साहब, वाटर टैक्सेज, कमांड एरिया, ऐसा कोइ-सा क्षेत्र नहीं है जो कहीं छूटा हो। बल्कि 4 दिसम्बर को नतीजे आये, इन्दिरा गांधी नहर का मेन लूणकरणसर के पास ब्रीच हो गया, वसुन्धराजी गयीं और उन्होंने कहा कि 15 दिन में हम इसको चालू कर देंगे। उस वक्त वहां एक कर्नल गिल लगे हुए थे, वह मेरे मित्र हैं, तो इतने खराब मौसम के बावजूद भी 2 दिन के डिले से 17 दिन के अन्दर वह इतने बड़े ब्रीच को पाटकर नहर का पानी चालू कर दिया। उस कर्नल गिल ने मुझे कहा कि यह हमारे ऊपर भी छोड़ दिया जाता, आर्मी को भी दे दिया जाता तो इतनी जल्दी से हम काम नहीं कर सकते थे, वह काम इन्होंने करके दिखाया। और यह अब बजट पेश किया तो जो वाटर टैक्सेज, कांग्रेस की गवर्नमेंट कई सालों से इसको डैफर करती आ रही थी, इन्होंने लैण्ड यूजेज के कई सारे झगड़े डाल रखे थे, उन सबको एक करने की, वाटर चार्जेज खतम करने की, वहां जो अस्थायी पट्टेधारी थे, उनको पट्टे देने की और ऐसा कोई क्षेत्र नहीं छूटा है जिसमें कि इस बजट में राहत नहीं मिली हो। आपने मुझे समय दिया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति : माननीय सी.पी. जोशी।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : सभापति महोदय, मैं सबसे पहले माननीय मुख्य मंत्रीजी, जो वित्त मंत्री भी हैं, जिन्होंने बजट रखा, उनको मैं साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। साधुवाद और धन्यवाद इसलिये देता हूं कि न केवल वह एक पार्टी के नेता के रूप में, मुख्य मंत्री के रूप में…

श्री नन्दलाल मीणा : साधुवाद, आपके पास कैसे आ गया यह?...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : समझ में नहीं आती तो चैलेंज मत करो। समझ में नहीं आ रही है। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : आपके पास आएगा क्या? आपके पास आएगा? यह

(डा. सी. पी. जोशी)

हमारे पास ही आएगा, आपके पास नहीं आएगा यह। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल मीणा : यह आपके पास किसलिये आया? (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : माननीय सभापति महोदय, मैंने साधुवाद का जो वर्ड यूज किया है वह सोच-समझकर यूज किया है मैंने। पहले भारतीय जनता पार्टी के लोग उन्हें नेता के रूप में नहीं मानते थे, वह नेता भी बनीं, मुख्य मंत्री भी बनीं। मुख्य मंत्री के रूप में उन्होंने अपने मंत्रीमण्डल का निर्माण किया और उनके मन में राजस्थान को जो बढ़ाने की कल्पना है, उस रूप में उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग भी की, मिनिस्टर भी बनाये और जो यह बजट दिया उसमें उसका रिफलैक्शन भी दिया, इसलिये मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। इस बजट में उनकी चाइस का भी परिलक्षण है, उनकी पोलिटिकल थिकिंग का भी परिलक्षण है। उनके अपने निर्वाचन-क्षेत्र का भी परिलक्षण है, जहां से वे एम.एल.ए. हैं तथा जहां से उनके पुत्र सांसद हैं। उनके डवलपमेंट का भी उसमें विचार है। इन सब चीजों का उन्होंने समावेश किया, इसलिये मैंने उनको साधुवाद की बात कही है।

अभी मसूदा से आने वाले सदस्य ने बातें कहीं। मैं पिछले 2-3 दिन से इस बारे में गम्भीरता से सोच रहा था कि यह बजट, जिस बजट के बारे में चर्चा की गयी कि हर वाक-आफ-लाइफ को टच किया गया है, ऐसा बजट कभी आया नहीं है, यह ड्रीम बजट है। तब मेरे मन में कल्पना थी कि जिस बजट की कल्पना की बात की जा रही है, उसके कौन-से पैरामीटर्स हैं, कौन-सा इन्डेक्स है, जिसके आधार पर हम कह सकें कि यह बजट एक सफल बजट है।

सभापति महोदय, एक इसका मापदण्ड है, नान टैक्स, नान डवलपमेंट, डवलपमेंट में एक्सपेंडीचर कितना कर रहे हैं, सोशल सैक्टर में कितना इंवेस्टमेंट है। आज जब मैं अख़बार पढ़ रहा था तो हिन्दी में एक आर्टिकल पढ़ रहा था ''मेकिग आफ द बजट'', हमारे हिन्दुस्तान के बहुत बड़े राजनीतिज्ञ जो प्रधानमंत्री भी रहे हैं, चन्द्रशेखरजी, उनका एक आर्टिकल है, उसको मैं कोट करना चाहता हूं, जो हम सबको गाइड करेगा कि जो हम चर्चाएं कर रहे हैं, वह भावनाओं के आधार पर कर रहे हैं, या चर्चाएं वास्तविक आधार पर कर रहे हैं। यदि ये चर्चाएं भावनाओं के आधार पर कर रहें है तो न हम अपने प्रति न्याय कर रहे हैं, न अपनी पार्टी के प्रति न्याय कर रहे हैं, न राजस्थान की जनता के प्रति न्याय कर रहे हैं। सभापति महोदय,

(डा. सी. पी. जोशी)

चन्द्रशेखरजी ने क्या कहा, मैं कोट करना चाहता हूं-

"The differences between Budgets can at best be marginal . But to every Finance Minister, the presentation of the Budget is a momentous occasion. It is his moment under the lights and he naturally wants to leave the imprint for the future to see. But the reality is like foot print on the beach. Waves of the time quickly erase the proposals from our memory and, at best, we may recall the style of delivery. That is not because Finance Minister were wanting in any respect. The present one, we are told, is particularly bright and knowledgeable but what can he or she do ? The nature of finances and the pattern of previous commitments give the budget planners very little flexibility. As is always the case, interest payments take away the lion's share of the Budget. This year, it is well over 27.10%, salary ,pension and travel expenses account for about 11%, direct subsidy nearly 9.10%, defence another 16.1%."

माननीय सभापति महोदय, मसूदा से आने वाले माननीय सदस्य, यदि इस प्रपोजल के आउट-ले को ठीक ढंग से देखें तो राजस्थान के बजट में भी वही स्थिति है जो हमारे हिन्दुस्तान के एक बड़े राजनीतिज्ञ ने कही कि हम भाषण दे सकते हैं, वित्त मंत्री के रूप में लाइट में अपनी फोटो खिंचवा सकते हैं, समुद्र के किनारे पर अपने प्रिंट दे सकते हैं लेकिन जैसे समुंद्र की लहरों के साथ वह प्रिंट खतम हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से वित्त मंत्री के अपने बजट भाषण के प्रिंट भी खतम हो जाते हैं। इसलिए कहना चाहता हूं कि हम यह भी सोचें, यह एक आर्टिकल है, जिसमें लिखा गया है-

"The figure here are compelling. In the year 2002-03, the total development expenditure by all State Governments amounted to Rs. 24,600 crores according to their Budget estimates. Under every single head of the development expenditure, it is clear the greater responsibility devolves upon the State Governments rather than the Centre. The simple fact is that increase in development outlay involves raising the fiscal capacity of the State. Yet the reality here is rather grim. Ever since they moved from the fiscal surplus to deficit in the late 80s, the States have had to earmark an increased share of the total expenditure for non-development purposes. In 1991 while 25% of the total State Government expenditure went into non-development heads, in 2002 -03 this proportion had increased to over 37%. A major contribution to this increase, that is half of it came from interests incurred on loans as proportion to its total expenditure. These payments increased from under 10% to 16% and Mr. Kurien, who recently retired as Advisor (Financial Resources) to the Planning Commission, estimates that the interest burden has gone since up rapidly indicating the potential for rapid burden on the state finances."

सभापति महोदय, यह बजट जो प्रस्तुत किया है, इस बजट को प्रस्तुत करने के बाद मैंने कहा कि पिछली बार 2002-2003 में जो आउट-ले बढ़ाया गया प्लान का जो पिछली बार सरकार नहीं कर सकी, हमने इसके प्लान आउट-ले को बढ़ाया तो बहुत खुशी हुई। अभी भी कहा गया कि बजट का प्रपोजल है, हम प्लानिंग कमीशन में जाकर डिस्कस करेंगे और डिस्कस करने के बाद हम प्लान का साइज 7500 के ऊपर ले जाएंगे। माननीय सभापति महोदय, बड़ी खुशी हुई। मुझे खुशी होने के बाद मैंने देखा कि जो पिछली बार हुआ है, उसका इम्पैक्ट क्या है? माननीय सभापति महोदय, उस इम्पैक्ट को हम ठीक ढंग से नहीं देखेंगे तो हम जो चर्चा कर रहे हैं, उस चर्चा का हम ठीक ढंग से अपनी भावनाओं के आधार पर तो कह सकेंगे कि मुख्य मंत्रीजी ने यह काम किया लेकिन जो रीयल पिक्चर है, माननीय सभापति महोदय, वह दूसरी गाथा को इण्डिकेट कर रही है। माननीय सभापति महोदय, आप जानकर आश्चर्य करेंगे, आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर-2000-2001 में percentage of non development expenditure to the total expenditure was 56.14, 2001-2002 में 54.89, 2002-2003 में 55.07, 2003-2004 में हमने प्लान की साइज बढ़ाई, एक्सपेंडिचर 55.51 और अब जो हमने 7000 की प्रपोज की है, उसमें हमारा नान डवलपमेंट एक्सपेंडिचर है 56.95। अब मुझे कोई बताए कि प्लान की साइज बढ़ा रहे हैं, उसके बाद नान डवलपमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है या घट रहा है? नान डवलपमेंट एक्सपेंडिचर 56.95 हो रहा है। इज इट द इण्डिकेशन कि हमारा बजट जो आया है, हमको आगे बढ़ाएगा? मैं समझता हूं कि हम भावनाओं के आधार पर कह सकते हैं, पर ये आंकड़े आपने दिये हैं मैं उसी को कोट करना चाहता हूं। अब जो 2004 -2005 में हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं नान डवलपमेंट एक्सपेंडिचर आउट आफ द टोटल एक्सपेंडिचर, वह 56.95 है, which is much higher, much higher. जिसकी हम पिछली सरकार की क्रिटिसाइज कर रहे हैं। चलो, इसको भी छोड़ दीजिए, माननीय सभापति महोदय, मैं एक्सपेंडिचर्स आन द जनरल सर्विसेज की बात भी छोड़ देता हूं।

दूसरा इंडिकेशन है, सोशल सैक्टर एक्सपेंडिचर आन सोशल सैक्टर, माननीय सभापति महोदय, पिछले 2000-2001 में percentage of expenditure on social services to the total expenditure, it was 40.76, 2001-2002 में 2002-2003 में 38.70, 40.16 2003-2004 में हमारी साइज बढ़ायी, 37.67 और 2004-2005 में 7000 का हम प्लान बना रहे हैं, आउट-ले कर रहे हैं, यह है 36.42, क्या इंडिकेशन है? मसूदा से आने वाले माननीय सदस्य, हम भाषण देना चाहते हैं, हमने बहुत काम कर लिया, वसुन्धराजी ने ऐसा बजट दिया, ऐसा बजट आज दिन तक किसी ने नहीं दिया, ये आंकड़े आपने प्रस्तुत किये हैं।

(डा. सी. पी. जोशी)

सोशल सैक्टर में हमारी प्लान की साइज 7000 करने के बाद हमारा एक्सपेंडिचर है 36.42 और अब हम जो प्रोजैक्ट कर रहे हैं, जो हमारा एक्सपेंडिचर है नान डवलपमेंट का, वह है-56.95 माननीय सभापति महोदय, यह...

श्री गुलाब चन्द कटारिया : सी. पी. साहब, इसमें अगर अमाउंट में बोलेंगे और जब परसेंटेज से लगाएंगे तो किसी पर ज्यादा होगा, किसी पर कम होगा। यह हो सकता है लेकिन जो पिछली साल बजट का टोटल अमाउंट था, उसके सामने अगर इस अमाउंट को रखेंगे तो यह उससे बहुत अधिक आगे है। परसेंटेज के हिसाब से तो आगे है।

डा. सी. पी. जोशी : कटारियाजी, आप सबसे विद्वान हैं, परसेंटेज ही एक स्टेबल इण्डैक्स है। एब्सोल्यूट नम्बर तो बढ़ता जाएगा, 100, 200, 400, 500 पर उसका परसेंटेज क्या है, मैंने इसलिए कहा है कि total percentage of expenditure on social sector out of total expenditure, आप जितना टोटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उस एक्सपेंडिचर का कितना पार्ट आप नान डवलपमेंट में कर रहे हैं? यदि आपकी इच्छा, इंटेशन, नीयत, आपकी कथनी और करनी का मतलब यह है कि प्लान की साइज बढ़ाकर राजस्थान की विकास की गति को बढ़ा रहे हैं तो यह इंडिकेट करता है कि...(व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर : माननीय सी. पी. साहब, मेरा निवेदन है...

डा. सी. पी. जोशी : आप बाद में बोल लेना, आपको मौका मिलेगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि यह एक इंडेक्स बने, उदाहरण देकर बताया कि...

श्री टीकमचन्द कान्त : आप घबरा क्यों रहे हैं नाथूसिंहजी से?

डा. सी. पी. जोशी : नहीं, वे विद्वान हैं इसलिए। विद्वान हैं इसलिए घबराता हूं। माननीय सभापति महोदय, मैंने इसलिए कहा है कि नान डवलपमेंट एक्सपेंडिचर...

डा. एन. एस. गुर्जर : प्रोफेसर साहब, यह बताइये कि...

डा. सी. पी. जोशी : नहीं, मैं बाद में बता दूंगा।

डा. एन. एस. गुर्जर : हमारे बजट का बता रहे हैं, आपके बजट का नान प्लान...

(डा. सी. पी. जोशी)

(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : मैं कम पढ़ा-लिखा हूं, आप विद्वान हैं। आपका उपयोग पार्टी ले लेगी। मैं कम पढ़ा-लिखा आदमी हूं। आप बिराजिये।

माननीय सभापति महोदय, मैंने यह इसलिए कहा कि भारत सरकार जो डिवोल्यूशन पैसे का कर रही है या कोई भी सरकार जो कर रही है, उसमें 1980 के बाद, 1991 में जो एक सीन बन गया हमारी वित्तीय स्थिति का, वह इण्डिकेट करता है कि हम किस तरह से पापुलिस्टिक बातें कर सकें, इसलिए मैंने पहले ही उदाहरण दिया हमारे चन्द्रशेखरजी के भाषण का और दो, ये इण्डेक्स मैंने आपको दिये जो इण्डेक्स इस बात को इण्डिकेट करते हैं कि हम भावना में आकर बजट की बड़ाई कर सकते हैं लेकिन यह बजट इस बात को इण्डिकेट कर रहा है कि हमें नान डवलपमेंट एक्सपेंडिचर कम करना चाहिए। यदि यह एक्सपेंडिचर कम होता है तो इसका सीधा सम्बन्ध है कि सोशल सैक्टर में इन्वैस्टमेंट ज्यादा होता है और लोगों को, गरीब आदमी को लाभ मिलता है। यह गरीब आदमी को लाभ दिलाने का बजट नहीं है, इसमें सिम्बोलिक काम किया गया है, इसमें सिम्बोलिक काम बताया गया है। एस.एच.जी. ग्रुप बनाएंगे, एस.एस.जी. ग्रुप बनाकर क्या काम करेंगे? इंटरवेंशन करने के लिए एक करोड़ रुपये का प्रोविजन रखा है। एस.एच.जी. ग्रुप, सैल्फ हैल्प ग्रुप, अच्छा कंसेप्ट है, आंध्रप्रदेश में 30 हजार करोड़ रुपये का, थर्टी थाउजेंड करोड़ रुपये का टर्न ओवर किया है सैल्फ हैल्प ग्रुप ने। हमारी सरकार सैल्फ हैल्प ग्रुप का एम्पावरमेंट करना चाहती है, महिलाओं को सशक्त करना चाहती है, लेकिन मार्केट के इंटरवेंशन के प्रोविजन के लिए कितना रखा? एक करोड़ रुपये खाली।

हमने इर्रिगेशन का अपना पोटेंशल बढ़ाया। इर्रिगेशन के फीगर्स देखे हैं मैंने। इर्रिगेशन के फीगर्स में क्या अन्तर है? 300 करोड़ रुपये हमने गुजरात को दिये नर्बदा के लिए। यह स्पष्ट तो किया हमने। माननीय सभापति महोदय, अभी कहा गया कि हमने टैक्स नहीं लगाये हैं। बहुत बड़ी बात हो गयी। टैक्स नहीं लगाये, नहीं लगाने चाहिए। क्यों लगाएंगे टैक्स? टैक्स लगाने का काम हमने नहीं किया, विष्णुजी? हमने टैक्स लगाने का काम किया। आप तो माइंस के आदमी हैं, बजट आने के पहले माइंस के ऊपर रायल्टी नहीं बढ़ाई डैड रेंट नहीं बढ़ाया है हमने? उसका पैसा कलेक्ट किया है, उसमें लिखा हुआ नहीं है। हमने एम्प्लाइज की तनख्वाह

(डा. सी. पी. जोशी)

नहीं बढ़ाई है उसका फिगर कितना है? उनकी तनख्वाह कितनी आएगी? मैं समझता हूं कि उस फिगर को भी मुझे आपके सामने बताना आवश्यक है। यह बजट मैं आपका ही लेकर आया हूं, इस बजट को भी मुझे कहने की आवश्यकता है। माननीय सभापति महोदय, यह आय-व्यय का परिवर्तित बजट है, इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है, लोक लेखा के लिए 2005 के आय-व्यय अनुमानों में 1255.46 करोड़ रुपये की सीधी प्राप्ति होने का अनुमान था, अब परिवर्तित अनुमानों के अनुसार 1515.55 करोड़ रुपये की सीधी प्राप्ति होने का अनुमान है, अंत: इसमें 260.09 करोड़ रुपये का शुद्ध सुधार मुख्यत: राज्य कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु में की गयी वृद्धि के परिणामस्वरूप आने वाला है। एक यह लिखा है। एक, माननीय सभापति महोदय, यह लिखा है कि राजस्व आय के अन्दर कमी हुई है 685.65 पेंशन व अन्य सेवा में जो पैसा देना पड़ता था वह पैसा नहीं देना पड़ेगा, यह फिगर भी इन्होंने दिया। माननीय सभापति महोदय, एक यह फिगर इन्होंने दिया 130 करोड़ रुपया विद्युत कर और शुल्क का। ये इनके पास आये इसलिए परिवर्तित करना पड़ा। (व्यवधान) 11 करोड़ अलौह खनन व धातु खनन में लिया गया...(व्यवधान) इस पर हमें करना पडा। अब मुझे माननीय विष्णुजी मोदी बताएं, हमने बजट तो बहुत कर लिया, सरलीकरण भी कर दिया, टैक्स को माफ कर दिया, वाहवाही लूट ली, हमने तो छूट कितनी दी? हमने छूट भी दी। उतना पैसा तो हमारे पास आलरेडी है तो फिर टैक्स लगाने की जरूरत क्यों पड़ी? आपने रायल्टी ले ली। करीब 56 लाख आदमियों पर आपने यूनिट के ऊपर, बिजली का चार्ज लेकर पैसा इकट्ठा कर लिया 130 करोड़ रुपये और आप कहना चाहते हो, साहब, कि हमने तो बजट के अन्दर कोई पैसा नहीं लगाया है। हमने कोई टैक्स नहीं लगाया है, इतना अच्छा बजट नहीं आएगा। विष्णुजी मोदी अभी भाषण दे रहे थे और कह रहे थे कि यह सरकार जाते-जाते क्या कर गयी। मुझे पता नहीं क्या कर गयी, पर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, यह बजट आपका ही है, इस बजट में सेल्स टैक्स में, मेरा ज्यादा बिजनेस का काम नहीं है, मैंने पढ़ा, मैंने समझने की कोशिश की कि यह अन्तर कैसे आया। मैं आप पर छोड़ता हूं, जब माननीय मुख्य मंत्रीजी जवाब दें तब इस बात को जरूर बताएं, जो आपने टैक्स की स्लेब बदली है, उस स्लैब को ध्यान से देखें। यह पेज है-63, टैक्स की स्लैब देखिये, माननीय सभापति महोदय, 1.15 को 1 किया, 2.3 को 2 किया पर एक बीच में जो किया उसको समझने की आवश्यकता है। 23 परसेंट को, 20 परसेंट किया, और 28.7 परसेंट को 20 परसेंट किया है, यह विष्णुजी मोदी, आपको मालूम है। यह किन चीजों पर थी, ये चीजें हैं क्या, कहने की

(डा. सी. पी. जोशी)

आवश्यकता नहीं है। किसी पर आरोप लगाना सरल है पर यह आपका खुद का सेल्स टैक्स का जो आपने एडवरटाइज किया, उसका फिगर देना चाहता हूं।

(15.00 बजे)

माननीय सभापति महोदय, सब में जो नेशनलाइजेशन किया है उस नेशनलाइजेशन के अंदर ये जो दो स्लैब हैं 23 का 20 प्रतिशत किया है और 28.75 का 20प्रतिशत किया है। ये कौन-से आइटम हैं, ये कौन-सी चीजें हैं जिनमें सेल्स टैक्स की छूट देकर इन लोगों को लाभ दिया गया है? यह भी सदन में बताया जाना चाहिये जिससे मालूम पड़े कि हमारा इटेशंन क्या है, किनको लाभ देना चाहते हैं तब हम कह सकेंगे। एक-दूसरे के ऊपर प्रोजेक्शन करना, आरोप लगाना बहुत सरल है, लेकिन हमारा इन्टेंशन क्या है वह इसमें समझने की आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं इसलिए कहना चाहता हूं, मेरा पहला रिएक्शन यह है कि जिस उद्देश्य के साथ, जिस सच्चे मन के साथ माननीय मुख्य मंत्रीजी को लोगों ने मैन्डेट दिया, निश्चित तौर पर पहली बार महिला मुख्य मंत्री बनी हैं, उन्होंने अपना डिमोस्ट्रेशन किया है, लीडरशिप की क्वालिटी, उनको एक हिस्टोरिकल अवसर मिला है, इस हिस्टोरिकल अवसर का लाभ क्या मिलना चाहिये ? हिस्टोरिकल अवसर का लाभ मिलना चाहिये था, जो हमारे पास फण्डस अवेलेबल हैं उनकी गुडविल से, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं' 'उनकी गुडविल से'' वह जब पिछली बार गयीं, भारत सरकार उनके पक्ष की थी। 1200 करोड़ रुपये वह लेकर आयीं, नर्मदा के 300 करोड़ रुपये दिये, अकाल का पैसा हमें मिला, बिजली का पैसा हमें मिला, उसके बाद जो हमारी नई सरकार बनी भारत सरकार, उस सरकार ने पहली बार फैसला किया है, यह हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है उसमें लिखा हुआ है कि हम स्टेट्स को डिवोल्यूशन करना चाहते हैं, फाइनेंशल पावर को डिवोल्यूशन करना चाहते हैं, आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि गाडगिल फार्मूले के आधार पर जो पैसा मिलता है उस गाडगिल फार्मूले के आधार पर क्या किया गया और हो क्या रहा है, उसको भी समझने की आवश्यकता है। माननीय सभापति महोदय, इस सरकार को निश्चत तौर पर भारत सरकार के साथ भी मुद्दा उठाना चाहिये। मिस्टर कुरियन ने लिखा है कि-

"Kurian's estimate is that about 40% of the total debt burden of the States is in liabilities to the Centre. Though there have been effects to mitigate the burden in recent years. There has no fundamental rethink on the process of

(डा. सी. पी. जोशी)

federal transfer. For instance Kurian points out that the loan component of Central assistance for State pians still stands of 70%. This is in accordance with the D.R. Gadgil Formula adopted in 1969 when plan expenditure of the State used to be distributed in 70:30 ratio between capital an reyenue componends for With more assets coming into existence since then and increasing postions of plan spending going into there up-keep the ratio between the capital and revenue expenditure in the States now stands at 40:60."

यह एक बहुत बड़ा स्टेट के ऊपर बर्डन है। स्टेट को जो ग्रांट मिलती है, हमें जो ब्याज मिलता है 70-30 प्रतिशत, उसमें हमें सरकार को यह कहना पड़ेगा कि यह जो 40 -60 प्रतिशत का जो रेशो आ रहा है, अब समय आ गया है जब हमें गाडगिल फार्मूले को मोडिफाई करने की बात भारत सरकार के सामने करनी पड़ेगी और यह इसलिये कहनी पड़ेगी, माननीय सभापति महोदय, अब जो बारहवां फाइनेंस कमीशन...(व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : मैं इंटरप्ट नहीं कर रहा हूं, जो बात कह रहे हैं उसी को आगे बढ़ा रहा हूं। Who prevented them?

श्री सभापति : आप खुद विद्वान हैं। (व्यवधान)

डॉ.सी.पी. जोशी : मैं जवाब दे दूंगा। (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : एक सैकण्ड। एक सैकण्ड साहब, आप रूकें।

डा. सी. पी. जोशी : Don't disturb my flow.

श्री विष्णु मोदी : To keep the record straight, who prevented them not to go to Delhi, Bihar has taken a package of 3500 crores. They should have gone to Delhi..

डा. सी. पी. जोशी : Are you aware about this that the Govt. was of the BJP, not our Government ?

श्री विष्णु मोदी : and talk to the Minister to give a package to Rajasthan.

डा. सी. पी. जोशी : Are you aware about this that where we were to go ?

आज हमारी सरकार दिल्ली में है उसके बाद हम यह बातें कह रहे हैं। आज राजस्थान में हमारी सरकार नहीं है, हम आपको यह नहीं कह रहे हैं। आज जो स्थिति बनी हुई है उसमें किसी भी पार्टी की सरकार आ जाए, मैंने इसलिये कहा वसुन्धराजी को धन्यवाद देने के साथ, सरकार किसी की भी बने, सरकार बेसिक चीजों को एड्रेस नहीं करेगी तब तक हम जनता की वाहवाही लूटने के लिये ताली बजा सकते हैं लेकिन हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा।

सभापति महोदय, मैंने इसलिये कहा कि आज हमारी सरकार है दिल्ली में, उस सरकार ने फैसला किया है और सरकार के फैसले के बाद राजस्थान का शेयर जो 5.47 प्रतिशत है जिसमें 3500 करोड़ रुपये मिलना चाहिये था, इस बार पैसा मिल रहा है आपको 4500 करोड़ रुपये। 4500 करोड़ रुपये मिल रहे हैं, हजार करोड़ रुपये आपको ज्यादा मिल रहे हैं। स्टेट की रेवेन्यू जो भारत सरकार को मिली, उससे मिल रहा है 120 करोड़ रुपये। 120 करोड़ रुपये मिड-डे-मिल के जो स्टेट के बर्डन के थे, वह पूरा का पूरा शेयर, नया शेयर लगाया है उस एजुकेशन के शेयर के कारण आपको पैसा मिल रहा है। वह 120 करोड़ रुपया आपका बच रहा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ग्रांट-इन-एड कितनी दी इस बार, यह और बता दो ? ग्रांट-इन-एड कितनी मिल रही है इस साल बजट में ? केन्द्र सरकार ने ग्रांट-इन-एड कितनी दी ? (व्यवधान) यह और बता दो। आप बिना मतलब की बात कर रहे हो। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : यह आप पढ़ लेना। यह पढ़कर आना।

एक माननीय सदस्य : जोशीजी, आपने क्या किया वहां पर ?

डा. सी. पी. जोशी : यह मैं बता दूं ? आप मंत्री हैं, इसमें लिखा हुआ है, ग्रांट-इन -एड कितनी है। बताऊं क्या मैं ? मुझे कहने की जरूरत ही नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कह रहे हो न, ग्रांट-इन-एड कम की है। मनमोहन सिंहजी ने राजस्थान की ग्रांट-इन-एड को कम किया है, जो इस फार्मूले से मिलनी चाहिये।

डा. सी. पी. जोशी : आप पढ़ लेना। आप बात कर लेना। आपको मालूम है, 120 करोड़ रुपये मिड-डे-मिल के अंदर जो करने थे उस मिड-डे-मिल के अंदर हमारी सरकार ने क्या किया ? हमारी सरकार ने 200 दिन कर दिये। 365 दिन तक राजस्थान की सरकार, अशोक गहलोत की सरकार गांव के गरीब आदमी के बच्चे को न्यूट्रीशन

देने के लिये गांव-गांव दलिया देती थी, आज आपके बजट में आपने 200 दिन कर दिये, two hundred days only. उसके पैसे को कर्टेल कर दिया है और हम न्यूट्रीशन करना चाहते हैं।

श्री टीकमचन्द कान्त : लोग तो घुघरियों की उल्टी करने लग गये, लोगों ने खाने से मना कर दिया, यह हालत हो गयी है। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : अच्छा किया। अस्पताल में भर्ती कराते। माननीय सदस्य, अब आप मातृत्व में घूघरी दे रहे हो, उसको रोक देना। वसुन्धराजी ने घोषणा की है, उसको रूकवा देना।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : प्रोफेसर साहब, वर्किंग डे कितने होते हैं?

डा. सी. पी. जोशी : लोग तो उल्टियां करेंगे, उनको रूकवा देना। आपकी भावनाएं समझ में आ गयीं। 128 करोड़ रुपये उन्होंने मातृत्व को देने के लिये एक योजना दी, आप उनको सबक देना। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : प्रोफेसर साहब, आप तो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हो, वर्किंग-डे कितने हैं स्कूलों में? 200 वर्किंग डे होते हैं, वर्किंग-डे के दिन बच्चे जाते हैं।

डा. सी. पी. जोशी : बिराजिये आप। बहुत अच्छा है। समर वेकेशन में भी दिया है हमने। आपने नीयत बता दी है कि क्या करना है हमें। मैंने कहा एस.एच.जी. का उदाहरण, एस.एच.जी. का करोड़ रुपये का इंटेंशन दिया, I don't want to contest this. हर सरकार का अपना एक तरीका होता है, करे। मैं तो उदाहरण देना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, मैंने पहले कहा, तीन चीजों में नं.-1 मुख्य मंत्रीजी का जो अपना व्यक्तित्व है, मुख्य मंत्री जी की जो कार्य प्रणाली है, उसका परिलक्षण, उसका प्रोजेक्शन, उसका रिप्रजेंटेशन इस बजट में हुआ है। मैंने मना नहीं किया। महिलाओं को सशक्तिकरण देने का काम किया। राठौड़ साहब महिला सशक्तिकरण का काम किया है हमने किया है। आज उठाकर देख लें, राजस्थान में गर्ल्स-चाइल्ड एजुकेशन किया था। कोर्ट के अंदर केस हुआ, हमने कोर्ट में केस कंटेस्ट किया और यू.पी.एस.सी. जो पहली-दूसरी में है, उसमें 7,144 महिलाओं को हमने राजीव गांधी पाठशालाओं में लगाने का काम किया। उसमें पैसा कम मिलता है, आप आगे बढ़ाकर थर्ड ग्रेड की तनख्वाह देते उनको । आप सब जगह फैसला करते कि प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाने के लिये महिलाओं को हम टीचर लगाएंगे तो क्या होता? 26 हजार सहयोगिनियां लगाई

(डा. सी. पी. जोशी)

हमने, उनको 500 रुपये देंगे। राजीव गांधी पाठशालाओं में एक हजार तो खराब थे, अब 500 रुपये 26 हजार सहयोगिनियों को देंगे। आप फैसला करिये आज बैठकर कि हम जो 25 हजार सहयोगिनियां लगा रहे हैं वे काम करेंगी अच्छा, मृत्यु दर को रोकेंगी, चाइल्ड मोर्टलिटी रेट को रोकेंगी, समाज में व्यवस्था करेंगी फैमिली प्लानिंग की, हम उनको तनख्वाह देंगे थर्ड ग्रेड की। हिम्मत करके फैसला करिये। उनमें तो हम 500 रुपये देंगे....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपके समय में कितने थे ? आप कितने देते थे ?

डा. सी. पी. जोशी : हम तो जीरो देते थे, हमारा कम्पेयर न करें। हम यहां बैठे हुए हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप देते थे 200 रुपये ।

डा. सी. पी. जोशी : अब आप सुन लीजिये। ये अब 100 दिन का डाक्यूमेंट लेकर आये हैं, माननीय सभापति महोदय, कि हण्ड्रेड डेज में हमने अचीवेमेंट किया। हण्ड्रेड डेज में हमने कहा, 26 हजार सहयोगिनियों की भर्ती कर देंगे, हण्ड्रेड डेज निकल गये, कहीं भर्ती हुई हो तो मुझे बताना। इसकी बात भी छोड़ दें, यह दूसरा लिखा है, हण्ड्रेड डेज के डाक्यूमेंट में कि नान-प्लान के अन्तर्गत पदों की भर्ती पर लगायी गयी रोक हटाकर लगभग 15 हजार पदों पर नियुक्ति कर देंगे। यह हण्ड्रेड डेज के अंदर करना था, 16 हजार पदों की योजना, केन्द्र प्रवर्तित योजना में 16 हजार पदों को करना था 100 दिन में, 100 दिन में हमने यह काम कर लिया? 100 दिन में बहुत बड़ा काम कर लिया, हमारा विजन है। यह आपका 100 दिन का डाक्यूमेंट है, इसमें दो फीगर बता रहा हूं खाली में, आप उठाकर देखिये। आउट-ले था आपका नान-प्लान का, नान-प्लान में आपके पास 15 हजार पद की तनखाह थी, 15 हजार की तनखाह के बाद क्या व्यवस्था बनी कि आपने तनखाह का उपयोग नहीं किया और काम नहीं लिया? हमें समझना पड़ेगा, सभापति महोदय। आज मैं कहना चाहता हूं ईमानदारी से कि जमाना गया एक्सक्लूसिव सर्विस का। जमाना आ गया इनक्लूसिव सर्विस का। आई.टी. आ गयी, आई.टी. के बाद उसकी कास्ट कम होनी चाहिये। आई.टी. के बाद कास्ट बढ़े, यह कौन-सी व्यवस्था है ? एक पटवारी दिन भर में एक आदमी की जमीन का नामान्तरण करेगा, तनख्वाह लेगा आठ हजार रुपये। एक सब सेंटर पर काम करने वाला आदमी चार आदमी को अटैण्ड करेगा, तनखाह लेगा आठ हजार रुपये। एक दूसरा आदमी

इर्रिगेशन का, पटवारी का काम करेगा, कितना पानी लगा, पैसा लगा इतना। एग्रीकल्चर में आठ हजार आदमी लेंगे, अब जमाना नहीं है। 73-74 अमैंडमेंट इंडीकेट करता है, शिड्यूल में अमैंडमेंट हुआ, आपने भी लिखा है बड़े जोर-शोर से, माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं, लिखा है– फण्ड और फैक्शनरीज के साथ ट्रांसफर करेंगे। पंचायती राज को फण्ड और फैक्शनरीज के साथ ट्रांसफर करेंगे, बहुत खुशी हुई, जो कुछ भी प्रोग्राम आपने हाथ में लिये हैं, जिस प्रोग्राम के अन्तर्गत आपने दरिद्रता, कुपोषण और भूखमुक्त जैसे काम हाथ में लिये हैं। अशक्त और महिलाओं के कार्यक्रम लिये हैं, यह डिलीवरी सिस्टम इम्प्रूव होना चाहिये। डिलीवरी सिस्टम सेंट्रलाइज सिस्टम से ज्यादा ठीक नहीं होता है। राजा के राज में राजा अच्छा था, राजा के दरबारी खराब थे। राजा का राज चला गया। डेमोक्रेसी में डिसेंट्रलाइजेशन नहीं करेंगे, सत्ता का विकेन्द्रीकरण नहीं करेंगे, लोगों को पावर नहीं देंगे, सत्ता का एम्पॉवरमेंट नहीं करेंगे तो यह मातृत्व का जो गेहूं है, कह रहे हैं उल्टियां कर रहे हैं, ये उल्टियां नहीं कर रहे हैं, यह खराब हो जाएंगे। इसकी व्यवस्था करने की जरूरत है।

पंचायत के अंदर एम्पावरमेंट करने के लिये हम काम करना चाहते हैं। इसको चैक करने की व्यवस्था हमने नहीं की तो वह भी लाभ नहीं उठा पाएंगे। यहां बैठकर आंकड़ों के आधार पर हमने फैसला किया तो यह जो विजन डाक्यूमेंट वसुन्धराजी ने

(**समय-समाप्ति सूचक घंटी**)

बनाया है जिनके मन में कल्पना है कि गरीब आदमी की मदद करके मैं एक इतिहास बनाऊं, वह इतिहास खाली कागज के पन्नों पर रह जाएगा इतिहास नहीं बन पाएगा, इसलिये डिसेंट्रलाइजेशन करने की आवश्यकता है। डिसेंट्रलाइजेशन करना पड़ेगा फण्ड, फंक्शन और फंक्शनरीज के आधार पर । फण्ड, फंक्शन और फंक्शनरीज करने के लिये नान डवलपमेंट एक्सपेंडिचर को कम करना पड़ेगा, पैसा बचाना पड़ेगा। पंचायत को अनटाइड फण्ड के रूप में पैसा देना पड़ेगा।

अनटाइड फण्ड में पैसा देकर उनके ऊपर छोड़ना पड़ेगा कि क्या काम करना पड़ेगा और क्या काम नहीं करना पड़ेगा। आज मेवाड़ के लोगों को, कटारिया जी बैठे हुए हैं, मेवाड़ के लोगों को जोड़ रखा है झुंझुनूं और सीकर के साथ बिजली में। मेवाड़ के लोगों के पास कितने हार्स पावर की मशीन है ? पांच हार्स पावर की मशीन है, बिजली में छूट दी। 25 हार्स पावर की आवश्यकता वैस्टर्न राजस्थान में होनी चाहिये, 35 हार्स पावर को, 40 हार्स पावर की इस्तेमाल करो, इसमें छूट दी है।

(डा. सी. पी. जोशी)

मेवाड़ के काश्तकार 5 हार्स पावर, 10 हॉर्स पॉवर की मशीन रखता है, जिसके पास दो बीघा, चार बीघा जमीन नहीं है, उसको क्या छूट दी हमने ? अब जमाना गया, इस राजस्थान जैसी जियोग्राफिकल कंडीशन की स्थिति को देखते हुए हम…

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कनक्लूड करें, आधा घंटे से ज्यादा हो गया है।

श्री संयम लोढा : हमारा समय दे दीजिये।

डा. सी. पी. जोशी : आप टाइम दे, टाइम आपका कंटीन्यू है। आपकी बात मानूंगा। मैं आपकी भावना समझता हूं।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं, समय आ गया है कि राजस्थान में यदि इंडस्ट्री लगानी है तो राजस्थान में जमीन नहीं है। मेवाड़ में इंडस्ट्री लगती है तो, बिजली की सब्सिडी मिलेगी तो इंडस्ट्री वहां लगेगी, लेकिन वहां का बिजली का वही भाव, झुंझुनूं और सीकर में बिजली का वही भाव। मेवाड़ के लोगों को झुंझुनूं, सीकर के साथ जोड़ दिया तो बेईमानी हो तो उसकी सज़ा मेवाड़ के लोग भुगतें, यह व्यवस्था लम्बे समय तक नहीं चल सकती। इसमें लोगों में विफलता बढ़ेगी। यदि मेवाड़ में इंडस्ट्री की जरूरत है, बिजली की कम जरूरत है तो वैस्टर्न राजस्थान में जहां पानी उपलब्ध है, वहां बिजली की ज्यादा जरूरत है, वहां इंडस्ट्री की जरूरत नहीं है, वहां किसान को बिजली कम पैसों पर मिलनी चाहिए जिससे लोग खेती करके अपनी हैसियत बना सकें। यह काम करना चाहिए। हम, होमोजीनियस, एक ही तरह से बिजली की व्यवस्था करना चाहें तो न तो किसान का भला होगा न इंडस्ट्री लगेगी और न गरीब आदमी को आगे बढ़ाने का काम होगा।

सभापति महोदय, उद्योग में हमने बड़े आंकड़े दिये, मैं भी यह आंकड़े लेकर आया हूं कि कितना प्रोविजन किया है। नरपत सिंहजी राजवी नहीं हैं, प्रोविजन किया है 82करोड़ रुपये का, इंडस्ट्री का कितना प्रोविजन किया है? देखा है इसमें? इसमें प्रोविजन देख लें, किस हैड में कितना प्रोविजन किया। तीन लाख रोजगार सृजन करेंगे, तीन लाख रोजगार सृजन करने के लिए 82 करोड़ का प्रोविजन किया है इंडस्ट्री के अन्दर। किस-किस क्षेत्र में ? उठाकर देखिये, माननीय सभापति महोदय। हां, भवानी सिंहजी ?

(डा. सी. पी. जोशी)

श्री भवानी सिंह राजावत : मेवाड़ में कौन-सा उद्योग लगाया आपने ?

डा. सी. पी. जोशी : हमने कौन-सा उद्योग लगाया? हमने उद्योग लगाया, आपकी नींव को पनपाया। वहां इससे बड़ा उद्योग क्या होगा? यदि बी.जे.पी. मेवाड़ में पनपी, राज में नहीं आते आप। इससे बड़ा उद्योग क्या होगा? इससे बड़ा उद्योग और क्या लगाएं हम? हमने इतना बड़ा उद्योग लगाया जिसके कारण आप सत्ता में आए, बाकी आपको उद्योग कौन लगाने देता वहां पर? इससे बड़ा उद्योग और क्या चाहते हैं आप?

माननीय भवानी सिंहजी ने अच्छी बात कही मेवाड़ के लिए, नन्दलालजी मीणा बैठे हैं जो पूर्व में मंत्री रहे हैं, महाराष्ट्र पैटर्न है, हम आंकड़े उठा कर देखें, 50 करोड़ का प्रोविजन किया है।

सभापति महोदय, जितने डिपार्टमेंट हैं उसका 13 प्रतिशत डाइवर्ट करने का महाराष्ट्र पैटर्न में लिखा हुआ है। महाराष्ट्र पैटर्न में शिड्यूल एरिया के आदिवासी के अलाना नान-शिड्यूल एरिया में भी आदिवासी हैं, मावली से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, बल्लभनगर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, गोगुन्दा से आने वाले माननीय सदस्य अच्छी तरह से जानते हैं मेरे इलाके में मेवाड़ के महाराणा प्रताप का इतिहास हुआ वे आदिवासी आज भी उस शिड्यूल एरिया के एडवांटेज से वंचित है। अच्छा होता, मेवाड़ के अन्दर महाराष्ट्र पैटर्न करने के लिए, आपने झालावाड़ के अन्दर तो काम्पलैक्स लगाया है, झालावाड़ में आपने 150 बैड का हास्पिटल बनाया है, उसकी बिल्डिंग के लिए पैसे की व्यवस्था की है, आपने संतरे के लिए फसल बीमा की व्यवस्था की है, क्यों भाई ? झालावाड़ में यह सब व्यवस्था करने की जरूरत है, मेवाड़ का जो गरीब आदमी है, आदिवासी आदमी है उसका एम्पावरमेंट करने की आवश्यकता नहीं हैं ?

श्री ओम बिरला : झालावाड़ उपेक्षित है, माननीय जोशीजी, और राजस्थान सब आपका है।

श्री भवानी सिंह राजावत : झालावाड़ की आपने उपेक्षा की है इसलिए अब झालावाड़ में होगा और मेवाड़ में भी करेंगे हम।

डा. सी. पी. जोशी : आप दोनों साथ बोल रहे हो जो खुशी की बात है। मुझे भवानी जी और आप साथ बोल रहे है, उसकी बहुत खुशी है। अपनी मित्रता मुख्य मंत्रीजी के साथ बनाए रखें, कोटा का भला होगा। यही कहना है मुझे।

श्री ओम बिरला : कोटा तो विकसित कर दिया।

डा. सी. पी. जोशी : सभापति महोदय, मैं उन्हीं के आंकड़े बताना चाहता हूं। वर्ष 2003-2004 में राज्य में प्रति व्यक्ति आय प्रचलित कीमतों पर 14741 रुपये एवं स्थिर कीमतों पर 8571 रुपये अनुमानित है। यह शायद बजट बनाने वाले भूल गये, 2001-2002 में 8571 से ज्यादा प्रति व्यक्ति आय थी। यह आय कम हुई कि ज्यादा हुई है ? 2003-2004 में क्या आंकड़े लेकर आये, सभापति महोदय, इस डाइकोटोमी को भी समझने की आवश्यकता है। 2003-2004 में कहा गया कि हमारा इतना परसेंटेज बढ़ गया, जब भी राजस्थान की एग्रीकल्चर बढ़ती है जब हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ती है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जो आपको फीगर अच्छा लगता है उसको आप टिल्ट कर के कह देते हो। आप यह देखो।

डा. सी. पी. जोशी : आप राठौड़ साहब, मुझ से कम पढ़े-लिखे हो, मैं जो फीगर दे रहा हूं चैक कर लेना।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कम्पेयर कर रहा हूं।

डा. सी. पी. जोशी : एक मिनट रुको, मैं कम्पेयर किससे कर रहा हूं ? आप अपनी विद्वता लगाएं, मैं कम्पेयर कर रहा हूं, 2003-2004 में आपने प्रतिशत बताया ज्यादा हुआ हमारा, उससे कम्पेयर किया मैंने। वह 2000-2001 में 8751 से कम है, आप पढ़ लेना आंकड़ों को।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : 2002-2003 7608 रुपये। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : आगे पढ़िये प्रतिवेदन में।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह देख लो, यह रहा।

डा. सी. पी. जोशी : नहीं, मैं अपने मन से नहीं पढ़ रहा हूं, मैं भी यही पढ़ रहा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह पेज लो न।

डा. सी. पी. जोशी : यह पढ़िये, यह लीजिए। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह डाकूमेंट सरकार का डाकूमेंट है, यह क्या पता कहां से लेकर आये हैं।

डा. सी.पी. जोशी : यह सरकार का डाकूमेंट है, आप पढ़िये। बिराजिये, पेज निकालिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उसके बाद प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है ,8571 यह खुशहाली का प्रतीक है वसुन्धराजी के शासन में आने के बाद।

डा. सी. पी. जोशी : आप आधा पढ़ कर आये हैं। यह पेज है आर्थिक समीक्षा-2002, पेज नम्बर-4, यह पढ़ रहा हूं मैं, 1998-99.

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आर्थिक समीक्षा 2003-2004 पढ़िये आप। इसका पेज नम्बर यह निकालिये आप, यह पेज पढ़िये आप।

डा. सी. पी. जोशी : 2003-2004 आप पढ़ रहे हैं....(व्यवधान)... 2003 बोल रहा हूं, श्रीमान। ऊंचा सुन रहे है क्या ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इसको देख लो न आप, प्रति व्यक्ति आय स्थिर कीमतों पर।

डा. सी. पी. जोशी : आप बिराजिये, मैं पेज नम्बर-4 पढ़ रहा हूं। यह कोई राठौड़ी नहीं है, यह कागज का मामला है। यह पेज-4 मैं पढ़ देता हूं। ठीक रहेगा, सभापति महोदय। 1997-98 में 8601, 1998-99 में 8754, 1999-2000 में 8555, 2000-2001 में 8104, 2001-2002 में 8571, 2002-2003 में 7608.

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हां, यह न।

डा. सी. पी. जोशी : अकाल पडा हुआ था, हां क्या? इसी को बोल रहा हूं मैं। आगे बोलिये। 2003-2004 में 8571, यह किससे ज्यादा है?

(डा. सी. पी. जोशी)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बढ़ी कि कम हुई प्रति व्यक्ति आय?

डा. सी.पी. जोशी : आप सुन रहे हैं क्या ? मैं कह रहा हूं यह 1998-99 से कम है। मैं यह बात बोल रहा हूं, आप क्या बातें कर रहे हैं । आप अपनी आधी बात बता रहे हैं। मैं यह बता रहा हूं कि आपको यह जो एडवांटेज मिला है वह पिछली बार बरसात अच्छी होने से एग्रीकल्चर सैक्टर में। वह फीगर भी लेकर आया हूं मैं, उसी को मैं कोट करना चाहता हूं। आप इसको देख लीजिये। पेज 11 पढ़िए, राठौड़ साहब जरा फुर्सत निकालिए शाम को। शाम को पढ़ने का समय निकालिए। सभापति महोदय, आप इन बातों को देखिए।

श्री टीकमचन्द कान्त : इसका मतलब क्या हुआ, शाम को पढ़ने का समय निकालिए?

डा. सी. पी. जोशी : वह मेरे मित्र हैं, वह जानते हैं।

श्री सभापति : आप केवल दो मिनट में कनक्लूड करें।

डा. सी. पी. जोशी : मैं कनक्लूड कर रहा हूं, सभापति महोदय। (व्यवधान) आप चाहें कि मैं मुख्य मंत्री की बड़ाई करके बैठ जाऊं तो बैठ जाऊं। आप चाहें कि मैं सत्य बोल रहा हूं तो कोई हिम्मत करके बोलने दे। वसुन्धराजी का काम हुआ, तब हुआ, मैं भी उसमें सम्मिलित होना चाहूं, आप नहीं चाहते हो तो बैठ जाऊं मैं। बाकी बात को समझने के लिए तर्क तो समझना पड़ेगा कि हम कहां जा रहे हैं, क्या स्थिति बनी हुई है।

श्री सभापति : उनका नाम अच्छा हो, वह तो बजट पेश करते ही हो गया उनका नाम। आप अपनी बात कहें।

डा. सी. पी. जोशी : मैं बाइंड अब कर रहा हूं। सभापति महोदय, आप उठा कर देखे, मैं सब आंकड़े लेकर आया हूं। 2003-2004 में आय कम हुई। राठौड़ साहब बोले, बहुत अच्छे बोले। आबकारी विभाग, यह तो अपना ही है, आबकारी विभाग में 2002-2003 में हाईएस्ट रेवेन्यू कलेक्शन हुआ है। अकाल पडा हुआ था, तकलीफ थी, पर

रेवेन्यू कलेक्शन सही है। अल्प बचत में 2002-2003 में 3398, पिछले साल से हाईएस्ट रेवेन्यू कलेक्शन। सभापति महोदय, राजस्थान, पंजीयन मुद्रांक 2002-2003 में पिछले समय से हाईएस्ट 515.71 करोड़ रुपये। यह की यह स्थिति सैल्स टैक्स में है। यह क्या इंडिकेट करता है सब? यह इंडिकेट करता है कि जो हम फीगर कह रहे हैं 2002-2003 से हमारी कर कैपिटा इनकम, जो आप फीगर कोट कर रहे हैं कि हमारा यह पैसा बढ़ा है, पर कैपिटा इनकम है, यह इस बात को इंडिकेट करता है। सभापति महोदय, 1998-99 में, 1999 जिसको मैंने बेस ईयर बनाया, 1998-1999 में 8754 जब प्रति व्यक्ति आय थी, राठौड़ साहब, तब आबकारी, मुद्रांक, एक्साइज, सैल्स टैक्स उसमें रेवेन्यू कलेक्शन कम था। अब आप 2002-2003 जिसको हम आधार मान कर कह रहे हैं कि हमने प्रगति की है, उस समय एक्साइज का लगा लें, मुद्रांक का लगा लें, सेल्स टैक्स का कनक्लूजन लगा लें, हाइएस्ट हुई है। यह इंडिकेट करता है कि हम जिनके आधार पर अपने ड्रा करना चाहते हैं वह इरोनियस है, गलत है। लोगों की माली हालत यह इंडिकेट करती है कि हमने जो पैरामीटर बना रखा है वह पैरामीटर ठीक ढंग से नहीं है। अब समय आ गया है, हमारा पैरामीटर होना चाहिए।

एच.आर.डी., हैल्थ में हमने कितने फीगर को पूरा किया? हम को बताना चाहिए कि हमने एजुकेशन में क्या काम किया। माननीय घनश्यामजी बैठे हुए हैं, मैं एजुकेशन पर कुछ बोलना नहीं चाहता, पर मैं एक चीज कहना चाहता हूं घनश्यामजी को कि 6 से 14 साल के एक करोड़ 10 लाख बच्चे हैं, पर आपको जानकारी है कि 14 से 17 साल के दसवीं स्कूल में 16 लाख बच्चे हैं, कालेज में 2.82 बच्चे हैं, यह क्या इंडिकेट करता है। एक करोड़ बच्चे पहली क्लास में पढ़ रहे हैं उस से कालेज में केवल मात्र 2.82 लाख हैं, यह हमारा ह्यूमन रिसोर्स् डवलपमेंट है। हमने ह्यूमन रिसोर्स डवलपमेंट के नाम पर मेडिकल इंडस्ट्री खोल दी, हमने ह्यूमन रिसोर्स के नाम पर टैक्निकल इंडसट्री खोल दी, मैं घनश्यामजी से विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि आई.टी. से जोड़िये, नहीं तो इनकाम्पीटेंट, अनपढ़े-लिखे लोग इंजीनियर बन कर आंएगे। यह व्यवस्था अगर रहेगी तो लोग हमारे पर प्रश्न उठाएंगे कि हमने नालेज सोसायटी पैदा नहीं की, हमने इनकाम्पीटेंट आदमी को पैदा किया है। यदि एम.आर.ई.सी. में, सुनिये, आप कह लेना, आज मेडिकल कालेज, एस.एम.एस. में प्रोफेसर की पोस्टें खाली हैं, मेडिकल कौंसिल की जो रिकमण्डेशन है कि किसी मेडिकल कालेज में 500 बैड का हास्पिटल होना चाहिए, कितनी प्रोफेसर की पोस्टें होनी चाहिए, आज राजस्थान सरकार ने मेडिकल कालेज चाहे कोटा में हो चाहे जयपुर में हो, उन पोस्टों को नहीं भरा है। आज इंजीनियरिंग कालेज जो कोटा में है, एम.आर.ई.सी. मैं और दूसरी जगह पर हैं (व्यवधान) यह काम नहीं किया तो हमने

काम किया। माननीय घनश्यामजी जो हम कहना चाहते हैं आपके सामने (व्यवधान)

श्री तगाराम चौधरी : मैं यह जानना चाहता हूं कि ये जो खाली पद हैं ये कब से हैं ? यह आप ही बता दें।

डा. सी. पी. जोशी : क्या कहा तगारामजी आपने?

श्री तगाराम चौधरी : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से जानना चाहता हूं कि ये खाली पद कब से हैं?

श्री सभापति : आपको इनसे जानने की जरूरत नहीं है।

एक माननीय सदस्य : यह आपकी समझ से बाहर है मामला।

डा. सी. पी. जोशी : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि एजुकेशन का जो बजट का प्रोजेक्शन आपका है उसमें मेहरबानी करके तीन चीजों को चैक कर लें, भावना में नहीं बहें। आज भी पांचवीं क्लास में, वर्ड यूज कर रहा हूं, 100 में से 70 स्कूल में 20 लड़के नहीं हैं। आज भी 100 में से 70 यू.पी.एस. में आठवीं क्लास में 20 लड़के नहीं हैं। आज भी 100 में से 70 सैकेण्डरी स्कूल में 20 लड़के नहीं हैं। आप हम पर नाराज हो सकते हैं, हमने टीचर नहीं भरे हैं आप टीचर भर देना, पर आपके एस्टेब्लिशमेंट को (व्यवधान) माननीय घनश्यामजी, अगले चार साल तक आप शिक्षकों को भर्ती नहीं कर सकेंगे और लोगों को रोजगार नहीं दिला सकेंगे।

आपको करने की आवश्यकता है। हिम्मत से फैसला करने की आवश्यकता है कि पंचायती राज में जो शिड्यूल-7 है उसमें क्या एनविसेज किया गया है कि एजुकेशन में हम पब्लिक का पार्टिसिपेशन करेंगे, हैल्थ में पब्लिक का पार्टिसिपेशन करेंगे, किसने रोका आपको। आज पंचायत की स्कूल में पहली क्लास में 75 लड़के बैठे हुए हैं, उनकी पढ़ाई का काम करें, चार-चार मास्टर लगा सकें। हमें फैसला करना पड़ेगा, यदि पांचवीं क्लास तक के बच्चों को एग्जामिनेशन लेकर आगे बढ़ा रहे हैं, डोंट कम्प्रोमाइज विद क्वालिफिकेशन, एस.टी.सी. टीचर लीजिए आप, लेकिन मेहरबानी करके एस्टेब्लिशमेंट को रिड्यूस करने का काम करिए। आप 37 हजार टीचर की भर्ती कर रहे हैं, आपको मुबारकबाद, पर ये 37 हजार कम्प्यूटर इललिट्रेट अगले पच्चीस साल तक इस राजस्थान के बच्चों में कम्प्यूटर इललिट्रेट पैदा करेंगे, उसकी जिम्मेदारी, घनश्यामजी तिवाड़ी, आप पर होगी। जमाना बदल गया है, आपको सीखना पड़ेगा कि

एस.टी.सी. की जरूरत है कि कम्प्यूटर की जरूरत है।

कोर्ट ने फैसला किया है कि एन्वायरमेंट की व्यवस्था करें, कोर्ट ने फैसला किया है कि दूसरी व्यवस्था करें।

डा. एन. एस. गुर्जर : एक मिनट, आप इजाजत दें तो, सभापति महोदय, आपने कम्प्यूटर शिक्षा पिछली बार जब आप मंत्री थे, आपने लागू की थी, उसका क्या हाल हुआ?

डा. सी.पी. जोशी : अभी मैं बता रहा हूं। मैं समझता हूं, घनश्यामजी, अच्छी बात छेड़ी। मैं रिपीट कर रहा हूं वापस, बहुत क्लीयर हो जाएगा इसमें।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली) : मैं कहना चाहता हूं कि कम्प्यूटर चालू हुआ, पर आज राजस्थान में सबसे ज्यादा रोजगार की जरूरत है। मंत्री महोदय ने 37 हजार बच्चों को जो रोजगार देने का वादा किया है, वह बहुत जरूरी है। आज लोग घर-घर घूम रहे हैं, बेरोजगार होकर घूम रहे हैं, 37 हजार टीचरों को लगाने का...

डा. सी.पी. जोशी : धन्यवाद दिया है मैंने, बाली से आने वाले सदस्य, मैंने धन्यवाद दिया है।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह : आपने पांच साल तक किसी को लगाया नहीं, 1200 रुपये में आपने उनको रोजगार पकड़ाकर ऐसी स्थिति में खड़ा कर दिया।

श्री सभापति : माननीय सी.पी.साहब कनक्लूड करें।

डा. सी.पी. जोशी : हमने जो किया है, माननीय बाली से आने वाले सदस्य, चार साल बाद नमस्कार करेंगे। फण्ड-फंक्शनरीज ट्रांसफर कर लेंगे पंचायती राज की, तब आगे बात करना।

मैं यह कह रहा था, माननीय घनश्यामजी, आपसे, इसको भी क्लीयर कर लेना चाहिए। सबसे पहले हायर एजुकेशन में हमने कम्प्यूटराइजेशन प्रारम्भ किया, 800 रुपये ले रहे हैं उसमें, आई.सी.आर. और एप्टेक के ऊपर है। नाथूसिंहजी जाकर देखना कालेज में, किसी भी कालेज में इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं है। मैंने शिक्षा मंत्री बनने के बाद एक टेंडर, जो प्राब्लम थी कि उन्होंने खाली लोकेशन के आधार पर टेंडर कर दिया, हमने कहा, लोकेशन के आधार पर नहीं होगा, यू स्टार्ट विद साइंस एण्ड कामर्स, उनके

(डा. सी. पी. जोशी)

624 कम्प्यूटर कम्पनी को दिये। उसकी आप जांच करवा लें। बाकी 1360 कम्प्यूटर एजुकेशन सरकार ने स्टार्ट की है उसमें सी.पी. जोशी शिक्षा मंत्री नहीं था। वे 1360 स्कूल हैं जहां कम्प्यूटर की फीस ले ली गयी है और कम्प्यूटर उपलब्ध नहीं है। कम्प्यूटर में क्या हो गया, खड़ा करके फांसी दे देना, लेकिन भगवान के लिए राजस्थान के बच्चों को कम्प्यूटर इललिट्रेट पैदा मत करना, वर्ना लोग आप पर प्रश्न उठाएंगे। (व्यवधान) ई-गवर्नेंस की बात कर रहे हैं....

डा. एन. एस. गुर्जर : हम यह नहीं कह रहे हैं। कम्प्यूकाम का घोटाला किसने किया?

डा. सी.पी. जोशी : मैंने किया, बैठो आप, मैंने किया। (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर : आपने किया, ठीक है।

डा. सी. पी. जोशी : मैंने किया, सज़ा दे देना। आपको तकलीफ है, आठ महीने में... (व्यवधान) सज़ा नहीं दे सकते हो। मैंने किया तो मुझे सज़ा दे देना।

डा. एन. एस. गुर्जर : इनसे घोटाले मत करवाइये, घनश्यामजी से।

डा. सी. पी. जोशी : आप रोक लेना।

श्री संयम लोढा: अगर घोटाला किया है तो आठ महीने से आप का राज है आप क्या कर रहे हो ? किसी ने हाथ बांधे हैं क्या ?

डा. एन. एस. गुर्जर : जांच करवाई है, जांच कैसी आयी, यह मैं आपको बताऊंगा ।

डा. सी.पी. जोशी : आप जांच करवा लेना। (व्यवधान) आपने बहुत अच्छा किया, पर नाथूसिंहजी पंचायती राज मंत्री की तरह मैंने वह कोई काम नहीं किया कि दुबारा मुझे मंत्री नहीं बनावें।

मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, पहले इंट्रोस्पेक्शन करना, फिर बात करना। सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं यह हमारी जिम्मेदारी है, समझने की आवश्यकता है इस बात की।

(डा. सी. पी. जोशी)

डा. एन. एस. गुर्जर : आप ही पहले ऐसे पंचायत मंत्री थे, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने श्रीमती सोनियाजी जब आई थी, वहां स्टेज पर आपको बोलने नहीं दिया प्रतिनिधियों ने, आप ही पहले मंत्री थे।

डा. सी.पी. जोशी : तब भी मैं चार साल मंत्री रहा। आपको तो मंत्री नहीं बनाया, अभी ध्यान हैं ? मैं तब भी चार साल सरकार में मंत्री रहा, आपको सरकार ने मंत्री नहीं बनाया, ध्यान रखना। (व्यवधान)

माननीय सभापति महोदय, मैं अपनी बात को बाइंड अप करना चाहता हूं। एक ही बात माननीय घनश्यामजी तिवाड़ी से निवेदन करना चाहता हूं, मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि टेली मेडिसिन की बात राजस्थान में प्रारम्भ की। टेली मेडिसन की तरह ही राजस्थान में, घनश्यामजी, हमें टेली एजुकेशन की बात करनी पड़ेगी और खास तौर से टैक्निकल एजुकेशन में करनी पड़ेगी। टेली एजुकेशन का हमने काम कर लिया तो हम इंजीनियर कालेज में काम्पीटेंट एजुकेशन को इम्पार्ट कर सकेंगे, आपकी एजुकेशन में एस्टेब्लिशमेंट कास्ट रिड्यूस होगी।

इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस टेली मेडिसन की तरह टेली एजुकेशन का काम भी न केवल टैक्निकल एजुकेशन में करें, बाकी स्कूलों के अन्दर भी करें जिससे उसका लाभ दूर-दराज के इलाकों को मिल सके। कास्ट आपकी रिड्यूस हो सके, अध्यापकों की कमी होने के बाद भी पढ़ाई ठीक ढंग से हो सके, इन चीजों को भी आपको सोचने की आवश्यकता है।

अन्त में मैं एक बात कहकर आपको धन्यवाद दूंगा। धन्यवाद कि पांच साल आपको सरकार करने का अवसर मिला। धन्यवाद इस बात का कि राजस्थान की जनता ने आपको अवसर दिया। पांच साल में हमने क्या किया, क्या-क्या नहीं किया, वह हमने भुगत लिया और बैठे हुए हैं। मेहरबानी करके आपको भुगतने के लिए राजस्थान की जनता नहीं भुगतेगी। राजस्थान की जनता को ओ करते हैं आप और हम सब, इसलिए आप और हम सब मिलकर हमारा कर्तव्य बनता है कि हम राजस्थान में बहबूदी लाने का काम करें।

यह अवसर मिला है कि हम फिजिकल जो हमारा सिस्टम है उसको कंसोलिडेट करें। भारत सरकार ने जिस तरह की व्यवस्था की है, 150 जो आपके बैकवर्ड

(डा. सी. पी. जोशी)

डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें फूड फार वर्क का काम चलेगा, महाराष्ट्र पैटर्न की तरह 100 दिन का काम मिलेगा। आपको पैसा वहां से मिल रहा है। एग्रीकल्चर के अन्दर यदि किसान डिफाल्टर है तो डबल उसको क्रेडिट की व्यवस्था की है। मैंयूफैक्चर सैक्टर में सरकार ने सब्सिडी दी है और सब्सिडी का पार्ट बढ़ाया है, एक करोड़ रुपये तक का काम किया है। आने वाले वर्षों में भारत सरकार यह बात जानती है और कहा है हमारे वित्त मंत्रीजी ने, बैक टू बैक बेसिस पर जो पैसा हमको ट्रांसफर हो रहा है एक्सटर्नल एजेंसीज से, हम राजस्थान सरकार को या अन्य स्टेट्स को देंगे। यह सिल्वर लाइनिंग है जिस लाइन के आधार पर हम आने वाले समय में किस तरह से नोन डवलपमैंट एक्सपैंडिचर है उसको कम करें, सोशल सैक्टर में हमारा एक्सपेंडिचर हम बढ़ाएं।

ये यार्डस्टिक होंगे जिन यार्डस्टिक के आधार पर हम कह सकेंगे कि राजस्थान ने बजट प्रस्तुत किया है वह बजट राजस्थान में आगे बढ़ने का काम है। नहीं तो जिस तरह से सोशल इंजीनियरिंग के नाम पर मंत्री बनाया है, जिस तरह से इनकाम्पीटेंस के आधार पर मंत्री बनाने का काम करोगे, न तो आपकी गवर्नेंस ठीक ढंग से चलेगी, न उसका लाभ लोगों को मिल सकेगा।

अच्छी गवर्नेंस के लिए आखिर में अपनी एक बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। गवर्नेंस के लिए कहा, मिसगवर्नेंस के बारे में कहा गया है कि लैक आफ रिड्रेस, लोगों की बात नहीं सुननी...

Lack of voice, lack of ordinary justice and the inability to assess the basis rights and the governance is an empowerment of the common man.

अच्छे शासन का मतलब आप एम्पावरमेंट करें। आपने एम्पावरमेंट कैसा किया, ऐसा किया, वह मेडिकल कालेज का स्वर्णकार जानता है। आपने एम्पावरमेंट कैसा किया, वह अजमेर का कांस्टेबल जानता है। आपने एम्पावरमेंट कैसा किया। जिस तरह आज राजस्थान में हालत बनी वह आपके सामने है। निजी निवेश को आकर्षित करेंगे, वह क्या व्यवस्था करेंगे, यह आपके सामने है।

(15:28 बजे)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

(श्री रामकिशोर मीणा)

ईस्ट इण्डिया कम्पनी चला रहे हैं उसको रोकने का काम करना, नहीं तो ईस्ट इण्डिया कम्पनी कहीं आपकी पार्टी को नहीं डुबो दे। उसका भी ध्यान रखने की आवश्यकता है, नहीं तो आने वाले समय में लोग यह कहेंगे कि मेन्डेट मिला था वसुन्धराजी को, एक मुख्य मंत्री को मेन्डेट मिला था, जिसके मन में राजस्थान को आगे बढ़ाने की कल्पना थी, लेकिन उनके साथियों ने उस मेन्डेट को लाजिकल कनक्लूजन देने का काम किया । यह जिम्मेदारी किसी पर आएगी, तो 120 जो सदन में आदमी बैठे हुए हैं उन पर जिम्मेदारी आएगी। हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी बातों को आपके सामने कहें।

इसलिए हमने कहा है कि जिस आधार पर बजट को अच्छा बजट कहा जाए, वह आधार ठीक आधार नहीं है। आपने बजट की साइज बढ़ायी है लेकिन सोशल सैक्टर में इन्वैस्टमेंट नहीं बढ़ाया है। आपने बजट की साइज बढ़ायी है लेकिन नान डवलपमेंट एक्सपेंडिचर को कम नहीं किया।

आपको भारत सरकार से फिजिकल पैसे का एलबो मिला है, आपने फिजिकल कंसोलिडेशन नहीं किया है, रेवेन्यू डैफिसिट कम करने का काम नहीं किया। परन्तु आपने एक अच्छा काम किया है एक्ट लाने का, भगवान आपको ताकत दे, उस एक्ट के आधार पर आप फाइनेंसेज को राजस्थान में ठीक करें जिससे आने वाले समय में हम राजस्थान में बहबूदी ला सकें, ह्यूमन रिसोर्सेज का डवलपमेंट कर सकें, नालेज सोसायटी में बना सकें और राजस्थान को अग्रणी प्रदेशों में ला सकें। तब हमें खुशी होगी कि जो बजट मुख्य मंत्रीजी ने रखा, वह सार्थक बजट है और भविष्य में उसका लाभ मिल सकेगा। इन्हीं शब्दों के साथ जो आपने मुझे अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशोर मीणा।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने जो बजट प्रस्तुत किया है, उसका सर्वत्र स्वागत हुआ है।

अपने पुराने अनुभव के आधार पर राजस्थान के प्रत्येक क्षेत्र में जाकर भौगोलिक दृष्टि से कहां कौन-सी चीज की आवश्यकता है, कौन-सी चीज विद्यमान है, उसका समुचित समायोजन करके राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में हम किस प्रकार बहबूदी

(श्री रामकिशोर मीणा)

ला सकते हैं, अग्रणी राज्यों में राजस्थान को ला सकते हैं, इस सबको शामिल करते हुए यह बजट प्रस्तुत किया है।

आज से पूर्व जितने भी बजट प्रस्तुत किये गये हैं, उनमें अंक गणित का जाल बिछा कर कि आम आदमी उसको समझ नहीं सके, इतने अधिक मद दे दिये जाते हैं कि जब बजट समाप्ति पर होता है, जब उसका कार्यकाल पूरा होता है, अगले वित्तीय वर्ष में उसका जब समायोजन करते हैं तब पता लगता है कि कई मद तो ऐसे हैं कि जिनमें बजट के प्रावधान होते ही नहीं हैं, केवल लोक लुभावन के लिये बजट में इस प्रकार की व्यवस्था की जाती है, और जो वास्तविकता से परे होते हैं।

अब से पहले जितने भी बजट आए हैं, सरकार बदलने के बाद ज्यादातर टैक्स लगाकर बजट प्रस्तुत करने की प्रक्रिया रही है। जिस तरह की परिस्थिति रही है, पिछली सरकार की तरह न तो इस सरकार ने और न माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने यह रोना रोया कि हमारे पास पैसे नहीं हैं और हम इस प्रकार यहां आयोजन करेंगे। जो भी हमारे पास क्षमता है उसके साथ ईमानदारी से और दृढतापूर्वक प्रत्येक क्षेत्र, महिलाओं और समाज के सबसे पिछड़े तबके, निम्नतम वर्ग के व्यक्ति को इससे सम्बल देने का प्रयास किया गया है। पहली बार इस प्रकार का प्रयोग किया गया है।

इस बजट से पहले जितने भी करदाता रहे हैं उनको सम्मान वाली स्थिति कभी नहीं मिली। जो कर चोरी करते थे उनको ज्यादा रियायतें मिलती थी, और वे जान बूझकर, येन-केन प्रकारेण करवंचना करने का प्रयास करते थे। पहली बार बजट में कर प्रस्ताव इस प्रकार के किये गये हैं कि आम आदमी अपने सहयोग से, खुद यह प्रयास करे कि मुझे सरकार को टैक्स देना है। इतना साधारण रूप से तय किया गया है कि हर आदमी अपनी इच्छा से टैक्स जमा कराए और उस आधार पर सरकार की रेवेन्यू बढ़े। अर्थशास्त्र में सिद्धान्त भी है कि टैक्स स्लैब जितने ज्यादा हाई होंगे उतना ही टैक्स इवेजन होगा तो टैक्स कम करके इस प्रकार का प्रयास किया गया है। जो टैक्स समय पर देते हैं उनको सम्मान देने का भी पहली बार बजट में प्रावधान हुआ है। टैक्स चोरी करने वालों को जहां हतोत्साहन मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ समय पर टैक्स देने वालों को लाभ भी दिया जाएगा और सम्मान भी मिलेगा।

अध्यक्ष महोदय, अब तक के बजटों का यह प्रावधान रहा है कि जहां हम एक रुपया प्राप्त करते हैं, वहां उसकी प्राप्ति के लिये 1.19 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। यह

(श्री रामकिशोर मीणा)

स्थिति इस कारण भी होती है कि हमारे जितने भी संसाधन हैं, बार-बार चुनाव के कारण टैक्स लगाने से बचते हैं और घाटे की अर्थव्यवस्था इस कारण अपनानी पड़ती है। केन्द्र सरकार पर भी हमें बहुत ज्यादा निर्भर रहना पड़ता है। लेकिन इस बजट में इस प्रकार का आर्थिक प्रबंधन किया गया है कि उसके आधार पर योजनाओं को गहराई से ले करके कुल राजस्व की हानि पिछले समय में जो 30 परसेंट होती थी, अब उसको कम करके 22.5 परसेंट किया गया है, इस प्रकार करीब छह करोड़ की हमने बचत की है। 2002-2003 में 30 परसेंट था, 2003-2004 में घटाकर 22.5 परसेंट होने से राज्य को केन्द्र से प्रेरणास्वरूप साठ करोड़ की प्रोत्साहन राशि भी मिली है, यह भी पहली बार हुआ है। किस प्रकार हमने आर्थिक प्रबंधन किया, यह इसका नतीजा है।

परिवर्तन यात्रा, धन्यवाद यात्रा और उसके बाद मुख्य मंत्री बनने के बाद प्रत्येक क्षेत्र में जाकर प्रत्येक वर्ग के रूबरू होकर उनकी समस्याओं को बजट के मार्फत हल करने का प्रयास स्तुत्य है और इसको अपनाने से पूरे राजस्थान में बहबूदी का वातावरण बनेगा, राजस्थान अग्रणी राज्यों में होगा।

राजस्थान में विपुल प्राकृतिक सम्पदाओं का उचित दोहन हो सके और राज्य की ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू बढे, प्रकृति ने भी साथ दिया है। जहां मुख्य मंत्री तथा सरकार का दृढ़ इरादा होता है, इच्छा शक्ति प्रबल होती है तो नि:संदेह उनके ऊपर ईश्वर भी कृपा करता है। पिछले समय से हमारी आर्थिक स्थिति अब सुदृढ़ हुई है, कृषि उत्पादन बहुत बढ़ा है। कृषकों के ऊपर जब बहुत बड़ी समस्या आई कि ज्यादा उत्पादन होता है तो बहुत कम पैसा मिलता है उसी समय सरकार ने अपना हस्तक्षेप करके किसान को समय-समय पर सम्बल देने का प्रयास किया है। बजट में भी यह प्रावधान किया गया है कि ज्यादा उत्पादन पर फसल की कीमत बाजार में कम है तो निश्चित प्राइस तय करके सरकार खुद खरीदेगी तथा मार्केट में इंटरवेंशन करेगी।

राजस्थान में रेवेन्यू बढ़ाने के लिये मेरा सरकार को सुझाव है चोरियां होती हैं, पहले दूसरे प्रकार की चोरियां होती थीं लेकिन आजकल दूसरे ढंग की हैं जैसे बिजली की चोरी, पानी की चोरी। आज स्थिति यह है कि जो जितनी ज्यादा चोरी करता है उसको उतना ही ज्यादा लाभ मिलता है। कर चोरी को रोकने के बहुत अच्छे प्रयास अब से पहले नहीं हुए। ये प्रयास यदि हम करेंगे तो निश्चित रूप से सरकार की रेवेन्यू बढ़ेगी और हमारी योजनाओं को कल्याणकारी बनाया जा सकेगा।

(श्री रामकिशोर मीणा)

बजट में सबसे पहले पिछड़े वर्ग और किसान को विशेष तौर से लाभ देने का प्रयास किया गया है। राजस्थान का किसान जो लगातार अकाल से जूझता रहता है, हमेशा प्रकृति पर निर्भर है, पहली बार फसलों का बीमा करके उसको सम्बल देने का प्रयास स्तुत्य है। मेरी इसमें मांग है कि पूर्वी राजस्थान की सबसे प्रमुख फसल सरसों को भी इसमें शामिल कर लिया जाए तो बहुत बड़े भू-भाग को इसका लाभ मिलेगा।

किसी उद्योग को लगाने के लिये आज आधारभूत सुविधा बिजली, पानी का होना बहुत जरूरी है, सड़कों का जाल बिछाना भी आवश्यक है, इस सबके बाद रोजगार के साधन बढ़ते हैं। सरकारी नौकरियां तो आज सीमित मात्रा में हैं, उनको पूरा करने के साथ-साथ स्ववित्त पोषण या सरकारी अंशदान के द्वारा उद्यमी किस प्रकार अपने उद्योग धंधों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकते हैं, इस प्रकार का प्रयास भी बहुत अच्छा है।

सबसे बड़ी एक समस्या, ग्रामीण क्षेत्रों में असामयिक दुर्घटनाएं होती हैं, प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, उस समय सरकार की तरफ से कोई न कोई राहत प्रदान की जाती है, लेकिन हम देखें तो यह बहुत कम है। विशेष तौर से जिस समय ग्रामीण क्षेत्रों में अग्निकांड होते हैं, बीमा नहीं होता तो कभी-कभी ऐसी स्थिति हो जाती है कि सरकारी राहत ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर होती है। इस बजट में यदि और प्रावधान किया जाए तो ज्यादा सार्थक होगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट में सभी प्रकार के प्रावधान किये गये हैं, कुछ और सुझाव भी मैं इसमें अपनी और से देना चाहूंगा। देवस्थान विभाग की बहुत बड़ी परिसम्पत्तियां राजस्थान में हैं और समय-समय पर इनका सत्यापन होता रहता है। मेरा अनुभव रहा है कि ये परिसम्पत्तियां जमीनें हैं, मंदिरों की जमीनें हैं, सैंकड़ों बीघा में हैं और राज्य तथा राज्य के बाहर भी हैं, वे समय-समय पर पुजारियों के द्वारा, अन्य के द्वारा बेच दी गयी हैं और उन पर काश्तकार काबिज हो गये हैं। बहुत लम्बे समय से वे काबिज हैं।

एक योजना पहले भी बनी थी लेकिन वह जमीन जो काश्तकारों ने अपने कब्जें में ले ली है, वे किसी भी कीमत पर उसको वापस करने को तैयार नहीं हैं। लेकिन वह उनकी खातेदारी में नहीं चढ़ सकी। तो इस प्रकार की योजना बनाएं वे खातेदार आज की कीमत के पैसे देने के लिए तैयार हैं, उसकी रजिस्ट्री कराने के लिए तैयार हैं।

(श्री रामकिशोर मीणा)

वर्षों से केस उनको कोर्ट में झेलने पड़ रहे हैं उनको यदि बंद कर दिया जाए, उन्हें जमीन बेच दी जाए तो आज की कीमत में वे खरीदने को तैयार हैं। उससे जो पैसा आएगा उसको उस मंदिर के नाम से जमा करके लगा दें। इससे सरकार की आय भी बढ़ेगी और उसके साथ-साथ में मंदिरों का भी पुनरूद्धार होगा। इसमें जो योजना बनाई है- 'अपना काम, अपना धाम और अपना नाम' यह योजना बहुत अच्छी साबित होगी।

इसके साथ-साथ सड़कों का जाल बिछाने की इन धार्मिक स्थानों पर बहुत आवश्यकता है, ऐसे स्थानों पर जो किसी भी कारण से सड़क मार्ग से अछूते रहे हैं, उनको यदि डवलप किया जाए तो उससे बहुत बड़ा रोजगार भी मिलेगा क्योंकि एक भी धार्मिक स्थान का डवलप करते हैं तो उससे हजारों आदमियों को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फायदा मिलता है, रोजगार भी मिलता है। तो ऐसे जो स्थान हैं उनको भी इससे जोड़ा जाना चाहिए। इसमें बजट में जो यह प्रावधान किया गया है यह एक बहुत ही अच्छा कार्य है।

अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी महलों से आयी हैं लेकिन उन्होंने गरीब की झौंपड़ी तक जाकर यह जानने का प्रयास किया है कि उन्हें किस प्रकार का दर्द है, किस प्रकार की पीड़ा है। गृहणियों को हर प्रकार की सुविधा जुटाने का प्रयास किया है, मध्यम वर्ग तथा उच्च वर्ग सभी का इसमें समावेश किया गया है और इसके लिए किसी न किसी प्रकार से बहुत अच्छे मानदण्ड तय किये गये हैं।

अध्यक्ष महोदय, आज से पहले होता ही आया है कि बजट में प्रावधान तो कर दिये जाते हैं लेकिन बजट अनुमान और जो वास्तविकता है, हम देखते हैं कि बजट जब पूरा होता है तो उसकी आय और व्यय के अनुमानों में बहुत बड़ा अंतर रह जाता है। उस अंतर को अगले बजट में हमको समावेश करना पड़ता है। पहली बार यह बजट है जिसमें सभी चीजों का चाहे वह सौ दिन की कार्य योजना हो, चाहे एक वर्ष की हो, चाहे पांच वर्ष की हो, लक्ष्य तय करके और लक्ष्यों को पूरा करने के लिए किस प्रकार के साधनों की आवश्यकता होगी। इसकी पूरी व्यवस्था इसमें की गयी है। सौ दिन की कार्य योजना में हमने देखा है कि ऐसे-ऐसे लक्ष्य दिये गये हैं जिनको सामान्य तौर से करना सम्भव नहीं था। मुख्य मंत्रीजी के अथक प्रयासों से विशेष तौर से इसमें एक व्यवस्था ऐसी की गयी है, पिछले समय में भी बिजली उतनी ही थी, कांग्रेस के शासन में बिजली उतनी ही थी, उत्पादन हो रहा था, लेकिन रात को बंद कर देते थे, काश्तकारों को

बिजली नहीं मिल पाती थी, तीन-तीन, चार-चार घंटे पर मिल पाती थी, उस उत्पादन का माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पूरा सदुपयोग किया। उसके आधार पर इस प्रकार की मानिटरिंग भी की, यहां पर स्पेशल सहयोग के आधार पर श्रीमान लादूरामजी विश्नोई को लगाया और उन्होंने गांव-गांव में मानिटरिंग की। गांव में एक प्रकार का सैल बना हुआ है, पी.एच.ए.डी. का भी बना हुआ है। बिजली विभागों भी बना हुआ है। किसी गांव का व्यक्ति यदि उस पर टेलीफोन करता है तो समुचित कार्यवाही की जाती है। यह भी पहली बार हुआ है। कि जो बहुत ज्वलंत समस्याएं गांव की पानी की और बिजली की हैं, बिजली कहां पर आठ घंटे से कम आयी या चौदह घंटे या सोलह घंटे तक नहीं आयी, उसके बारे में पूरी व्यवस्था की जाती है।

जहां पर किसी अधिकारी द्वारा कोताही बरती जाती है, यहां पर भी प्रयोग किया कि डायरेक्टरी उठायी और किसी गांव में किसी भी नम्बर पर टेलीफोन किया, उसने बताया कि हमारे यहां पर बिजली कितने घंटे आयी, उसके बताने में और अधिकारी के बताने में अंतर आया तो अधिकारी के खिलाफ एक्शन भी लिया। उसी कारण से वह व्यवस्था की गयी। अधिकारी भी वही थे, बिजली भी वही थी, लेकिन आर्थिक प्रबन्ध इस प्रकार था कि सीमित साधनों में भी उसका उपयोग करके माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने राजस्थान के किसान को बहुत बड़ी राहत दी। उसका प्रमाण है कि राजस्थान दूसरे प्रान्तों से अछूता रहा, यहां पर 25 में से जो लक्ष्य तय किये गये थे उसमें से 21 सीटें भारतीय जनता पार्टी को लोक सभा के चुनाव में गयीं। यह केवल कथनी से नहीं होता, उसको करनी में परिणत किया और इसको ईमानदारी से लागू किया।

इसमें निवेदन यह है कि इस प्रकार की जो व्यवस्था है, महिला शिक्षा बालिका शिक्षा में यह माना जाता है कि यदि बालिका को शिक्षित किया तो हम दो घरों को शिक्षित करेंगे, बच्चे को यदि किया तो केवल अगला शिक्षित होगा, इसी कारण से बालिका शिक्षा को सबसे ज्यादा महत्व दिया है। कक्षा एक से लेकर बारहवीं कक्षा तक की किसी भी वर्ग की बच्ची हो, उसको नि:शुल्क सरकार ने पाठयपुस्तकें उपलब्ध करायी हैं। यह एक बहुत बड़ी बात है और शिक्षा के प्रति कटिबद्धता जाहिर करती है कि राजस्थान सरकार किस प्रकार से उनका उन्नयन चाहती है, उनका विकास चाहती है। इसी प्रकार से उनको रोजगार दिये, साधन घर में ही मिलें, उनको किस प्रकार से प्रोत्साहन मिले। जो सबसे ज्यादा असहाय व्यक्ति हमारा आदिवासी था, सहरिया था, दूसरे भागों में रहने वाला था, उसकी कहीं कोई सुध लेने वाला नहीं था, पहली बार इस

बजट में दो रुपये किलो पर 35 किलो पूरे महीने के लिये उसको देने की व्यवस्था की गयी थी और उसके आधार पर एक व्यक्ति को सौ दिन का कम से कम रोजगार देने की व्यवस्था है। यह बजट में पहली बार किया गया है, ऐसा पहले कहीं नहीं था।

पहले जब भारतीय जनता पार्टी की केन्द्र में सरकार थी, राजस्थान में जब-जब भी संकट पडा उन्होंने खुले हाथ से तत्कालीन राजस्थान सरकार को सहायता दी और विकट परिस्थितियों में सम्बल दिया। इसी प्रकार से कांग्रेस के बंधुओं से प्रार्थना है कि जो उनके केन्द्र में नेता हैं उनसे इस प्रकार का प्रयास करें कि यदि हम राजस्थान को चाहते हैं तो उसमें सबका योगदान होना चाहिए, केन्द्र सरकार का भी बराबर योगदान मिलना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब आप अपना भाषण समाप्त करें।

श्री रामकिशोर मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं तो बहुत कम बोलता हूं और कभी भी अपने दायरे से बाहर नहीं जाता। मैं तो दो-तीन बातों को बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष : समय सीमा तो है न?

श्री रामकिशोर मीणा : जी हां। अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी सम्पत्तियों का पुनर्निर्माण हो, के लिए माननीय गोलवलकर साहब के नाम से योजना शुरू की गयी है। इसमें गांवों में परिसम्पत्तियों का निर्माण होगा। ऋण लेना बुरी बात नहीं लेकिन ऋण का सदुपयोग होना चाहिए, वह उत्पादन कार्यों में लगना चाहिए। उत्पादन कार्यों पर लगाए तो निश्चित रूप से वह कल्याणकारी सरकार है, वह सरकार कहलाने लायक होगी।

अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है इस भाषण के मार्फत माननीय मुख्य मंत्री महोदय से कि आज संसार में पत्थर उद्योग के नाम से, जाली के उद्योग के नाम से सिकंदरा प्रसिद्ध है और करीब 25 करोड़ रुपये का निर्यात पत्थरों से बने शिल्प का होता है। इसमें वर्तमान में 14 प्रतिशत टैक्स है। जितनी भी जालियां हैं, पत्थर से बनी हुई हैं वे सारी की सारी हाथ से कारीगर बनाते हैं और हाथ से बनने वाली चीज पर यदि टैक्स घटा लिया जाता है तो उस उद्योग को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, उसके कारण से रोजगार बहुत सृजित होंगे। आज सिकंदरा में या दौसा जिले में करीब 20 हजार आदमियों को डायरेक्ट इससे रोजगार मिल रहा है। इस पत्थर उद्योग को बढ़ावा देने

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

की आवश्यकता है, इसके लिये मांग भी बहुत है और इसकी आपूर्ति के लिये भी हमारे पास बहुत ज्यादा शिल्पी हैं, इस चीज को किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क दुर्घटनाओं में कोई व्यवस्था नहीं होने की वजह से घायल व्यक्ति अस्पताल पहुंचने से पहले-पहले खतम हो जाया करता था, इसे देखते हुए इस बजट के अन्दर 6 टामा हास्पिटलों की व्यवस्था की गयी है, यह एक बहुत स्वागत योग्य कदम है। हमारे यहां जो नेशनल हाइवे है दौसा से बालाजी तक का, वह कई कारणों से दुर्घटनाओं का कारण रहा। वहां धार्मिक स्थान है, वहां पर जितना भी राष्ट्रीय राजमार्ग है वहां इस प्रकार की व्यवस्था की गयी है, यह बहुत बड़ी कल्याणकारी योजनाओं में है और बहुत ही अच्छी योजना है। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस बजट के मार्फत काश्तकारों और विभिन्न क्षेत्रों में पिछड़े वर्गों की महिलाओं के विकास के लिए एक सपना रखा है, उसमें हम सबको मिलकर आगे काम करने की आवश्यकता है। इसमें यह आवश्यक है कि सरकार ने जिस प्रकार से सौ दिन में कार्य की समय सीमा तय की, आगे आने वाले समय में यह यदि लागू रहता है तो कोई कारण नहीं कि हम राजस्थान को अग्रणी राज्यों में नहीं ला सकें। अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष : श्री ज्ञानचन्द पारख।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने वित्त मंत्री के रूप में अपनी सरकार का पहला बजट प्रस्तुत किया, राजस्थान के इतिहास में इतना अच्छा और जन कल्याणकारी बजट किसी भी सरकार के वित्त मंत्री ने पेश नहीं किया होगा। चाहे प्रदेश की वित्तीय हालत कैसी हो, केन्द्र सरकार का जो रवैया है राज्य सरकार के प्रति और जो नीयत है केन्द्र सरकार की राज्य सरकार के प्रति, उसके बावजूद भी राजस्थान के हर वर्ग को कैसे राहत दी जाए, उसका इस बजट में पूरा ध्यान रखा गया है। वर्ना कई बार ऐसा होता है कि एक वर्ग की जेब से पैसा निकाल कर जिसकी संख्या कम है, वोट कम हैं, दूसरे वर्ग को खुश करने के लिए, उनको अपने से जोड़ने के लिए लालच और प्रलोभन दिया। पर इस बजट में ऐसा कुछ नहीं है। चाहे किसी भी वर्ग की बात हो, कोई भी इससे अछूता नहीं रहा। चाहे किसान हो,

व्यापारी हो, उद्योगपति हो, सरकारी कर्मचारी हो, गांव में रहने वाला ठेठ गरीब तबका हो, हर वर्ग को बजट के माध्यम से राहत मिले, इस बात का पूरा ध्यान माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस बजट में रखा है।

फसल बीमा योजना लागू करने की बात है, हमारी पिछली सरकार ने कोताही बरती। भारत सरकार ने पहले लागू कर दिया लेकिन हमारी जो पिछली सरकार थी उसने कभी किसान के हित की और देखा नहीं। हमारी सरकार और मुख्य मंत्रीजी ने आते ही फसल बीमा योजना लागू करके राजस्थान के किसानों को बहुत बड़ी राहत दी है। राजस्थान ऐसा प्रदेश है जहां कृषि जुआ है और यहां के काश्तकार की हैसियत ऐसी नहीं है कि यदि वह इस जुए में हार जाए तो उसका बोझ वहन कर सके। यह बोझ उठाने का जिम्मा इस सरकार ने अपने बजट में लिया है, यह वाकई स्वागत योग्य कदम है। कई बार फसल ज्यादा पैदा भी हो जाती है और फसल ज्यादा पैदा हो जाए तो फसल के दाम घट जाने से किसान को जितनी आमदनी होनी चाहिए। वह आमदनी नहीं हो पाती। इस बात की चिंता भी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बजट में की और ''बाजार हस्तक्षेप योजना'' लागू करके किसानों को गारंटी दी कि यदि ज्यादा फसल पैदा करोगे तो आपकी फसल का पूरा दाम यह सरकार आपको उपलब्ध करवाएगी और यह प्रावधान भी इस बजट में रखा।

चाहे व्यापारी वर्ग हो, उसको भी पूरी राहत दी है। यह जो करों का बखेड़ा था न, उससे लगभग मुक्ति मुख्य मंत्रीजी ने व्यापारियों को दिला दी। सरचार्ज खतम कर दिया, टर्न ओवर टैक्स खतम कर दिया, प्रवेश कर खतम कर दिया। आज प्रदेश के पूरे व्यापारी बहुत खुश हैं और पहली बार यह महसूस कर रहे हैं कि जो वर्ग छोटा है, कम है, एकजुट नहीं है, उसके हित की रक्षा भी सरकार कर सकती है। उद्योगों को भी इससे बहुत राहत मिलेगी।

बालिका-बालक शिक्षा के लिए आतुर हैं, पर गांव में विद्यालय नहीं, पढ़ने के लिए दूर जाना पड़े। एक ही वर्ष में हजारों नए प्राथमिक विद्यालय खोलकर शिक्षा के प्रति सरकार कितनी गम्भीर है, उसका एहसास भी इस बजट में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कराया है। हजारों प्राथमिक स्कूल क्रमोन्नत किये हैं। पहली बार इतनी बड़ी संख्या में क्रमोन्नत हुए हैं। हजारों-सैकड़ों माध्यमिक स्कूलों को सरकार क्रमोन्नत करने वाली है। मतलब, हर बालक चाहे उसके पास पैसा नहीं है, वह कम पैसे से ही सरकारी विद्यालय में पढ़ सके, अच्छी शिक्षा ले सके, इस बात की पूरी व्यवस्था

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस बजट में की है। बालिका शिक्षा के लिए माननीय शिक्षा मंत्रीजी और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने राजस्थान में नए आयाम पैदा किये। बारहवीं तक पढ़ने वाली बालिकाओं के लिए यह बजट एक उपहार साबित होगा, उन्हें सारी पाठ्यपुस्तकें नि:शुल्क राजस्थान सरकार उपलब्ध कराएगी। ऐसा बड़ा उपहार शायद किसी सरकार ने राजस्थान में हमारी बालिकाओं को नहीं दिया जो इस बजट में राजस्थान की सरकार ने हमारी बालिकाओं को दिया है।

आदिवासी क्षेत्र में भी सरकार ने अपनी ओर से इस बजट में बहुत प्रावधान रखे। आदिवासी क्षेत्रों में रोजगार के अतिरिक्त अवसर भी इस बजट में दिये गये। कोई भी आदिवासी भूख से नहीं मरे, इसकी व्यवस्था भी इस बजट में की गई, वर्ना पिछली सरकार के कार्यकाल में सैकड़ों मौतें भूख से हुई थीं। यह राजस्थान की धरती पर बहुत बड़ा कलंक था, लेकिन शायद हमारी मुख्य मंत्रीजी यह चाहती हैं कि ऐसा कलंक राजस्थान की धरती पर फिर कभी न लगे, उसके लिए पहले से इस बजट में प्रावधान कर दिया और जितने भी सरपंच हैं, उनके यहां 10 क्विंटल के गेहूं के स्टैम्प रखवा दिये ताकि कभी ऐसी स्थिति पैदा न हो। (व्यवधान) आपके कार्यकाल में सैकड़ों भूख से मौतें हुई हैं। हम कई बार चिल्लाए भी। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी) : एक का नाम बताओ।

श्री ज्ञानचन्द पारख : लेकिन कभी आपने इस ओर ध्यान नहीं दिया।

श्री श्रवण कुमार : एक का नाम बताएंगे क्या? (व्यवधान)

श्री रमेश खींची (कठूमर) : भूख से कौन मरा है, यह बताएं। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक भी उदाहरण बता दें।

एक माननीय सदस्य : किशनाराम मरा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया व्यवधान न डालें। माननीय सदस्य, बीच में व्यवधान न डालें।

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी) : नाम सहित बता दीजिए एक उदाहरण।

श्री श्रवण कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर यह तथ्यात्मक रिपोर्ट दे

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

रहे हैं कि 100 आदमी मरे, कहां मरे? आप भी तो सदस्य थीं यहां, कहां मरे?

श्री अध्यक्ष : आपको मौका मिलेगा तब आप उनकी बात को कन्फिलक्ट करिएगा, अभी व्यवधान क्यों डाल रहे हैं आप?

श्री श्रवण कुमार : 20 आदमी बता रहे हैं, यह पहले भी था, पंचायतों में पहले भी रखते थे, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है।

श्री ज्ञानचन्द पारख : भविष्य में राजस्थान में कोई व्यक्ति भूख से नहीं मरे उसकी पुख्ता बंदोबस्त इस बजट के माध्यम से किया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब आप फिर बीच में बोल रहे हैं।

श्री श्रवण कुमार : पहले भी नहीं मरे कभी।

श्री हीरालाल (निवाई) : सेंटर गवर्नमेंट की एक रिपोर्ट आई है, उसमें लिखा है।

श्री अध्यक्ष : यह आपको क्या हो गया? (व्यवधान)

श्री ज्ञानचन्द पारख : अनुसूचित जाति के जो हमारे भाई बन्धु हैं, युवा हैं, जिनके बूते आज तक कई बार सरकार में आये हैं, उनके लिए भी इस बजट में बहुत प्रावधान किये गये हैं। 75 नए होस्टल खोले गये हैं ताकि गरीब बालक वहां पर नि:शुल्क शिक्षा के लिए आ सकें, रह सकें, इसकी व्यवस्था भी मुख्य मंत्रीजी ने बजट में की। प्राथमिक स्तर तक जो भी अनुसूचित जाति का युवा पढ़ा-लिखा है, वह स्वावलम्बी हो जाए, स्वरोजगार प्राप्त कर ले, उसको ब्याज में 5 प्रतिशत अनुदान है, यह भी बहुत बड़ा उपहार है उन बालकों के लिए।

मान्यवर, कोई भी तबका ऐसा नहीं छूटा होगा जिसको इस सरकार ने राहत न दी होगी। इसके अलावा पहली बार हमारी सरकार ने गौ वंश को बचाने के लिए, उनकी संख्या बढ़ाने के लिए, उनकी नस्ल सुधारने के लिए एक पैकेज बनाया। वर्ना पिछली सरकार के तो केन्द्र सरकार ने गौ शालाओं को सीधी राशि भेजी थी, वह भी बीच में खा गये थे। जो हमारी अच्छी गौ शालाएं हैं...

श्री रमेश खींची : यह गलत है, यह गलत है, ''खाना'' शब्द क्या खा गये?

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

क्या खा गये? यह "खाना" शब्द कहा, क्या खा गये (व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर) : चारा खा गये, खा गये चारा। (व्यवधान) इसलिए हमारे नागौरी बैल कम हो गये, नहीं तो पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं नागौरी बैल और नागौरी बछड़े। (व्यवधान)

(16.00 बजे)

श्री ज्ञानचन्द पारख : पिछले अकाल में हमारे राजस्थान की समाजसेवी संस्थाओं ने, गौशालाओं ने गायों को बचाने के लिए शिविर लगाये थे तो केन्द्र सरकार ने बहुत बड़ी सहायता राशि सीधी उन गौशालाओं को भेजी थी, लेकिन राजस्थान सरकार ने गायों की वो राशि उन गौशालाओं की रोक कर अपने खाते में जमा कर दी, जो आज तक नहीं दी है। मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि कई गौशालाएं बहुत ज्यादा गरीब हैं या कम पैसा उनके पास है, जो राशि उन्होंने रोकी थी यदि वो दे सकें तो बिलकुल देसी चाहिए, क्योंकि हमारे धर्म में, संस्कृति में जिन्होंने गाय का खाया है उसका सबक उनको मिल गया है, हमारी रामायण इस पर आधारित है, उसका परिणाम आप भुगत रहे हो।

मान्यवर, परिवर्तन यात्रा के दौरान, हमारी पार्टी की अध्यक्ष माननीय मुख्य मंत्रीजी प्रदेश के गांव-गांव, कोने-कोने में घूमीं और जो एहसास उन्होंने किया, जो महसूस उन्होंने किया, जो कमी राजस्थान में उन्होंने पायी, वो कमी कैसे दूर कर सके, इसका पूरा प्रयास इस बजट में किया। नि:संदेह बहुत ही अच्छा है। और मैं आपको यह भी कह दूं कि आपको ज्यादा आशंका या चिन्ता करने की जरूरत नहीं है, हमारी मुख्य मंत्रीजी चमत्कारी हैं। जब पहली बार परिवर्तन यात्रा निकली थी तो लगभग सब लोगों ने, जो उस वक्त सत्ता में थे, बहुत सहजता से लिया था कि यह महिला क्या कर लेगी, लेकिन चमत्कार किया और राजस्थान में 120 सीटें आईं। बाद में वापस चमत्कार किया और लोक सभा में 21 सीटें आईं। इस बजट को लेकर आशंकित होने की जरूरत नहीं है, जो बजट में उन्होंने कहा है वो राजस्थान की जनता को वो करके दिखाएंगी, आप खुद अपनी आंखों से कुछ दिनों बाद देखेंगे। मैं यह भी कह दूं, यह पहली झांकी है अभी बहुत कुछ बाकी है। यह तो पहला बजट है, पांच साल जब पूरे होंगे, प्रदेश की वो स्थिति बनाएंगी जिसका सपना हमने कभी देखा, कि हमारा प्रदेश बहुत खुशहाल होगा, समृद्ध होगा। आज हमें यह महसूस होता है कि हमारी मुख्य मंत्रीजी वो

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

सपना बहुत जल्दी साकार कर देंगी।

मान्यवर, साढ़े पांच साल पहले भी, जो हमारे विपक्ष में आज हैं उन्होंने अपना बजट पेश किया था और चुनाव के दौरान जो घोषणा-पत्र उन्होंने निकाला था उसमें दुनिया भर के वादे किये कि हम यह कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम सब कुछ कर देंगे, हमको एक बार सत्ता सौंप दो, हम बिजली की दर कम कर देंगे। और आपको खुद पता होगा कि दर कम करने की बजाय बढ़ा दी। यह भी वादा किया था कि हम युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराएंगे, इन्होंने तो रोजगार उपलब्ध कराने की बजाय 30 हजार पद समाप्त कर रोजगार के अवसर भी हमेशा-हमेशा के लिए समाप्त कर दिये। मात्र सत्ता में आने के लालच में राजस्थान की जनता को बहुत बड़ा झांसा उस समय की सरकार ने दिया था। (व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल : इनका काम तो एक ही था मुख्य मंत्री नम्बर बन।

श्री अध्यक्ष : बीच में व्यवधान न डालें, नो कमेंट्स।

श्री ज्ञानचन्द पारख : कहते हैं कि काठ की हांडी एक बार चढ़ती है वो काठ की हांडी एक बार चढ़ गई। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बीच में कमेंट्स क्यों करते हैं ये?

श्री ज्ञानचन्द पारख : इस बार जनता इनके झांसे में नहीं आयी और हमारे ऊपर पूरा भरोसा किया, क्योंकि हमारा पहले का कार्यकाल देखा था, जब माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत मुख्य मंत्री थे वो काल भी उन्होंने देखा था। उस समय उन्होंने विकास किया था, काम किये थे, जनता को राहत दी थी। लेकिन एक बार जनता इनके बहकावे में आ गई थी, झांसे में आ गई थी, तरह-तरह के लोभ दिये थे, लालच दिये थे, प्रलोभन दिये थे। उसका फायदा तो उठाया, लेकिन आज वापस जनता ने जो विश्वास हमारे ऊपर व्यक्त किया उस विश्वास पर माननीय मुख्य मंत्रीजी बिलकुल खरी उतर रही हैं, यह इस बजट ने साबित किया है।

अब ये चिन्ता करते हैं, अभी हमारे सी.पी. जोशीजी भी चिन्ता कर रहे थे, कैसे काम होगा। यह तो आपको वक्त बताएगा, बिलकुल समय बताएगा। और यह हमेशा हुआ है कि जब भी करों का सरलीकरण किया गया है तो लोगों में कर देने की प्रवृत्ति

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

बढ़ी है। यदि कर को कम किया गया तो नागरिक ईमानदारी से कर चुकाने के लिए आगे आये हैं। नागरिकता की उसी नब्ज को हमारी मुख्य मंत्रीजी ने पहचाना और करों को उन्होंने कम किया। वरना पिछली सरकार ने तो दुनिया भर के, जब पहला बजट पेश किया तो सबसे पहले यह नहीं कहा कि हम यह करेंगे, सबसे पहले यह कहा कि हमारा खजाना खाली है, हम कंगाल हैं, हम दीवालिया हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे यहां कहते हैं न कि जो रोता हुआ आता है उसके पीछे मरने की खबर जरूर आती है। पांच साल इन्होंने इसी प्रकार चलाये, रोते हुए आये और पांच साल तक मरने की खबर भी लाये। सिर्फ दीवालिया कंगालीपन की बात की। प्रदेश के विकास की बात, प्रदेश की समृद्धि की बात, प्रदेश की जनता को राहत देने की बात कभी भी बजट के माध्यम से पिछली सरकार ने नहीं की। लेकिन हमारी सरकार ने पहले बजट में, जबकि आगे कोई चुनाव नहीं होने वाला है, हमेशा यह होता है कि जो चुनावी बजट होता है वह तो लुभावना होता है कि आगामी चुनाव है, इस साल चुनाव है इसलिए तरह-तरह की लुभावनी छूटें जनता को दे दो, लेकिन चार साल कोई चुनाव नहीं उसके बावजूद भी हमारी मुख्य मंत्रीजी ने जनता को राहत मिले, इस बात का पूरा-पूरा प्रयत्न इस बजट में किया। मैं इस सदन के माध्यम से, वैसे मुख्य मंत्रीजी का यह श्रेष्ठ बजट है, लेकिन मैं चाहता हूं यह सर्वश्रेष्ठ बन जाए, मेरे भी कुछ सुझाव जो मेरे ध्यान में आये हैं, मैं सदन के माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी को पहुंचाना चाहूंगा।

अभी ऐसा पता लगा कि कपड़े पर कुछ टैक्स लगाया गया। राजस्थान सरकार ने नहीं लगाया। सन् 1995 में कोई टैक्स लगा था, चूंकि उस समय केन्द्र में एडिशनल एक्साइज टैक्स भी लागू था तो उसमें ऐसा प्रावधान था कि जब एडिशनल एक्साइज टैक्स लागू है उस समय सेल्स टैक्स वसूल नहीं किया जा सकता। केन्द्र सरकार ने इस बार अपने बजट में एडिशनल एक्साइज को समाप्त कर दिया तो जो सेल्स टैक्स डैड पडा था, अपने आप स्टैण्ड हो गया। तो मैं मुख्य मंत्रीजी को कहना चाहूंगा कि आपकी कोई मंशा नहीं थी, लेकिन फिर भी यह अप्रत्यक्ष रूप से लागू हो गया तो इसका निस्तारण भी इसी बजट भाषण में जब उनका जवाब हो उसमें हो जाए।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि शिक्षा और चिकित्सा दोनों अपने आप में बहुत आवश्यक हैं। शिक्षा के क्षेत्र में तो खैर बहुत ज्यादा इस बजट में प्रावधान रखा गया है, लेकिन चिकित्सा के क्षेत्र में कुछ कमी रह गई है। चिकित्सा में बहुत बड़ी आवश्यकता

(श्री जुबेर खान)

है, और जैसे प्रदेश के हालात हैं, आज हमारे यहां के मरीज जो गम्भीर रोग से ग्रस्त हैं, उनको इलाज के लिए दिल्ली, बाम्बे, अहमदाबाद जाना पड़ता है। अगर कोई मरीज राजस्थान के दूर-दराज गांवों से जयपुर तक आ जाए तो शायद प्रदेश के अस्पताल में उसको खाट भी नहीं मिले। हमारे माननीय चिकित्सा मंत्रीजी भी बैठे हैं, तकनीकी शिक्षा मंत्रीजी, उच्च शिक्षा मंत्रीजी, उनसे मेरा अनुरोध होगा कि कम से कम हर मरीज को खाट मिल जाए, जो भी एडमिट हों उसको पलंग मिल जाए, इसकी पुख्ता व्यवस्था इस बजट में करें। वरना भर्ती हो जाते हैं और वहां खाट या पलंग तक नहीं मिलता। ऐसी कई जांचें हैं जो मरीज के लिए बहुत आवश्यक हैं, राजस्थान सरकार के लिए बहुत मामूली बात है, उसका प्रावधान भी अगर हम बजट में रखकर हमारे अस्पतालों में, चिकित्सालयों में उनको उपलब्ध करा सकें तो हम शिक्षा के साथ-साथ चिकित्सा क्षेत्र में भी बहुत बड़ा काम कर देंगे।

मेरी एक समस्या है, मेरे यहां पाली में पानी की बहुत बड़ी आवश्यकता है। पिछली सरकार ने हमारे साथ बहुत ना-इंसाफी की, सौतेला व्यवहार किया। झगड़े भी हुए, लाठीचार्ज भी हुआ, आंदोलन भी हुए, लेकिन पानी नहीं दिया तो नहीं दिया। मैं इस बजट के माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा एक ऐसी योजना के लिए जिसके माध्यम से जोधपुर से पाली को पानी मिल जाए। अभी आपने जिला कलक्टर्स को निर्देश दिये हैं उसमें योजनाएं मंगवायी है, उसमें योजना बनकर आई है, मात्र 71 करोड़ रुपये की है, यदि यह योजना मंजूर कर दें तो पाली की धरती जो हमेशा प्यासी रहती है उसको बहुत बड़ी राहत मिल जाएगी और उनके ऊपर माननीय मुख्य मंत्रीजी बहुत बड़ा उपकार भी कर देंगी। मेरा मुख्य मंत्रीजी से सदन के माध्यम से आग्रह है कि हमारी पाइप लाइन की मंजूरी इस बजट के माध्यम से दे दें।

हमारे यहां प्रदूषण की बहुत बड़ी समस्या है। पोल्यूशन सम्बन्धी हाई कोर्ट के फैसले ने हमारे उद्योगों को प्रभावित किया। उसमें भी सरकार कुछ योगदान दे दे, यही मेरा निवेदन रहेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने की अनुमति दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जयहिन्द।

श्री अध्यक्ष : मि. जुबेर खान।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं जो सदन की नेता और मुख्य

(श्री जुबेर खान)

मंत्री ने बजट प्रस्तुत किया 2004-05 का, उसके उपर कहना चाहूंगा कि यह सरकार जब से बनी है, ये 3-4 चीजें बड़ी जोरदारी से अभी तक जनता के सामने लाये हैं। चुनाव से पहले परिवर्तन यात्रा की, मसूदा से आने वाले सदस्य कह रहे थे कि हम रथ यात्रा में बैठकर डाक्यूमेंट बनाते थे। हण्डरेट डेज एक लागू किया, कितने दिन तक तो, अध्यक्ष महोदय, यही पता नहीं चला कि हण्डरेड डेज शुरू कब से हो रहे हैं। इन्होंने कहा है और अपने बजट भाषण में भी कहा है कि हम जो कहते हैं किया है, 986 गांवों में सौ दिन के अन्दर अन्दर सड़कें बनवा दीं। अध्यक्ष महोदय, आप भी बहुत अनुभवी हैं, आज पी.डब्ल्यू.डी. सौ दिन में सड़क बनवा सकता है क्या? 3-4 महीने में तो एन.आई.टी. की कार्यवाही ही शुरू होती है। इन्होंने हण्डरेड डेज मायाजाल घुमाकर यह दिखाने की कोशिश की, पूर्व सरकार के समय में काम शुरू किये थे 2003 में, वे कम्प्लीशन पर आ रहे थे तो उनकी लिस्ट बनवाई और यह देखा कि ये इस सत्र में खतम हो जाएंगे, उनको शामिल कर दिया कि हण्डरेड डेज में हमने यह कर दिया। दूसरा इन्होंने यह कहा कि हमने गांव में 16 घंटे बिजली दी है। अध्यक्ष महोदय, इनको तो मानने की आदत है नहीं, लेकिन आप तो स्वयं गांव से आती हैं, आपको अन्दाजा है कि रबी के टाइम में इस बार कितने घंटे लोगों को बिजली मिली होगी। और ये तो लोक सभा के चुनाव आ गये, वर्ना लोगों को इस तरह से तरसाते जैसे आज गांव में बिजली के लिए लोग तरस रहे हैं। दूसरा इन्होंने कहा, पांच साल की कल्पना जिसमें तो बोला विजन डाक्यूमेंट आएगा। विजन डाक्यूमेंट क्या होता है? विजन डाक्यूमेंट नहीं, इनका मेनिफेस्टो था। उसके बाद महामहिम राज्यपालजी का अभिभाषण कराया और अभिभाषण में राज्यपाल महोदय से ही इस सदन में कहलवाया कि हम इतने मिडिल स्कूल खोलेंगे, बजट में उसको गौण कर गये। जो लोग राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का मान नहीं रख सकते, सम्मान नहीं रख सकते, उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है? अध्यक्ष महोदय, मैं याद दिलाना चाहता हूं शिक्षा पर इन्होंने कहलवाया राज्यपाल महोदय से, कि राज्य में शीघ्र ही 2317 शिक्षा गारंटी के योजना केन्द्रों को नियमित प्रशासनिक विद्यालयों एवं 1144 राजकीय प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया जाएगा, और आज इस बजट का क्या कह रहे हैं? कितना किया जाएगा? इसमें कहते हैं, 715 को क्रमोन्नत किया जाएगा। मैं आपसे यह निवेदन करना चाह रहा था, राज्यपाल महोदय से कहलवाया इन्होंने कि 31 मार्च, 2004 तक हम वक्फ बोर्ड की सम्पत्तियों की निशानदेही करा लेंगे, आज तो 31 जुलाई आने वाली है, आज तक इन्होंने कुछ नहीं कराया, तो ये तो राज्यपाल महोदय को भी बख्शने वाले नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं यहां यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि इन्होंने रूद्राभिषेक कराया, अगर सरकार का पैसा नहीं लगाते, पांच लाख रुपये अपने पैसे से करते या जनता से कराते तो इन्द्र देवता राज़ी होकर आज बरसात भी हो जाती। रूद्राभिषेक करा रहे हैं, मंत्रियों की लालबत्ती कभी दरगाह अजमेर जा रही है, कभी पुष्कर जा रही है, कभी भर्तृहरि जा रही है, कभी नाथद्वारा जा रही है, अब मैं इनसे आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, इसका मतलब इन्होंने अन्तरात्मा से और सच्चाई से रूद्राभिषेक नहीं कराया इसलिए बरसात नहीं हुई, आज किसान परेशान हैं।

श्री अध्यक्ष : आपको पैसों की चिन्ता नहीं है, मन की चिन्ता है।

श्री जुबेर खान : मन की चिन्ता है।

श्री अध्यक्ष : पैसे खर्च हुए, उसकी चिन्ता नहीं है।

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, आपका मन क्योंकि आपको तो सत्ता का लालच है नहीं, आप कराइए और मैं मानता हूं कि जरूर इन्द्र देवता खुश होंगे और बरसात होगी।

श्री रामप्रताप कासनिया : यह सरकार चेंज हो गई न ऊपर, इसलिए केन्द्र में गड़बड़ हो गई। अकाल का कारण तो वही है।

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, बजट आया तो यह डाकूमेंट देखने से यह लगता है कि सरकार की कोई दिशा नहीं है, तो ये किस डाइरेक्शन में अगले पांच साल चलना चाहते हैं? अध्यक्ष महोदय, रोजगार की बड़ी बात की गई, इस राजस्थान राज्य में मुख्यतया चार चीजें हैं जिनमें मुख्यतया रोजगार मिलता है–एग्रीकल्चर सैक्टर, इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट जिसमें रोड्स हो गयीं, डैम्स हो गये, योजनाएं हो गईं और प्रोडक्शन हो गया, एनर्जी एण्ड वाटर कन्जर्वेशन एण्ड इण्डस्ट्रियलाइजेशन, अब इनसे पूछना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि इन चारों की तरफ इस बजट में है क्या? कितने लोगों को तो रोजगार देने की बात की इन्होंने?

एक माननीय सदस्य : तीन लाख लोगों को।

श्री जुबेर खान : तीन लाख रोजगार कहां से दे देंगे, अब हम भी पूछेंगे आपसे। ये आंकड़े जाल तो, अध्यक्ष महोदय, इन्होंने ऐसे शुरू किये हैं, मैं आपको कहना चाहूंगा कि बजट को तरह तरह से घुमा-फिरा कर आंकड़ों में गलत तरीके से पेश करने की

(श्री जुबेर खान)

परम्परा इन्हीं की सरकार जब जब आई है तब तक हुई है, यह और कभी राजस्थान के साथ हुआ नहीं। मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा कि जब 1989-90 में कांग्रेस गई थी तो रेवेन्यू डैफिसिट था 75.81 और जब आदरणीय भैरोंसिंहजी की सरकार 1998-99 में गई तो यह बढ़कर हो गया 1332.09, जब भाभड़ाजी ने आखिरी बजट प्रस्तुत किया था। यह, अध्यक्ष महोदय, आपके सदन से रिपोर्ट मिली है वित्त मंत्रियों के भाषण उसके आंकड़े है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, इतना फर्क। इन्होंने 75 से बढ़ाकर 1332 कर दिया, और उसके बाद तो परम्परा यह चली कि 2005 में यह 2204.17 हो गई।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इससे पहले वाले की बता दें।

श्री कालीचरण सर्राफ : 2000 में कितनी थी?

श्री जुबेर खान : वह, माननीय चूरू से आने वाले सदस्य, आपका नम्बर आएगा, आप बताना, क्योंकि से वंथ प्लानिंग कमीशन, नाइंथ प्लालिंग कमीशन आप बोलते रहते हैं हम तो सुनते रहते हैं, तो आप जरा यह तो बताओ। इन्हीं से मैं कहना चाहूंगा, आप बार बार कहते हैं कि 40 साल में क्या किया, क्या किया। 1989-90 में देनदारियां हमारे ऊपर 6022 करोड़ रुपये थीं, आपने जब 1998-99 में छोड़ा तो 23 हजार करोड़ की देनदारियां आप छोड़कर गये और आप कहते हैं…(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अब आपने छोड़ीं, वह बताओ न।

श्री जुबेर खान : ये तथ्य हैं, अध्यक्ष महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपने छोड़ीं, वह बताओ न 152640 करोड़ की देनदारियां छोड़कर गये हो आप।

श्री हरिमोहन शर्मा : आप भी तो बोलेंगे।

एक माननीय सदस्य : उसके आगे का भी बोलो, जुबेर भाई। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ : हमने 8 साल में 15 हजार करोड़ का कर्जा लिया और इन्होंने 5 साल में 30 हजार करोड़ का कर्जा लिया। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : इन्होंने ही लिया कर्जा? यही घोषणा करो कि आप नहीं लोगे कर्जा।

(श्री जुबेर खान)

श्री जुबेर खान : जो हैं देनदारियां, इनको कैसे झुठलाओगे? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बीच में व्यवधान नहीं डालें।

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य बोल चुके हैं, चूरू के तैयारी कर रहे हैं, बोलेंगे, आप अपनी बाद में कह दीजिए न।

मैं निवेदन करना चाहूंगा। एक और गलत परम्परा जो शुरू की है वह पूरे राजस्थान के साथ अन्याय है और यह बजट नहीं धोखाधड़ी है। दो तरह से बजट में इनकम होती है रेवेन्यू रिसीट एण्ड कैपिटल रिसीट। रेवेन्यू रिसीट वह होती है जो राज्य अपने साधन जुटाता है, वह खर्च होनी चाहिए नान प्लान एक्टिविटीज पर जिसमें तनख्वाह और इनका खर्चा, लाल बत्तियां और भत्ते आते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर और विकास के ऊपर। अब यहां से जो पैसा विकास के लिए होता है, इसी बजट में, अध्यक्ष महोदय रेवेन्यू रिसीट हुई 17384.7 करोड़ रुपये और इसमें खर्चा कितना कर रहे है? 19588.24 करोड़ रुपये, यानी 2000 करोड़ के करीब जो खर्चा कर रहे हैं, वह खर्चा जो कैपिटल रेवेन्यू आ रही है, जो हमारा शेयर आ रहा है इनकम टैक्स से केन्द्र सरकार से, जो केन्द्र सरकार विभिन्न योजनाओं के लिए दे रही है, जो हमारी परिसम्पत्तियों से आय हो रही है उसके पैसे से परिसम्पत्तियां नहीं बनाकर, विकास नहीं करके तनख्वाह और भत्तों में ले जा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने बहुत चहुंमुखी विकास का बजट दिया है। ये आंकड़े हैं। और इसकी अति तो तब कर दी कि जब जाते जाते भाभड़ा साहब तो इसको सीमा से ही ऊपर, यह हो सकता है कांग्रेस के समय में भी 10-20 करोड़ का होता हो, लेकिन 3-3 हजार करोड़ का ये लोग छोड़कर गये हैं। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा सदन से निवेदन है कि यह परम्परा तोड़नी चाहिए। जो पैसा विकास का है, विकास में लगना चाहिए, जनता का विकास होना चाहिए। तनख्वाह और भत्तों में वह पैसा नहीं जाना चाहिए। अगर यह कदम माननीय मुख्य मंत्री और आपकी सरकार उठाती तो हम समझते कि आपने सराहनीय कदम उठाया है। आप विकास का पैसा लेकर तनख्वाहों में बांटो, और अध्यक्ष महोदय, ये जो डैफिसिट बता रहे हैं उस तरह अगर सही मायने में घाटा लगाया जाए तो 2204 करोड़ 17 लाख रुपये का है, जिसे 334 करोड़ का बता रहे हैं। परिसम्पत्तियां बनाने के लिए, इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, विकास के लिए, सड़कों के लिए, बिजली के लिए जो पैसा आया है उसको तनख्वाहों की तरफ ले

(श्री जुबेर खान)

जाकर डैफिसिट कम करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए यह बजट सरासर धोखा है, आंकड़ों का जाल है। माननीय पी.डब्ल्यू.डी. मंत्रीजी, आप किसी पी.डब्ल्यू.डी. एक्स.ईएन को पैसा सड़क बनाने के लिए दें और वह पैसा कूलर खरीदने में लगा देगा तो उसके खिलाफ क्या करेंगे? मुकदमा दर्ज करेंगे न जो जो भी ये गलतियां की हैं, यह भारी धोखा है, बजट के सिद्धान्त के विरूद्ध यह चीज है। यह मैं आकड़ों से बोल रहा हूं, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं।

एक माननीय सदस्य : पिछली साल के आंकड़े भी देख लो। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : वह आप कह देना न, आप किसलिए आये हो यहां? सारे काम मैं ही करूं?

अध्यक्ष महोदय, इसी के साथ जुड़ा हुआ वैट है, वैट की चर्चा बजट में बिलकुल नहीं की गई जबकि वित्त मंत्रियों की मीटिंग में हाल ही में सहमति जताकर आये हैं कि 1 अप्रैल, 2005 से वैट लागू कर देंगे। वैट में सीमा है कि 12 प्रतिशत से ज्यादा टैक्स नहीं लगा सकते। केन्द्र सरकार ने कहा है राज्य सरकार की मांग पर कि बैट की वजह से राज्यों को जो घाटा होगा वह केन्द्र सरकार वहन करेगी। जब ये हकीकत के घाटे 2200 करोड़ को 334 करोड़ सिर्फ अखबारों में वाहवाही लेने के लिए कहेंगे तो इससे क्या हमको बैट का जो पैसा मिलेगा उसका नुकसान नहीं होगा? इनको इस बार बजट में यह मेंशन करना चाहिए था। और क्या ये व्यापारियों को और उद्योगपतियों को मना पाएंगे बैट लगाने के लिए, जो वहां जाकर मीटिंग में कह आये कि 1 अप्रैल, 2005 से हम बैट को लागू कर देंगे? इसमें आपको भारी पड़ेगा, हम भी यहीं हैं कि आप भी अगली बार कैसे लागू करते हो। इससे प्रांत का नुकसान होगा। आपने आंकड़ों का जाल बताया है। वास्तव में जो घाटा हे उसको दर्शाइये ताकि बैट लागू होने के बाद वह पैसा हमको केन्द्र सरकार से मिल सके।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर टैक्सेज की बात की, कुछ कम कर दिये, कुछ घटा दिये। इसके लिए तो धन्यवाद देंगे मुख्य मंत्री महोदया को कि वो राउंड फिगर में कर दिये कि कैलकुलेशन में आसानी हो जाए। लेकिन यह तो बताना चाहिए था, बजट में कि ऐसा करने से कितना घाटा होगा और इतने टैक्स लगाने से कितना फायदा होगा। उसको भी तो इस घाटे में जोड़ना पड़ेगा। सही मायने में तो बजट का घाटा तब पता चलेगा जब रियायतें देंगे। जैसे यहां तो मुख्य मंत्रीजी ने नहीं बताया लेकिन प्रेस

को बताया कि 200 के करीब हमको नुकसान होगा, नये टैक्स लगाने से 15 करोड़ के करीब फायदा होगा। तो यह पौने दो सौ करोड़ रुपया जो है यह कहां से आएगा? यह तो इसी में जुड़ेगा, इसलिए और भी घाटा बढ़ जाएगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, (व्यवधान) देखिये, कासनियांजी, हमको तो यह सौभाग्य नहीं मिला कि राज में साझा हों, आप तो राज में भी रहे हैं, मंत्री रहे हैं, तो हमें तो बोलना है, तैयारी करनी ही है, और है क्या हमारे पास?

श्री कालीचरण सर्राफ : इनके साथ यह हुआ है कि जब कांग्रेस का राज आया, ये हार जाते हैं।

श्री जुबेर खान : हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य हमको कल डांट रहे थे...

श्री अध्यक्ष : यह जौहरी बाजार से हैं।

श्री जुबेर खान : जौहरी बाजार से आने वाले सदस्य कल मुझे डांट रहे थे कि आपको तो इतना अनुभव ही नहीं है जितना मुझे सदन में है। आप पहले पैदा हो गये तो पहले बोलना शुरू कर दिया। आपने 85 से लड़ना शुरू कर दिया था, हमने 90 में शुरू किया । एक बार हम हारे, एक बार आप हारे। फर्क यह है कि आप जब हारे जब आपकी सरकार नहीं थी, हम जब हारे जब हमारी सरकार थी, इतना ही फर्क है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है।

माननीय सदस्य आज मंत्री हैं, पिछली बार 22 जनवरी को यहां उन्होंने एक वक्तव्य दिया इस सदन में और कहा कि 37 हजार अध्यापकों के पद रिक्त हैं, उनको हम सत्र शुरू होने से पहले भर देंगे। आज क्या सत्र शुरू नहीं हुआ? इसमें कहेंगे, हमने आर.पी.एस.सी. को भेजा है। अध्यक्ष महोदय, वह इसलिए भेजा है ताकि 3-4 महीने की तनख्वाह बचा सकें और इस पर वरना नहीं पड़े। वरना आदमी तो राजस्थान के ही लगेंगे चाहे आर.पी.एस.सी. से लगा लीजिये चाहे मैरिट बनाकर लगा लीजिये। राजस्थान में नियुक्तियों में कभी कोई बेईमानी नहीं होती, राजस्थान में जितनी निष्पक्षता से भर्तियां होती हैं शायद ही किसी अन्य प्रांत में होती हों। यह कहना कि हम मैरिट से नहीं लेकर आर.पी.एस.सी. से लेंगे, सिर्फ इसलिए है कि इस बहाने से 5-6 महीने उसको डेफर कर दें और अपना पैसा बचा लें।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने पांच साल बंदिश लगाकर

(श्री जुबेर खान)

निकाल दिये और अब आर.पी.एस.सी. वाली गलती निकाल रहे हैं।

श्री जुबेर खान : 22 जनवरी को मंत्री महोदय ने यह भी कहा था कि 6 हजार राजीव गांधी पाठशालाएं जो भवन रहित हैं...

श्री अध्यक्ष : आप बजट पर आइये। उन्होंने क्या कहा वह छोड़कर आप बजट की बात करिये।

श्री जुबेर खान : बजट का ही तो है यह। बजट में क्यो नहीं हवाला दिया कि तब कर देंगे ? आज तक हुई क्या ? 6 हजार इन्होंने कहा कि हम इनको वर्ष 2004 में कम्प्लीट कर देंगे, आज तक तो काम भी शुरू नहीं हुआ। मुख्य मंत्री महोदया ने तो यहां तक कहा था अपने भाषण में कि हम इतने स्कूल खोल देंगे, हर दो प्राइमरी स्कूल के बीच में एक मिडिल स्कूल खोल देंगे। आप अंदाजा लगाइये कि प्राइमरी स्कूल की आधी मिडिल स्कूल कितनी होती हैं, और 711 का प्रावधान रख रहे हैं, यह क्या सम्भव हो पाएगा?

एक बात यहां यह भी कही गई कि पुरानी सरकार ने तो कुछ ही नहीं किया। मैं जानना चाहूंगा कि ट्वेंटी पाइंट प्रोग्राम में राजस्थान को पहला नम्बर किसने दिया? केन्द्र में तो आपकी सरकार थी, क्या राजस्थान ट्वेंटी पाइंट प्रोग्राम में नम्बर वन नहीं आया? क्या बिजली के उत्पादन में राजस्थान नम्बर वन नहीं आया देश में? क्या बिजली के सुधार कार्यक्रम में राजस्थान नम्बर तीन नहीं आया देश में? ये सारे आंकड़े...(व्यवधान) सच्चाई सुनने की आदत डालो।

एक माननीय सदस्य : गहलोत मुख्य मंत्री नम्बर वन नहीं थे क्या ?

श्री अध्यक्ष : नौ इंटरप्शन।

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, गत सरकार ने न्यूनतम मजदूरी 44 रुपये से बढ़ाकर 60 रुपये नहीं की ? क्या पेंशनरों की संख्या 2.22 लाख से बढ़ाकर 6.23 लाख नहीं की ? क्या 1,11,588 लोगों को सरकारी नौकरियों में भर्ती नहीं किया? आंकड़े आप बताइये। कह देते हैं, एक भी नौकरी नहीं दी, I quote it and it is on record, कि गत सरकार ने पांच साल के अन्दर 1,11,588 लोगों को सरकारी नौकरी दी है। विकलांग युवक-युवतियों को शादी के लिए अनुदान की राशि जो 5 हजार थी, वह बढ़ाकर 20

हजार पिछली सरकार ने की है। विधवाओं की पुत्रियों की शादी के लिए जो पांच हजार रुपये की सहायता सरकार से मिलती थी, उसको बढ़ाकर 10 हजार रुपये किया है।

श्री जोगेश्वर गर्ग : एक पेमेंट नहीं हुआ। (व्यवधान)

श्री पुष्पेन्द्र सिंह.... : जाते-जाते 6 महीने पहले इसमें डिसीजन लेकर चालू करवाया है। पिछले चार साल तक बंद रहा है। विधवाओं को 10 हजार रुपये दिये ही नहीं और जाते हुए आपने 6 महीने में यह व्यवस्था वापस प्रारम्भ की है।

श्री जुबेर खान : आपके कहने से जो आपके द्वारा प्रगति प्रतिवेदन भेजा जा रहा है इस सरकार का, वह झूठा नहीं पड़ जाएगा।

श्री रामप्रताप कासनिया : जितनी भर्ती आपने पांच वर्ष में की है, उतनी मदनजी ने छह महीने में करवा दी, समाज कल्याण विभाग की तरफ से।

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, जो आप हमारे पास प्रगति प्रतिवेदन भिजवाते हैं, उनके आंकड़े हैं ये, मैं अपनी तरफ से आंकड़े नहीं लाया क्योंकि मैं तो सरकार से बाहर था।

श्री बीरूसिंह राठौड़ : आपकी सरकार ने यह जो थोड़ा बहुत काम किया है, वह कोई एहसान नहीं किया है, इतना तो आपको करना ही था। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : और क्या ग्राम पंचायतों में 2642 साथिनों की नियुक्तियां नहीं की गईं? क्या सूचना का अधिकार गहलोत सरकार ने नहीं दिया? क्या नागरिक अधिकार पत्र पिछली सरकार के समय में जारी नहीं हुए? क्या डी.आर.डी.ए. का हस्तान्तरण पंचायती राज और जिला परिषदों को नहीं किया? जहां पहले कलक्टर अध्यक्षता करते थे वहां क्या जिला प्रमुख अध्यक्षता नहीं करते? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे प्रोटेक्शन चाहता हूं, मैं अपनी बात कह रहा हूं, इनका नम्बर आए तो ये कह लें। ये तो सुबह से शाम तक ऊटपटांग ही कहते रहते हैं कांग्रेस सरकार के लिए, ये तो आंकड़े हैं।

श्री राकेश मेघवाल : क्या आपको जनता ने उस समय राज नहीं दिया था ? क्या एहसान किया आपने ?

श्री जुबेर खान : तो इसका मतलब आप भी एहसान नहीं कर रहे हो न। आप पुल बांध रहे हो, उसकी बड़ाइयों का पुलिंदा बांध रहे हो, आप कौन-सा एहसान कर रहे हो ? पहली बार 120 सीट दे दीं, पहली बार अकेली पार्टी बन गई, अब तक तो बैसाखियों पर ही बनती थी, तो आप कौन-सा एहसान कर रहे हो ?

श्री जोगेश्वर गर्ग : माननीय अध्यक्ष महोदय, रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य को पिछली सरकार के बजट पर बोलने का अवसर नहीं मिला था, इसलिए वे सारी बातें अब बोल रहे हैं ये।

श्री जुबेर खान : हम सोचते थे कि आप रिप्लाई देंगे, आपको सौभाग्य नहीं मिला, हम क्या करें ?

श्री अध्यक्ष : मिस्टर जुबेर खान, आपको बोलते हुए 19 मिनट हो गये हैं, अब आप दो मिनट में बात समाप्त कर दीजिये। आप आसन की तरफ देखिये। आपको बोलते हुए 19 मिनट हो गये, दो मिनट में समाप्त करिये।

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, क्या पिछली सरकार ने एस.डी.ओ. आफिस नहीं खोले ? 83 नये एस.डी.ओ. आफिसेज गत सरकार के समय में खोले गये, 341 तहसीलों के रिकार्ड का कम्प्यूटराइजेशन कराया गया और ये कहते हैं कि सरकार ने कुछ किया ही नहीं।

श्री अध्यक्ष : आप इस साल के बजट पर बोलिये। (व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल : ए.सी.एम. तो वहीं बैठते थे, नया क्या किया? आफिस वहीं था, ए.सी.एम. वही था, ए.सी.एम. को एस.डी.ओ. बना दिया, नया क्या किया, यह बताइये आप? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : हर तहसील में एस.डी.एम. नहीं थे ।

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा, बजट भाषण में कहा कि पंचायतों को अधिकार दे रहे हैं, मैं क्या कहूं, अध्यक्ष महोदय, फिर ये गुस्सा हो जाएंगे। यह तो कालूलालजी गुर्जर से ही पूछ लीजिये, क्या उनके साथ बीत रही है। उनके तो मंत्रालय को बचाने के ही लाले पड़ रहे हैं तब तो जाकर आई-वाच के लिए उन्होंने कमेटी बनाई है।

श्री अध्यक्ष : यह कहां आ गई बजट में बात?

श्री जुबेर खान : इनकी मंशा नहीं है पंचायती राज को अधिकार देने की।

पर्यटन के ऊपर बात आई, हमारी बहिनजी पर्यटन मंत्री हैं, पर्यटन के लिए कहते हैं कि राजस्थान में सबसे ज्यादा पर्यटक आते हैं, पैसा कितना रखा ? 22 करोड़ रुपये। और तनख्वाह कितनी जाएगी? इसमें से आधी से ज्यादा तो तनख्वाह चली जाएगी । और खादी और ग्रामोद्योग के क्या रखा है? उद्योग मंत्रीजी हैं नहीं, प्रेस कांफ्रेंस करते थे, इनके पास दोनों विभाग थे उद्योग भी और पर्यटन भी, उनको तो ग्रामीण उद्योग और खादी के लिए पांच करोड़ 25 लाख रुपये का प्रावधान रखा है जो तनख्वाह में ही बंट जाएगा। यह इनकी सोच है खादी के प्रति, गांव के प्रति, गांव के छोटे -मोटे उद्योगों के प्रति। ऊंट के मुंह में जीरा डालकर कह रहे हैं कि हमने यह कर दिया। आंकड़ों से यह पता नहीं चलेगा, जब अगली बार बजट पेश करोगे कि इस बजट में क्या हुआ है।

अध्यक्ष महोदय, जनसंख्या एक ज्वलंत समस्या है, पापुलेशन सबसे बड़ी समस्या है, अगर इसको गहराई से देखा जाए। हम तो तब जानते ऐतिहासिक कदम जनसंख्या नियंत्रण के लिए कोई न कोई माननीय मुख्य मंत्रीजी बजट में उपाय करती...

श्री राकेश मेघवाल : आप अपनी जनसंख्या पर तो नियंत्रण करो पहले तो। पहले तो आप जनसंख्या पर नियंत्रण करो। आप माननीय सदस्य हो।

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, एक बार पहले भी यह बात आई थी कि हम जितने माइनोरिटी के सदस्य हैं इस सदन में, उनसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के एक लीडर के बच्चे हैं जितने हमारे सबके मिलाकर हैं। (व्यवधान) पहले भी आई थी यह बात। हम पांच सदस्यों के जितने बच्चे टोटल हैं, उतने तो एक ही लीडर के हैं जो यहां सामने बैठे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नाम बताओ उनका।

श्री अध्यक्ष : नाम बताइये।

श्री जुबेर खान : इसलिए यह गम्भीर स्थिति है।

श्री राकेश मेघवाल : नहीं, ऐसा किसी के नहीं है। ज्यादा आप ही के होंगे।

(व्यवधान) इधर जो बैठे हैं उनके कम हैं, आप ही के ज्यादा हैं, आपके हैं। आपके माइनोरिटी में 15-15, 13-13 हैं बच्चे। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : आप तो तब मौजूद थे, तब नाम लिया था माहिर आजाद साहब ने इस हाउस में।

मोहम्म्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बैठा, जुबेर खानजी, एक मिनट। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, परवतसर से आने वाले माननीय सदस्य ने पूरे अल्पसंख्यक समुदाय के ऊपर जो इल्जाम लगाया है, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं.....(व्यवधान) आप सुनिये एक मिनट। भाई साहब, सुन लीजिये। (व्यवधान) मैं अध्यक्ष महोदय से कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : सुनिये, सुनिये।

श्री राकेश मेघवाल : यह पूरे अल्पसंख्यक समुदाय पर नहीं है, मकराना में है, एक-एक घर में 13-13 बच्चे हैं। और नहीं हो तो आपके साथ चलकर गिना दूंगा मैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : हर मामले को गलत मोड़ देने में माहिर हैं आप। हर मामले को गलत मोड़ देने में माहिर हैं आप। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : आप बैठ जाइये। सुनिये आप।

एक माननीय सदस्य : इनके एक लड़की है, यह बात सही है।

श्री जोगेश्वर गर्ग : ये जो गलत बोल रहे हैं...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : फालतू बात मत कीजिये। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि इसको कार्यवाही से निकालिये।

श्री अध्यक्ष : किसने क्या कहा? क्या कहा?

मोहम्मद माहिर आजाद : हम बैठे हैं। सुनिये, मैं बैठा हूं। यह राजेन्द्रजी राठौड़ जानते है, मेरा एक बच्चा है। (व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल : हमने आपकी बात नहीं की है, जनरल बात की है।

आपकी बात नहीं की है। यह जनरल बात है। हमने आपका नाम नहीं लिया ।

मोहम्मद माहिर आजाद : अब आप सुनिये। आप भी सुन लीजिये।

श्री राकेश मेघवाल: 12-13 , 15-15 बच्चे हैं, मैं आपको मकराना में गिना दूगां।

मोहम्मद माहिर आजाद : आपके जिसके भी दो से ज्यादा बच्चे हैं, क्या बात करते हो आप, बात करते हो।

श्री राकेश मेघवाल : ऐसी बात करना सदन में, अच्छी बात नहीं हैं। जिनके 13-13 बच्चे हैं गिन लेना, +++ या अच्छे हैं, वह तो आप वहां जाकर गिनोगे तो पता चलेगा। (व्यवधान) आप वहां जाकर राशनकार्ड से पता कर लीजिये।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा विनम्र निवेदन है....यह क्या तरीका हुआ ?

श्री जोगेश्वर गर्ग : यह शब्द निकाला जाए। इनका स्टेटमेंट निकाला जाए। यह गलत है।

श्री धर्मपाल चौधरी : यह +++ शब्द निकाला जाए। इन्होंने कह क्या दिया ?

मोहम्मद माहिर आजाद : आप कैसे कह जाएगें? माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर आप कहेंगे तो मैं भी कहूंगा।

श्री धर्मपाल चौधरी : अगर किसी के 13-13 बच्चे हैं तो गिन लेना जाकर आप। यह कौन-सा गलत कह दिया इन्होंने?

श्री अध्यक्ष : मुण्डावर से आने वाले माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री धर्मपाल चौधरी : जब जनसंख्या नियंत्रण की बात आने लग गई है, इसमें कहां है गलत बात?

मोहम्मद माहिर आजाद : मेरा निवेदन यह है कि...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आप कृपया बैठिये।

(श्री जुबेर खान)

श्री राकेश मेघवाल : आप यह क्यों कह रहे हैं कि ये सत्ता पक्ष के बैठे हैं, उनके 13-13 हैं, आपने यह क्यों कहा?

मोहम्मद माहिर आजाद : यह मैंने नहीं कहा। मैंने नहीं कही यह बात। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मुख्य सचेतक महोदय, सरकारी पक्ष के मुख्य सचेतकजी, आप अपने सदस्यों को नियंत्रित कीजिये। (व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल : मैंने जनरल बात कही है। नहीं हो तो जाकर देख लीजिये वहां, राशनकार्ड मंगा लीजिये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मिस्टर भाटी, पहले आप स्थान ग्रहण करें।

श्री जुबेर खान : माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर मैं यह कहता हूं कि जनसंख्या पर नियंत्रण होना चाहिए, मैं गलत कहता हूं क्या?

मोहम्मद माहिर आजाद : जुबेर भाई, एक मिनट।

श्री सांगसिंह भाटी : माननीय सदस्य को इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य, आप कृपया स्थान ग्रहण करें।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं जानती हैं, हम लोग... अच्छा निकाल दूंगा, मैं मेरी बात वापस लेता हूं, मैं ही वापस ले लेता हूं, छोड़ो न, आप सुनिये।

श्री अध्यक्ष : वह +++ शब्द .... आप स्थान ग्रहण करें। आप स्थान ग्रहण करिये, पहले स्थान ग्रहण करें आप।

मोहम्मद माहिर आजाद : इस शब्द को मैं ही वापस लेता हूं। लेकिन मेरा,

अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन है, जनसंख्या वृद्धि है इसका ताल्लुक किसी जाति-बिरादरी या धर्म से नहीं है, इसका ताल्लुक शिक्षा से है। हम जितने पढ़े-लिखे लोग हैं, चाहे जुबेर खानजी बैठे हों, चाहे युनूस खानजी बैठे हों, चाहे माहिर आजाद हो, हमने 1985 में आपरेशन करा लिया था। मेरे एक बच्चा है, यह राजेन्द्रजी राठौड़ जानते हैं। पूरी कम्युनिटी के ऊपर इस तरह की बात आप कहेंगे, यह अच्छा नहीं हैं, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इन्होंने जो बात कही है कि पूरे अल्पसंख्यक समुदाय में एक-एक के 13-13 बच्चे हैं, इसको कार्यवाही से निकाला जाए।

श्री अध्यक्ष : किसने कहा था यह ? किसने कहा ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : मान लो ये परिवार नियोजन पर बोल रहे थे, माननीय सदस्य चाहते हैं कि अनिवार्य नसबन्दी हो, यह आपका कहना है, इन्होंने मान लो, यह कह दिया किसी को कि एक-एक परिवार में, एक-एक व्यक्ति के 13-13 बच्चे होते हैं..(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : सारे अल्पसंख्यक समुदाय के लिए कहा, सभी के लिए कहा है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : सारे अल्पसंख्यक समुदाय की बात नहीं है। यह अल्पसंख्यक हैं और बहुसंख्यक हैं।

श्री राकेश मेघवाल : जनरल बात की है। अगर आपके एक बच्चा है तो यह शिक्षा आप सब लोगों को दीजिए। आप यह मैसेज जनता को दीजिये। एक-एक एम.एल.ए. अगर अपनी कांस्टीटयुएंसी में ऐसा करेगा तो परिवार नियोजन में फायदा करेगा, उसमें कहां दिक्कत है ? (व्यवधान) हमने यह कहा है कि सभी माननीय सदस्य का यह दायित्व बनता है कि अपने-अपने क्षेत्र में जाकर यह कहें कि दो बच्चे हों। परिवार नियोजन है तो कानूनी पाबन्दी है। इससे तो सभी सहमत हैं। इसमें क्या बिगड़ गया ? इसलिए....

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, मैं तो खुद कह रहा हूं मुझे आप जानते है। हमारे हित में हैं, जो हमारे प्रदेश के हित में है। जनसंख्या एक बहुत बड़ी समस्या है इस देश के सामने। समस्या बढ़ती जा रही है और यह समस्या राजस्थान के सामने भी है। हम उम्मीद करते थे कि मुख्य मंत्री नई विचारधारा की आई हैं, कोई नया प्रारूप लेकर आएंगी। मैं तो धन्यवाद दूंगा तत्कालीन मुख्य मंत्री भैंरोसिंहजी शेखावत साहब को,

जो आप उप राष्ट्रपति महोदय हैं, उन्होंने सबसे पहले राजस्थान में पहल की थी कि पंचायती राज का चुनाव लड़ने वाले प्रतिनिधियों के दो से ज्यादा बच्चे हों तो उनको लड़ने नहीं देंगे। आज लाना चाहिए था।

मोहम्मद माहिर आजाद : करो न एम.एल.ए. के लिए कि जिस एम.एल.ए. के भी दो से ज्यादा होंगे वह चुनाव नहीं लड़ेगा, लाओ संकल्प यहां अगर हिम्मत है तो, लाइये इस बात को यहां।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हां, लाओ, लाओ।

मोहम्मद माहिर आजाद : सीधा आक्षेप लगा देते हैं, लाओ यह संकल्प यहां अगर हिम्मत है तो। (व्यवधान) हां, लाओ संकल्प।

श्री महावीर प्रसाद जैन : हम सहमत हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : महावीरजी से पूछो, महावीरजी समर्थक हैं क्या इसके। हां, पूछो जरा इनको।

श्री महावीर प्रसाद जैन : सहमत हैं, हम सहमत हैं। (व्यवधान) अड़चन तो आप लोगों के ही आएगी। अब आपके एक बीवी के एक हैं और दूसरी के...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : महावीरजी की बात पुरानी बात है।

मोहम्मद माहिर आजाद : ललितजी के पांच हैं। ललितजी के पांच हैं। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, उसको कार्यवाही से निकलवाया जाए। उसको कार्यवाही से निकाला जाए, सारे अल्पसंख्यक बढ़ाते हैं और यह तेरह-तेरह है, यह क्या बात हुई ? कहा न। माननीय अध्यक्ष महोदय, उसको तो आप कार्यवाही से निकालें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : ऐसी कोई निकालने की भी क्या बात है...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय जुबेर खानजी, अट्ठाईस मिनट हो गये हैं, पांच मिनट मैं व्यवधान के मान लेती हूं।

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, आधा घंटा तो यही खा गये मेरा सब। मैं कनक्लूड करता हूं, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : मैं चार मिनट व्यवधान के मान लेती हूं। अब कनक्लूड करें आप।

(श्री जुबेर खान)

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, देखिये, यह बजट में लाएं न लाएं, मेरा आपसे निवेदन है कि यह जनरल समस्या है और जब हम विकास की बात करते हैं, और बात करते हैं तो इसको उससे अलग नहीं कर सकते। मैं तो कहता हूं, सदन में इस पर एक दिन चर्चा होनी चाहिए और एक संकल्प लेना चाहिए। जनसंख्या के नियंत्रण के लिए अगर हमने समय रहते हुए कदम नहीं उठाए तो हम भी यू.पी. और बिहार की तरह इस तरह घच्च-पच्च हो जाएंगे, बहुत ज्यादा जनसंख्या बढ़ जाएगी।

एक मेरा निवेदन था सड़कों के लिए। अध्यक्ष महोदय, सड़कों के लिए बजट में जो भी कहा है वह यह कहा है कि प्रधान मंत्री सड़क योजना से इतनी बन गई, इतनी की स्वीकृति मिल गई, इतनी की मिलने वाली है। मैं पूछना चाहूंगा, राज्य सरकार से एक पैसे के भी योगदान का नई सड़कों में बनने के लिए इस बजट में प्रावधान रखा है तो सार्वजनिक निर्माण मंत्री बता दें, एक पैसे का। आप जब तक प्रांत में सड़कों का जाल नहीं बिछाएंगें, आप कैसे परिसम्पत्तियां बढ़ाएंगें, कैसे विकास सम्भव हो पाएगा ? इस पर रखना चाहिए था। बिजली के ऊपर कुछ नहीं रखा। क्योंकि पहला बजट है, अगर इसमें कोई नई स्कीम या परियोजना लेकर आते, वह चार-पांच साल बाद पूरी होती। नई योजना के लिए कोई प्रावधान नहीं रखा है, जो पुरानी सरकार ने चलाई हैं दो योजनाएं, उन्हीं में थोड़ा रखा है। हमको नई योजनाओं पर प्रावधान करना चाहिए, मैं आपसे यह मांग करता हूं। क्योंकि जब एक तरफ कहते हैं कि 2007 तक सब को बिजली, आओ और ले जाओ, आओ और ले जाओ, जनरेट नहीं करेंगे तो कहां से आएगी ? इसलिए इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, माननीय मंत्री महोदय। एक निवेदन करना चाहूंगा अकाल के ऊपर।

श्री अध्यक्ष : अब आप कनक्लूड करें। अब आप कनक्लूड करें।

श्री जुबेर खान : अभी तक बरसात नहीं हुई है, अकाल कार्य शुरू करा देने चाहिए सरकार को। और सीख नहीं लें, इतनी सीख तो गहलोत सरकार से ले लें कि इतना भीषण अकाल होते हुए केन्द्र सरकार से और विदेशों से अकाल के प्रबंधन के लिए राजस्थान सरकार को हर जगह सराहा गया था...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : कह दिया, बजट में पैसा नहीं है।

श्री कालीचरण सर्राफ : और उसी का परिणाम है कि 153 से 53 पर आ गये।

(श्री ओ. पी. महेन्द्रा)

श्री जुबेर खान : और बजट भाषण में भी कहा है।

श्री अध्यक्ष : अब आप कनक्लूड करें।

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, मैं कोई इर्रिरेलेवेंट तो बोल नहीं रहा। बजट भाषण में भी कहा है माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने कि मुझे सदन को यह अवगत कराते हुए प्रसन्नता हो रही है कि राजस्व अर्जन की दृष्टि से गत वर्ष 2003-04 हमारे लिए अच्छा वर्ष रहा है।

राज्य के राजस्व संग्रहण में आशानुरूप वृद्धि हुई है जबकि हमारी सरकार द्वारा जनता पर न तो नये करों का बोझ डाला गया था। यह तो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इसमें कहा है गत सरकार के लिए, जो सरकार थी। तो ऐसी नहीं है हर चीज में कि पुरानी सरकार की उपलब्धियों को कह दें तो आपके स्प्रिंग उछल जाती है। आपको नम्बर मिलेंगे, आप तो खूब बड़ाई कर रहे। सदन में मौजूद नहीं है तब भी मंत्री बनने के लिए पहाड़ बांधे जा रहे हैं तारीफों के। तकलीफ होती है थर्डरो में बैठे हुए लोगों को तो देखकर, ये बाहर मिलते हैं तो मुर्झाये हुए मिलते हैं। मंत्री कोई बनने वाला अब नहीं है क्योंकि मुख्य मंत्रीजी को मौजूदा मंत्रियों ने इतना कस दिया है, आप लोगों को मौका नहीं मिलेगा।

श्री राकेश मेघवाल : बाहर कौन-कौन लोग मुर्झाये हुए मिले हैं ?

श्री जुबेर खान : मेरा अन्त में यह निवेदन है, अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष : अब आप कनक्लूड करें।

श्री राकेश मेघवाल : जुबेर खानजी, आपको बाहर मुर्झाये हुए कौन मिले? सब हंसते हुए मिलते हैं बाहर आपको। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : आप तो हमें हमारी कमेटी के चेयरमैन के रूप में ही बैठे मिलते हैं...

श्री जोगेश्वर गर्ग : मेरा यह निवेदन है, परिवार नियोजन हो गया है, मंत्रिमण्डल का परिवार नियोजन हो गया है।

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, पूर्वी राजस्थान की बजट में उपेक्षा की गई

(श्री ओ. पी. महेन्द्रा)

है। पूर्वी राजस्थान में न तो यमुना पानी के बारे में कुछ कहा गया है, न चम्बल से पानी लाने के बारे में कहा गया है, मेरा निवेदन है कि पूर्वी राजस्थान के बारे में ध्यान दिया जाए, पिछड़ा हुआ इलाका है। जहां आप कहते हैं कि शिक्षा हर जगह जाए, जब तक इस क्षेत्र में शिक्षा का संचार नहीं होगा, विकास नहीं हो सकता। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि यह बजट मायाजाल है आंकड़ों का, इस बजट में वास्तविकता नहीं है। जो स्टैप लेने चाहिए थे, इस बजट में विकास के पैसे को तनख्वाहों में बांटा गया है। कर्मचारियों के बारे में, पुलिस के लिए क्या किया गया? इस बजट में पुलिस के लिए एक पैसे का प्रावधान आपने नई योजना के लिए नहीं किया है। एक तरफ तो चाहते हैं कि प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक रहे, जब तक पुलिसकर्मियों के लिए आप सुविधाएं नहीं बढ़ाएंगे, साधन नहीं बढ़ाएंगे, आज हाईटेक जमाना है, उनको भी अच्छी गाड़ियां चाहिए, अच्छे वायरलैस चाहिए, अच्छे साधन चाहिए, जब तक पुलिस प्रशासन को आप उपलब्ध नहीं करवाएंगे, आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे यहां कानून व्यवस्था ठीक रहेगी ?

श्री अध्यक्ष : आप कनक्लूड करें अब। समाप्त करें।

श्री जुबेर खान : कर्मचारियों को आपने धोखा दिया, कर्मचारियों के लिए क्या किया इसमें....

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री जुबेर खान : तो मेरा, अध्यक्ष महोदय, अंत में यही निवेदन है...

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें हां अब।

श्री जुबेर खान : कि यह बजट न सिर्फ आंकड़ों का मायाजाल है, विकासोन्मुखी, डवलपमेंट ओरिएन्टेड बजट नहीं है, यह इसलिए मैं यह चाहता हूं कि जो बजट में कमियां रही हैं पावर सैक्टर पर, सड़क सैक्टर पर, पोपुलेशन के ऊपर, कर्मचारियों के लिए, पुलिस के लिए, पिछड़े हुए इलाकों के लिए, पूर्वी राजस्थान के लिए इस बजट में प्रावधान किया जाए। आपने समय दिया मुझे, धन्यवाद। जयहिन्द।

श्री अध्यक्ष : श्री ओ.पी. महेन्द्रा।

श्री ओ.पी. महेन्द्रा (केसरीसिंहपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की संवेदनशील माननीय मुख्य मंत्री श्रद्धेया श्रीमती वसुन्धरा राजेजी राज्य के

(श्री ओ.पी. महेन्द्रा)

किसानों, गरीबों, मजदूरों, विद्यार्थियों, बेरोजगारों, महिलाओं, पिछड़ों, आदिवासियों, दलितों, व्यापारियों एवं उद्योगपतियों के लिए अपने प्रस्तावित बजट में अनुपम राहतों की घोषणा की है, इसे केन्द्र सरकार के ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समर्पित बजट के नहले पर दहला कहा जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, अर्थशास्त्र का विद्यार्थी होने के नाते पिछले नौ साल से केन्द्र एवं राज्य सरकारों के बजटों को सुनने व अध्ययन करने का अवसर मुझे मिला है, लेकिन माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 12 जुलाई को जो साहसिक बजट प्रस्तुत किया है इसकी मिसाल पूर्व में कहीं देखने को नहीं मिलती। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी का हृदय के अन्त:करण से अनेकानेक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं जिन्होंने लगभग छह करोड़ जनसंख्या वाले राज्य के प्रत्येक वर्ग का दिल जीता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य के विकास की दिशा निर्धारित करने की दृष्टि से जो छह प्राथमिकताएं चिह्नित की गई हैं उनसे राज्य का न केवल आर्थिक व सामाजिक पिछड़ापन दूर होगा, बल्कि विकास की गंगा भी तेजी से बहेगी एवं आधारभूत ढांचे का विकास भी होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं श्रीगंगानगर जिले के लाखों किसानों की ओर से एवं अपनी ओर से माननीय मुख्य मंत्रीजी का आपके माध्यम से आभार व्यक्त करना चाहता हूं।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (सरकारी मुख्य सचेतक) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटा बढ़ाया जाए।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि सदन का समय एक घंटा बढ़ाया जाए ?

(स्वीकृति)

सदन का समय एक घंटे के लिए बढ़ाया जाता है।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री ओ.पी. महेन्द्रा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं गंगानगर जिले के लाखों

(श्री ओ.पी. महेन्द्रा)

किसानों की और से एवं अपनी और से भी माननीय मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करता हूं कि राजस्थान का खाद्यान्न भण्डार कहे जाने वाले सिंचित क्षेत्र श्रीगंगानगर जिले के लिए यह आज तक का ऐतिहासिक बजट है। चार-चार फसलों का आबियाना, सिंचाई शुल्क एकमुश्त माफ करना अत्यधिक हौसले और हिम्मत की बात है। ऐसी संवेदनशीलता एवं अदम्य उत्साह के लिए राजस्थान के इतिहास में सिंचित क्षेत्र के किसानों की आने वाली पीढियां भी माननीय मुख्य मंत्रीजी को याद करेंगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं याद दिलाना चाहता हूं हमारे प्रतिपक्ष के साथियों को कि आज से तीन वर्ष पूर्व जब गंगानगर जिले में पानी की कमी के कारण से किसानों का नरमा और कपास चौपट हो गया था, किसानों ने तत्कालीन सरकार से नरमा और कपास के आबियाने को माफ करने की मांग की थी। उस समय गंगानगर जिले में हजारों किसानों ने धरने दिये, प्रदर्शन किये, गंगानगर बंद का आयोजन किया लेकिन तत्कालीन सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। उसके बाद किसानों ने कांग्रेस जन प्रतिनिधियों और मंत्रियों को जब घेरना शुरू किया तब तत्कालीन मुख्य मंत्री ने नरमा और कपास की एक फसल का केवल आंशिक मुआवजा माफ किया था। उसके बाद लगातार अकाल की स्थिति राजस्थान में रही, किसानों को पानी नहीं मिला जिसके चलते सिंचित क्षेत्र का किसान आबियाना चुकाने की स्थिति में नहीं था, लेकिन कांग्रेस सरकार में इतनी हिम्मत नहीं रही कि आपदा से जूझते हुए किसानों का मामला माफ किया जाता। विधान सभा के चुनाव के दृष्टिगत माननीय मुख्य मंत्रीजी ने उस मामले को 31 दिसम्बर तक स्थगित कर दिया था।

श्री अध्यक्ष : आपको 10 मिनट में अपनी बात समाप्त करनी है, यह भाषण है तो आप बजट पर आ जाएं अब।

श्री ओ.पी. महेन्द्रा : बजट पर ही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट पर ही बोल रहा हूं मैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, तत्कालीन सरकार ने जो मामला स्थगित किया था उसके बाद राज्य की वर्तमान मुख्य मंत्री ने संवेदनशीलता का परिचय दिया और जब वो हनुमानगढ़ पधारीं उस समय उन्होंने किसानों से कहा कि जब किसानों को पानी ही नहीं मिला तो आबियाना और सिंचाई शुल्क किसानों से लिया जाना उचित नहीं है और इस बजट में चार फसलों का आबियाना माफ किया, वह गंगानगर के किसानों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है।

(श्री ओ.पी. महेन्द्रा)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस संदर्भ में एक और बात कहना चाहता हूं, हमारे विद्वान साथी नाथद्वारा से आने वाले प्रोफेसर साहब कह रहे थे कि नहरी पटवारी की व्यवस्था को इन्होंने राजस्व पटवारी की व्यवस्था में बदला। मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य नाथद्वारा से आते हैं जहां सिंचाई नहरों के माध्यम से नहीं होती, शायद गंगानगर जिले का कभी दौरा नहीं किया होगा कि आज हमारे किसान नहरी पटवारी की कमी के कारण से कितनी मुसीबतों को झेल रहे हैं। मैं सदन के माध्यम से, माननीय अध्यक्ष महोदयजी, आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि नहरी पटवारी की व्यवस्था को पुन: लागू किया जाए। यह जो मामला इकट्ठा हुआ यह नहरी पटवारी नहीं होने के कारण से किसानों पर मामला स्थापित नहीं हो सका था। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि बजट में न केवल विगत चार फसलों का आबियाना माफ हुआ, बल्कि गंग नहर, भाखड़ा नहर, इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र में किसानों को पुख्ता खातेदारी अधिकार देने, भूमि के पारिवारिक हस्तांतरण शुल्क की दर को घटाने, कृषि विपणन के माध्यम से किसान कोष की स्थापना करने, भारी मात्रा में फसली ऋण उपलब्ध कराने, राज्य के सभी पात्र किसानों को किसान कार्ड जारी करने की घोषणाओं से निश्चित रूप से कृषि व कृषकों की कायापलट होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, कृषक विश्वविद्यालयों की स्थापना, कृषि विश्वविद्यालयों के शोध को किसानों तक पहुंचाना तथा खेत में ही नई टैक्निक उपलब्ध कराने से किसान एक बड़ी सीमा तक लाभान्वित होंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, गंग नहर आधुनीकरण परियोजना के लिए इस बजट में 72 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के लिए 170 करोड़ रुपये की राशि रखी गई है, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने लोगों के ऊपर बड़ा उपकार किया है, सिंचित क्षेत्र के किसान इसके लिए लाभान्वित रहेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस वर्ष खरीफ की फसल बीमा योजना को सभी प्रमुख फसलों पर लागू करने की योजना भी है, लाखों किसान इससे लाभान्वित होंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से यह मांग करता हूं कि बाकी की जो बची हुई फसलें हैं-जैसे सरसों की फसल हमारे जिले में होती है, गेहूं की फसल हमारे जिले में होती है, उस पर भी फसल बीमा योजना का लाभ दिया जाना चाहिए। यहां जब कृषकों की बात हो रही है तो मैं गंगानगर जिले के लिए आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी से और राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं

(श्री ओ.पी. महेन्द्रा)

कि गंगानगर एक सिंचित क्षेत्र है, जहां कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना श्रीगंगानगर जिले में होनी चाहिए थी कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना बीकानेर में की गई। मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि कृषि विश्वविद्यालय के समकक्ष सुविधाएं श्रीगंगानगर जिले के किसानों को भी उपलब्ध करवायी जाएं।

इस बजट में सिंचित क्षेत्र के लिए 10 प्रतिशत की जन भागीदारी के साथ पक्के खालों के निर्माण की योजना का भी प्रावधान किया गया है, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जहां इंदिरा गांधी नहर परियोजना में10 प्रतिशत भागीदारी के साथ पक्के खालों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है वहीं हमारे गंगानगर जिले के किसान 20 प्रतिशत राशि जन भागीदारी में देने को तैयार हैं। 20 प्रतिशत भागीदारी के साथ गंगानगर जिले की गंग कैनाल के लिए भी पक्के खालों का निर्माण होना आवश्यक है क्योंकि इससे एक और तो पानी के सीपेज में कमी आएगी, बचत होगी और उसके साथ-साथ ही हजारों हैक्टेयर का क्षेत्र नया सिंचित हो सकेगा।

(17:00 बजे)

माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट में प्राथमिक शिक्षा हेतु दुगुनी व माध्यमिक शिक्षा हेतु चार गुना राशि का प्रावधान करके माननीय मुख्य मंत्रीजी ने सरकार की इस मंशा को पुख्ता कर दिया है कि गांव-गांव में शिक्षा, ढ़ाणी-ढ़ाणी में शिक्षा की नई बयार बह कर रहेगी। राज्य में तीन नये सरकारी कालेज खोलने दो डिग्री कालेजों को स्नातकोत्तर का दर्जा देने, राज्य में पहला मेडिकल विश्वविद्यालय स्थापित करने, तकनीकी विश्ववविद्यालय स्थापित करने की घोषणाओं से यह जाहिर है कि राज्य को प्राथमिक शिक्षा से उच्च शिक्षा क्षेत्र की गहरी समझ है और इसके विकास में कोई बाधा नहीं आने वाली। निजी क्षेत्र में भी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु कानून बनाने की घोषणा करके मुख्य मंत्रीजी ने अपनी मंशा को और अधिक सुदृढ़ता प्रदान की है। अध्यक्षजी, यह उल्लेखनीय है कि वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार राज्य में 1991 में साक्षरता की दर 38.55 प्रतिशत थी जो बढ़कर 2001 में 61.03 प्रतिशत हो गई। राजस्थान का भारत के राज्यों में स्थान 1991 में जहां अंतिम द्वितीय था, वह 2001 में बढ़कर 7 वां स्थान हुआ। अध्यक्षजी, 1990-91 से 1998-99 के बजट भाजपा सरकार ने

प्रस्तुत किये थे, केवल 1991 में राष्ट्रपति शासन को छोड़कर भाजपा के शासनकाल में शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान अग्रणी राज्य हुआ।

अध्यक्षजी, प्रस्तावित बजट में ग्राम पंचायत स्तर पर 10-10 किलो गेहूं के फूड स्टांप जारी करने की घोषणा से राज्य के किसी भी हिस्से में कोई भी व्यक्ति भुखमरी का शिकार नहीं हुआ। अंत्योदय अन्न योजना, अन्नपूर्णा योजना व बी.पी.एल. परिवारों को लाभान्वित करने की योजना और राशन कार्ड के अलावा उनकी पात्रता के अनुसार सालभर के राशन टिकट अग्रिम देने से भी भूख व कुपोषण से मुक्ति दिलाई जा सकेगी।

अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार का यह बजट कृषि व शिक्षा के साथ-साथ स्वास्थ्य को भी समर्पित है। मातृत्व सेवाओं के विकास के लिये...

श्री अध्यक्ष : आपको बोलते हुए 16 मिनट हो गये हैं, अब आप दो मिनट में अपना भाषण समाप्त करें।

श्री ओ.पी. महेन्द्रा : हां, मैं दो मिनट में कर रहा हूं। माननीय अध्यक्षजी, मातृत्व सेवाओं के विकास के लिये कठिन व दुलर्भ क्षेत्रों में प्रसव गृहों का निर्माण, विशिष्ट अल्पकालीन प्रसूति इकाइयों की स्थापना, सुरक्षित प्रसव के लिये 10 हजार पारम्परिक दाइयों को प्रशिक्षित करना, प्रत्येक विकास खंड में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का चयन कर उसे आदर्श केन्द्र के रूप में विकसित करने की योजना जो घोषित की गई है, उससे स्वास्थ्य के क्षेत्र की आधारभूत सेवाओं को नि:संदेह अधिक मजबूती मिलेगी।

अध्यक्षजी, यह उल्लेख करना आवश्यक समझता हूं कि वर्ष 2003-04 के लिये राज्य की वार्षिक योजना का आकार 4258 करोड़ रुपये निश्चित किया गया था, शासन की बागडोर सम्भालने के साथ माननीय मुख्य मंत्रीजी ने विभिन्न स्तरों पर प्रयास कर राज्य की वार्षिक योजना के आकार को बढ़ाकर 5504.52 करोड़ रुपये निर्धारित करवाया। मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हुई कि नवीनतम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2003-04 में वास्तविक व्यय 6044.38 करोड़ रुपये का हुआ जो पूर्व में योजना आयोग द्वारा अनुमोदित योजना के आकार से 1786.38 करोड़ रुपये अधिक है। अध्यक्षजी, अगर दृढ़ इच्छाशक्ति हो तो निश्चित कार्यक्रम के अंतर्गत लक्ष्य निर्धारित कर योजना को वृहत् बनाया जा सकता है, व्यय में वृद्धि की जा सकती है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, अत्यधिक खेद का विषय है कि पूर्व की कांग्रेस सरकार ने बार-बार

(श्री प्रहलाद गुंजल)

प्लान के साइज को घटाया, इससे राजस्थान देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में खड़ा होने के बजाय अत्यधिक पिछड़ गया। राज्य के विकास की गति अवरूद्ध हुई। राज्य की सातवीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1985 से 90 तक के लिये थी, का आकार 3500 करोड़ रुपये का था। जब भाजपा ने सत्ता सम्भाली तो तत्कालीन मुख्य मंत्रीजी ने...

श्री अध्यक्ष : अब आप समाप्त करें, आपका समय समाप्त हुआ। समाप्त करें आप। कनक्लूड करें।

श्री ओ. पी. महेन्द्रा : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। जब भाजपा ने सत्ता सम्भाली तो तत्कालीन मुख्य मंत्री व वर्तमान में महामहिम उप राष्ट्रपति श्री भैरोंसिंहजी शेखावत ने आठवीं पंच वर्षीय योजना का आकार न केवल 11500 करोड़ रुपये का करवाया बल्कि संकल्प शक्ति के बल पर उसको पूरा भी किया और नवीं पंचवर्षीय योजना 27650 करोड़ की स्वीकृत करवाई। अध्यक्षजी, यह राज्य का दुर्भाग्य ही रहा कि 1998 में कांग्रेस का राज आया।

श्री अध्यक्ष : आप 1998 में कहां चले गये? 2004 की बात करो, 1998 में कहां गये आप?

श्री ओ.पी. महेन्द्रा : अध्यक्ष जी, इससे रिलेटेड है, प्लान के साइज की हमारे माननीय सदस्य बात कर रहे थे।

श्री अध्यक्ष : पांच वर्ष पीछे मत जाओ, आगे चलो। अब आप समाप्त करो। प्लीज, आप समाप्त करो।

श्री ओ.पी. महेन्द्रा : 10वीं पंचवर्षीय योजना अगर भाजपा का राज होता तो 75 हजार करोड़ रुपये की होती। एक मिनट में कनक्लूड कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : आप तो 1998 में चले गये।

श्री ओ.पी. महेन्द्रा : भारत एक विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में खड़ा होता। अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात के पीछे तर्क दे रहा हूं कि सातवीं योजना से नवीं योजना 9 गुना बड़ी व आठवीं योजना से ढाई गुना बड़ी थी तो कोई कारण नहीं था कि दसवीं योजना 75 हजार करोड़ रुपये की नहीं होती। तीन गुना बढ़ने में कहीं भी कोई

(श्री प्रहलाद गुंजल)

संकट नहीं था। कांग्रेस शासन ने दसवीं का आकार....

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री प्रहलाद गुंजल।

श्री ओ.पी. महेन्द्रा : अध्यक्षजी, एक मिनट, फाइनल कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : आप तो पिछली बात कर रहे हैं।

श्री ओ.पी. महेन्द्रा : अध्यक्षजी, करारोपण जैसे कठोर कदमों से बचते हुए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बजट घाटे को इस विश्वास के साथ अपूरित छोड़ा है कि राज्य की जनता स्वयं यह कर्जा चुकायेगी। हमें आशा करनी चाहिये, व्यापारियों, उद्योगपतियों तथा अन्य करदाताओं को अनेक प्रकार की राहतें देते हुए मुख्य मंत्रीजी ने विश्वास व्यक्त किया है वे उन पर खरा उतरेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रहलाद गुंजल।

श्री ओ.पी. महेन्द्रा : अध्यक्षजी, हम नये सदस्य हैं, कनक्लूड कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : आपने तो फैसला कर लिया आसन की बात नहीं मानने का, क्या करूं मैं ? इतनी बार आपसे कहा, समाप्त कीजिए, समाप्त कीजिए, आप कर ही नहीं रहे हैं।

श्री ओ.पी. महेन्द्रा : एक अंतिम बात कहकर मैं कर रहा हूं। अध्यक्षजी, अर्थशास्त्र का यह सिद्धान्त है कि जितना कर कम होगा उतना कर राजस्व बढ़ेगा। कर प्रणाली के सरलीकरण और अविवेकपूर्ण दरों की कमी से भी व्यापारिक गतिविधियां बढ़ेंगीं, सरकारी खजाने में अधिक वसूली होगी। मैं इस बजट का समर्थन करता हूं और समय देने के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय का आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय प्रहलाद गुंजल, आप प्रारम्भ करें।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमंडी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2004-05 का बजट माननीय मुख्य मंत्रीजी ने सदन में प्रस्तुत किया है। बजट पर चार दिन चर्चा होनी है, इस गरिमामयी सदन में आज चर्चा का दूसरा दिन है। मैं राजस्थान की मुख्य

(श्री प्रहलाद गुंजल)

मंत्री आदरणीय वसुन्धरा राजेजी को धन्यवाद देना चाहता हूं और बधाई देना चाहता हूं कि जिस प्रकार ऐतिहासिक बजट उन्होंने इस सदन में पेश किया है उससे राजस्थान की जनता के मन में एक उम्मीद की किरण पैदा होगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी भी प्रांत और राष्ट्र का बजट जनता की आंखों के सपने के रूप में होता है। बजट इस भावना का दर्शन होता है कि जिस जनता ने आशीर्वाद देकर आपको सत्ता में पहुंचाया, उसके कल्याण के लिये आप क्या कर रहे हैं। जब इस आधार पर हम इस बजट का विश्लेषण करेंगे तो हम देखेंगे, सारे राजस्थान में सर्वत्र इस बजट की प्रशंसा हो रही है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने, जिस पर खूब चर्चा हो गयी, मैं और अधिक प्रकाश नहीं डालना चाहता, जिस प्रकार से इस प्रांत के सम्पूर्ण वर्ग के कल्याण की योजनाओं को इस बजट में समाहित किया, अपने आप में मिसाल है।

अध्यक्ष महोदय, अभी हमने एक सप्ताह के भीतर 2 बजट देखे, एक बजट हिन्दुस्तान का और एक बजट राजस्थान का।

(17:11 बजे)

(श्री रामनारायण विश्नोई, सभापति, पदासीन)

जब पूर्ववर्ती सरकार के वित्त मंत्री कल चर्चा कर रहे थे, उन्होंने अपने सम्बोधन में यह बात कहने का प्रयास किया कि राजस्थान का बजट केन्द्र के बजट की तर्ज पर लाया गया बजट है। मैं कहना चाहता हूं कि हम भी इस बजट की मुक्त कंठ से चर्चा करते, केन्द्र की बजट की मुक्त कंठ से चर्चा-प्रशंसा करते यदि बिहार, जम्मू-कश्मीर, उत्तर-पूर्वी राज्यों के आर्थिक पैकेज की तरह राजस्थान के हितों का भी ध्यान रखा होता। माननीय सभापति महोदय, पिछली सरकार के माननीय वित्त मंत्री जसवंत सिंहजी ने अंतरिम बजट में राजस्थान के कल्याण के लिये कुछ प्रावधान किये थे, चाहे वह जयपुर के अंतरराष्ट्रीय हवाई-अड्डे का सवाल हो, चाहे जोधपुर में एम्स जैसी सुविधाएं जुटाने का प्रश्न हो, लेकिन मुझे आज खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन की सरकार ने अपने बजट में इनका जिक्र भी नहीं किया। ऐसा लगता है कि केन्द्र की सरकार ने सभी प्रांतों के विकास के सम्भाव से बजट पेश नहीं किया। बिहार को पैकेज, जम्मू-कश्मीर को पैकेज, अपनी सरकार को बनाये

रखने, चलाये रखने की चिन्ता को इस राष्ट्र की बहबूदी से ज्यादा प्राथमिकता दी।

सभापति महोदय, यह जो प्रांत का बजट है, यह प्रदेश के विकास का विजन डाकूमेंट है जो सरकार की भावी योजनाओं और नीतियों के क्रियान्वयन को दर्शाता है। राजस्थान की लोकप्रिय मुख्य मंत्री वसुंधराजी के बजट को देखने के बाद ऐसा लगता है कि पहली बार यह बजट किसी मुख्य मंत्री ने राजस्थान में शासन के, सत्ता के गलियारों में, सचिवालय में बैठकर तो बनाया है लेकिन राजस्थान की जन-भावनाओं से सराबोर होकर बनाया है। राजस्थान के इतिहास में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यह पहला बजट है, और मैं यह पहला बजट इसलिये कह रहा हूं कि इस प्रकार के बजट आये होंगे चुनावों के सालों में, लेकिन इतिहास उठा करके देखें, राजस्थान की सरकार ने अपने प्रथम बजट के अंदर राजस्थान की जनता पर कोई नया भार नहीं लगाया है। एक मिसाल है। और भार ही नहीं लगाया, टर्न ओवर टैक्स, सरचार्ज, करों में कटौती के रूप में राजस्थान की जनता को राहत दी है। मैं समझता हूं कि इसके बाद प्रतिपक्ष के पास बजट पर बोलने के लिये कोई मसाला नहीं बचा है। यदि यह बजट इस 12वीं विधान सभा का अंतिम बजट होता तो शायद उधर से हल्ला मचता कि यह चुनावी बजट है। काफी कल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख इस बजट में किया गया है, यह डाकूमेंट सबके पास है, इस पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है।

अभी माननीय सदस्य चर्चा कर रहे थे अपने भाषण में, माननीय जुबेर खानजी, वे कह रहे थे, मुख्य मंत्रीजी ने प्रेस के सामने स्वीकार किया कि 200 करोड़ का घाटा इन करों में कटौती के बाद होगा। इसकी पूर्ति कहां से करेंगे, यह घाटे में जुड़ेगा। जुबेर खानजी को अपने शासन के अनुभव याद रहे। शायद उनके मन में यह कल्पना नहीं रही, शायद उनके मन में यही सोच बनता है कि करों को बढ़ाकर इनकम बढ़ायी जा सकती है। यह कल्पना भी रहनी चाहिए कि करों को घटाकर, उत्पादकता बढ़ाकर, टर्न-ओवर बढ़ाकर, कुशल प्रबंधन से अच्छे-बड़े घाटे को भी दूर किया जा सकता है। यह साहस है हमारी मुख्य मंत्रीजी में, यह कुशल प्रबंधन, यह आत्म-विश्वास, हमारी मुख्य मंत्रीजी में है, जिसने राजस्थान की जनता को इस आधार पर राहत दी है।

अब आपकी पोल इनसे खुलती है। माननीय सदस्य, आप हमारे घाटे की चिन्ता कर रहे थे। नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य, हमारे सम्मानीय सदस्य, बहुत वरिष्ठ हैं, उनके वक्तव्यों पर मुझे कुछ कहने का नैतिक अधिकार, मैं समझता हूं कि प्रथम बार आने के कारण नहीं होना चाहिए। बहुत मार्मिक तरीके से बात कर रहे

(श्री प्रहलाद गुंजल)

थे। हमको भी लग रहा था, सदन में इस प्रकार की अच्छी चर्चाएं होनी चाहिए, सार्थक चर्चा, सार्थक परिणाम आने चाहिए। लेकिन माननीय जोशीजी की विद्वता, उनके तर्क संगत सुझाव कहां चले गये थे पिछले बजटों में, जब लगातार एक के बाद एक बजट सदन में पारित हुए? आंकड़े पढ़ लेना, आपके पास हैं, प्रत्येक बजट में कटौती की गयी। और जब सवाल पूछे प्रतिपक्ष ने कि बजट में कटौती क्यों हुई, लक्ष्यों के अनुरूप प्राप्तियां नहीं हो रही हैं, तो सरकार का जवाब आया, राजस्थान में भंयकर अकाल के कारण बजट में कटौतियां की जा रही हैं। भंयकर अकाल का बहाना था, अकाल के नाम पर सरकार की अयोग्यता को छिपाने का प्रयास किया जा रहा था। सरकार के बिगड़े हुए प्रबन्धन, शासन की कोई स्पष्ट दिशा, स्पष्ट नीति नहीं, इसको छिपाने के लिये अकाल के नाम पर कटौती का बहाना बनाया।

माननीय सभापति महोदय, चुनावों में जब हम जनता के बीच में जाते हैं और घोषणा-पत्र जारी करते हैं, उससे जनता एक सपना देखती है। गांव का, गरीब के कल्याण का सपना देखती है। राजस्थान के, प्रान्त के विकास का सपना देखती है। और वह सपना कोई नींद पूरी करने से पूरा नहीं होता है, वह सपना पूरा होता है सरकार के विजन से, वह सपना पूरा होता है सरकार के अच्छे बजट से। अब इस तुलना में हम अध्ययन करेंगे, इसका मूल्यांकन करेंगे तो जिन पिछले पांच साल के बजटों मैंने चर्चा की, कहना होगा कि राजस्थान की जनता को पांच साल तक धोखे के अलावा कुछ नहीं मिला। कौनसा वर्ग है जो राजस्थान की सरकार के पिछले पांच साल के काम-काज से सन्तुष्ट हुआ? खूब चर्चाएं हुई हैं, और अब इस सदन में चर्चा करने का कोई मतलब इसलिए नहीं निकलता है कि उसका दण्ड राजस्थान की जनता ने पिछले चुनावों में दे दिया। राजस्थान के विकास का सिलसिला भैरोंसिंहजी के राज में प्रारम्भ हुआ था। मैं कोई अर्थशास्त्री नहीं हूं, राजनीतिक कार्यकर्ता की सामान्य जानकारी के आधार पर और अख़बार के अध्ययन के आधार पर बात करता हूं। माननीय शेखावतजी के राज में राजस्थान ने विकास की गति पकड़ी थी। कितना कर्ज लिया, कितनी परिसम्पत्तियों का अर्जन किया, यह खूब बात आ गयी, लेकिन आपने क्या किया? जब 1998 में राज सम्भाला, किसी के लिए भी राज को सम्भालना एक चुनौती भरा काम है। (व्यवधान) वह मैं अभी बाद में बता दूंगा आपको, किसमें है। लेकिन आपने सत्ता सम्भालने के बाद राजस्थान की जनता के साथ न्याय करने के बजाए जिम्मेदारी से भागने का प्रयास किया। लगातार राजस्थान के मुख्य मंत्री यह कहते रहे कि खजाने खाली हैं, खजाना

खाली है। मुझे कहना नहीं चाहिए, लगातार पांच साल तक ''खजाना खाली'' की रट लगाकर हिन्दुस्तान में राजस्थान की साख को बट्टा लगाया। कंगाल कहा और जब चार साल तक राजस्थान में अकाल पडा, खजाना खाली की रट बंद नहीं हुई तो राजस्थान की जनता को भी सन्देह हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अगर राज नहीं बदला, राज बदलने के रूप में, राजस्थान के खजाने पर शनि का प्रभाव जिम्मेदार हो गया (व्यवधान) बिलकुल है।

श्री जुबेर खान : पहली बार बोल रहे हैं, बोलने दीजिए।

श्री सभापति : बोलने दो।

श्री सुन्दर लाल : परिवार नियोजन पर बोल दिया आपने। बोलने दो, नया छोरा है। आपके कांटा गड़ रहा है क्या बोलते हैं तो?

श्री प्रहलाद गुंजल : परिवार नियोजन और जिस प्रकार की अनावश्यक बातों पर...(व्यवधान) हो सकता है, मैं आपकी इस बात का समर्थन कर सकता हूं कि राजस्थान के खजाने में आपको कुछ नहीं मिला हो...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान : इसके भैरोंसिंहजी समर्थक रहे हैं। इसका भैरोंसिंहजी समर्थन करते थे। भैरोंसिंहजी हर बजट में जनसंख्या को लाते थे इसलिए मैंने तो उठाया था। (व्यवधान)

श्री प्रहलाद गुंजल : हो सकता है कि मैं आपके उस बजट का समर्थन करता, पर...

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह कह रहे हैं कि आपके कांटे गड़ रहे हैं क्या?

श्री प्रहलाद गुंजल : आपकी बात का समर्थन करता हूं, जिसमें आपने कहा कि खजाना खाली है, लेकिन आज भी वही चुनौती पूर्ण परिस्थितियां राजस्थान के सामने खड़ी हैं। परिस्थितियों में बदलाव भी आया है, परिस्थितियों में गिरावट भी आयी है। (व्यवधान)

श्री सभापति : पहली बार बोल रहे हैं, यह ठीक बोल रहे हैं।

श्री प्रहलाद गुंजल : लेकिन सत्ता के गठन के सात महीने के बाद कभी

(श्री प्रहलाद गुंजल)

राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी ने यह कहकर इस राजस्थान की साख को गिराने का प्रयास नहीं किया कि खजाना खाली है, प्रबन्धन कैसे करेंगे। आज आपको जाकर सार्वजनिक रूप से अपने कुप्रबन्धन को राजस्थान की जनता के सामने स्वीकार करना चाहिए। माफी मांगनी चाहिए। इतना ही नहीं है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राजस्थान की माननीय मुख्य मंत्री महोदया को कि जिस बात को लेकर गहलोतजी पिछले पांच साल तक राजनीति करते रहे कि केन्द्र ने सहायता नहीं दी, केन्द्र ने सहायता नहीं दी, आरोप मंढते रहे अटलजी पर, हमारी मुख्य मंत्री महोदया ने कहा कि पिछली अटल बिहारी वाजपेयीजी की सरकार ने गहलोत राज को जितनी सहायता दी अगर उतना पैसा भी केन्द्र की सरकार राजस्थान की वर्तमान सरकार को देती है तो हम इस राज्य की कायाकल्प करने का प्रबन्धन करेंगे। केन्द्र से जितनी सहायता मिली, उसके आधार पर आप अकाल को अवसर में बदल सकते थे, लेकिन आपका प्रबन्धन ठीक नहीं था। भ्रष्टाचार का बोलबाला था। प्रधानमंत्रीजी ने राजस्थान की अंकाल पीड़ित जनता के लिए खजाने खोले, भण्डार के ताले खोले दिये, लेकिन जनता के हक का गेहूं आपकी सरकार में बाजारों में बिकते हुए पकड़ा गया। कौन है जिम्मेदार? यह आपके कुप्रबन्धन की पराकाष्ठा थी। जांच हो रही है, जांच होगी और आपके काम-काज की पोलें खुल गयीं। आप आज तो बजट पर चिन्ता कर रहे हैं राजस्थान के हितों की, गांव के, गरीब के कल्याण की, किसानों की, जब पश्चिमी राजस्थान के किसानों की बाजरे की फसल को खरीदने का सवाल आया तो केन्द्र सरकार ने आपको 106 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये, कितने रुपये की खरीद की? 6 करोड़ 19 लाख रुपये की। आपके प्रबन्धन की पोल खुल गयी। राजस्थान की तत्कालीन सरकार अकाल की विपदा में भी जनता के सहयोग के लिए आगे नहीं आयी।

माननीय सभापति महोदय, चार साल की अकाल की मार झेल चुके प्रदेश के सामने आज भी चुनौती भरी स्थितियां खड़ी हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राजस्थान की मुख्य मंत्री महोदया को जिन्होंने चुनौती भरी परिस्थितियों में भी राजस्थान का यह ऐतिहासिक बजट पेश करके जनता को राहत प्रदान की है। योजना के आकार के बारे में मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूं। 7 हजार 31 करोड़ 44 लाख रुपये की योजना प्रस्तावित है, यह सब हमने पढ़ा है। लेकिन यह योजना पूरी होगी, इस योजना का क्रियान्वयन पूरा होगा, इस बात का विश्वास 100 दिन की कार्ययोजना को देखने के बाद राजस्थान

(श्री प्रहलाद गुंजल)

की जनता के मन में पक्का हो गया। सात माह का अनुभव देखा हमने। (व्यवधान) सात माह का अनुभव हमने देखा है। आपके राज में आठ घंटे बिजली मिलने के नाम पर राजस्थान की जनता सुनते-सुनते उकता गयी थी, लगातार 14 घंटे तक... (व्यवधान) सात महीने में राजस्थान की जनता को लगातार 14 घंटे तक बिजली मिली है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समय का ध्यान रखें। दो मिनट और हैं आपके लिए, दो मिनट में कनक्लूड कीजिए।

श्री प्रहलाद गुंजल : माननीय सभापति महोदय, मैं पहली बार बजट पर बोल रहा हूं, आपका प्रोटेक्शन चाहता हूं।

श्री सभापति : बहुत अच्छा बोल रहे हैं पर थोड़ा समय का ध्यान रखें।

श्री प्रहलाद गुंजल : कितनी पाठशालाएं खोलने जा रहे हैं, कितने ऐतिहासिक निर्णय राजस्थान के कल्याण के इस बजट में हैं, मैं समझता हूं कि अगर आप लोग इसको पढ़ेंगे तो सदन की परम्परा के हिसाब से सार्वजनिक रूप से आप उसकी प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे, लेकिन एक बार इस सच्चाई का समर्थन करने के लिये आपका मन भी मजबूर हो जाएगा। यह बजट राजस्थान का नक्शा बदलने वाला बजट है। अभी माननीय जोशीजी बहुत चिन्ता कर रहे थे शिक्षा पर और चिन्ता करते हुए माननीय तिवाड़ीजी से कहा कि आप न्याय करिये, कम्प्यूटर पर प्रकाश डालते हुए, टैक्निकल एजुकेशन पर प्रकाश डालते हुए कि कोसेगा राजस्थान 20 साल बाद, 30 साल बाद, जब अनपढ़, बेकार-सी पीढ़ी तैयार हो जाएगी। माननीय जोशीजी, आपको ध्यान होगा, जिस टैक्निकल एजुकेशन की आप बात कर रहे हैं, आपने गरीब के लिये उस टैक्निकल एजुकेशन को नामुमकिन बना दिया है। 1984 में जिन अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में सालाना फीस 400 रुपये हुआ करती थी, स्वपोषित और राज्य पोषित योजना के नाम पर आपने पिछले राज में अभियांत्रिकी महाविद्यालयों की फीस 100 गुना बढ़ाकर 41,000 रुपये तक कर दी। कौन है जिम्मेदार? आप अभि. महाविद्यालय का निजीकरण करना चाहते हैं।

डा. सी. पी. जोशी : सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। आपको मालूम ही नहीं है आप क्या बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, मान्यवर, कुछ सोचकर बोला करो। बात

(श्री प्रहलाद गुंजल)

कर रहे हैं अपन तो, कोई मंत्री नहीं करते उसमें।

श्री प्रहलाद गुंजल : आप तकनीकी शिक्षा का निजीकरण करना चाहते हैं। आपने तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में न जाने कितने कार्यकर्ताओं को, लोगों को ओब्लाइज करने के लिये इतने अभियांत्रिकी महाविद्यालय खोले। अभी कुछ दिनों पहले अख़बार में एक प्रतिशत सिस्टम आया कि बी.ए. में एडमिशन लेने वाले व्यक्ति को भी प्रतिशत की आवश्यकता, इंजीनियरिंग कालेज में 6 प्रतिशत पर एडमिशन हो रहा है। ये चिन्ताजनक स्थितियां किसने पैदा कीं? किसने किया कम्प्यूटर का घोटाला? आपने कम्प्यूटर शिक्षा की बात तय करते समय सोचा नहीं? ठेका देने के नाम पर, भ्रष्टाचार करने के नाम पर कम्प्यूटर लागू किया, अगर कम्प्यूटर शिक्षा की चिन्ता थी तो कम्प्यूटर कोई हवा और प्रकाश से नहीं चलता, सरकारी स्कूलों में बिजली के इन्तजाम की व्यवस्था पहले आपको सोचनी चाहिये थी। लेकिन आपने केवल भ्रष्टाचार किया है। आपने तमाशा किया है शिक्षा का। आज आप चिन्ता कर रहे हैं। चिन्ता कर रहे हैं आप अच्छी पीढ़ी, मजबूत पीढ़ी खड़ी होनी चाहिये। राज़ीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशालाओं में आपने मिडिल पास को पढ़ाने के नाम पर लगाया। आज कम्पीटीशन का जमाना है। मैं कोटा से हूं, उस कोटा में आई.आई.टी. के लिये बंसल, ऐलन, कैरियर पाइंट में व्यक्ति एडमिशन लेने आता है तो 90-95 प्रतिशत की कोई कीमत नहीं होती। आज आठवीं पास लोगों से आप गांव के बच्चों को पढ़ाकर इतना बड़ा कम्पीटीटिव स्टेण्ड तैयार करना चाहते हो। आपने साजिश की है गांव के बच्चे की नींव को खराब करने की। आपने षड्यन्त्र रचा है गांव के बच्चे की बेसिक फाउण्डेशन को खराब करने का। लेकिन राजस्थान की हाई कोर्ट का मैं आज आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिस समय आप यह खेल कर रहे थे राजस्थान की हाई कोर्ट ने फटकार लगाई कि पैरा टीचर के नाम पर प्रशिक्षित लोगों के अलावा आप कार्यकर्ताओं को ओब्लाइज नहीं कर सकते। आज आप चिन्ता कर रहे हैं रोजगार की। आपने बेलदारों की तरह नियमित वेतनभोगी मजदूर से भी तनख्वाह पर उन लोगों से काम लिया। आप उनके साथ न्याय करते, आप उनके साथ न्याय करने का प्रयास करते, आज सारा सदन आपकी प्रशंसा करता। आज वे 25 हजार नौजवान राजस्थान सरकार से आस लगाये हुए हैं और मैं इस अवसर पर आभार व्यक्त करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं राजस्थान के शिक्षा मंत्री तिवाड़ी जी को, यशस्वी शिक्षा मंत्रीजी को कि जिन लोगों को आपने हताश किया,

नाराज-निराश किया, जिनके साथ अन्याय किया, उन्होंने आज उनके मन में विश्वास की किरण पैदा की है। यह उद्योग आपने चलाया है। यह उद्योग हमारे यहां नहीं चलेगा। यह उद्योग आपने पनपाया है, आपका फला है। और मैं अन्त में मैं मुख्य मंत्री महोदय का इस प्रस्तावित बजट पर...

श्री सभापति : समाप्त कीजिये। गुंजल साहब, समाप्त कीजिये।

श्री प्रहलाद गुंजल : जिनमें सम्पूर्ण राजस्थान के विकास के साथ हाड़ौती संभाग के बारे में जो प्रोविजन किया है, उस पर आभार व्यक्त करना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, शाहबाद-किशनगंज आदिवासी एरिया है, पूरे देश ने देखा है, पिछली बार जब अकाल पडा़ था, भूख से मौत हुई। सरकार के कुप्रबन्धन की जो खबरें छपी थीं तो लोग पंजाब से चलकर आये, गुजरात से चलकर आये, लंगर चलाकर लोगों की सेवा करने के लिये आये, तब शर्म के मारे मुख्य मंत्रीजी उनके बीच में दीवाली मनाने के लिये पहुंचे। हमने कहा, दीवाली मनाने से सहरिया के पेट की भूख खतम नहीं होगी। उसके बेकार हाथ को काम, उसके पेट को अन्न चाहिये। उसके घर में दीवाली का दीपक, उसके जख्मों पर नमक डालने के समान होगा। आज मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, उन आदिवासी लोगों के जीवन को सुधारने के लिये एक कल्याणकारी योजना इस बजट में मुख्य मंत्रीजी लेकर आई हैं।

न्यूरो सर्जरी के बारे में, कालेज के क्रमोन्नयन के बारे में, हाड़ौती के विकास के बारे में मुख्य मंत्रीजी ने जिस प्रकार का एजेण्डा रखा है, मैं आज इस सदन में तहे दिल से मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मैं आपके माध्यम से एक निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जिस प्रकार के बजट में प्रावधान किये हैं कि चार साल में अकाल के कारण राजस्थान में गिरता हुआ भूजल स्तर एक चिन्ता का विषय है उसके समाधान की बात कही है, मैं उसमें अपने विधान सभा क्षेत्र की समस्या जोड़ना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी के साथ मण्डाना क्षेत्र की 11 पंचायतों को जोड़कर बनता है और सभी 47...

श्री सभापति : घर की समस्या कह रहे हैं, कहिये आप। (व्यवधान)

श्री प्रहलाद गुंजल : हां, कर रहा हूं। 47 पंचायतों को मिलाकर मेरा विधान सभा क्षेत्र बनता है। (व्यवधान)

श्री कालूराम यादव : आसन व्यवस्था दे देगा, आपको बोलने का अधिकार

नहीं है। आसन की व्यवस्था है।

श्री प्रहलाद गुंजल : वह विधान सभा क्षेत्र सम्पूर्ण रूप से पिछले 15 सालों से डार्क जोन एरिया घोषित है। (व्यवधान)

श्री सभापति : अपने विधान सभा क्षेत्र की बात कह रहे हैं।

श्री प्रहलाद गुंजल : डार्क जोन एरिया घोषित होने के कारण उस किसान के सामने पेयजल की समस्या का संकट, सिंचाई की समस्या का संकट, पिछली सरकारों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्रीजी का कि पेयजल की समस्या को देखते हुए उन्होंने झालावाड़ पैकेज में 137 गांवों को रावतभाटा के पानी से जोड़ने की सैद्धान्तिक सहमति दी है। लेकिन मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं, इसके साथ मण्डाना क्षेत्र की 11 पंचायतों की योजना विभाग में विचाराधीन चल रही है, इन दोनों योजनाओं को माननीय मुख्य मंत्री महोदय इस बजट में समाहित करेंगी तो मेरे विधान सभा क्षेत्र के लोगों का जीवन सुधर जाएगा, उनका कायाकल्प हो जाएगा, जो बरसों से इस समस्या से जूझ रहे हैं। उनके जीवन के साथ एक चुनौती भरा सवाल खड़ा है। पिछली गर्मी में भी 20,735 टैंकरों से 90 लाख 10 हजार रुपये का पानी माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने एक कण्टिजेंसी प्लान के तहत उस विधान सभा क्षेत्र को पिलाया है, उनका जीवन टैंकरों पर निर्भर हो जाता है, इससे मेरे क्षेत्र की जनता को राहत मिलेगी इसलिए इस समस्या को इसमें जोड़ा जाना चाहिये।

एक और सुझाव देना चाहता हूं, कोटा की जो भौगोलिक स्थिति है, हाड़ौती की, उसमें चारों तरफ नदी-नाले बहते हैं। दीगोद से आने वाले माननीय सदस्य इस बारे में चर्चा करते रहते हैं। काली सिंध, परवन, पार्वती, आहू, अमजार कई प्रकार की नदियों का पानी बहकर व्यर्थ चला जा रहा है। उस पानी को अगर रोक लिया जाए, रोककर बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजनाएं तैयार कर ली जाएं तो न केवल हाड़ौती का कायाकल्प होगा, बल्कि पूरे राजस्थान को इससे पानी पिलाया जा सकता है। अभी गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य चिन्ता व्यक्त कर रहे थे, यह बात भी मैं बजट में जुड़वाना चाहता हूं, आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि साथ में गंगानगर को भी, राजस्थान के आम आदमी के मन में यह कल्पना है कि पंजाब का जैसा कृषि उत्पादन राजस्थान के गंगानगर में होगा। कोटा में नहरी जाल के कारण, शायद यह आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि राष्ट्रीय उत्पादकता का

(श्री जगत सिंह)

पुरस्कार दो बार कोश-हाड़ौती को मिला है। लेकिन जिन नहरों के कारण आज कोटा को राष्ट्रीय उत्पादकता का पुरस्कार मिला, 30-35 साल पुरानी उन नहरों की हालत जर्जर होती चली जा रही है, आज उन नहरों की रिपेयरिंग की आवश्यकता है। पिछली सरकार ने उस पर एक रुपये का बजट का प्रावधान नहीं किया। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी से नहरों की दशा को सुधारने के लिए इसमें बजट का प्रावधान करने का निवेदन करता हूं कि उनकी इसमें कृपा होगी तो हाड़ौती का जीवन स्तर सुधर जाएगा।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार) : सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सारा समय इनको दे दीजिए। 40 मिनट में भी बैठा नहीं रहे हैं आप… (व्यवधान)…यह व्यवस्था है क्या? हमारे माननीय सचेतक को आप 20 मिनट में बैठा रहे थे।

श्री रामप्रताप कासनिया : यह पार्टी का टाइम बता रहे हैं अपनी। (व्यवधान)

श्री सभापति : समाप्त करिये, माननीय सदस्य।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार) : आप सुने जा रहे हैं बिना मतलब की बातों को।

श्री प्रहलाद गुंजल : अन्त में मैं कहना चाहता हूं, माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा प्रस्तुत बजट न केवल राजस्थान के विकास को गति देगा, आम जन के सपने को साकार करेगा। मुख्य मंत्रीजी की आंखों में सपना है, कल्पना है और जब इस बजट की सम्पूर्ण क्रियान्विति होगी तो राजस्थान की जनता राजस्थान की मुख्य मंत्री को विकास की देवी कह कर सम्बोधित करेगी। यह कल्याणकारी बजट है, राजस्थान का इससे कल्याण होगा।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार) : कार्यक्रम है तो वह अलग से बता दें, बाकी 40 मिनट हो गये हैं, और हमारे सचेतक महोदय को आपने 20 मिनट में बैठा दिया था।

श्री प्रहलाद गुंजल : इस बजट का मैं स्वागत करता हूं और यह विश्वास करता हूं कि यह बजट राजस्थान के विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। यह कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री चन्द्रशेखरजी। श्री रामचन्द्र सराधना।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार) : सभापति महोदय, चन्द्रशेखरजी हैं।

श्री सभापति : चन्द्रशेखरजी आ गये?

श्री अशोक बैरवा (खण्डार) : जगत सिंहजी भी हैं।

श्री सभापति : जगत सिंहजी आ गये, श्री जगत सिहजी

श्री जगत सिंह (लक्ष्मणगढ़) : सभापति महोदय, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ इस बजट को बढ़ाकर कि इस सरकार ने इतनी जल्दी अपने घोषणा पत्र को भुला दिया। हम सब को याद है कि विधान सभा चुनाव के दौरान सरकार के जो उम्मीदवार थे, आज वर्तमान में जो मुख्य मंत्री महोदया हैं, उन्होंने खुद बहुत महत्वपूर्ण घोषणाएं की थीं। उन्होंने यह एलान किया था कि हमारी कांग्रेस की सरकार 5 साल में बिलकुल विफल रही है और हमारी जो कमियां रही हैं उनको वह दूर करेंगी। इन महत्वपूर्ण घोषणाओं में से कुछ आपके सामने पेश करना चाहता हूं और माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

चुनाव घोषणा पत्र में पृष्ठ संख्या 27 पर 250 करोड़ का किसान सहायता कोष बनाये जाने की बात की थी, इसका इस बजट में कोई उल्लेख नहीं है। आपने फसल बीमा योजना हेतु 75 करोड़ रुपये का प्रावधान तो किया है पर आपने गेहूं और सरसों की फसल बीमा की योजना का बजट में कोई उल्लेख नहीं किया है। आपने यह भी कहा था उस समय कि हमारे जो गरीब किसान हैं, जिनके 10,000 रुपये तक कर्जे हैं, उनको माफ किया जाएगा, वे आपने माफ नहीं किये। पृष्ठ संख्या 31 पर अकाल के स्थायी समाधान के लिए 250 करोड़ रुपये के स्थायी अकाल प्रबन्धन कोष की स्थापना का भी वादा किया था, वह भी इस बजट में नहीं है। पृष्ठ संख्या 35 पर 250 करोड़ रुपये से उद्योगों के विकास हेतु ढांचागत विकास कोष बनाकर औद्योगिक वातावरण बनाये रखने का वादा किया था जिसमें आपने 3500 करोड़ रुपये वार्षिक गैर सरकारी निवेश भी निश्चित किये जाने की बात की थी, इसकी भी कोई बात नहीं है। आपने पृष्ठ संख्या 40 पर सभी बेरोजगार नौजवानों को बेरोजगारी भत्ते की व्यवस्था हेतु 100 करोड़ रुपये के रोजगार के कोष की स्थापना का वादा भी किया था, इसकी भी आपने स्थापना नहीं की। पहले आपसे मैं यह पूछना चाहता हूं कि आपने ये सारी जो घोषणाएं की थीं विधान सभा चुनाव के दौरान, ये केवल

(श्री जगत सिंह)

भोलीभाली जनता को गुमराह करने के लिए की थीं, केवल वोटों को बटोरने के लिए और सत्ता पाने के लिए ये घोषणाएं की थीं?

आप कहते हैं कि कृषि अर्थव्यवस्था का प्रथम स्तम्भ है। प्रथम स्तम्भ है तो आपने किसान भाइयों को क्या राहत प्रदान की है? आपने उनके कर्जों को तो माफ नहीं किया। जिन चीजों पर किसान निर्भर है, बिजली हो चाहे पानी हो, इनके बारे में आपके क्या विचार प्रकट हुए हैं? बिजली के बारे में आपने इसी सदन में 6 महीने पहले आश्वासन दिया था कि आप बिजली की दरों को नहीं बढ़ाएंगे। आपने कहा था कि जो अव्यवस्था है आप उसको 100 दिन के अन्दर व्यवस्थित तरीके से दूर कर देंगे। आपने दावा किया है बजट में कि 14 और 16 घंटे आप किसानों को बिजली दे रहे हैं। आप प्रदेश में कहीं भी दौरा करके देखें, थ्री फेस की जो बिजली आनी चाहिए, जिससे किसान भाई अपनी पूर्ति कर सकता है, जिससे किसान भाई अपने नलकूप को चला सकता है, कृषि की मशीनरी जिससे चलती है, वह मात्र तीन या चार घंटे भी नहीं पहुंच रही। आपकी जो लूपिंग की बिजली है वह हो सकता है सात या आठ घंटे आए, पर उससे किसान भाई की पीड़ा खतम थोड़े ही हो रही है। दस-बारह साल से जो कृषि कनेक्शन लोगों ने हजारों की संख्या में भरे थे, इन कनेक्शंस के लिए जो कर्जा उठाया वे ब्याज दे रहे हैं, उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? सात महीने हो गये, आपने कितने कनेक्शन दिये हैं? आपने कहा था कि 72 घंटे में जले हुए टांसफार्मर्स को बदलवाया जाएगा, 72 घंटे में कहां बदलाए जा रहे हैं? मेरे विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ में दो-तीन महीने निकल जाते हैं, और फुंके हुए टांसफार्मर गांव में ही हैं। (व्यवधान) आपके यहां बदले होंगे, साहब, हमारे यहां तो नहीं बदले। बिजली के जो जले हुए मीटर हैं, बिजली के मीटर के लिए जो पैसे जमा किये जाते हैं, दो-ढाई महीने तक नये मीटर नहीं लगाते। तो ये इतनी सारी समस्याएं हैं हमारे किसानों के सामने।

पांच हजार जनसंख्या तक के जो गांव हैं उनमें आपने बिजली की दर शहरी दर के बराबर कर दी है। लेकिन शहर में तो बिजली 22 घंटे आ सकती है पर गांव में 22 घंटे बिजली नहीं आती है। या तो उनको पूरी सुविधा आप दो। वह भी आप नहीं दे रहे। और ये सारी घोषणाएं करके कहा था कि 100 दिन के अन्दर ये सारी कमियां दूर करेंगे। आपने कहा था कि 100 दिन में 29 हजार नौजवानों को हर रोजगारी दिलाएंगे।

सरकारी कर्मचारियों के बारे में आपने बार बार जिक्र किया है कि कांग्रेस की

सरकार ने उनके साथ अन्याय किया, जुल्म किया, आपने इनके साथ क्या किया है? जो 19 हजार पैरा टीचर्स आज भी बेरोजगार घूम रहे हैं, आपने कहा था कि उनको आप स्थायी रूप से नौकरी दिलाएंगे। वे तो आपके यहां विधान सभा के सामने बार बार प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको कोई मिलने भी नहीं आता। (व्यवधान) आपने उनके लिए क्या किया?

श्री जुबेर खान : सभापति महोदय, आप किसलिए बैठे हैं, वरना हमारे माननीय सदस्य कुछ कह देते हैं तो पतंगे लग जाते हैं। आप से सम्बोधन करें, आप व्यवस्था बनाइये।

श्री सभापति : यह तो बीच में मामूली बात है।

श्री जगत सिंह : बेरोजगारी की बात आती है तो आप कहते हैं कि बेरोजगारी को आप दूर करेंगे। बेरोजगारी को दूर करने की आपकी क्या व्यवस्था है? आपने तो घोषणा की थी हम एक लाख नौजवानों को काम देंगे, आप एक लाख नौजवानों को कहां काम देंगे? आपके पूरे प्रदेश के एक महीने से 70 प्रतिशत...

श्री सुन्दर लाल (सूरजगढ़) : जब किसान की बात करते हैं तो इनको यह पूछो...

डा. सी. पी. जोशी : पहली बार बोल रहे हैं, बोलने दो।

श्री सुन्दर लाल : पूछने दो, क्या बात है? मैं यह पूछना चाहता हूं...

श्री जगत सिंह : अब आपको क्या तकलीफ हो रही है?

श्री सुन्दर लाल : सुनिये। एक बीघा में सरसों कितनी बोई जाती है, यह पूछो। किसान हैं तो बता दें, कितनी सरसों बोई जाती है? बताओ देखें। किसान बन रहे हैं जोरा मर्दी।

श्री जगत सिंह : आपको तकलीफ हो रही है किसान के बारे में सुन कर।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बीच में नहीं बोलें। टोका-टाकी नहीं करें।

श्री जगत सिंह : सभापति महोदय, आज की तारीख में यह सरकार यह भी कहती है कि जो खनन और खनिज की समस्या है वह दूर करेंगे। आज के समय में चार

लाख इकसठ हजार लोगों की रोजगारी खनन से जुड़ी हुई है। जो एंसीलरी, आग्जीलरी इनके काम हैं लगभग इक्कीस लाख लोग उससे भी जुड़े हुए हैं। एक महीने से साठ या सत्तर प्रतिशत खानें आपकी बन्द पड़ी हुई हैं, तो इस सरकार ने क्या कदम उठाये हैं इन खानों को खोलने के लिए अब यह कहना कि यह पर्यावरण का मामला है, सुप्रीम कोर्ट का मामला है, तो इसमें इनकी क्या नीति है, क्या सोच विचार है? जो हमारे प्रदेश की आमदनी है, अर्थव्यवस्था का स्तम्भ है खनन और खनिज है, इसके बारे में इन्होंने केवल पैराग्राफ दिया है अपने बजट के अन्दर। तमाम फैक्ट्रियां जो आज की तारीख में प्रदेश के अन्दर बन्द पड़ी हैं, मैं आपको उदाहरण देता हूं। भरतपुर के अन्दर हमारी सिमको बैगन फैक्ट्री, जी.डब्ल्यू. फैक्ट्री बन्द पड़ी है, इसलिए कि मैनेजमेंट और लेबर के बीच में विवाद चल रहा है। आपकी सरकार उसको सुलझाने के लिए एक आयोग क्यों नहीं स्थापित कर देती? एक तरफ आप कहते हो कि आपके प्रदेश के अन्दर नये और बड़े उद्योग स्थापित हों, तो दूसरी तरफ जो बन्द पड़े कारखाने हैं उनको खुलवाने की आप बात नहीं करते। जो हमारे लोग बेरोजगार डोल रहे हैं उनको वाकई रोजगारी में लगाने की आपकी क्या सोच है?

जब पर्यटन की बात आती है तो यह तो बहुत अच्छी बात है कि जो स्थापित पर्यटन केन्द्र हैं, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, इनका तो विकास आपको करना चाहिए, यह तो बहुत बढ़िया बात है। पर जब पूर्वी राजस्थान की बात आती है तो हमेशा हमारे साथ उपेक्षा क्यों होती है? भरतपुर के महल हैं, अलवर के महल हैं, डीग के महल हैं, भर्तृहरिजी जो प्रसिद्ध जगह है हमारे लक्ष्मणगढ़ के अन्दर, आप उसके विकास की बात क्यों नहीं करते?

धौलपुर और चम्बल लिफ्ट योजना के लिए आपने केवल पच्चीस करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। यह सैकड़ों करोड़ रुपए का जो प्रोजेक्ट है यह पच्चीस करोड़ रुपये में कहां पूरा होने जा रहा है? तो ये जो तमाम बातें हैं इन पर आपको विचार करना चाहिए।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं, सदन का समय एक घंटा बढ़ाया जाए।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि सदन का समय एक घंटा बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घंटा बढ़ाया जाता है।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री जगत सिंह : आप टैक्स की बात करते हैं, आपने यह कहा कि आपने प्रदेश की जनता को राहत प्रदान की टैक्स में। डीजल और पेट्रोल के दाम जो हैं, वहीं के वहीं हैं। सरचार्ज, एंट्री टैक्स, जो दूसरे टैक्स हैं, आपने वे तो माफ कर दिये, पर साथ साथ आपने सेल्स टैक्स भी तो बढ़ा दिया। डीजल पर आपने मात्र दो पैसे की राहत दी है। इतनी बड़ी राहत आपने दी है इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। आपने स्टाम्प ड्यूटी के ऊपर दो परसेंट का जो टैक्स लगा दिया है, गरीब जनता प्रभावित नहीं होती है इस चीज से? एक तरह से आप कहते हो कि हम अपने टैक्स के जाल को बढ़ा रहे हैं, टैक्स के जाल को हम फैला रहे हैं, आज की तारीख में 1200 करोड़ के आस-पास अभी टैक्स बकाया है जिसका राज्य सरकार ने वसूल नहीं किया, आप पहले जो टैक्स बकाया है उसको तो वसूल कीजिए। जिस आदमी ने आपको टैक्स देना है उससे आप टैक्स ले नहीं पा रहे हो। अब आगे आप टैक्स नैट बढ़ाकर क्या करोगे, वह वसूल कैसे होगी?

कानून व्यवस्था की बात, कानूनी अव्यवस्था किस हद तक बिगड़ गयी है। अलवर में आर.एस.एस. के कार्यकर्ता ने जो आक्रमण किया है। व्यापारियों पर, यह तो एक ही उदाहरण है सरकार की लापरवाही का। जो प्रोत्साहन दिया जा रहा है गुण्डों को, यह इस सदन तक भी पहुंच गयी है, इसके बारे में थोड़ा विचार करना चाहिए। (व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी : सभापति महोदय, यह बहुत गलत...(व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : पुन: दोहराएं, क्या बोले आप? (व्यवधान) क्या बोले आप, एक बार वापस बोलें। (व्यवधान) मैं जवाब देता हूं इसका। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह : अगले पांच साल के लिए क्या यही आपका दृष्टिकोण है कि जो आपके आए...(व्यवधान) उनको आप हाकी और लाठियों के साथ पीटेंगे... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय, असंसदीय भाषा का प्रयोग किया गया है (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, जो माननीय सदस्य ने कहा कि सदन में +++ बढ़ गयी है, मेरा निवेदन है (व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी : सभापति महोदय, सदन के अन्दर असंसदीय शब्दों का प्रयोग किया...(व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : सदन तक +++ पहुंच गयी (व्यवधान) आपको मालूम है क्या कि सदन तक +++ पहुंच गयी? (व्यवधान) आरोप लगाने वाले बन्धुओं, अपने आपके गिरहबान में देखकर सोचो कि +++ कौन है, आप हो कि हम हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : ऐसे कैसे बोल जाएंगे? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : +++ सदन तक पहुंच गयी है ये असंसदीय शब्द हैं इनको सदन की कार्यवाही से...(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री बद्रीलाल जाट : सभापति महोदय, न तो +++ उधर हैं न इधर हैं, बीच में हैं, पीछे में बिलकुल साहूकार हैं। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : सभापति महोदय, आप हाउस को बन्द कर दीजिए। (व्यवधान) आनरेबल मिस्टर जाट, आपको राइट है अपनी बात कहने का। (व्यवधान)

श्री बद्रीलाल जाट : और क्या झगड़ा बढ़ा रहे हो? ठीक है, हम पर ले लेते हैं।

डा. सी. पी. जोशी : किसी का नाम लिया क्या उन्होंने? (व्यवधान) यह क्या बात हुई, नाम लिया क्या उन्होंने? यह क्या तरीका है, किसी का नाम नहीं लिया उन्होंने।

(श्री जगत सिंह)

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : शब्दों का चयन करिये। (व्यवधान)

श्री बद्रीलाल जाट : आप क्यों परेशान हो रहे हो? (व्यवधान) सभापति महोदय, +++ कोई नहीं करता है, सब शान्त हैं। (व्यवधान)

श्री कनकमल कटारा : असंसदीय शब्दों का प्रयोग किया है। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : किसी को नहीं कहा, किसको कहा? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सदन में, +++ सदन में...+++ (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : यह क्या बात हुई, उन्होंने किसी का नाम लिया क्या?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सदन में, +++ इससे हल्के शब्द और क्या हो सकते हैं?

श्री बद्रीलाल जाट : सभापति महोदय, अलवर की भाषा में...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सदन में +++ इस पवित्र सदन में +++...(व्यवधान) बढ़ गयी है इससे ज्यादा हल्के शब्द कोई हो नहीं सकते। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय, पूरे सदन का अपमान किया है। (व्यवधान) सारे सदन से माफी मांगो। (व्यवधान) सभापति महोदय, इनको माफी मांगने को कहा जाए। (व्यवधान)

श्री जोगेश्वर गर्ग : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने पूरे सदन का अपमान किया है, इनको माफी मांगने को कहा जाए। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप शान्त रहिए। (व्यवधान) माननीय सदस्यगण, माननीय जुबेर खानजी, आप एक मिनट के लिए बिराजिए। (व्यवधान) आप बैठिए तो सही। आप एक बार बैठिए, आसन पैरों पर है। (व्यवधान) आप विराजिए।

श्री जगत सिंह : सभापति महोदय, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि अलवर में जो यह घटना घटी है...(व्यवधान)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

श्री सभापति : माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्यगण। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : (व्यवधान) बंद कर दीजिए हाउस को, कोई जरूरी है क्या हाउस को चलाना? (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : आप व्यवस्था तो दीजिए, सभापति महोदय। (व्यवधान)

श्री सभापति : आसन पैरों पर है (व्यवधान) माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री कनकमल कटारा : आसन पैरों पर है फिर भी माननीय सदस्य... (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : सभापति महोदय, आपका काम है हाउस को संरक्षण देना, आप संरक्षण नहीं दे सकते तो हाउस को बन्द कर दीजिए। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : हम बोलना चाहते हैं, हमें बोलने नहीं देते। (व्यवधान) आप व्यवस्था तो दीजिए, सभापतिजी (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : सदन में बात कर रहे हैं, किसी का नाम नहीं लिया (व्यवधान) फिर क्या कर रहे हैं? सदन को बन्द कर दीजिए आप। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : माननीय सदस्य बोले हैं अलवर में गुण्डागर्दी हुई, यह +++ आज सदन तक पहुंच गयी। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी : आप इसको व्यक्तिगत क्यों ले रहे हैं? (व्यवधान)

श्री जगत सिंह : सभापति महोदय, गुण्डागर्दी की बात मैंने अलवर की की है और मैं आपसे यह आग्रह करता हूं कि...(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, माननीय सदस्यगण, यह माननीय सदस्यों से निवेदन है और जो अभी सदस्य बोल रहे थे, सदन के अन्दर यह कहना कि सदन में +++ बढ़ गयी है, यह अच्छी बात नहीं है और यह अंकित नहीं होना चाहिए। (व्यवधान) शांतिपूर्ण तरीके से जो बात...(व्यवधान) सदन में कोई +++ नहीं बढ़ी है। (व्यवधान) सदन में +++ की बात कहना अच्छी बात नहीं है। माननीय सदस्य,

आप कहिए अपनी बात।

श्री जगत सिंह : सभापति महोदय, मैं सरकार से विनती करता हूं कि अलवर में यह जो घटना घटी है इसके लिए एक इन्क्वायरी की स्थापना की जाए।

(18.00 बजे)

अलवर के माननीय सदस्य जितेन्द्र सिंहजी ने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। आपने कहा कि वहां मामूली चोटें लगी हैं। मान लीजिये, मामूली चोटें ही लगी थीं, तो उनको जयपुर रैफर करने की क्या जरूरत पड़ गयी? मान लीजिये, उसमें कोई बात ही नहीं है, तो आपकी इन्क्वायरी में यह साबित हो जाएगा, आप इन्क्वायरी तो बिठाइये। आपको किस चीज से डर है? (व्यवधान) यहां कानूनी व्यवस्था की बात हो रही है, गृह मंत्री महोदय ने अखबारों में यही कहा कि उनकी कोई सुनवाई नहीं होती, उनके आदेशों की कोई पालना नहीं होती। (व्यवधान) बिलकुल कहा है। उनको चौबीस घंटे के लिये खबर ही नहीं है। गृह मंत्री महोदय से मैं निवेदन करता हूं कि कानूनी व्यवस्था को वह बनाए रखें।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त कीजिये।

श्री जगत सिंह : आप तो आधा घंटे भी बोल सकते हो, हम दस मिनट नहीं बोल सकते? (व्यवधान)

श्री सभापति : बोलें। माननीय सदस्य, कनक्लूड करने दो। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह : जहां तक सच्चाई की बात आती है यह बिलकुल सही बात है कि जो कदम पंजाब ने उठाया है, बिलकुल गलत कदम है। इसमें मुख्य मंत्री साहिबा बिलकुल सही स्टैप ले रही हैं, हम उनके साथ हैं। पर यह केवल पंजाब की बात नहीं है। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि अलवर और भरतपुर में एक गुड़गांवा कैनाल भी है, हरियाणा हमारे हक का पानी कभी नहीं देता। आपके बजट के अन्दर गुड़गांवा कैनाल या हमारे लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र के अन्दर घाट कैनाल के बारे में कोई जिक्र नहीं है, क्या हम यह मानकर चलें कि पूर्वी राजस्थान, अलवर और भरतपुर के किसान राजस्थान के किसान नहीं हैं और इस इलाके के बारे में आपकी कोई सोच नहीं है? आपके बजट में यह बात क्यों नहीं है? मैं आपसे विनती करता हूं कि जब भी विकास की बात आप करो तो पूरी जनता की बात करो, पूरे प्रदेश की बात करो। आप भेदभाव मत कीजिये।

मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि मुख्य मंत्री महोदया और इनकी सरकार जो साढ़े चार साल के लिये कार्यरत है, मेरे विचारों और मेरी पार्टी के विचारों पर थोड़ा ध्यान दे और जो कमियां इस बजट में हैं वह पूरी करे। बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री राव राजेन्द्र सिंह।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ) : आदरणीय सभापित महोदय, इस बजट के अर्थशास्त्रीय व्याख्यान पर तो काफी कुछ कह दिया गया है। हम बजट पेश करते हैं, आंकड़ों का जंजाल होता है। एक जन प्रतिनिधि साधारण नागरिकों के बीच में निर्वाचित होकर इस सदन तक पहुंचता है, यह मुमकिन है कि प्रत्येक जन प्रतिनिधि जो यहां बैठा है, वह स्वयं अर्थशास्त्री न हो, लेकिन इस दस्तावेज का एक और पहलू होता है-वैचारिक पहलू, इसका दार्शनिक पहलू। जब तक उस बात को हम तरीके से न समझ लें तब तक आंकड़ों का जोड़-तोड़ कर संवाद और आपस में विवाद कर इसकी आलोचना करना या सराहना, किसी मानवीय शक्ति के आधार का मूलभूत चरित्र नहीं है, अर्थमेटिक है। स्पेशल मैकेनिज्म में अर्थमैटिक का महत्व है लेकिन व्यवस्था इस बात की भी है कि जब सोशल मैकेनिज्म में हम अर्थमेटिक की बात करें तो सैद्धांतिक वैल्यूज को न भूलें। यह कोई महाजन का सिर्फ बहीखाता नहीं कि जहां सिर्फ प्रोफिटेबिलिटी के बारे में बात की जाए, यह एक संवेदनशील सरकार जो सियासत को चलाने को आयी है, संविधान ने आपको और हमें जिम्मेदारीपूर्वक निर्वहन करने का दायित्व सौंपा है, उसका दस्तावेज है।

इस प्रतिवेदन के अन्दर भिन्न प्रकार के विचार आये। इस दस्तावेज के ऊपर अर्थशास्त्र को जानने वाले लोगों के विचारों को भी सुना गया, आगे भी सुना जाएगा, लेकिन इससे पहले कुछ बातें हैं-जब यह दस्तावेज तैयार होता है, सचिवालय में तैयार होता है, सरकार के हाथों से तैयार होता है, बात यह है कि जिस वक्त यह तैयार हो रहा है उस वक्त उस तैयार करने वाले के मस्तिष्क में किस बात का महत्व है और किस बात का नहीं। हमारे राष्ट्र के पितामह महात्मा गांधी ने एक बात कही थी कि सात ऐसी चीजें हैं जिसको शासन में आने वाले व्यक्ति या संगठन को बहुत ध्यान से सोचना चाहिये, यह इसलिये ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि बजट के अन्दर पूरी की पूरी जनता पर क्या कर लगना है, जनता से क्या वसूल करना है, उस बात की एक समीक्षा होती है। समीक्षा जब किसी पैसे या वित्तीय व्यवस्था की होती है तब इन सात चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। उन सात चीजों का ध्यान रखने के लिये मैं

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

आपकी इजाजत से अपनी बात कहता हूं। ये वे सात महा पाप हैं जिसको ध्यान में रखकर किसी दस्तावेज को बनाना चाहिये-मेहनत के बिना दौलत, अन्तरात्मा के बिना आनन्द, चरित्र के बिना ज्ञान, नैतिक मूल्यों के बिना व्यापार, इंसानियत के बिना साइंस जिसे विज्ञान कहते हैं, त्याग के बिना धर्म और आखिर में है सिद्धान्तों के बिना राजनीति, अगर इन सात बातों का ध्यान निर्वाचित सरकार चाहे किसी भी पार्टी की आए, वह रख ले तो पक्ष जितना भी चाहे पूरे जोर से समर्थन कर ले, विपक्ष को कहीं भी इस बात की इजाजत नहीं मिलेगी कि वह कुछ शब्द भी आलोचना के ढूंढ ले इस पूरी की पूरी बात के अन्दर किसी बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा है कि साधु भी बन गये, तो मैं यह बात कहना चाहूंगा कि यह वह देश है जिसने इंसान के स्वरूप में साधु भी दिये हैं और संसार में यह एक ही ऐसा देश है कि इस धरा पर देवता भी इसी ने दिये हैं…

श्री सभापति : असर हो रहा है थोड़ा-थोड़ा।

श्री राव राजेन्द्र सिंह : लेकिन एक बात है, एक विशेषता है इस पूरे के पूरे वित्तीय दस्तावेज में। किसी विशेषज्ञ ने भी यह बात कही है कि यह सम्भव नहीं, किसी प्रदेश की सम्प्रभुता तब तक बरकरार नहीं रहती जब तक वह बाजारी शक्ति पर अपनी प्रशासनिक दखलंदाजी नहीं रखता। यह सम्भव नहीं कि कोई प्रदेश या कोई देश अर्थशास्त्र के मापदण्डों के अनुसार नये कीर्तिमान स्थापित करे और बाजार मूल्यों पर उसका कोई कण्ट्रोल नहीं रहे। तब तक लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हो सकती। पहली बार आम आदमी से जुड़ी हुई चीज, चाहे वह रोज पकाने की सब्जी में पड़ता हुआ प्याज हो, या वह सब्जी हो, या इस किसान की मेहनत से खलिहान से निकला हुआ अनाज हो, किसानों की मेहनत से खलिहानों से निकाला हुआ अनाज हो, कहीं न कहीं व्यवस्था की नीयत है। परिणाम क्या होगा? जिस वक्त हम परिणाम के बारे में बात करेंगे और उसका विश्लेषण करेंगे, उस दिन इस पर वक्तव्य देंगे। आज नीयत साफ है। प्रत्येक आदमी कहीं न कहीं इस नीयत और इस आयाम से प्रभावित है, यह हमें स्वीकार करना चाहिए। जब यह प्रतिवेदन इस सदन की मेज पर रखा गया और इसके बाद जब इस सदन के बाहर हम गये तो एक रिपोर्टर साहब हमसे टकरा गये, मैं आपकी इजाजत से अब कुछ अल्फाज अंग्रेजी में कहूंगा क्योंकि वह रिपोर्टर अंग्रेजी के…

श्री रामप्रताप कासनिया : सभापति महोदय, हमारे बस की बात नहीं है

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

अंग्रेजी में।

श्री सभापति : तो हिन्दी में समझा देंगे।

श्री रामप्रताप कासनिया : इसलिए मैं कह रहा हूं...(व्यवधान)

श्री सभापति : कासनियाजी, आपके घर में समझा देंगे हिन्दी में। (व्यवधान)

श्री राव राजेन्द्र सिंह : सभापति महोदय, मैं एक बात और अर्ज करना चाहूंगा कि जिस दस्तावेज के सम्बन्ध में हम बात कर रहे हैं, उसका नाम भी बजट है, कम से कम वह हिन्दी का तो शब्द नहीं है। जब उसके बारे में हम चर्चा करें और वह अंग्रेजी का भी शब्द नहीं है। वह लिया गया तो किसी और पाश्चात्य भाषा से है इसलिए कुछ पंक्ति अंग्रेजी में वह वार्तालाप जो हुआ वह मैं बता रहा हूं।

श्री सभापति : कहिये, कहिये।

श्री राव राजेन्द्र सिंह : मेरी ऐसी कोई बात नहीं थी कि किसी व्यक्ति को इसका बुरा लगे। उन रिपोर्टर साहब ने यह बात पूछी कि अगर इस बजट के सम्बन्ध में आपसे यह कहा जाए कि एक पंक्ति में इस बजट की समीक्षा कर दें तो आप क्या कहेंगे। It was very difficult question. The Budget that took two and half hours, One sentence? I said I will reduce it to one word. The burden of one sentence probably was took much for that Reporter. I said I will use one word for it and it is ''smart''. And ''smart'' is an abbreviation. स्मार्टनेस किसी जीव में आप देख सकते हैं। किसी दस्तावेज की स्मार्टनेस उसकी जिस्ट में होती है। उसके मौलिक अर्थ में होती है, उसकी भावना में होती है। अगर स्मार्ट शब्द के एक-एक अल्फाज को आप लें तो उसकी समीक्षा है– पांच एल्फाबैट्स हैं, इस संसार और इस सृष्टि को पांच महाभूत चलाते हैं, उनको पंच महाभूत हम कहते हैं-अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। चाहे विकसित देश हो या अविकसित हो या विकासशील देश हो, संसार की किसी भी सतह पर हम रहते हों, किसी भी देश में रहते हों, इन पांचों चीजों से हम प्रभावित रहते हैं और यहां भी पांच चीजें हैं जो कि इस बजट का मूल आधार हैं। स्मार्ट के पांच शब्द हैं, पांच शब्द से हम इस बात का अर्थ निकालते हैं-It is specific. It is simple but it is sincere. "M" It is motivating and for the first time. एक महिला मुख्य मंत्री ने दिया है, it is motherly. मातृभाव भी हमें नजर आता है, it is motherly. कर घटा दिये, लोगों पर से करों का भार कम किया। लेकिन लक्ष्य यह है कि पानी

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

बीसलपुर का जयपुर आना चाहिए, लक्ष्य यह है कि पंजाब से पानी खेतों तक आना चाहिए, it is ambitious. R– It is real. यह बजट पेश हो सकता है उसकी रियलिटी है। यह स्वप्न नहीं है, it is reality. It could be a part of the law now, and T-it is tempting. कई बार जो लोग-बाग़ ट्रैजरी बैंचों के एक्रास बैठे हैं, यह पढ़ा जा रहा था तो इतनी टैम्पटिंग थी कि कई बार तो इन्होंने भी ताली बजाने की कोशिश की, लेकिन परम्पराओं से ये बंधे हुए थे वरना ताली यह भी बजा देते। एक शब्द है, इसके प्रारूप और इसके स्वरूप का जितना व्याख्यान किया जाए तो आलोचक यह कह देंगे कि शायद हम किसी जीती-जागती मूर्ति की पूजा कर रहे हैं।

एक बात सत्य है कि जब तक कल्पना को प्रदर्शित नहीं कर लें और उसकी जनता शहादत न दे दे तब तक उस कल्पना की परिकल्पना का पूरा परिणाम वह सियासत नहीं ले सकती। वहां इस बात का हम विश्वास रखते हैं कि जिस नीयत से इस दस्तावेज को हमने पटल पर रखा है उसी नीयत से इस दस्तावेज को लागू भी करेंगे। इस बात का हमें विश्वास है कि आप उस नीयत से लागू कर देंगे तो परिणाम वही आएंगे जो इस दस्तावेज का होना चाहिए। सारे के सारे अर्थशास्त्री और उनके शास्त्र धरे के धरे रह जाएंगे क्योंकि इंसान ही ऐसा व्यक्ति है जो नामुमकिन को भी मुमकिन कर सकता है।

अब बजट के कुछ आंकड़े हैं, सुबह से शाम तक आप भी सुन रहे हैं, बाकी लोग भी सुन रहे हैं। अब क्योंकि हमें कोई बीच में टोक दे कि यह बजट है और इसमें कहीं न कहीं कुछ आंकड़ों का होना भी आवश्यक है तो एक छोटी-सी चीज है जो मैं आपके समक्ष दोहराना चाहूंगा, कि हमारे वर्तमान उप राष्ट्रपति महोदय जिस वक्त इस प्रदेश के मुख्य मंत्री थे उस वक्त आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 का आकार 11500 करोड़ था। उससे पहले की अगर सात पंचवर्षीय योजनाओं को ले लें और उनकी पूरी टोटल लगा दें तब भी वह 11500 नहीं थी। आज अगर यह मान लिया जाए, हो सकता है उसके बारे में विधि विशेषज्ञ, अर्थशास्त्री कोई दूसरी राय रखते हों लेकिन आठवीं पंचवर्षीय योजना हमारे इस प्रदेश की आने वाली पंचवर्षीय योजनाओं का आधार होगी, उस वक्त जो परिवर्तन हुआ, उस वक्त जो दृष्टिकोण रखा गया वही कारण है कि आठवीं से लेकर नवीं और नवीं से लेकर दसवीं का जो आकार है और उसका जो स्वरूप आपको और हमको देखने को मिल रहा है, वह वहां से चालू हुआ।

सभापति महोदय, अब पंचवर्षीय योजना के समक्ष जितने आंकड़े प्रस्तुत किये गये थे, उसमें जो प्लान आउट-ले था, सालाना प्लान आउट-ले था, उसके अन्दर

(श्री बंशीलाल खटीक)

क्या लक्ष्य थे, क्या प्राप्ति हुई, कितना घटाया, कितना बढ़ाया, ये सारे के सारे पंजीकृत दस्तावेज हैं। लेकिन एक बात आपको और हमको स्वीकार करनी पड़ेगी कि 2003 के उत्तरार्ध में जब दिसम्बर के महीने में वर्तमान सरकार ने सरकार सम्भाली, उसके बाद जो कुछ भी प्लान आउट-ले का अमैंडमेंट हुआ उसके बाद में जो कुछ भी हमने सफलता प्राप्त की, उसमें हो सकता है कि प्रतिपक्ष का भी कहीं न कहीं साथ रहा हो क्योंकि आठ महीने तक उनका भी कार्यकाल रहा, लेकिन 31 मार्च तक की उपलब्धियां वाकई में सराहनीय हैं और पिछले 4 महीने 31 मार्च को जो खतम हुए, इससे पहले के महीने में कुछ न कुछ नये आयाम यह सरकार इस प्रदेश को ले आयी है तो भागीदारी वर्तमान सत्ता में बैठी हुई सरकार की है। इस बात को स्वीकार करके अगर हम इस मार्ग को प्रशस्त करना चाहें कि जो चीज आठ महीने में नहीं हो पा रही थी, 4 साल 8 4 महीने में नहीं हो पा रही थी, वह 4 महीने में हो गयी, तो विपक्ष को इस बात का कहां संकोच है कि 4 साल में हम क्या कुछ नहीं प्राप्त कर पाएंगे? यह अपने आप में एक शहादत है और प्रत्यक्ष में इस महत्वपूर्ण बिन्दु पर आज की तारीख में खड़े हैं।

सभापति महोदय, एक छोटा-सा विषय है, कल पूर्व वित्त मंत्री महोदय इस बात को सरलता से कह गये, हम लक्ष्य बढ़ाकर अधिकारियों को देते हैं, हमें मालूम है कि हम लक्ष्य बढ़ाकर नहीं दें तो हमें इन लक्ष्यों की प्राप्ति न हो। बड़ी सरलता से कह गये, उनकी सोच में और हमारी सोच में यही फर्क है। हम कभी किसी पर अविश्वास नहीं करते। यह जो बार-बार कहा जा रहा था कि कर घटा दिए तो लक्ष्य प्राप्तिः कैसे होगी? जब आप कर के माध्यम से आय घटा रहे हैं तो लक्ष्य की प्राप्ति कैसे होगी? मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि पहली बार इस सरकार ने वह साहस किया है और वह स्वाभिमान इस जनता को दिया है, जनता पर भरोसा करके, कि जनता अपना कर निश्चित तौर पर सरकार को देगी, पूरी नीयत से देगी, पूरे विश्वास से देगी और सत्यता की पराकाष्ठा पर उतर कर देगी। न कोई कर चोरी करेगा, न कोई कर छिपाएगा। इसलिए बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। जनता के विश्वास पर हम पांच साल के लिए सत्तासीन हुए हैं तो जनता को हम विश्वास देते हैं कि हमारे पांच साल इसी जनता के विश्वास से, उन्हीं के हाथों से नए आयाम पर पहुंचे। पहली बार किसी सरकार ने स्वयं आम नागरिक पर विश्वास किया है कि जो कुछ आप कर रहे हैं वह पूरी तरह से आप पर हमारा विश्वास है, हम आप पर कहीं किसी तरह का कोई इन्सपेक्टर राज नहीं लादना चाहते। अविश्वास की कोई भावना

नहीं। शायद यही बात है कि लक्ष्य वे रखे गए हैं। और प्राप्ति भी होगी। हमने बढ़ाकर नहीं रखे। हमने बढ़ाकर इसलिए नहीं रखे कि 70 प्रतिशत, 80 प्रतिशत हो जाए, हमने वह रखे हैं जो शत प्रतिशत होंगे क्योंकि जनता पर विश्वास है। सरकार को अपने कर्मचारियों पर विश्वास है और दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तो लक्ष्य की प्राप्ति अवश्यम्भावी है, यह बात आज हम पूरे विश्वास के साथ इस सदन में कह सकते हैं।

एक छोटा-सा विषय है जो कहीं किसी अर्थशास्त्री ने हो सकता है कि आज के बाद जब बोलें तो करे, एक विषय होता है टैक्स वोएन्सी का, जो टैक्स की इलेस्टिसिटी के बारे में बताता है। टैक्स वोएन्सी चीज जब सामने आती है तो उससे यह पता पड़ता है कि टैक्स कलैक्ट करने के पीछे जो नियम है, जो विश्वास है वह वाकई सार्थक है कि नहीं। जब वह डेसीमल में रहता है। प्रतिशत तो इसका मतलब यह है कि वह जो भी विचार था उसमें कहीं न कहीं कोई खोट है।

बाकी सब विषयों पर तो आज की तारीख में सब कुछ ठीक है लेकिन एन्टरटेनमेंट टैक्स पर जो टैक्स वोएन्सी है वहां कहीं न कहीं गड़बड़ है। वह कैसे सुधरेगी, यह मेरे जैसे साधारण आदमी के वश की बात तो नहीं है। यदि उसको सुधार लिया जाए तो शायद इस राजस्व आय में कहीं न कहीं बढ़ोतरी हो सकती है।

इस पूरे दस्तावेज में ढूंढने से भी कोई गलती वैचारिक या अर्थशास्त्रीय नहीं मिली लेकिन एक व्याकरण की त्रुटि जरूर मिली है। इसमें कारगिल से सम्बन्धित शहीदों के बारे में एक पैरेग्राफ है। सभापति महोदय, मैं आदर के साथ में एक बात कहना चाहता हूं कि सैक्शन 120 इसका है वह कहता है, ''कारगिल लड़ाई से पूर्व के शहीद सैनिकों की विधवाओं एवं स्थाई रूप से नि:शक्त सैनिकों के एक-एक आश्रित को कारगिल पैकेज के अनुरूप नौकरी देने का प्रस्ताव है।'' कारगिल के ऊपर आपके विचार सही हैं, कारगिल के पूर्व पर विचार सही हैं, लेकिन कारगिल के उपरान्त भी तो हो रहे हैं। आतंकवाद से रोज कोई न कोई किसी न किसी घर में कोई बेटा शहीद हो रहा है, तो पूर्व में हो सकता है, कारगिल में हो सकता है तो कारगिल के उपरान्त उन लोगों के ऊपर भी कोई व्यवस्था दी जाए, यह मैं आपसे विनम्र निवेदन कर रहा हूं।

बहुत ज्यादा ज्ञान का भण्डार मेरे मस्तिष्क में नहीं है लेकिन इतनी भावना जरूर है कि इस दस्तावेज के एक-एक शब्द के पीछे छिपा हुआ जो ममत्व का मर्म है, शायद पहली बार ऐसा एहसास हो रहा है, और यह मैं दुबारा दोहरा देता हूं और एक

(श्री अर्जुन लाल गर्ग)

उदाहरण के साथ में दोहरा देता हूं, कि एक बहुत धनाढ्य व्यक्ति थे, धन की कमी नहीं थी और अपने आपको विद्वान भी मानते थे और उनको यह मालूम था कि जहां जाएंगे कितने ही व्यंजन उनको परोसे जाएंगे और पारंगतता उनको थी, व्यंजनों के अन्दर कहीं न कहीं कोई खोट निकाल देते थे। बड़े-बड़े पंचतारा होटलों में जाते, खाना खाते और तरह-तरह के व्यंजन खाते, लेकिन कहीं न कहीं खोट निकालते। एक दिन सौभाग्यवश या दुर्भाग्यवश वह एक ऐसी जगह पहुंच गये जहां व्यंजन तो कम थे लेकिन जितने थे उनको वह बहुत स्वाद लगे, आखिर में उन्होंने पूछ लिया यह कौन शेफ है। पहले तो उनको जवाब नहीं दिया गया तो उनको कहा कि यह शेफ नहीं है, ये मेरी मां के हाथ से बनाये हुए हैं। तो पहली बार एक मां के हाथों से बनाया हुआ यह बजट का दस्तावेज है और मैं मानता हूं कि इसकी भावनाओं के पीछे राजस्थान की जनता का विश्वास है और राजस्थान की जनता का विश्वास है तो पूरे सदन को विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। जय हिन्द।

श्री सभापति : श्री बंशीलाल खटीक।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द) : माननीय सभापति महोदय, आज इस स्वर्णिम अवसर पर मेरा सौभाग्य है कि मैं इस ऐतिहासिक बजट के ऊपर मैंने जो ज्ञान प्राप्त किया है, वह आपके समक्ष पेश कर रहा हूं। सन् 1952 से आज तक लोकतंत्र के इतिहास में यह पहला बजट है जो हर वर्ग के प्रति सकारात्मक सोच रखकर, उनको लाभ पहुंचाने व उनके हितों की रक्षा के दृष्टिकोण से पेश करते हुए माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने अपने कुशल नेतृत्व का परिचय दिया है तथा अब तक की सबसे बड़ी वार्षिक योजना की रणनीति बनाई, 7031.45 करोड़ की वार्षिक योजना रखी है।

आज राज्य की आम जनता इसे अपना घरेलू बजट समझ रही है। इसमें विकास के प्रमुख क्षेत्रों को छुआ गया है। भूख-उन्मूलन एवं खाद्य सुरक्षा, महिलाओं व अलाभान्वित वर्गों की विशेष देखभाल, मानव संसाधनों का विकास एवं आधारभूत ढांचे का निर्माण, जीविकोपार्जन एवं रोजगार के अवसर, सुशासन एवं आर्थिक आधारभूत ढांचे में सुधार, करों का सरलीकरण करके ज्यादा से ज्यादा हमारे राजस्थान की जनता राजस्थान के हित में कर दे, ऐसा सरलीकरण किया गया है। हमारी माननीय मुख्य मंत्री महोदया की उच्च सोच एवं कुशल नेतृत्व क्षमता के कारण केन्द्र से भी अधिक धनराशि लेने की पूरी कोशिश हो रही है। राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध, हमारी मुख्य मंत्री महोदया महारानी वसुन्धरा राजेजी की उच्च सोच है जिसके कारण केन्द्र से राशि की उपलब्धता में

किसी प्रकार की कमी नहीं होगी। रोजगार सृजन के लिए भी कई कदम उठाये गये हैं जैसे शिक्षा विभाग में 1134 प्रधानाध्यापक, 2482 व्याख्याता, 284 शारीरिक शिक्षकों को भरा है। 25762 रिक्त पदों को राजस्थान लोक सेवा आयोग से भरने हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित की गयी है। अनुसूचित जाति...(व्यवधान) मेरे माननीय अग्रज, मैं अभी नया हूं, हौसला बुलंद करें। हमेशा विपक्ष की ही भूमिका न निभाएं।

अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए पूर्व के पांच करोड़ के प्रावधान को बढ़ाकर हमारी माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने 30 करोड़ का प्रावधान रखा है, इसके लिए उनको बहुत-बहुत बधाई।

माननीय सभापित महोदय, हमारा हिन्दुस्तान कृषि और ऋषि प्रधान देश है और कृषि और ऋषि पर हमारी जीवनशैली टिकी हुई है, इसलिए किसान का सर्वांगीण विकास करने हेतु कई प्रावधान हमारी मुख्य मंत्री महोदया ने रखें हैं इसके लिये उनको बहुत-बहुत बधाई। गरीब को गणेश मानकर राजस्थान के सभी अशक्त, महिला, विकलांग, विधवा, वृद्धा, परित्यक्ता इन सबके विकास के लिए अपने बजट में विशेष प्रावधान रखा है। कल दलितों के बारे में...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बीच में नहीं।

श्री श्रवण कुमार : यहां पहले सिंगारियाजी बैठते थे वो भी मुख्य मंत्री का नाम लेते थे। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अच्छा बोल रहे हैं, बोलने दीजिए।

डा. किरोड़ी लाल : पहले इस सीट पर आप थे।

श्री श्रवण कुमार : नहीं, मैं तो यहां बैठता था।

श्री ओम बिरला : अनुसूचित, दलित व्यक्ति को बोलने का पूरा मौका मिलना चाहिए।

श्री श्रवण कुमार : पहले इस सीट के ऊपर बाबूलाल सिंगारिया बैठते थे, अजमेर से आये थे, वो भी मुख्य मंत्री को भगवान बताते थे, यह सीट ही ऐसी है। फिर दुबारा नहीं आये वो। (व्यवधान) इस सीट पर बैठने वाले दुबारा नहीं आते।

श्री बंशीलाल खटीक : इसके लिए धन्यवाद आपको। (व्यवधान) अब

बिराजो। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया : सभापति महोदय, कितनी नम्रता से इन्होंने हाथ जोड़कर कहा है नया सदस्य हूं, मुझे प्रोटेक्शन दें, फिर भी इस तरह से।

श्री बंशीलाल खटीक : माननीय सभापति महोदय, कल दलितों के लिए विपक्ष के बन्धुओं ने बहुत ही घड़ियाली आंसू बहाये और सदन के कीमती समय को जाया किया। इनकी कथनी और करनी में बहुत अन्तर है, इसका मैं साक्षात् उदाहरण पेश करता हूं। मैं स्वयं मेरी ग्राम पंचायत लावा सरदारगढ़ का सरपंच 1995 से 2000 तक रहा। उसके दौरान कांग्रेस की सरकार राजस्थान में बन गई। (व्यवधान) गलती से उस समय मेरा गौरक्षा का अभियान बहुत ही जोरों से चल रहा था, कसाइयों से भिड़न्त हो रही थी, मेरी जान को खतरा भी हो रहा था और कई...

श्री सी. डी. देवल : आपकी जान को क्या खतरा हुआ है?

श्री बंशीलाल खटीक : कई ऐसे पोस्टकार्ड पत्र आये, मुझे जान से मारने की धमकियां दी गईं। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप खुद व्यवधान पैदा करोगे। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : उस समय कांग्रेस की सरकार में तत्कालीन पंचायती राज मंत्री हमारे नाथद्वारा से पधारने वाले माननीय सदस्य थे। (व्यवधान) उनको जोशी साहब कह दीजिए और पूरा नाम भी ले लो, कोई बात नहीं है।

श्री सी. डी. देवल : माननीय सदस्य, बजट पर ही बोल लो। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : सुन लो, सच्चाई को सहन करो। सच्चे को सच्चा कहो, झूठे को झूठा कहो, विरोध करने के लिए विरोध मत करो। उनके आमेट प्रवास के दौरान मैंने एक प्रार्थना-पत्र दिया था, परन्तु इन्होंने कोई कार्यवाही इसलिए नहीं की क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का उस समय सरपंच था। यह उदाहरण इनकी कथनी और करनी के अन्तर का दे रहा हूं। कल आपने दलितों के लिए घड़ियाली आंसू बहाये थे, यह आपका उदाहरण है। भला हो उस शेरे राजस्थान का, वर्तमान में महामहिम उप राष्ट्रपति माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत का भला हो जिन्होंने पंचायत एक्ट, 1995 पास कर हमें प्रावधान देते हुए 1995 से हमें सरपंच बनने का मौका

दिया। सरपंच बनते-बनते हम सदन में आ गये, यह माननीय भैरोंसिंहजी की देन है। (व्यवधान) यदि माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत उस समय यह प्रावधान नहीं रखते तो मुझे ऐसा लगता है कि 45 वर्ष तक इस देश में राज करने वाली कांग्रेस के अंधकारमय काले समय में हम दलितों का, अनुसूचित जाति वालों का कोई भला नहीं होता। माननीय सभापति महोदय, अन्त में...(व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल : राजस्थान में पहली बार उस समय माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत मुख्य मंत्री थे, शेखावत साहब ने लागू किया था। (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल : संविधान में संशोधन राजीव गांधी ने करवाया है।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार) : सभापति महोदय, एक जानकारी दुरुस्त कर लें माननीय सदस्य, आपका ध्यान चाहूंगा, आरक्षण विधेयक के लिए भारतीय जनता पार्टी ने खिलाफ में मतदान किया था। (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल : यह प्रावधान तो राजीव गांधीजी ने किया था। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजीव गांधीजी ने संविधान में संशोधन करके महिलाओं और गरीबों को आरक्षण दिलाया। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : मैं प्रार्थना करता हूं, सच्चाई को सहन करें।

श्री हीरालाल (निवाई) : संविधान क्या कांग्रेस ने बनाया? संविधान अम्बेडकर ने बनाया, कांग्रेस ने नहीं बनाया। आप घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। अम्बेडकर साहब ने संविधान बनाया, कांग्रेस ने नहीं बनाया।

श्री महावीर प्रसाद जैन : संविधानसम्मत बात है, आप सत्य को झुठला नहीं सकते। कांग्रेस ने शोषण किया है इसके अलावा कोई काम नहीं किया है।

श्री हीरालाल (निवाई) : कांग्रेस ने दलितों का शोषण किया।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार) : माननीय सभापति महोदय, भारतीय जनता पार्टी ने तय करके पार्लियामेंट में विधेयक के खिलाफ मत दिया।

श्री हीरालाल (निवाई) : नहीं दिया। (व्यवधान) यह दलितों को आरक्षण भारतीय जनता पार्टी की देन है।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार) : नरसिम्हारावजी ने किया है। (व्यवधान) उनके शासनकाल में बिल पास हुआ।

श्री ओम बिरला : ये जानकारियां ऐसे ही थोड़े दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल : यह माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत ने किया। इससे पहले आप लागू करते। माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत ने किया। (व्यवधान) राजस्थान के मुख्य मंत्री थे, जिन्होंने लागू किया।

श्री सी. डी. देवल : माननीय सभापति महोदय, पंचायत एक्ट में आपके सम्माननीय नाथूसिंहजी मंत्री थे...(व्यवधान)

श्री हीरालाल (निवाई) : राज्य सभा में नहीं दिया कांग्रेस ने। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया : सभापति महोदय, इनको सही जानकारी दो। (व्यवधान) मैं दूसरी बात कह रहा हूं। आप बिराजिए, आप सुनो तो सही।

श्री जुबेर खान : माननीय सभापति महोदय, ऐसे तो हर बार बोलते रहते हैं। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया : सुनो तो सही। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : आप तो माननीय सदस्य थे 1993 में, नाथूसिंहजी मंत्री थे, यह अमैण्डमेंट (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया : (व्यवधान) ने भट्टी में झोंकने का काम किया सबसे पहले।

श्री राकेश मेघवाल : जब माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत मुख्य मंत्री थे उन्होंने लागू किया था। सर्वसम्मति से लागू किया था। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला : आसन पैरों पर।

श्री राकेश मेघवाल : आप उस समय इसी सदन के सदस्य थे, मैं भी था।

श्री सी. डी. देवल : भैरोंसिंहजी ने क्या किया और कांग्रेस ने क्या किया, इससे क्या लेना-देना? (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : आज पंचायती राज को सुदृढ़ करने की जो परिकल्पना है वह राज़ीव गांधी की है।

श्री राकेश मेघवाल : भैरोंसिंहजी शेखावत ने किया और सफल उन्होंने बनाया। योजना कोई भी बना देगा, लेकिन राज तो उनका था।

एक माननीय सदस्य : भैरोंसिंहजी नहीं करते तो हो जाता क्या?

श्री राकेश मेघवाल : यह उस दिन नहीं किया आपने। लागू उन्होंने किया न? अधिकार अनुसूचित जाति को भैरोंसिंहजी शेखावत ने दिया। (व्यवधान) हमको भैरोंसिंहजी शेखावत ने दिया। (व्यवधान)

श्री हीरालाल (निवाई) : आपने लागू नहीं किया, लागू भैरोंसिंहजी शेखावत ने किया।

श्री बंशीलाल खटीक : माननीय सभापति महोदय, पंचायतों और नगरपालिकाओं में माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत ने ही लागू किया था। माननीय सदस्यों को इस बारे में ज्ञान नहीं है। (व्यवधान) उनका ज्ञान नहीं है। (व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल : पहले राजस्थान की क्या स्थिति थी, आप भी उस समय विधायक रहे हैं, मैं भी उस समय विधायक था? आज तो सोने की बात है।

श्री श्रवण कुमार : शमा बहुत-सी जलती हैं, पर वह परवाना एक नहीं। लाल तो अनेक जनमते हैं...(व्यवधान) जैसा एक नहीं। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ : माननीय सभापति महोदय, नये सदस्य हैं इनको बोलने दिया जाए। बार बार डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं? आप बोलने दीजिए उनको। (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल : कालीचरणजी, इनको थोड़ा आराम देने के लिए बीच बीच में थोड़ा आराम मिल जाए ताकि लम्बा खींचेंगे वह। (व्यवधान)

श्री कन्हैया लाल मीणा : केन्द्र में कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद आपने लागू नहीं किया पर फसल बीमा को बी.जे.पी. के यहां गवर्नमेंट होने के नाते लागू किया गया। इसी प्रकार से पंचायती राज जब भारतीय जनता पार्टी का राज था

(श्री बहादुर सिंह गोदारा)

तो भैरोंसिंहजी शेखावत सरकार ने चालू किया। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : राज्य सभा में इस बिल को पारित किया था। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : सच्चाई को सहन करने की शक्ति रखो, मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि आप में सच्चाई को सहन करने की शक्ति प्रदान करे।

श्री सी. डी. देवल : 93वां संशोधन राजीव गांधी ने करवाया इन्होंने तो जो पंचायत...(व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : राजीव गांधी, इन्दिरा गांधी, संजय गांधी, गांधी गांधी कोई कार्यवाही नहीं की है।

श्री श्रवण कुमार : मैं भैरोंसिंहजी की तो अमैंडमेंट क्या उनकी इज्जत करता हूं पर यह बात तो आपको माननी ही पड़ेगी कि राजीव गांधी की देन है यह और यह बात आपको माननी ही पड़ेगी। (व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल : अगर आप उनकी इज्जत करते हो तो उनको बोलने दीजिए आप प्लीज। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता : सभापति महोदय, ये हमारे कांग्रेस के मित्र कह रहे हैं कि राजीव गांधीजी ने 74वां संविधान संशोधन किया। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजें आप। यह विवाद का विषय नहीं है।

श्री बंशीलाल खटीक : माननीय सभापति महोदय, मुझे ऐसा लगता है और ऐसा आभास हो रहा है कि विपक्ष के मेरे अतिप्रिय बंधुओं को शायद सत्य को स्वीकार करने की शक्ति नहीं है। मैं ईश्वर से कामना करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर इनको सत्य स्वीकार करने की सदबुद्धि दे। इनके तो कारनामे क्या हैं, मैं और आगे चलकर बताता हूं। मैं अभी बजट पर बोल रहा हूं और यदि मुझे विषय से परे ले जाना चाहते हैं तो मैं भी इनकी कामनाओं का सम्मान करता हूं। माननीय सभापति महोदय, इनके कारनामे तो यह हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप बजट पर बोलें, बजट के ऊपर ज्यादा

(श्री बहादुर सिंह गोदारा)

बोलें।

श्री बंशीलाल खटीक : नहीं, मुझे विषय से अलग इन लोगों ने इसलिए किया है...

श्री सभापति : इनके कारनामों से आप ज्यादा चिन्तित मत होवें।

श्री बंशीलाल खटीक : माननीय सभापति महोदय, आपकी आज्ञा से, आपकी आज्ञा का पालन करते हुए एक छोटा-सा राहगीर हूं और राहगीर होने के नाते सर्वदेही गौ माता का जो मेरे ऊपर आशीर्वाद रहा, उन्हीं की देन है कि आज मैं इस सदन में हूं।

अन्त में...(व्यवधान) सहन करो, आपके तो कारनामे वो हैं, हमारे आदरणीय और हमारे प्रवीणजी भाई तोगड़िया को आपको गिरफ्तार करके अच्छा लगता है। लेकिन हमारे प्रवीण भाई तोगड़िया एक वो फौलाद हैं जिनका आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, आज मैं इस सदन में यह कह सकता हूं। त्रिशूल पर प्रतिबंध लगाते हो, ये आपके कारनामे हैं। क्या कर लोगे त्रिशूल पर प्रतिबंध लगाकर, शिव के त्रिशूल पर प्रतिबंध लगाकर?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बजट पर बोलें।

श्री सी. डी. देवल : यह त्रिशूल पर भी कोई टैक्स लगाया है क्या? (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : हां, आपके कारनामे तो खोलने के लिए तैयार हुआ हूं। जब जब धरती पर कोई अनाचार और कोई पाप बढ़ता है तो धरती पर कोई दैवी शक्ति उत्पन्न होती है और यह दैवी शक्ति है हमारी मुख्य मंत्री महोदया आदरणीय वसुन्धरा राजे। आदरणीय वसुन्धरा राजे ने पाप का अन्त करके यह निर्णय कर दिया, यह साबित कर दिया, जिसका साक्षात् उदाहरण है, हम सत्ता में हैं, ये विपक्ष में हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं अन्त में एक बात और निवेदन करना चाहता हूं गौ रक्षा के बारे में, माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने अपनी उच्च सोच रखी, हिन्दुस्तान की सर्वदेहमयी गौ माता पर जो प्रावधान रखा, राजस्थान की गौशालाओं पर विशेष पैकेज रखकर सब की माता गौ माता का आदर किया है, इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदया को धन्यवाद नहीं देना चाहता। धन्यवाद क्यों नहीं देना

(श्री बहादुर सिंह गोदारा)

चाहता, सुनो। क्योंकि वे हमारी हैं, उनको मैंने संज्ञा दी है देवी की और एक छोटा-सा प्राणी हूं, हमारी भारतीय संस्कृति में कहते हैं, सभापति महोदय, बड़े को कभी भी धन्यवाद नहीं देना चाहिए। उनके चरणों में चरणस्पर्श करके उनका मैं सम्मान करता हूं।

श्री संयम लोढ़ा : सी. पी. साहब को भी किया न प्रणाम आपने?

श्री बंशीलाल खटीक : मैं इस बजट का समर्थन और स्वागत करता हूं। हमारी माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने अपनी उच्च सोच, कुशल क्षमता, कुशल नेतृत्व का एक परिचय दिया है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री विजय बंसल। श्री बहादुर गोदारा।

श्री बहादुर सिंह गोदारा (नोहर) : माननीय सभापति महोदय, मैं आज जो हाउस में बजट पर बहस चल रही है उसमें शरीक होते हुए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो बजट रखा है बहुत ही व्यावहारिक बजट है, बड़ा हल्का बजट है, किसी पर कोई वज़न नहीं डाला गया इसलिए उनको धन्यवाद देता हूं। इस बजट में हमारे क्षेत्र के काफी किसानों को राहत दी गई है, किसानों का आबियाना माफ किया गया है, फसल बीमा योजना लागू की गई है, स्टाम्प ड्यूटी में कमी की गई है, खातेदारी हक देने का प्रावधान भी किया गया है, सेम के बारे में भी चर्चा की गई है और खालों के लिए भी जहां पानी बर्बाद हो रहा था उसके लिए भी प्रावधान किया गया है।

इतना ही नहीं, बजट में नये स्कूल खोलने, नये स्कूलों को क्रमोन्नत करने का भी जिक्र किया गया है। लेकिन मैं इसके बारे में एक निवेदन जरूर करना चाहूंगा कि जो स्कूल क्रमोन्नत किये गये हैं, वे आवश्यकतानुसार नहीं हुए हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा शिक्षा मंत्रीजी से कि लड़कों की संख्या देखकर आवश्यकतानुसार स्कूलों को क्रमोन्नत किया जाए, लड़कियों की स्कूलों को ज्यादा से ज्यादा क्रमोन्नत किया जाए ताकि लड़कियों की शिक्षा में कमी न आए।

मैं एक बात की तरफ माननीय मुख्य मंत्रीजी का ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा और दो लाइन कहना चाहूंगा किसानों के बारे में। औरों को लड्डू और किसानों को

(श्री बहादुर सिंह गोदारा)

लालीपाप दिया है। इन निर्दोषों को धोखा देकर बहुत बड़ा पाप किया गया है। जो भी सरकार हाउस में बजट रखती है वह सरकार किसानों के साथ यह वादा करती है कि हम समर्थन मूल्य देंगे, हम लाभकारी मूल्य देकर किसानों की हालत सुधारेंगे। इस बजट में भी यह वादा किया गया है कि क्रय मण्डियों की श्रृंखला खोली जाएगी, उनको क्रमोन्नत किया जाएगा। हो सकता है कि कुछ काश्तकारों को लाभ मिले, लेकिन लगातार लाभकारी मूल्य देने की बात सरकार करती चली आ रही है फिर क्या कारण है कि काश्तकारों के ऊपर लगातार कर्जा बढ़ता जा रहा है? जब आप समर्थन मूल्य दे रहे हैं, जब आप उनको लाभकारी मूल्य दे रहे हैं तो किसान आज खुदकशी पर आमादा क्यों है? यह बढ़ता हुआ कर्जा, काश्तकारों में यह बढ़ती हुई खुदकशी की प्रवृत्ति यह इंगित करती है कि उनके साथ लगातार धोखा हो रहा है, उन्हें लाभकारी मूल्य नहीं दिया जा रहा है, उन्हें अलाभकारी मूल्य दिया जा रहा है। आप लाभकारी मूल्य की बात करते हैं, आज तक कभी कास्ट आफ प्रोडक्शन नहीं निकाली और जब तक कास्ट आफ प्रोडक्शन नहीं निकले तब तक क्या पता चलता है कि यह प्राइस लाभकारी है या अलाभकारी है? देश की सबसे बड़ी पैदावार किसान की खेती है, किसान की पैदावार है जिसके ऊपर उद्योग धन्धे चलते हैं, जिसके ऊपर रोजगार चलता है, जिस पर देश का जीवन निर्भर करता है, आज उस पैदावार की कोई कास्ट आफ प्रोडक्शन नहीं। उस पैदावार को ले जाकर दूसरे के बारणे के आगे डाल देते हैं और ग्राहक खुद मोल तय करके एक, दो, तीन कह कर यतीम के माल की तरह से उठा ले जाता है। कोई इस बात का कंसीडरेशन नहीं कि किसान का इस खेती से खर्च पूरा होगा या नहीं होगा। अगर सरकार उनको वाजिब मूल्य दिलाना चाहती है, लाभकारी मूल्य दिलाना चाहती है तो पहले कास्ट आफ प्रोडक्शन निकलवाए, उसके अन्दर उसका मुनाफा जोड़े, उसके अन्दर उसकी मेहनत जोड़े, उसका जो कैपिटल इन्वैस्टमेंट है उसका ब्याज जोड़े, फिर पता चलता है कि लाभकारी मूल्य है या नहीं है। आज तक हिन्दुस्तान में किसी भी फसल का कोई कास्ट आफ प्रोडक्शन नहीं निकलवाया गया, इसलिए लगातार किसान को लूटा जा रहा है। आपके राज में भी यह कहावत चलती थी कि राजीव तेरे राज में, ग्वार गया ब्याज में। जब ग्वार की अच्छी फसल हुई थी तो किसान बरबाद होकर रह गया, जब बाजरी की अच्छी फसल हुई तो 200 रुपये में बाजरी बिक गई, किसान बरबाद होकर रह गया। कहां उचित मूल्य दिलाया जा रहा है? कहां समर्थन मूल्य दिलाया जा रहा है? अच्छी फसल होती है तो भाव नीचे चले जाते हैं और…

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आधा घंटा और बढ़ाया जाए।

श्री सभापति : क्या सदन का समय आधा घंटा बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय आधा घंटा बढ़ाया गया।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री बहादुर सिंह गोदारा : इसलिए, माननीय सभापतिजी, किसान के साथ यह लगातार धोखा चल रहा है, कोई लाभकारी मूल्य, समर्थन मूल्य नहीं दिया जा रहा है। आज इसीलिए उसे खुदकशी के लिए आमादा होना पड़ रहा है।

मैं बजट में एक-दो चीजों की तरफ और भी ध्यान दिलाना चाहता हूं कि सबसे बड़ा अहम मसला आज हमारे राजस्थान के सामने और पूरे हिन्दुस्तान के सामने पानी का है, लेकिन कहीं भी वाटर मैनेजमेंट पर कोई काम नहीं हो रहा है राजस्थान में, न वाटर मैनजमेंट के ऊपर इस बजट में भी कोई प्रावधान किया गया है। केवल फव्वारा सिस्टम का जिक्र किया गया है। फ्लो इर्रिगेशन से 90 फीसदी पानी बेकार जाता है और केवल 10 फीसदी पानी उपयोग में आता है। जहां इतनी बड़ी चीज, देश का इतना बड़ा सोर्स, 90 फीसदी, बेकार जाएगा तो देश प्रगति कर कैसे सकता है? इसलिए हमारे यहां वाटर मैनेजमेंट की सबसे बड़ी प्राब्लम है, लेकिन इस बजट में कहीं प्रावधान नहीं है। किसी भी सरकार ने इस और ध्यान नहीं दिया है। आज कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं सूखा पड़ रहा है। अगर वाटर मैनेजमेंट पर काम किया हुआ होता तो आज यह हालत देश की नहीं होती, इस प्रान्त की नहीं होती।

एक बहुत बड़ी समस्या बढ़ते हुए रेगिस्तान की है। रेगिस्तान तीव्र गति से बढ़ रहा है, लेकिन हमारी सरकार ने बजट के अन्दर बढ़ते हुए रेगिस्तान को रोकने के लिए कोई उपाय नहीं किया है। केवल वन विभाग को कुछ पैसे दे दिये जाते हैं। वन

विभाग वाले सड़कों के किनारे, नहरों के किनारे, गोचर भूमि में वृक्ष लगा देते हैं और बहाना यह कर देते हैं कि हम रेगिस्तान को रोक रहे हैं। रेगिस्तान न सड़क सड़क चलता है, रेगिस्तान न नहरों पर पानी पीने जाता है, रेगिस्तान न कहीं गोचर भूमि में चरने के लिए जाता है। रेगिस्तान रेत का उठाव है जो काश्तकार के खेतों में हो रहा है और उस रेत के उठाव को रोकने के लिए आज इस सरकार ने एक पैसे का भी कोई प्रबन्ध नहीं किया है और न बजट में इसके लिए कोई प्रावधान किया है। मेरा कृषि मंत्रीजी से सुझाव है कि काश्तकारों के खेतों से रेत का उठाव रोकने के लिए काश्तकारों में खेतों में वृक्ष लगाने की प्रवृत्ति पैदा करनी चाहिए और उन्हें इनिशियेटिव देना चाहिए। 1977 की भैरोंसिंहजी की सरकार ने काश्तकारों को रो में दरख लगाने के लिए, वृक्षों की प्रवृत्ति पैदा करने के लिए चार रुपये इनिशियेटिव देना तय किया था, लेकिन थोड़े दिनों के बाद सरकार गिर गई। दूसरी सरकार आई उसने यह इनिशियेटिव बन्द कर दिया। उसके बाद काश्तकार को कोई प्रोत्साहन नहीं दिया गया। वन विभाग पर जितना पैसा खर्च किया जाता है और अगर इसमें से आधे पैसे भी काश्तकार को दे दिये जाएं तो वन विभाग से कई हजार गुणा ज्यादा वृक्ष काश्तकार अपने खेतों में लगाकर इस बढ़ते हुए रेगिस्तान को भी रोक सकता है पर्यावरण को भी शुद्ध कर सकता है, चारे की कमी भी दूर हो सकती है, ईंधन की कमी भी दूर हो सकती है और बरसात की सम्भावनाएं भी बढ़ सकती हैं। इसलिए मेरा सुझाव है सरकार को कि किसानों को इनिशियेटिव देकर उनके खेतों के अन्दर रो में वृक्ष लगाने की प्रवृत्ति पैदा करें ताकि यह बढ़ता हुआ रेगिस्तान भी रूके, पर्यावरण भी शुद्ध रहे और वन विभाग का भी काम पूरा हो जाए।

तीसरा मेरा एक सुझाव और है। सेम की समस्या का जिक्र किया गया है, सेम की समस्या बढ़ती गई और आज जिन टैक्नीशियनों की कमेटी बनाई गई है वे यहीं के हैं और सेम की समस्या का कोई उपाय यहां नहीं हुआ। पिछले दिनों हमने रावतसर के अन्दर एक सेम निवारण समिति बनाई जिसका मैं ही अध्यक्ष था। हमने सुभाषजी महरिया को केन्द्र से लाकर पूरे एरिया का दो बार सर्वे करवाया। उन्होंने डाक्टर सुब्रहमण्यम को दिल्ली से भेजा और उन्होंने रहकर सारे एरिया का सर्वे करके उपाय बताये कि इस उपाय से इस क्षेत्र की सेम की समस्या का समाधान हो सकता है। वो सुझाव आज भी सरकार के सामने हैं। एक नाला हमारे क्षेत्र से निकाला और जितने क्षेत्र के अन्दर वह नाला निकाला गया उतने क्षेत्र के अन्दर आज सेम की समस्या समाप्त हो गई है, जमीन क्लीयर हो गई है और उस सेम के पानी से ही उस जमीन में खेती हो रही है। मैं सिंचाई मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि सेम की समस्या मिटने के

बावजूद भी काश्तकार की ईर्रिगेशन की दुबारा बारियां नहीं बांधी गई हैं, उनकी पानी की बारियां बांधी जाएं। मेरा सुझाव है कि अगर यह सेम की समस्या का निवारण हो जाए। केन्द्रीय सरकार ने इसके लिए 4 करोड़ 65 लाख रुपये मंजूर किये थे लेकिन हमारी राज्य सरकार ने अपना हिस्सा जो देना था, 60:40 के रेशो में पैसे हमारी स्टेट सरकार ने कोई पैसा नहीं दिया हमने 10-15-20 लाख रुपये लगाकर जो बैनेफिशियरीज थे उनका हिस्सा जमा करवाया जिससे हम उसमें से तीन करोड़ रुपये खर्च कर पाये। अगर राज्य सरकार अपना हिस्सा देती तो आज पूरे क्षेत्र के अन्दर सेम की समस्या का समाधान हो जाता।

(19.00 बजे)

इस पानी का भी उपयोग हुआ होता और पैदावार भी उस क्षेत्र में ज्यादा बढ़ती आज भी एक करोड़ रुपया सेम के लिए बकाया पड़ा हुआ है, केन्द्र से आया हुआ, लेकिन वह इसलिए खर्च नहीं हो पा रहा है कि स्टेट ने अपना हिस्सा नहीं दिया, और वह काम रूका हुआ है, बीच में रूका हुआ है, बीच में रूका हुआ है। मैं सिंचाई मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा, सिंचाई मंत्रीजी, स्टेट का हिस्सा दिलाकर उस पैसे का उपयोग कर सेम की समस्या का समाधान निकालें। आपने समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल।

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी) : माननीय सभापति महोदय...

श्री जुबेर खान : सभापति महोदय, आपसे यह निवेदन है, चार-चार आदमी उधर से बोल लिये, एक-एक घंटा बोल लिये, इधर से कोई नहीं बुलवाएंगे? यह परम्परा ठीक नहीं है।

श्री सभापति : सबको बुलवाएंगे।

श्री जुबेर खान : आपके लगातार तीन आदमी बोल चुके हैं, आपको इधर से बुलवाना चाहिए। और, सभापति महोदय, यह कहने की बात है क्या? आप हमें संरक्षण दीजिये। यह गला घोंटने का काम तो ये ही बहुत कर रहे हैं, आप तो मत करिये कम से कम।

श्री सभापति : जिनके नाम दिये हुए हैं, उनको सबको बुलवाएंगे।

(श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल)

श्री जुबेर खान : चार आदमी उधर से बोल लिये और इधर से एक का नम्बर आएगा। दो बीजेपी के बोल चुके, एक इनेलो के बोल चुके, चौथा फिर आप उधर से बुलवा रहे हैं, इधर कब नम्बर आएगा? इधर क्यों नहीं बुलाते?

श्री सभापति : दो इधर के और दो उधर के।

श्री लक्ष्मी बारूपाल : जुबेर खानजी, क्या मिहला को नहीं बोलने दिया जाएगा?

श्री सभापति : जैसे जैसे नाम हैं, वैसे सबको बुलवा रहा हूं। सबको जो बुलवाएंगे। जो नाम आये हुए हैं, सबको मौका दिया जाएगा बोलने का। (व्यवधान) जिनके नाम हैं, उनको सबको मौका दूंगा।

श्री जुबेर खान : सभापति महोदय, बी रेशनल। आप सभापतिजी की चेयर पर बैठे हैं, यहां नहीं बैठे हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : और समय बढ़ाएंगे। ये पहली बार आई हैं। आप आसन पर आक्षेप नहीं करें। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मी बारूपाल : माननीय सभापति महोदय, हमारे मुख्य मंत्रीजी ने जो...

श्री सभापति : एक महिला सदस्य बोल रही हैं।

श्री हेमाराम चौधरी : 4-4 आदमी आपके लगातार बोल चुके हैं, हमको भी तो बोलना है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : दो बोले हैं, दो।

श्री जुबेर खान : हमारी भी कोई इज्जत है। कितनी गलत बात है। और संसदीय कार्य मंत्रीजी चेहरा झुकाकर बैठ जाएं। यह परम्परा रही है क्या? 4-4 आदमी उधर से बोलें और यहां एक का नम्बर नहीं आए?

श्री हेमाराम चौधरी : केवल हम आपका भाषण सुनते ही रहें क्या सुबह से शाम तक? यह क्या बात हुई? चार आदमी आपके बोल चुके हैं तो इसका मतलब क्या

हुआ?या तो आप हमें यह कह दें कि आप तो सुबह से शाम तक भाषण सुनने के लिए हो, हम सुनते रहें, आप बोलते रहो। आप पांच मिनट की जगह घंटा बोलते हो, कोई टोकता नहीं है, हम बोलते हैं तो कहते हैं कि समय हो गया।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप जितना चाहो, बोलो, हम सुनेंगे। दो के बाद एक, एक के बाद फिर वही।

श्री श्रवण कुमार : महावीर प्रसादजी, आप तो चालक हो, हम तो सुनाने वाले हैं, सुनना ही आपको चाहिए। अगर आपको सुनने की क्षमता नहीं है तो यह आपकी गलती है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, आसन ने व्यवस्था दे दी थी पहले और पूरे समय का विभाजन किया गया था, समय के विभाजन के अनुसार और संख्या बल के अनुसार हमारे तीन बोलेंगे, उनका एक बोलेगा। भाजपा के तीन बोलेंगे तो वे एक बोलेंगे।

श्री जुबेर खान : टोटल तीन बोलेंगे क्योंकि हम 50 से ज्यादा हैं। आप तीन उधर से बोलेंगे, आप तीन बोल चुके हैं-दो आपके बोले, एक निर्दलीय और एक अन्य दल के बोले तो नम्बर हमारा आता है। आपके पांच आदमी बोल चुके हैं आज।

श्री मदन दिलावर : माननीय सदस्य, आप सुनना चाहते हैं। जनता ने नकार दिया तो फिर यहां क्यों जबरदस्ती कर रहे हो? (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजिये। बिराजिये, महिला सदस्य बोल रहे हैं।

श्री लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी) : माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो जानदार और शानदार बजट पेश किया है, इसके लिए मैं हृदय से उनका स्वागत करना चाहती हूं। इस बजट में उन्होंने प्रत्येक वर्ग का ध्यान रखा है, आज सर्वत्र उनकी प्रशंसा हो रही है। अनुसूचित जाति कह लीजिए, अनुसूचित जनजाति कह लीजिए, पिछड़ा वर्ग कह लीजिए, महिला कह लीजिए, बुजुर्ग कह लीजिए, नि:शक्तजन कह लीजिए, इन सबके लिए कल्याणकारी बातों का प्रावधान अपने बजट में किया है, इसके लिए मैं दिल से उनका आभार व्यक्त करना चाहती हूं।

एक महिला के लिए महिला होने के नाते, एक महिला की सोच रखते हुए महिलाओं के लिए जो-जो घोषणाएं की हैं, जो-जो प्रावधान रखे हैं, इनके लिए मैं पूरे राजस्थान की और से, मैं कोई अर्थशास्त्री नहीं हूं, मैं एक सामान्य गृहिणी हूं, राजस्थान

(श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल)

की सारी गृहिणी महिलाओं की तरफ से उन्हें धन्यवाद प्रेषित करना चाहती हूं। उन्होंने रसोई गैस की कीमतों में जो कमी की है, उसके लिए मैं सारे राजस्थान की गृहिणी महिलाओं की तरफ से धन्यवाद देना चाहती हूं और भर्त्सना करती हूं केन्द्र सरकार की, कांग्रेस सरकार की। प्रधानमंत्री बनते ही उन प्रधानमंत्रीजी की मिसेज का अखबारों में आपने पढ़ा होगा, वक्तव्य दिया था कि मैं अपने पति से विश्वास और अपेक्षा रखती हूं कि वे गैस की कीमतों में वृद्धि नहीं करेंगे, मगर इस देश के सम्माननीय प्रधानमंत्रीजी ने गृहिणी की, अपने घर में रहने वाली गृहिणी की भावनाओं की कद्र नहीं की तो राजस्थान की गृहिणियों और हिन्दुस्तान की गृहिणियों की क्या कद्र करेंगे? मगर मैं हमारी...

श्री संयम लोढ़ा : माननीय सभापति महोदय, प्रधानमंत्रीजी की पत्नी ने जो कहा वह तो बता दिया, मुख्य मंत्रीजी के पति ने भी कुछ कहा हो तो बता दें।

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल : हां, बता देंगे। हमारी मुख्य मंत्री महोदया ने गृहिणी का, महिलाओं का दर्द समझते हुए रसोई गैस की कीमतों में कमी की, खाद्य वस्तुओं की कीमतों में कमी की, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूं। उन्होंने महिलाओं की दशा को सुधारने के लिए 26,000 महिला साथिनों के पदों को भरने के लिए, सुरक्षित मातृत्व के लिए 1,000 दाइयों का प्रशिक्षण, नौकरी में थर्ड ग्रेड के शिक्षकों की भर्ती होगी, उसमें 10 प्रतिशत परित्यक्ता और विधवा महिलाओं को लिये जाने का जो प्रावधान रखा है, इसलिए मैं मानती हूं, हमारी मुख्य मंत्री महोदया परिवर्तन यात्रा पर गई थीं, महिलाएं जिस विश्वास के साथ उमड़ीं-घुमड़ीं, उनका हृदय परिवर्तन हुआ है, उनको वोट दिये गये, जिस विश्वास के साथ उनको राजस्थान के सर्वोच्च पद पर आसीन किया, ये सब जो प्रावधान किये महिलाओं के उत्थान के, उस विश्वास पर वे खरी उतरी हैं, ऐसा मेरा मानना है।

माननीय सभापति महोदय, किसान वर्ग का भी हमारी मुख्य मंत्री महोदया ने अपने बजट में पूरा ध्यान रखा है। आपको पता है, पिछले पांच सालों में किसानों की क्या हालत हुई है? पिछली सरकार ने फसल बीमा लागू नहीं किया और हमारी मुख्य मंत्रीजी ने जो कहा वह किया। उन्होंने चार फसल के स्थान पर 20 फसलों का फसल बीमा लागू किया। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : एक महिला मंत्री नहीं बनाई।

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल : महिला मंत्री बनाई हैं, उषा पूनियाजी हैं महिला

(श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल)

मंत्री, आप उसकी चिन्ता मत कीजिये। राजस्थान के सर्वोच्च पद पर एक महिला के रूप में मुख्य मंत्रीजी आरूढ़ हुई हैं, हमारे लिए यही बहुत है। हमारे लिए यही बहुत है, आप उसकी चिन्ता मत कीजिये।

श्री रामसिंह विश्नोई : महिलाजी, ओ महिलाजी, यह फसल बीमा...

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल : आप बोलने दीजिये।

एक माननीय सदस्य : ये ऐसे कैसे बोल रहे हैं ओ महिलाजी, ये माननीय सदस्य हैं। (व्यवधान) आप इस प्रकार से कैसे बोल रहे हैं, ये सदन की माननीय सदस्य हैं?

श्री बंशीलाल खटीक : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य के सफेदी आ गई और माननीय सदस्य महिलाजी, ऐसे बोल रहे हैं।

श्री रामसिंह विश्नोई : सभापति महोदय, यह मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आप बिराजिये, बिराजिये।

श्री बंशीलाल खटीक : मैं आपके कहने से तो नहीं बैठ रहा हूं। मैं बैठ जाऊंगा, लेकिन मैं आपके कहने से तो नहीं बैठूंगा।

श्री विष्णु मोदी : माननीय सभापति महोदय, ये पहली बार बोल रही हैं, यह मेडन स्पीच है। और उसमें व्यवधान पैदा करना, यह अच्छी बात नहीं है। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : इस प्रकार मिहलाओं को टोकना, यह ठीक नहीं है, माननीय सदस्य मेरे बुजुर्ग बन्धु।

श्री सभापति : माननीय सदस्य को टोकाटोकी नहीं हो।

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल : मैं पहली बार बोल रही हूं। ऐसा बजट महिलाओं के लिए पहली बार पेश हुआ है।

श्री रामसिंह विश्नोई : माननीय सदस्या, यह जो फसल बीमा योजना है, वह कृषि मंत्री के नाते मैंने सबसे पहले शुरू किया था। यह आपको गलतफहमी है, आपने लागू नहीं किया। यह बात सही है कि 4-5 जिंसों पर ही लागू किया गया था और इस बार

(श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल)

आपने 14 जिंसों पर लागू किया।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित : वह फसल बीमा लागू करने की हिम्मत वसुन्धराजी में थी, आपमें लागू करने की हिम्मत नहीं थी। हमने यह लागू किया, वह हिम्मत बताई है।

श्री रामसिंह विश्नोई : यह पिछली साल ही लागू हो गया था पहले ही, यह बजट में लिखा हुआ है।

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल : माननीय सभापति महोदय, मेरे कहने का मतलब यह था कि 20 फसलों का फसल बीमा लागू किया गया है।

श्री राकेश मेघवाल : इनके कहने का मतलब यह था, बाकी आपके खाते में रखना था, आपको इसलिये लागू करना है, अगर वह लागू कर देते तो...

श्री सभापति : महिला सदस्य पहली बार बोल रही हैं।

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल : किसानों के लिए बहुत ही रियायत का काम किया गया है मुख्य मंत्रीजी के द्वारा क्योंकि राजस्थान में 85 प्रतिशत जनता कृषि पर निर्भर है और कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। पांच सालों में जो किसान की हालत हुई है, सब उसको जानते हैं। आपसे भी छिपी हुई नहीं है, इनसे भी छिपी हुई नहीं है, सब उसको जानते हैं। बीस फसलों का जो बीमा किया गया है, चूंकि कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है, वह उनके लिए वरदान साबित होगा, ऐसा मेरा स्पष्ट रूप से मानना है। बखान करती हूं मैं, इसलिए बखान करती हूं क्योंकि हमने दर्द को देखा है। मैं जिस विधान सभा क्षेत्र से आई हूं वहां किसान रहते हैं। आपके भी तो क्षेत्र में किसान रहते होंगे। एक महिला के, अभी राव राजेन्द्र सिंहजी ने कहा कि उन्होंने भावनाओं से, एक भावना और ममता से इस बजट को प्रस्तुत किया है और वास्तव में मुख्य मंत्री महोदय ने जो परिवर्तन यात्रा में देखा, जो महसूस किया, वही इसमें शामिल करने की कोशिश की है, इसके लिए मैं दिल से उनका धन्यवाद करना चाहती हूं। साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहती हूं, कृषि कार्य करते हुए अगर किसी किसान की मृत्यु हो जाया करती थी तो तीस हजार रुपये उसे सरकार की तरफ से अनुदान दिया जाता था, वह बढाकर पचास हजार रुपये कर दिया गया। राजस्थान के इतिहास में यह जो बजट प्रस्तुत किया गया है यह बहुत ही निराला बजट मैं मानती हूं। इसमें अनुसूचित जाति, जनजाति के छात्रों

(श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल)

के 75 नये राजकीय छात्रावास खोलने का प्रावधान किया गया है, इससे एक हजार से नौ सौ इस वर्ग के बालक-बालिकाओं को उसमें प्रवेश मिल सकेगा, इसके लिए मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से मुख्य मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहती हूं। साथ ही एक मांग और करना चाहती हूं। मेडिकल कालेज में जो प्रवेश शुल्क एक लाख बीस हजार रुपये है, उससे अनुसूचित जाति वर्ग, जनजाति वर्ग ही प्रभावित नहीं होगा, इससे मध्यम वर्ग भी प्रभावित होगा, धनाढ्य वर्ग का जो युवक होगा वही डाक्टर बन सकेगा इसलिए मैं मांग करती हूं कि इस प्रवेश शुल्क फीस को थोड़ा कम किया जाए और तर्कसंगत बनाया जाए।

एक माननीय सदस्य : थोड़ा नहीं, आधार कर दिया जाए।

श्री हरिमोहन शर्मा : यह आपके ही हाथ में है, घनश्यामजी।

श्री जुबेर खान : वह तो पीछे वाले ही करेंगे (व्यवधान) थिंक टैंक को कह रहे हैं।

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल : माननीय सभापति महोदय, मुख्य मंत्री महोदय ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मारवाड़ के दो प्रसिद्ध तीर्थस्थल रणकपुर और रामदेवरा को इसमें शामिल किया है, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूं। रणकपुर मेरे विधान सभा क्षेत्र में आया हुआ है, अरावली की तलहटी में बसा हुआ है। साथ ही मैं आपके माध्यम से एक और मांग रखना चाहती हूं कि परसराम महादेव करके पास ही में एक दर्शनीय स्थल आया हुआ है, रामदेवरा के बाद में उसका स्थान है, वहां प्रति वर्ष दस से बारह लाख दर्शनार्थी मेले में दर्शन हेतु जुटते हैं, इसलिए मेरी मांग है कि उसे भी इसमें शामिल किया जाए। साथ ही यह अरावली पर्वतमाला है जो मेरे क्षेत्र में है, वहां अगर आयुर्वेदिक संस्थान लगाया जाए तो इससे आदिवासियों को रोजगार मिलेगा और सरकार को राजस्व की भी प्राप्ति होगी, इसलिए आयुर्वेदिक संस्थान भी स्थापित किया जाए।

माननीय सभापति महोदय, पंजाब ने जो फैसला किया राजस्थान के हिस्से का पानी रोकने का, उसकी मैं भर्त्सना करती हूं और धन्यवाद देती हूं कि हमारी मुख्य मंत्री महोदया ने इसके लिए बहुत प्रयास किया। इसमें विपक्ष ने भी साथ दिया इसलिए सभी का धन्यवाद। आप जानते हैं, प्राकृतिक चीजें, वायु, अग्नि, जल ये ऐसी चीजें हैं जिन पर किसी का कोई एकाधिकार नहीं हो सकता। कई देशों में अन्तरराष्ट्रीय

नदियां गुजरती हैं और उनके लिए भी समझौते हो रखे हैं और वे उन समझौतों के तहत उनका पालन करते हैं। अगर पंजाब को रोकना है तो सर्दियों में उधर से आने वाली हवाओं को रोक कर बताए, गर्मियों में इधर से जाने वाली गर्म हवाओं को रोक कर बताए, पानी को क्या रोकते हैं। माननीय सभापति महोदय, और इस परियोजना का सारा खर्चा केन्द्र सरकार का, यानि प्रत्येक भारतीय का इसमें हिस्सा है और राजस्थानी होने के नाते हमारा भी उसमें हिस्सा है इसलिए उसको कोई नहीं रोक सकता है। इसमें हम सभी मुख्य मंत्रि महोदय के साथ में हैं। माननीय सभापतिजी, जब पानी की बात चली है तो मैं मेरे क्षेत्र की समस्या की तरफ भी ध्यान दिलाना चाहूंगी। वर्तमान में पाली शहर, पाली ग्रामीण, रोहट ग्रामीण, देसूरी ग्रामीण, बाली ग्रामीण और सुमेरपुर के पेयजल के लिए जवाई बांध एकमात्र ऐसा स्रोत है जहां वर्तमान में डैड स्टोरेज में 31 जुलाई, 2004 तक का ही पानी है। मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा है कि पी.एच.ई.डी. वालों ने इस समस्या के निवारण हेतु 46 करोड़ की योजना ट्रेनों से पानी परिवहन हेतु राज्य सरकार के पास स्वीकृति के लिए भेजी है। माननीय सभापति महोदय, गत वर्ष कांग्रेस की सरकार थी और केन्द्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, केन्द्र सरकार ने 25 करोड़ रुपये इस जल परिवहन हेतु दिये थे जबकि जोधपुर से पाली तक पाइप लाइन द्वारा पानी लाने में मात्र 17 करोड़ का व्यय होना था। तत्कालीन मुख्य मंत्री ने, हमारी मांग को नहीं माना और पालीवासियों को खारा पानी पीने के लिए मजबूर किया। पाइप लाइन से पानी तो तत्कालीन मुख्य मंत्री नहीं पिला सके, मगर राजस्थान की जनता ने उन्हें जरूर पानी पिला दिया। अत: माननीय मुख्य मंत्री महोदया से मेरा आपके द्वारा निवेदन है कि पाली ने पचास वर्ष तक जवाई बांध के द्वारा जोधपुर को पानी पिलाया है, अब जोधपुरवासियों को जो पाली को पानी पिलाने की बारी आई तो उन्होंने हमारे साथ न्याय नहीं किया और बार-बार...

श्री हेमाराम चौधरी : आपको जरूरत ही नहीं है उस पानी की।

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल : जरूरत है हमें। बार-बार ट्रेनों से पानी परिवहन की योजना बनाने वाले जो अधिकारी हैं उनका पता लगाया जाए, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए क्योंकि वे इस प्रकार की योजना बनाकर, परिवहन की योजना बनाकर अपना ही उल्लू सीधा कर रहे हैं। वे स्थायी समाधान नहीं चाहते, इसलिए ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को तुरन्त प्रभाव से हटाया जाए। साथ ही जल परिवहन हेतु स्थायी पाइप लाइन की व्यवस्था जोधपुर से जवाई बांध तक की जाए जिससे जोधपुर में जल समस्या होने पर जवाई बांध से पानी जोधपुर को दिया जा सके और पाली में पानी की

समस्या हो तो जोधपुर से पानी लिया जा सके। इस योजना में 75 प्रतिशत केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत है, 25 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान करावें। साथ ही जोधपुर से रोहट तक तो पाइप लाइन आ चुकी है, अब मात्र रोहट से पाली तक पाइप लाइन बिछा दी जाए तो बार-बार होने वाले व्यय को रोका जा सकता है और पानी की चोरी और अपव्यय को भी रोका जा सकता है। इसमें मात्र 17 करोड़ का ही खर्चा है। इस हेतु बार-बार हमारे पाली के जितने भी विधायक महोदय हैं, हम सभी ने मिलकर पी.एच.ई.डी. वालों को इसका ध्यान कराया, मगर वे अपना उल्लू सीधा करने के लिए ऐसी योजना न तो बनाना चाहते हैं और न ही ऐसी मंशा रखते हैं। मैं ऐसे स्वार्थ सिद्ध करने वाले अधिकारियों के खिलाफ हूं और आपसे निवेदन करती हूं कि ऐसे अधिकारियों का पता लगाकर उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए और स्थायी समाधान किया जाए। अगर इस समस्या पर ध्यान नहीं दिया गया तो परिणाम शून्य ही रहेगा और सरकार व जनता का करोड़ों रुपये का अपव्यय होगा। सभापति महोदय, यह जो बजट मुख्य मंत्री महोदय ने पेश किया है, इसकी मैं भूरि-भूरि प्रशंसा करती हूं। इस पर आपने मुझे जो बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूं, और समर्थन करती हूं।

श्री सभापति : श्री रामचन्द्र सराधना। श्री मंगलाराम गोदारा।

श्री मंगलाराम गोदारा (डूंगरगढ़) : आदरणीय सभापतिजी, आज बजट भाषण पर जो चर्चा हो रही है, प्रशंसा तो बहुत हो रही है बजट भाषण की बाकी जो यह बजट आया है उसमें एक भी कोई ऐसी योजना नहीं है जिससे किसान को फायदा हो सके। जैसे बिजली वाली बात, सभापतिजी, आप तो मेरे इलाके से पूरा वाकिफ हैं, आपको बिजली के बारे में भी पूरी जानकारी है, मेरे यहां सबसे ज्यादा ट्यूबवेल हैं लेकिन किसान आज वहां बिजली के लिए त्राहि-त्राहि कर रहा है, पीने का पानी नहीं है। हालत यह है कि किसान आज भी धरना दे रहे हैं वहां मूंगफली की फसल मेरे यहां सबसे ज्यादा होती है। राजस्थान में शायद डूंगरगढ़ विधान सभा क्षेत्र में और नोखा और सुजानगढ़ ये तीन-चार तहसीलें हैं इनमें सबसे ज्यादा मूंगफली पैदा होती है, लेकिन वहां हालात यह है कि बिजली तीन घंटे और चार घंटे से ज्यादा नहीं मिलती है। बात बजट भाषण में 14 घंटे और 16 घंटे की है लेकिन गांवों को भी बिजली 16 घंटे की बजाय दो घंटे ही नहीं मिलती। जिस फीडर का टाइम होता है 6 घंटे, 4 घंटे, उस फीडर को बिजली मिलती है, जैसे 10 बजे से अगर चार बजे तक उसका टाइम है तो 10 से 4

(श्री मंगलाराम गोदारा)

बजे तक उस गांव को बिजली मिलती है और गांव को बिजली रात को मिलती है। जिस टाइम जरूरत होती है उस टाइम उस गांव को बिजली नहीं मिलती है पहले से ही, शुरू से ही। आज की स्थिति यह है कि आपने बजट भाषण में न तो कोई जी.एस.एस. का जिक्र किया है न कोई जी.एस.एस. के लिए शायद बजट रखा है। मेरे यहां पिछली सरकार के पांच साल में 20 जी.एस.एस. 33 के.वी. के बने और 2 जी.एस.एस. 132 के.वी. के बने और आज मेरे यहां यह हालत है कि वोल्टेज नाम की कोई चीज नहीं है, 150 से 200 तक वोल्टेज रहते हैं और किसान पर इतना भारी बोझ है। बिलों में आपने बढोतरी कर दी। आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि हम बिजली के पैसे नहीं बढ़ांएगे...

श्री घनश्याम तिवाड़ी : किसान पर तो नहीं बढ़ाये।

श्री मंगलाराम गोदारा : किसान के बिजली के पैसे नहीं बढ़ाये तो आपने ब्लाकवाइज सिस्टम बना दिया कि 40 का कनेक्शन ही लेना पड़ेगा। जिस किसान के पास 15 बीघा से 10 बीघा जमीन है और उस किसान का कनेक्शन है 20 का या 15 का, तो आपने आदेश निकाल रखा है, जैसे 10 गांवों के कनेक्शन हैं तो वो 40 का कनेक्शन ही होगा, इससे कम का न तो कनेक्शन होगा और न ही उससे कम पैसे लिये जाएंगे। मंत्रीजी, यह आपने लिखित रूप में निकाल रखा है। जोनवाइज आपने अलग-अलग एरिया बांट रखा है जिसमें कहीं 25 का है, कहीं 55 का है, कहीं 40 का है। जिस किसान के पास 10 बीघा, 15 बीघा जमीन है वो किसान क्या 40 का कनेक्शन लेगा? 40 के कनेक्शन का पैसा भरेगा? आपने तो डिमाण्ड नोटिस में पैसे बढ़ा दिये, कहां छूट दी है किसान को? किसान को छूट कहां दी है? डिमाण्ड नोटिस में पैसा बढ़ाया, आपने खम्भों में पैसे बढ़ाये हैं, बिल में पैसे बढ़ाये हैं, जैसे डबल बिल आया है अभी। अभी दुगना बिल आया और बिजली मिल नहीं रही है।

श्री श्रवण कुमार : घनश्यामजी, यह तो बताने का कष्ट करें कि जो चारा योजना, ये ठीक कह रहे हैं, चारा योजना में तो पैसा पहले से ही, कांग्रेस सरकार से ही डबल ले रहे हैं, वो कम करने की कोशिश तो करो।

श्री सभापति : नहीं, माननीय सदस्य, ऐसा नहीं है।

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा : वो पोल के पैसे अब नहीं लेंगे।

श्री मंगलाराम गोदारा : नहीं, पोल के नहीं लेंगे तो आप एक पोल के ही 1 लाख 40 हजार लोगे और 20 के भी 1 लाख 40 हजार लोगे। क्या किसान जो एक पोल का कनेक्शन लेने वाला है वो भी 1 लाख 40 हजार भरेगा?

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा : हमारे वहां तो 10-10 पोल लगते हैं, 1-1, डेढ़-डेढ़ लाख के डिमाण्ड नोटिस आते हैं।

श्री मंगलाराम गोदारा : नहीं, आपके वहां तो लगते हैं, मेरे वहां नहीं लगते हैं।

श्री सभापति : ऐसा नहीं है, माननीय सदस्य, उसमें कुछ तब्दीली कर दी गयी है। ऐसा नहीं है।

श्री मंगलाराम गोदारा : नहीं, आपको तो सारा मालूम है, मेरे इलाके से भी आप वाकिफ हैं। सभापति महोदयजी, जिस तरीके से आज के दिन घोषणा कर रखी है, किसान इतना आतंकित हो रहा है कि यह सरकार करेगी क्या। किसान मजबूर होकर सोच रहा है कि हमारे को यह जगह छोड़कर और कहीं जाना पड़ेगा। किसान की जमीनें गिरवी रखी गयी हैं, 10-10 लाख रुपये लगा करके ट्यूबवैल बनाये हुए हैं, जो ट्यूबवैल बनाये हुए हैं उनमें 6-6 महीने से डिमाण्ड नोटिस भर रखा है और आज तक...

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : माननीय सभापतिजी, सदन का समय 8 बजे तक बढ़ाया जाए। (व्यवधान)... आप कह रहे हैं न कि आपके बोलने वाले हैं।... (व्यवधान)...

एक माननीय सदस्य : इनके बोलने तक।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप कह रहे हैं कि बोलने वाले बहुत हैं आपके पास। आप बोल लो और।

श्री हरिमोहन शर्मा : नहीं, नहीं।

(श्री मंगलाराम गोदारा)

श्री सभापति : कोई और सदस्य बोलना चाहे तो।

श्री रामसिंह विश्नोई : नहीं, ये ही बोलेंगे।

श्री महावीर प्रसाद जैन : तगारामजी और बोल लें। इनके बाद तगारामजी बोल लें। तगारामजी के बोलने तक सदन का समय बढ़ाया जाए।

(स्वीकृत)

श्री सभापति : तगारामजी के बोलने तक सदन का समय बढ़ाया जाता है।

श्री हेमाराम चौधरी : आज अख़बार में तो आएगी नहीं, मतलब क्या है?

श्री महावीर प्रसाद जैन : नहीं-नहीं, आएगा।

श्री सभापति : तगारामजी बैठे हैं सुबह से।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री मंगलाराम गोदारा : माननीय सभापतिजी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि बिजली के बिल के पैसे बढ़ा रहे हैं और बिजली टाइम पर मिल नहीं रही है और एक तरफ बरसात हो नहीं रही है। मेरे यहां मूंगफली का बैल्ट है, कहीं भी बरसात नहीं हुई है। आप बात करते हैं कि बी.जे.पी. की सरकार आती है तो बरसात बहुत होती है, हमारे यहां तो हालत यह है कि अगर 10 दिन भी बरसात नहीं हुई तो किसानों को आत्महत्या करनी पड़ेगी। आप मेरे यहां पता करें अभी भी धरना लगा हुआ है डूंगरगढ़ में बिजली के लिए। बिजली के लिए अभी भी किसानों ने धरना लगा है, उन किसानों को जितना हो सके आप बिजली दीजिये। अगर आपने यह व्यवस्था नहीं की तो किसानों की बहुत बुरी हालत होगी।

आपने बजट में प्रावधान रखा है कि हमने सारी स्कूलों को पानी से जोड़ दिया, पानी पिलाने के लिए पाइप लाइनें जोड़ दीं। मेरे यहां 63 राजीव गांधी स्कूलें खुली हुई हैं, शायद, मेरे हिसाब से एक ही स्कूल आपने सौ दिन में नहीं जोड़ी और जो पाइप लाइनें बिछी हैं, 8-8 किलोमीटर की पाइप लाइनें, उन पाइप लाइनों से आज पानी पहुंचेगा न

ही आने वाले टाइम में पहुंचेगा, कोई पाइप लाइन से पानी नहीं पहुंचेगा की पाइप लाइन है, तीन इंच की पाइप लाइन है, उन टीबों में पानी नहीं पहुंच सकता।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आपके भी चार स्कूल जोड़ी हैं।

श्री सभापति : चार तो मानते हैं ये। वो तो मान रहे हैं।

श्री मंगलाराम गोदारा : दूसरा आपने सड़कों की बात की, आपने घोषणा की कि सौ दिन में हमने 986 गांव जोड़ दिये, तो 6 महीने में तो टेण्डर प्रक्रिया ही पूरी नहीं होती तो आपने क्या योजना पहले से ही बना रखी थी क्या? सौ दिन में आपने योजना पहले ही बनाकर टेण्डर पहले ही करवा रखे थे क्या?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : साथ लेकर आये थे और बिछा दी।

श्री मंगलाराम गोदारा : जो सड़कें हमारे टाइम में चालू थीं वो ही आज तक पूरी नहीं हुई।

एक माननीय सदस्य : आप किस व्यवस्था पर बोल रहे हैं, बजट पर बोलिये।

श्री मंगलाराम गोदारा : नहीं, बजट पर ही बोल रहा हूं मैं। रिपेयरिंग का आपने कोई प्रावधान नहीं रखा। जो सड़कें बनी हैं वो टूट गयी हैं। मंत्रीजी, जो सड़कें बनी हैं, पी.एम.जी.वाई. में बनी हैं, वो ही टूट गयीं। उनका तो आप कम से कम ध्यान रखें। वो ठेकेदारों से करवाएं। आपने 5 साल का एग्रीमेंट कर रखा है उनके साथ, पांच साल का रखरखाव ठेकेदार का होगा तो आप कम से कम...।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप मुझे लिख कर दे देना, वास्तव में अगर ऐसा है तो निश्चित तौर पर कराएंगे।

श्री सभापति : आपके जिले के ही मंत्री हैं।

श्री मंगलाराम गोदारा : जिले के मंत्री हैं तभी तो कह रहे हैं।

श्री जुबेर खान : जिले के भी हैं और विभाग के भी हैं।

श्री सभापति : हां, विभाग के हैं, जिला तो बदल गया। जिला तो बदल गया, विभाग के हैं।

(श्री मंगलाराम गोदारा)

श्री मंगलाराम गोदारा : दूसरा, मूंगफली की जो पैदावार बहुत ज्यादा है, इसका समर्थन मूल्य थोड़ा बढ़ाया जाए जैसे 1480 रुपये...(व्यवधान)...

श्री धर्मपाल चौधरी : वो तो दिल्ली ही बढ़ाएगी।

श्री मंगलाराम गोदारा : सेन्टर भी बढ़ाएगी, नहीं बढाएगी तो किसान से लेगी क्या? सेन्टर हो चाहे स्टेट हो, भाव तो बढ़ाने से ही। आप एक तरफ तो फैक्ट्रियों को छूट दे रहे हो कि आप बन्द फैक्ट्री हो तो उसको चालू कर दो, आपका बिल आधा कर देंगे, आपका ब्याज माफ कर देंगे। दूसरी तरफ किसान ने जो ट्यूबवैल बनाया हुआ है और उसने अगर बिल मजबूर होकर नहीं भरा, उस किसान को कोई छूट नहीं दे रहे हो। किसान क्या आपको पैदा करके नहीं दे रहा है?

श्री धर्मपाल चौधरी : मिल कर इसकी मांग करेंगे कि भाव बढ़ाएं।

श्री मंगलाराम गोदारा : आज आप बात कर रहे हैं, 85 प्रतिशत से अधिक आबादी आज गांवों की है और गांव का किसान आज त्राहि-त्राहि कर रहा है। आप फैक्ट्री वालों को तो कई तरह की छूट दे रहे हैं, इतनी लम्बी-चौड़ी घोषणाएं की हैं आपने उद्योग के लिये और किसान के लिये एक भी घोषणा नहीं की। आप एक घोषणा तो करते कि जो भी ट्यूबवैल बन्द हैं, जिस किसान से पैसे नहीं भरे गये हैं उस किसान से ब्याज नहीं लिया जाएगा, उस किसान से आधे पैसे लिये जाएंगे। एक भी घोषणा करते आप, जब तो किसान की आप बात करते, किसान के पक्ष की कोई सरकार होती। चाहे कोई सरकार हो, किसान को तो चकमा देकर वोट लेकर यहां आ जाते हैं और किसान की फिर कोई नहीं सोचता है। (व्यवधान) हमारी सरकार थी तो हम इस साइड में बैठ गये। हमारी सरकार थी, हमने नहीं किया तो हम इस तरफ बैठ गये। और आप भी ये लम्बी-चौड़ी घोषणाएं कर रहे हो, आप भी ज्यादा दिन नहीं रहोगे। थोथी घोषणा चलेगी नहीं, किसान सब समझता है, किसान किसी को छूट नहीं करेगा।

सभापति महोदय, किसान के लिये बजट में आप कुछ न कुछ छूट करवाते। आज जैसे किसान का कोई ट्यूबवैल बंद है, पैसे नहीं भरे गये हैं तो उसमें कुछ न कुछ तो छूट करवाते। छूट के बजाय आपने तो बढ़ाया है। आज अगर किसी किसान का ट्यूबवैल फेल हो गया और वह दूसरे गांव में अपनी जमीन खरीद कर या अपने भाई -बंधु की जमीन लेकर उसके नाम से वह कनेक्शन ट्रांसफर करवाता है, उसमें भी

आपने पैसे बढ़ा दिये। उसको भी आपने बन्द कर दिया। किसान ने 5-7 लाख रुपये जिस ट्यूबवैल पर लगाये और वह ट्यूबवैल बाई-चांस फेल हो गया, पानी नहीं आया या पानी सूख गया और वह किसान दूसरे गांव में जाकर कहीं जमीन खरीद कर अपना कनेक्शन वहां लगाना चाहता है तो उसको भी आपने बन्द कर दिया। किसान को क्या छूट दी आपने? किसान को कोई छूट नहीं दी आपने। किसान को कनेक्शन पर दो प्रायोरिटी लागू की है, एक तो सामान्य प्रायोरिटी और एक फार्म हाउस, क्या फार्म हाउस किसान चला सकता है। फार्म हाउस का कनेक्शन लेकर किसान एक दिन भी उसका बिल नहीं भर सकता। आप सबको पता है, आप सब किसान के घर से आये हुए हो। ऐसा तो है नहीं कि यहां सारे ही शहर से आये हो। आप सबको पता है कि किसी के पास 2-5 बीघा जमीन हो, कोई बड़ा सेठ साहूकार हो वह फार्म हाउस का कनेक्शन ले सकता है। भोले भाले किसान को कनेक्शन नहीं मिलता। वहां फार्म हाउस का फार्म भरा कर कनेक्शन ले लेते हैं और उसके बाद सिर पर हाथ रखकर रोते हैं।

श्री धर्मपाल चौधरी : यह सब कांग्रेस की योजना है।

श्री मंगलाराम गोदारा : कांग्रेस की योजना नहीं है, आपने लागू की है अभी। कांग्रेस ने बिजली के बारे में और किसान के लिये जो कुछ किया है वह आज तक न तो कोई सरकार कर सकी है और न कर सकेगी। किसान के लिये थोड़ा बहुत सोचा है तो कांग्रेस ने ही सोचा है, आपने कुछ नहीं सोचा। सोच रहे हो तो आप देओ, किसान के हितैषी हो तो आप छूट दो। सभापति महोदय, आप किसान के घर से हैं, आपको बिजली के बारे में मालूम है, एक एक पाइंट की जानकारी है आपको। आप मेरी बैल्ट के चप्पे-चप्पे से वाकिफ हैं। किसान तो आपको ही कमा कर देगा, किसान तो कोई घर थोडे ही रखेगा। किसान मूंगफली पैदा करेगा चाहे मोठ पैदा करेगा, चाहे कुछ भी पैदा करेगा, आपके लिये करेगा।

श्री धर्मपाल चौधरी : कांग्रेस को यह बिजली मार के गई है क्योंकि आपने बिजली दी नहीं। (व्यवधान) उसी का परिणाम है कि आप 54 हो।

श्री मंगलाराम गोदारा : माननीय सदस्य ऐसा है कि आने वाले टाइम में आपको भी पता चल जाएगा। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : मुण्डावर में बिजली को लेकर हंगामा हो रहा है, कहां आ रही है बिजली? आप पढ़िये आज का अलवर का अख़बार आपके ही हंगामा हो रहा

(श्री तगाराम चौधरी)

है।

एक माननीय सदस्य : धर्मपालजी, यह बिजली का झटका छोड़ेगा नहीं आपको। यह जोर का झटका है।

श्री बंशीलाल खटीक : माननीय सभापति महोदय, बजट में किसानों के लिये प्रावधान है, माननीय सदस्य को इसका ज्ञान नहीं है। बजट में प्रावधान है किसानों के प्रति।

श्री मंगलाराम गोदारा : आपको खाली त्रिशूल का ही ज्ञान है, आपको किसान के बारे में ज्ञान नहीं है। आप तोगड़िया की बात कर सकते हैं। मैंने किसान के घर जन्म लिया है, मैं खेती का काम करता हूं, अभी भी मेरे ट्यूबवैल है आपके शायद ट्यूबवैल नहीं है इसीलिए आपको मालूम नहीं है। (व्यवधान)

श्री सभापति : अब आप समाप्त करो।

श्री मंगलाराम गोदारा : मैं तो पहली बार ही बोल रहा हूं।

श्री सभापति : अब समय हो गया है।

श्री मंगलाराम गोदारा : सभापति महोदय, मैं तो किसानों की बात कर रहा हूं और आप बैठे हैं सीट पर इसीलिए कर रहा हूं। सभापति महोदय, आप किसान की बात समझते हैं इसीलिए मैं बात कह रहा हूं। दो बात अगर कोई गलत भी निकल जाए तो आप सुधार कर लेना।

सभापति महोदय, मेरा तो एक ही निवेदन है कि आपने जो बजट में प्रवधान रखे हैं उसमें थोड़ा बहुत चेंज करके किसान के लिये कुछ न कुछ देवें, नहीं तो किसान की हालत खराब हो जाएगी। राठौड़ साहब, किसान की हालत खराब हो जाएगी। चूरू और बीकानेर जिले में तो अभी भी भयंकर अकाल है, आप अकाल के काम या तो चालू करें। अगर 10 दिन बरसात नहीं हुई तो हालत खराब होगी। सभापति महोदय, अगर 10 दिन बरसात नहीं होगी तो चूरू और बीकानेर की धरती में कुछ नहीं होने वाला है। राठौड़ साहब, वहां पीने के पानी को लोग मोहताज हो जाएंगे। राठौड़ साहब को पता है, अगर 10 दिन बरसात नहीं हुई तो जनता अपने कपड़े उतार लेगी। राठौड़ साहब पूरे वाकिफ

हैं, एक-एक गांव, एक-एक घर से वाकिफ हैं। इस बात को आप गम्भीरता से लें और इसमें कुछ न कुछ प्रावधान रखें गांवों के लिये। पानी बिजली की थोड़ी व्यवस्था करें, नहीं तो आपकी हालत खराब होगी। हमारी हुई उससे भी खराब आपकी होगी। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री तगारामजी।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर) : माननीय सभापति महोदय, मैं राजस्थान के आम बजट वर्ष 2004-05 के सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहूंगा। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : बिना भूमिका बनाये ही जाओ आप तो। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : आप मत बोलो, बोलने दो। (व्यवधान) इनसे मत उलझ जाना, औरों से तो चल जाएगा इनसे मत उलझ जाना।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : नहीं, मैंने आपको नहीं टोका है।

श्री बंशीलाल खटीक : जुबेर खानजी, क्या लट्ठ चलाओगे यहां पर?

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : सभापति महोदय, मैं तो बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य जो बोल रहे हैं उनका स्वागत कर रहा हूं और आपकी गौरक्षा का भी मैं समर्थक हूं।

श्री बंशीलाल खटीक : उसके लिये, माननीय सदस्य, आपको बहुत-बहुत हार्दिक धन्यवाद।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : आप यह दुपट्टा लटकाकर मेरे से मत उलझना।

श्री बंशीलाल खटीक : मैंने कहा कि ''हर समस्या सुलझेगी आप उलझना छोड़ दो, हर राह मिलेगी आप भटकना छोड़ दो।''

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : त्रिशूल उलटा लटका दूंगा, त्रिशूल।

श्री बंशीलाल खटीक : यह त्रिशूल की मेहरबानी हुई इसीलिए उधर बैठे हो आप लोग। माननीय तोगड़ियाजी की मेहरबानी से आप उधर बैठे हो।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : इधर बैठे हैं उन्होंने झक मारी, आप भी झक मारोगे

क्या? इन्होंने झक मारी जब इधर बैठे हैं, आप भी मारोगे क्या?

श्री बंशीलाल खटीक : उधर ही बैठे रहो, आप वहीं अच्छे लग रहे हो, बहुत अच्छे, सुन्दर लग रहे हो। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : अब खैरियत नहीं रहेगी।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : कोई भी माननीय सदस्य अपनी बात कहने के लिये खड़े होते हैं, सब सदस्यों के बीच में यह बोलते हैं। (व्यवधान) क्या प्रावधान है? थोड़ा संयम रखें, यह राजस्थान विधान सभा का प्रागंण है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य रिछपालजी, विराजिए।

श्री तगाराम चौधरी : मैंने एक ही शब्द कहा था कि बजट वर्ष 2004-05 के ऊपर मैं कुछ निवेदन करना चाहूंगा, प्रकाश डालना चाहूंगा, इतने में तो माननीय सदस्य, पता नहीं क्या इनको वहम था कि यह क्या बोलेगा। अब भूमिका बनानी है तो भूमिका ही बनाएंगे किस तरह से बोलना है वह तो मुझे बोलना है। अभी पूरे समय में इतने माननीय सदस्य बोले, उसमें मैंने तो कोई व्यवधान नहीं डाला। मेरा निवेदन यह है कि आजादी से लेकर आज तक जितने भी बजट पारित हुए हैं, वे बजट पारित होते मैंने देखे हैं। सदन में नहीं तो दर्शक दीर्घा से अवश्य देखा है। दर्शक दीर्घा में जो मेरे भाई देखते हैं वे एक-एक अक्षर को पूरा गिनते हैं बैठे-बैठे कि कौन क्या कर रहा है। इस अनुभव के आधार पर मैं निश्चित रूप से आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि जो बजट हमारी नेता, सदन की नेता, माननीय मुख्य मंत्री वसुन्धराजी राजे साहिबा ने 12 जुलाई को सदन में प्रस्तुत किया है, इस बजट के बारे में जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। मैं कोई अकेला नहीं कर रहा हूं, भूमिका के बारे में आप चिन्ता कर रहे थे, इस बजट की प्रशंसा आम हुई है, सब जगह हुई है, इसलिये मैं कर रहा हूं।

आप भी, अभी माननीय जोशीजी भी प्रशंसा ही कर रहे थे। आप करते हो, लेकिन आपका दायित्व दूसरा है, हमारा दायित्व दूसरा है, इसलिये कोई नयी बात नहीं है। जिस बजट में हर वर्ग को किसी न किसी रूप में राहत देने का प्रयास किया गया है, प्रयास सही होगा, क्रियान्विति होगी। इसका प्रमाण है, आप तो यह भी कह सकते हो कि सौ दिन की कार्य योजना में क्या हुआ। उसका जीता-जागता उदाहरण है कि यहां की जनता ने सौ दिन की योजना को सराहा और उसी का प्रतिफल दिया है कि 25 में से 21 हम जीते हैं और जिस क्षेत्र से मैं आया हूं, उस क्षेत्र में तो, हमारे वहां पर पहले कमल

का फूल खिला हुआ नहीं था, वहां से तो एक कीर्तिमान स्थापित किया है, वहां के भाइयों ने। अभी बीच में बात आयी थी अल्पसंख्यकों की, तो अल्पसंख्यकों ने भी हमारे उस कीर्तिमान को बढ़ाने में बहुत अच्छा सहयोग दिया है। इसलिये हमारे प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य यह चिन्ता करें, उनकी चिन्ता स्वाभाविक है कि जनता का अब जो पुरानी पार्टी कांग्रेस थी, उससे मोह भंग हो गया है।

माननीय मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजे की प्रशंसा मैं क्या करूं। पूरे राजस्थान ने उनकी प्रशंसा शुरू कर दी थी 3 उप चुनावों में, उसके बाद में राजस्थान विधान सभा के चुनावों में और लोक सभा के चुनावों में, इसका परिणाम आपके सामने है। अभी आप इस बात की चिन्ता न करें कि अगले 5 वर्ष में हमारी वसुन्धराजी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या करेगी, उसकी उपलब्धियां क्या होगी। वह आप स्वयं सोच लीजिए कि क्या वसुन्धराजी की सोच, वसुन्धराजी का अनुभव और उनकी कार्य करने की शैली है। जो एकता अभी दर्शायी है, जो पंजाब ने बहुत ही अनहोना निर्णय लिया, अमानवीय निर्णय लिया, जल बंटवारे के बारे में, उसमें पूरे सदन को जिस ढंग से एक धागे में पिरोया उन्होंने अपनी कार्य-कुशलता का परिचय देते हुए, यह भी एक मिसाल है, उदाहरण है। इस बात की मैं विपक्ष को भी बधाई देता हूं कि आपने जो एकता दिखायी है, उससे हमारा किसान वर्ग भी प्रभावित हुआ है।

इस बजट में अन्य वर्गों के अलावा हमारे गुढ़ामलानी से आने वाले माननीय सदस्य, जिन्होंने तो कितनी ही बार फसल बीमा योजना के बारे में कह-कह कर जैसा मेरा गला रह गया न कुछ बातें कहकर, इतना इनका गला रहा हुआ है फसल बीमा योजना के बारे में, उसका मैंने 12 तारीख को सुनकर बहुत ही एक राहत महसूस की और मेरे किसान भाइयों ने की है कि फसल बीमा योजना नि:सन्देह सबसे ज्यादा लाभकारी है।

श्री श्रवण कुमार : फसल बीमा योजना का क्राइटेरिया क्या होगा? (व्यवधान) क्राइटेरिया क्या होगा, या घोषणा ही होगी? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : क्राइटेरिया बता देंगे।

श्री तगाराम चौधरी : आप क्राइटेरिया की चिन्ता न करें। लागू किया है और उसमें बहुत सी जिंसें ले ली हैं और ले ली जाएंगी। इस बात की चिन्ता करने की आवश्यकता कहां है। मैं तो कह रहा हूं, यह लागू नहीं हो रहा था। अभी-अभी थोड़ी देर पहले

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

यह बात चली आपकी तरफ से कि पहले से लागू है, पहले से लागू है। मैंने नहीं देखा, पहले लागू थी। मैंने तो पहली बार सुना है और पहली बार यह होगा। और यह बजट भी, मैं ज्यादा क्या गिनाऊं क्योंकि आप जानते हैं कि मेरा गला कई दिनों से खराब है और पूरा काम नहीं कर रहा है, और मैं अभी बीमारी से उठा हुआ हूं, यह मेरे जानकारों को पता है। (व्यवधान) मैंने तो आज बोलने का जो साहस किया है वह भी चिकित्सकों की सलाह के उपरान्त कर रहा हूं। मेरा मन है कि ऐसे अवसर पर दो शब्द बोलूं।

श्री सभापति : बोलो, बोलो, गला साफ हो रहा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपके विचारों से हम अच्छी तरह से अवगत हैं और बाकी बचे हुए विचार आप मुझे बता देना, मैं जाकर सभापतिजी को बता दूंगा।

एक माननीय सदस्य : आपके स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखिये।

श्री श्रवण कुमार : माननीय राजेन्द्रजी, यह बाड़मेर एक ऐसा बहादुर एरिया है, पहले गंगारामजी आये, फिर वृद्धिचन्दजी आये, फिर तगारामजी। ये सारे डैड-एक्सपायर। (व्यवधान) और सबका, किसी की टांग, खराब है, किसी का गला खराब है, सारे ऐसे ही आते हैं। तगारामजी, धन्यवाद, मैं तो 3-4 बार से देख रहा हूं, 1993 में गंगारामजी आये और 1998 में वृद्धिचन्दजी आये, फिर 2004 में आप आये।

श्री तगाराम चौधरी : आज यह बात आप कहते हो, आपको तो वहां आकर चुनाव लड़ना था। उसका उत्तर यही है कि हम तो जिस देश के हैं...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : मैं तो वृद्धिचन्दजी से डर गया, मैं तो 1993 से, मेरे तो पिलानी ठीक पड़ती है। मैं तो वहां से ठीक हूं।

श्री तगाराम चौधरी : आपको वहां पर चुनाव लड़ना था, बाड़मेर में कोई मना नहीं करता।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अब तो समर्थन कर दो अपना, बजट का समर्थन तो कर दो।

श्री श्रवण कुमार : मैं 70 के बाद में आऊंगा, 70 वर्ष के बाद में आऊंगा।

श्री तगाराम चौधरी : हां, बाद में आ जाना। बाद में आ जाना, आपको चुनौती

1	2	3	4

है।

श्री श्रवण कुमार : चुनौती है?

श्री तगाराम चौधरी : हां, आपको चुनौती देता हूं कि आप आ जाना। हमारे सचेतक महोदय ने कह दिया कि तगाराम बोलें, इतनी देर के लिये सदन का समय बढ़ाना है तो मैं अन्त में इस बजट 2004-2005 के वर्ष के अति उत्कृष्ट बजट और जन हित में और विशेष तौर से सभी वर्गों को आगे बढ़ाने का, राजस्थान को आगे बढ़ाने वाला यह बजट है, इस बजट के बारे में माननीय मुख्य मंत्री महोदय को बहुत-बहुत बधाई देता हूं। साथ-साथ ही पंजाब सरकार ने जो निर्णय लिया है उसका मैं घोर विरोध करता हूं। सारे सदन ने एक होकर संकल्प लिया है उसको लागू कराने के लिये, उस समस्या को हल कराने के लिये, आप सभी से यही उम्मीद है और मैं कामना करता हूं कि आप उसको सफल बनाने में पूरा सहयोग देंगे वसुन्धराजी को, वसुन्धरा सरकार को, और अपन अपने हक का पानी लेकर रहें, क्योंकि यह पानी है जिसका हमको, बाड़मेर को भी लाभ मिलने वाला था और बहुत आभाएं थीं, जिसमें बाधा पहुंचती है उससे...

श्री श्रवण कुमार : बाड़मेर में जब यह पानी आएगा तब, तगारामजी, आप और मैं नहीं रह पाएंगे। (व्यवधान) यह यहां भी आफत होनी है। पानी आएगा और तब तक आप और हम नहीं मिलेंगे। क्या करें फिर? पानी क्या काम आएगा?

श्री तगाराम चौधरी : नहीं, मैं इसी सदन में ईश्वर के भरोसे, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि गला ठीक होकर और आकर आपको, बिलकुल आपको इतनी टीका-टिप्पणी करने का अवसर आप भूल जाओगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर बजट का पुरजोर शब्दों में समर्थन करता हूं और आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : सदन की बैठक गुरूवार, दिनांक 15 जुलाई, 2004 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 19.51 बजे गुरुवार, 15.7.2004 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

गढ़ गणेश-जलमहल (जयपुर) रोपवे

70. श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जलमहल एवं जयपुर के विकास हेतु कोई योजना बनी थी? यदि हां, तो इस हेतु कितनी राशि स्वीकृत हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना के अन्तर्गत कितना कार्य पूर्ण हो चुका है तथा कितना कार्य शेष है? शेष कार्य सरकार कब तक पूर्ण कराने का विचार रखती है?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त विकास योजना में गढगणेश से जल महल तक रोप वे बनाने की योजना विचाराधीन है? यदि हां, तो कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जावेगा?

उत्तर

(1) जी हां। जलमहल के विकास हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा रुपये 24.72 करोड़ की योजना स्वीकृत की गई है। जिसमें भारत सरकार का हिस्सा 70 प्रतिशत अर्थात 17.30 करोड़ रुपये तथा जयपुर विकास प्राधिकरण का 30 प्रतिशत अर्थात 7.42 करोड़ रुपये है। अब तक भारत सरकार द्वारा 12 करोड़ रुपये की राशि इस परियोजना के विकास के लिए दी जा चुकी है। परियोजना के विकास कार्य से सम्बन्धित विस्तृत विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

जयपुर के विकास हेतु कोई एक समग्र योजना नहीं बनी है, लेकिन जयपुर शहर के समुचित विकास हेतु विभिन्न कार्यरत संस्थाओं/विभागों द्वारा समय-समय पर एक से अधिक योजनाऐं बनाकर उनकी क्रियान्विती की जा रही है।

(2) जलमहल योजना के अन्तर्गत रुपये 9.35 करोड़ का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा रुपये 15.37 करोड़ का कार्य शेष है जो कि माह जून, 2005 तक पूर्ण हो जावेगा। विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(ऊर्जा मंत्री)

(3) जी नहीं।

परिशिष्ट- "अ"

क्रम संख्या	**कार्य का नाम**	**स्वीकृत राशि (लाखों में)**		**व्यय राशि (लाखों में)**
1	**2**	**3**		**4**
1.	झील में स्थित गाद की खुदाई का कार्य	701.00 -	कार्य पूर्ण	682.95
2.	पक्षियों हेतु प्रजनन टापू	70.00 -	कार्य पूर्ण	
3.	झील के किनारों का विकास	72.00 -	लगभग 70 प्रतिशत कार्य पूर्ण एवं शेष प्रगति पर	
4.	चैक डैम निर्माण कार्य	80.00 -	लगभग 70 प्रतिशत कार्य पूर्ण एवं शेष प्रगति पर	
5.	विद्युतीकरण का कार्य	138.00 -	लगभग 70 प्रतिशत कार्य पूर्ण एवं शेष प्रगति पर	44.31
6.	जल आपूर्ति का कार्य	99.00 -	लगभग 75 प्रतिशत कार्य पूर्ण एवं शेष प्रगति पर	50.34
7.	झील के जली, स्लज एवं सेडिमेंट की जांच का कार्य	14.00 -	पूर्व में श्रीराम इंस्टीट्यूट नई दिल्ली एवं जनस्वास्थ्य अभि. विभाग जयपुर द्वारा करवाये गये है।	2.27
8.	झील के केचमेंट में वनीकरण का कार्य	100.00 -	लगभग 50 प्रतिशत कार्य पूर्ण एवं शेष प्रगति पर	

1	2		3	4
	9.नालों के रि-अलाईनमेंट का कार्य	254.00 -	*नागतलाई नाले का लगभग 90 प्रतिशत कार्य पूर्ण *ब्रह्मपुरी नाले के कार्य हेतु निविदाये आमंत्रित की जानी है। *मानसागर बांध स्थित वेस्ट वियर को नीचे करने का कार्य प्रगति पर है।	10.00
10.	इन सीटू बायोरेमिडिएशन द्वारा झील के शुद्धिकरण का कार्य	300.00 -	निविदा आमंत्रण की प्रक्रिया प्रगति पर है।	
11.	सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट एवं वैट लेण्ड एवं प्रयोगशाला के निर्माण का कार्य	450.00 -	दिनांक 2.12.2003 को कार्य आबंटित किया गया है एवं प्रगति पर है। निविदा आमंत्रण की प्रक्रिया प्रगति पर है।	
12.	होटल ट्राईडेण्ट के निकट सेटलिंग टैंक का निर्माण कार्य	10.00 -	टैंक की डिजाईन का कार्य प्रगति पर है।	
	13.सेन्टेज चार्जेज @ 8%	183.00 -	पी.डी. कोर लिमिटेड को भुगतान किया गया	115.13
	कुल	**2472.00**		**935.00**

1	2	3	4

बामनवास में लम्बित विद्युत कनेक्शन

71. श्री हीरालाल (बामनवास) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बामनवास में कौन-कौन से गांव विद्युतीकृत हैं एवं कौन कौन से गांव अभी तक विद्युतीकृत नहीं हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र बामनवास में कितने घरेलू व कृषि कनेक्शनों हेतु आवेदन विचाराधीन हैं? ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें। सरकार इन आवेदकों को अब कब तक कनेक्शन देने का विचार रखती है?

(3) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बामनवास के ग्राम महाराउण्ड व बिछोछ के घरेलू कनेक्शन हेतु डिमाण्ड राशि जमा हो चुकी है एवं उन्हें कनेक्शन नहीं दिया गया? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बामनवास के अन्तर्गत बामनवास एवं बोली पंचायत समिति के क्रमश: 148 व 99 ग्राम (कुल 247 ग्राम) हैं जो शत-प्रतिशत विद्युतिकृत हैं। लेकिन 37 ग्रामों में किसी भी श्रेणी का विद्युत कनेक्शन नहीं है क्योंकि उन ग्रामों में कोई आवेदन पत्र कनेक्शन हेतु प्राप्त नहीं हुआ है। इनका विवरण प्रपत्र ''अ'' पर सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) विधान सभा क्षेत्र बामनवास में घरेलू कनेक्शन हेतु 303 व कृषि कनेक्शन हेतु 587 आवेदन पत्र विचाराधीन है। ग्रामवार विवरण प्रपत्र ''ब'' पर सदन के पटल पर रख दिया गया है। कृषि नीति वर्ष 2004-05 के अनुसार दिनांक 31.3.2004 तक प्राप्त 567 आवेदनों के आवेदकों को अगले तीन वर्षों में मांग पत्र जारी किये जावेंगे एवं इन आवेदकों द्वारा नियम के अनुरूप औपचारिकतायें पूरी करने के पश्चात कृषि कनेक्शन देने की कार्यवाही की जायेगी। शेष आवेदकों को कनेक्शन देने की कार्यवाही दिनांक 31.3.2007 के बाद की जावेगी। लम्बित घरेलू कनेक्शनों में 183 आवेदन पत्र उन 8 ग्रामों के हैं जिनमें कोई विद्युत तंत्र नहीं है। उक्त ग्रामों में मांग पत्र शीघ्र जारी किये जावेंगे तथा मांग पत्र जमा होने के बाद विद्युत तंत्र लगाकर कनेक्शन देने की कार्यवाही की जायेगी। इनका विवरण प्रपत्र ''स'' पर संलग्न है। लम्बित घरेलू कनेक्शनों में 120 आवेदन पत्रों के किए जा चुके हैं उनमें से 22 आवेदकों ने मांग पत्र की

1	2	3	4	5	6	7	8

राशि जमा करवा दी है उन्हें शीघ्र कनेक्शन देने की प्रक्रिया जारी है।

(3) विधान सभा क्षेत्र बामनवास के ग्राम महराउण्ड में किसी भी श्रेणी का कोई आवेदन पत्र विचाराधीन नहीं है। ग्राम बिछोछ में 3 घरेलू कनेक्शनों के मांग पत्र की राशि जमा है लेकिन इस ग्राम की विद्युत लाइन विद्युत उपभोक्ताओं द्वारा बिल की राशि जमा न कराने के कारण हटा दी गई थी, इस कारण कनेक्शन नहीं दिये जा सके थे। अब कनेक्शन देने की प्रक्रिया लाईन खींचकर पूरी कर दी जावेगी। माह मार्च 2004 में 38 आवेदन पत्र ग्रुप में कनेक्शन लेने हेतु प्राप्त हुए जिनकी स्वीकृति जारी कर दी गई है। मांग पत्र की राशि जमा होने एवं औपचारिकतायें पूरी करने पर आवेदकों को कनेक्शन जारी किये जा सकेंगे।

प्रपत्र ''अ''

विधान सभा बामनवास के ऐसे गांव जिनमें किसी भी श्रेणी के कनेक्शन वाले आवेदन पत्र विचाराधीन नहीं है एवं विद्युत कनेक्शन भी स्थापित नहीं है, की सूची

क्रमांक	**गांव का नाम**	**कोड नं.**	**विद्युतीकरण दिनांक**
1	**2**	**3**	**4**
1.	डांगरा	8/5/27	13.3.1979
2.	शरपुर डोनी	29	''
3.	बाद दातासूवी	53	''
4.	कोदीपुर	55	''
5.	बाढ़ बडिला	50	''
6.	श्यामपुरा	33	''
7.	बांध राधवपुरा	19	''
8.	किशनपुरा	60	31.3.1980

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	बांधावल		62		,,		
10.	बाढ़ झाडोली		57		,,		
11.	गूजर कालेता		23		18.3.1989		
12.	बाढ़ महनोली चक 2		69		31.3.1983		
13.	बाढ़ कोयला		68		,,		
14.	रामपुरा		41		31.1.1985		
15.	नाहरसिंहपुरा		35		31.12.1985		
16.	जाखोलासखुर्द		127		31.1.1986		
17.	कूचावाड़चक		89		31.1.1986		
18.	गोलागावडी		46		31.1.1987		
19.	बाढ़जाहिरा		32		31.3.1979		
20.	बाढ़सीतोड़		74		31.3.1987		
21.	बाड़प्रलासोद		125		,,		
22.	बाड़फलवाड़ा		126		,,		
23.	मीनाडीकरी		116		20.3.1988		
24.	चक गोविन्दपुरा		119		,,		
25.	भीनोरा		143		31.3.1989		
26.	बाढ़गोठ		138		,,		
27.	गोठ		139		28.10.1979		

1	2	3	4	5	6	7	8
28.	महरावड़		108		31.1.1981		
29.	बाढ़गोविन्दपुरा		128		20.3.1988		
30.	सुधानन्दपुरा		111		31.10.1990		
31.	बाड़सोहन		131		,,		
32.	आरपुरा		113		27.2.1991		
33.	रघुनाथपुरा		13		11.11.1991		
34.	लाखनपुर		134		23.12.1992		
35.	बाढ़लाखनपुर		135		,,		
36.	बाढ़सुन्दरी		114		23.12.1992		
37.	बाड़साखौली		106		,,		

प्रपत्र ''ब''

विधान सभा क्षेत्र बामनवास में घरेलू व कृषि कनेक्शन वास्ते जमा विचाराधीन आवेदन पत्रों की ग्रामवार सूचना।

क्रम संख्या	गांव का नाम	कोड नं.	घरेलू			कृषि	
			प्राप्त आवेदन पत्र	मांग पत्र जारी	मांग पत्र जमा	प्राप्त आवेदन पत्र	मांग पत्र जारी
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	बौंली	8/9/1994	6	2	2	2	-
2.	झनून	49	1	1	1	3	-

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	थड़ी	47	1	-	-	-	-
4.	जस्टाना	58	2	2	1	-	-
5.	नानतोडी	6	-	-	-	-	-
6.	अलूदा	85	2	2	2	-	-
7.	पीपलदा	23	6	1	1	3	-
8.	कोडयाई	51	4	2	1	2	-
9.	मामडोली	84	3	-	1	1	-
10.	देवता	107	2	1	1	-	-
11.	गाडोता	83	2	-	-	-	-
12.	गालदखुर्द	82	5	5	5	-	-
13.	पीलूखेडा	20	4	-	-	5	-
14.	धनेसरा	50	1	-	-	-	-
15.	मलारना चोड	80	9	7	2	2	-
16.	चैनपुरा	54	1	-	-	-	-
17.	बपूई	39	-	-	-	10	-
18.	मित्रपुरा	8	1	1	1	1	-
19.	पिपलवाड़ा	113	2	-	-	1	-
20.	बोरदा	3	-	-	-	2	-
21.	बहनोली	101	3	2	1	3	-

1	2	3	4	5	6	7	8
22.	राठौद	118	3	2	2	1	-
23.	बासडा बनेसिंह	93	2	1	1	2	-
24.	थडोली	96	3	-	-	10	-
25.	हरसोती	108	-	-	-	-	-
26.	खेडा	41	1	-	-	1	-
27.	निमोदरा	117	1	-	-	1	-
28.	कुआगांव	34	-	-	-	3	-
29.	गालदकलां	52	-	-	-	7	-
30.	गुडलाचन्दन	114	-	-	-	2	-
31.	गूगदोड	37	-	-	-	1	-
32.	धाटानेनवाडी	15	-	-	-	3	-
33.	थनेरा	12	-	-	-	3	-
34.	खिरखिडी	46	-	-	-		-
35.	मोरन	11	-	-	-	2	-
36.	लाखनपुर	42	-	-	-	17	-
37.	मानपुरा	15	-	-	-	2	-
38.	मदारखुर्द	35	-	-	-	3	-
	योग	**67**	**30**	**22**	**-**	**104**	**-**
39.	कोलाडा	8/9/100	-	-	-	1	-

1	2	3	4	5	6	7	8
40.	कुशालपुरा	33	-	-	-	1	-
41.	बासपरसा	4	-	-	-	1	-
42.	मझेवला	10	-	-	-	1	-
43.	पट्या	48	-	-	-	12	-
44.	सोयला	2	-	-	-	3	-
45.	कोटड़ा	1	-	-	-	1	-
46.	जटलाव	38	-	-	-	4	-
47.	कुटका	13	-	-	-	1	-
48.	रूंगटी	5	-	-	-	10	-
49.	जैतपुरा	9	-	-	-	2	-
50.	गोल	44	-	-	-	7	-
51.	धोराला	22	-	-	-	1	-
52.	हनुत्या	28	-	-	-	1	-
53.	पुरागुलाबसिंह	26	-	-	-	1	-
54.	मुकन्दपुरा	32	-	-	-	2	-
	योग		**67**	**30**	**22**	**157**	**-**
1.	पिपलाई	8/5/77	11	-	-	8	-
2.	डाबर	82	1	-	-	16	-
3.	लिवाली	36	-	-	-	3	-

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	नानेटाखेड़ा	20	-	-	-	5	-
5.	सीतोड	76	-	-	-	3	-
6.	खेडली	78	1	-	-	23	-
7.	गोठडा	15	-	-	-	3	-
8.	गोठ (मोरपा)	139	-	-	-	1	-
9.	दोहरी	91	-	-	-	18	-
10.	लाडपुरा	100	-	-	-	3	-
11.	गोविन्दपुरा	123	-	-	-	3	-
12.	आकोडिया	95	-	-	-	9	-
13.	सुमेल	96	-	-	-	3	-
14.	गूजर ठिकरिया	122	-	-	-	6	-
15.	श्योसिंहपुरा	93	-	-	-	9	-
16.	सरसाली	83	-	-	-	15	-
	योग		**13**	**-**	**-**	**131**	
17.	बिछोछ	8/5/103	38	-	-	6	-
18.	फुलवाड़ा	118	-	-	-	2	-
19.	बरनाला	133	1	-	-	3	-
20.	जाखोलासखुर्द	127	-	-	-	3	-
21.	नारोलीबोंड	84	4	-	-	45	-

22. अमावरा	1	-	-	-	36	-
23. गोठ	3	-	-	-	8	-
24. सीकरोली	2	-	-	-	8	-
25. दूजई	4	-	-	-	7	-
26. डूंगरवाडा	26	-	-	-	4	-
27. पट्टीकलां	47	5	-	-	2	-
28. पट्टीखुर्द	43	26	-	-	8	-
29. नानरहेडा	80	-	-	-	8	-
30. सुकार	9	1	-	-	19	-
31. रिवाली	6	1	-	-	15	-
32. बिधपुरी	11	-	-	-	1	-
33. कुआगांव	10	-	-	-	3	-
34. भांटोली	17	-	-	-	6	-
35. ककराला	16	1	-	-	1	-
36. बाढ़ पिपलाई	90	-	-	-	2	-
37. बानोर	24	51	-	-	2	-
38. बाढ़ ढेहरी	101	-	-	-	1	-
39. मांडलगांव	88	1	-	-	9	-
40. रमजानपुरा	86	-	-	-	2	-
41. बैराड़ा	102	-	-	-	5	-

42. नेहड़ी	92	-	-	-	2	-
43. गढी गोपालपुरा	98	-	-	-	12	-
44. सूरगढ़	99	-	-	-	2	-
45. गूजर बड़ोदा	94	2	-	-	3	-
46. कोयला	71	1	-	-	1	-
47. कूंचावाड चक 2	79	-	-	-	1	-
48. जीवद	130	7	-	-	2	-
49. बाढ पलासोद	125	-	-	-	1	-
50. भावड	132	-	-	-	4	-
51. मोरपा	140	1	-	-	6	-
52. झाडोदा	144	1	-	-	3	-
53. चांदनहोली	87	-	-	-	9	-
54. चन्दलाई	8	-	-	-	3	-
55. बाढ़ दुजई	5	-	-	-	6	-
56. गुजर कालेता	23	-	-	-	1	-
योग	**154**	-	-	-	**393**	-
57. सीतारामपुरा	8/5/85	-	-	-	5	-
58. सांचोली	110	-	-	-	9	-
59. काजी कुण्डली	141	-	-	-	9	-
60. बाढ़ नानवास	147	-	-	-	3	-

(युवा एवं खेलकूद मंत्री)

61. कुचापाडा चक नं. 1	81	-	-	-	3	-
62. गोविन्दपुरा	123	-	-	-	3	-
63. भवंरकी	105	2	-	-	1	-
64. भांवरा	7	-	-	-	4	-
65. बाटोदा	142	4	-	-	-	-
66. सराय	58	1	-	-	-	-
67. सीताराम	44	11	-	-	-	-
68. कुण्डली	61	1	-	-	-	-
69. नागतलाई	65	1	-	-	-	-
70. राधेकी	64	28	-	-	-	-
71. कीरतपुरा	49	23	-	-	-	-
72. रामसिंहपुरा	67	11	-	-	-	-
योग		**236**	**-**	**-**	**430**	**-**

सहकारी क्षेत्र की विभिन्न संस्थाओं का विलय

72. श्री जोगाराम पटेल (लूणी) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि सहकारी क्षेत्र में किसानों की सुविधा हेतु ग्राम सेवा सहकारी समिति, वृहत सहकारी समिति, सहकारी बैंक, अपेक्स बैंक, प्राथमिक भूमि विकास बैंक, केन्द्रीय भूमि विकास बैंक, अरबन सहकारी बैंक आदि बहुस्तरीय व्यवस्था होने से अनावश्यक प्रशासनिक व्यय होता है? यदि हां, तो क्या सरकार इन सभी संस्थाओं का विलय कर एक ही संस्था द्वारा कार्य कराने का विचार रखती है?

उत्तर

जी नहीं। राज्य के किसानों की सहकारी क्षेत्र में कार्यरत केन्द्रीय सहकारी बैंक, प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक, ग्राम सेवा सहकारी समितियों/वृहत बहुउद्देशीय सहकारी समितियों के माध्यम से विभिन्न उद्देश्यों हेतु ऋण उपलब्ध कराये जाते हैं। उक्त सभी सहकारी संस्थाओं के उद्देश्य इन संस्थाओं द्वारा अंगीकृत किये गये उपनियमानुसार परिभाषित है। प्रत्येक संस्था का गठन सम्बन्धित संस्था के सदस्यों के हितों के अनुरूप किया जाता है। प्रत्येक संस्था का सहकारी सोसायटी अधिनियम पृथक-पृथक अस्तित्व है। अंत: विभिन्न सहकारी संस्थाओं के उद्देश्य, कार्य प्रणाली, प्रशासनिक नियंत्रण, आदि भिन्न-भिन्न होने के कारण इन विभिन्न उद्देश्यों एवं कार्य प्रणाली वसूली संस्थाओं का किसी एक संस्था में विलय किया जाना न तो व्यवहारिक है और न ही वैधानिक रूप से सम्भव है। राज्य में नागरिक सहकारी बैंक भी कार्यरत है, जिनका कार्यक्षेत्र वर्तमान में शहरी एवं अर्धशहरी क्षेत्रों तक ही सीमित है तथा इनके द्वारा वर्तमान में किसानों को ऋण नहीं दिये जा रहे हैं।

प्रश्न संख्या-73

(स्थगित)

थानागाजी के माडा चिह्नित ग्रामों में एनीकट

74. श्री कान्ती प्रसाद मीणा (थानागाजी) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

---

(1) जनजाति बाहुल्य एवं पहाड़ी क्षेत्रों में भूमि के कटाव, जल के संरक्षण एवं

वर्षा के पानी को रोकने हेतु क्या-क्या योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र थानागाजी के जन जाति बाहुल्य क्षेत्र के जो गांव माडा से चिह्नित हैं वहां एनिकट (बांध) बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां-कहां नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जनजाति बाहुल्य एवं पहाड़ी क्षेत्रों में भूमि के कटाव, जल के संरक्षण एवं वर्षा के पानी को रोकने हेतु विभिन्न विभागों द्वारा निम्न योजना है:-

I. एनीकट निर्माण

II. चैक डेम निर्माण

III. वृक्षा रोपण

IV. जल ग्रहण विकास

(2) जी हां। विधान सभा थानागाजी के ग्राम सीलीबावड़ी में राशि रुपये 3.50 लाख का एक एनीकट वर्ष 2002-03 में स्वीकृत हो चुका।

बस्सी क्षेत्र के खेल मैदानों/स्टेडियमों पर अतिक्रमण

75. श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी) : क्या युवा एवं खेलकूद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी में कुल कितने खेल मैदान/स्टेडियम कहां-कहां पर स्थित हैं?

(2) क्या सरकार के पास इन खेल मैदानों/स्टेडियमों के रख-रखाव की योजना प्रस्तावित है? यदि हां, तो क्या?

(3) उक्त खेल मैदान/स्टेडियमों के लिए कितनी-कितनी राशि का बजट स्वीकृत किया जाना प्रस्तावित है?

(4) क्या यह भी सही है कि बस्सी क्षेत्र के खेल मैदानों एवं स्टेडियमों पर अतिक्रमण की सूचना सरकार को प्राप्त हुई है? यदि हां, तो कौन-कौन अतिक्रमणकारी है? उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) बस्सी विधान सभा क्षेत्र में खेल विभाग के नियंत्रणाधीन कोई खेल मैदान/स्टेडियम स्थित नहीं है।

(2) जैसाकि प्रश्न के भाग 1 में कहा गया है कि बस्सी विधान सभा क्षेत्र में खेल विभाग के नियंत्रणाधीन कोई खेल मैदान/स्टेडियम स्थित नहीं है अत: इनके रख-रखाव की योजना प्रस्तावित होने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(3) जैसाकि प्रश्न के भाग 1 में कहा गया है कि बस्सी विधान क्षेत्र में खेल विभाग के नियंत्रणाधीन कोई खेल मैदान/स्टेडियम स्थित नहीं है अत: इनके लिए बजट तय किये जाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है।

(4) जैसाकि प्रश्न के भाग एक में उल्लेख किया गया है कि बस्सी विधान सभा क्षेत्र में खेल विभाग का कोई स्टेडियम/खेल मैदान स्थित नहीं है। इस क्षेत्र में स्थित अन्य विभागीय स्टेडियम/खेल मैदानों पर भी तहसीलदार बस्सी से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अतिक्रमण के सम्बन्ध में कोई सूचना प्राप्त नहीं है।

पुष्कर घाटी के विकास हेतु स्वीकृत राशि

76. डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पुष्कर विकास के लिए राजस्थान शहरी ढांचागत विकास में कोई राशि स्वीकृत है? यदि हां, तो कितनी?

(2) क्या विकास कार्यों की योजना तैयार हो गई है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार के पास पुष्कर घाटी में सुरंग बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन

(मोहम्मद माहिर आजाद)

है? यदि हां, तो कब तक यह कार्य प्रारम्भ कर दिया जावेगा व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां। पुष्कर शहर के विकास हेतु 8.62 करोड़ रुपये के प्रस्ताव तैयार किये गये है। प्रस्तावों के विवरण परिशिष्ट ''क'' पर है।

(3) जी नहीं। परियोजना में अतिरिक्त राशि उपलब्ध नहीं होने के कारण आर.यू.आई.डी.पी. में उक्त प्रस्ताव पर कोई कार्यवाही विचाराधीन नहीं है।

परिशिष्ट-क

पुष्कर हेतु प्रस्तावों के विवरण

(रुपये लाखों में)

1.	पेयजल विकास योजना	205.92
2.	सीवरेज विकास योजना	165.97
3.	सड़क विकास कार्य	142.07
4.	ड्रेनेज विकास कार्य	65.23
5.	विभिन्न कार्य	
i)	सावित्री मन्दिर सीढ़ी निर्माण एवं विकास कार्य	84.18
ii)	बस स्टैण्ड निर्माण कार्य	43.30
iii)	सार्वजनिक शौचालय	16.36
iv)	अम्बेडकर एवं नेहरू उद्यान विकास कार्य	9.00
v)	कैटल पोण्ड का निर्माण कार्य	24.11
vi)	बूढ़ा पुष्कर	27.11

(समाज कल्याण मंत्री)

vii)	मध्य पुष्कर	26.70
viii)	साइनबोर्ड कार्य एवं पुष्कर द्वार	7.12
	कुल	**862.19**

डूंगरगढ़ के गांवों में विद्युत तारों की चोरी

77. **श्री मंगलाराम गोदारा** (डूंगरगढ़) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र डूंगरगढ़ में किन-किन गांवों की लाइनों के विद्युत तार चोरी हुए? क्या सभी मामले पुलिस में दर्ज करवाए गए? यदि हां, तो अब तक किन-किन मामलों में दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार तार चोरी की वारदातों को रोकने के स्थायी उपाय करने का विचार रखती है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या व्यवस्था की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) अब तक कितना टन तार चोरी हुआ, उसमें से कितना तार बरामद किया गया है?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र डूंगरगढ़ में 12 गांवों की विद्युत लाईन के तार चोरी हुये हैं तथा उक्त सभी घटनाओं की पुलिस में प्राथमिकी दर्ज करवा दी गई है तथा पुलिस तफ्तीश जारी है। विवरण प्रपत्र ''अ'' संलग्न है।

(2) वर्तमान में जो विद्युत लाइनें काम में नहीं आ रही है उनमें भी विद्युत प्रवाह रखा जा रहा है ताकि तारों की चोरी न हो। साथ ही निगमों के सतर्कता विभाग द्वारा जिला प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर तार चोरी की वारदातों को रोकने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(3) विधान सभा क्षेत्र डूंगरगढ़ में लगभग 14.90 कि.मी. तार चोरी हुआ है

लेकिन कोई बरामदगी नहीं हुई। सभी मामलों में पुलिस तफतीश जारी है।

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड क्षेत्रान्तर्गत विधान सभा क्षेत्र डूंगरगढ़ के विद्युत लाइन के चोरी तारों का विवरण

क्रम संख्या	गांव का नाम	चोरी किये गये तार की लम्बाई (किलोमीटर)	पुलिस में दर्ज प्राथमिकी का क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3	4
1.	रोही रामसरा	4.80	119/26.04.2003
2.	पूनरासर-सेरूणा	1.90	219/22.07.2003
3.	रोही रिडी	1.00	264/27.08.2003
4.	सेरूणा-पूनरासर	0.50	309/27.09.2003
5.	तोलियासर	0.80	335/15.10.2003
6.	रोही कीतासर	1.00	2/06.01.2004
7.	लखासर	1.00	23/24.01.2004
8.	पूनरासर	0.80	75/25.03.2003
9.	रोही रामसरा	0.60	95/10.04.2004
10.	रोही राजपुरा	0.70	107/25.04.2004
11.	मोमासर	1.20	137/21.05.2004
12.	देराजसर	0.60	170/12.08.2004
	योग	**14.90**	

प्रदेश में छात्रावासों के संचालन हेतु प्रदत्त सुविधाएं

78. मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) एवं **श्री मोहन लाल गुप्ता** (किशनपोल) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विभाग द्वारा प्रदेश में छात्रावासों का कहां-कहां संचालन किया जा रहा है? सूची सदन की मेज पर रखें। उक्त छात्रावासों में स्वीकृत छात्र संख्या व रह रहे छात्रों की संख्या क्या है?

(2) उक्त छात्रावासों में रह रहे छात्रों को सरकार द्वारा भोजन सहित क्या-क्या सुविधायें उपलब्ध कराई जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में भोजन के स्तर में निरन्तर गिरावट एवं अन्य अनियमितताओं की पिछले एक वर्ष में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं एवं इन पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या ऐसी शिकायतें जयपुर एवं कोटा के छात्रावासों में भी पाई गई? यदि हां, तो इसके लिए कौन-कौन दोषी है एवं इनके खिलाफ सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) राज्य सरकार ने समाज कल्याण छात्रावासों की स्थिति में सुधार के लिए क्या-क्या उपाय किए हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या यह सही है कि प्रति छात्र व्यय की जाने वाली राशि को अपर्याप्त मानते हुए सरकार इसमें बढ़ोतरी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितनी और कब तक?

(7) क्या सरकार प्रदेश में व विशेषकर भरतपुर जिले में नये छात्रावास खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां-कहां और कब तक?

उत्तर

(1) विभाग द्वारा प्रदेश में 527 राजकीय छात्रावास संचालित हैं। जिनकी सूची परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है। उक्त छात्रावासों में स्वीकृत छात्र संख्या 22,897 है एवं रह रहे छात्रों की संख्या 21174 है। पूर्ण विवरण परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) उक्त छात्रावासों में रह रहे छात्रों को सरकार द्वारा भोजन के अतिरिक्त

(यातायात मंत्री)

वस्त्र, जूते, मौजे, तौलिये, सिर पर लगाने का तेल, बाल कटिंग तथा सप्ताह में एक बार विशेष भोजन, नाश्ता एवं नहाने तथा कपड़े धोने का साबुन, बिस्तर व खाने के बर्तन इत्यादि सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं तथा कक्षा 6 से 8 तक के छात्र/छात्राओं को 40/- रुपये एवं कक्षा 9 से 12 तक के छात्र/छात्राओं को 60/- रुपये एकमुश्त राशि स्टेशनरी इत्यादि हेतु प्रति वर्ष उपलब्ध कराई जाती है।

(3) पिछले एक वर्ष में 44 शिकायतें भोजन के स्तर में गिरावट एवं अन्य अनियमितताओं के सम्बन्ध में प्राप्त हुई। इन पर की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट ''ब'' पर उपलब्ध है।

(4) जी हां। जयपुर एवं कोटा जिले में छात्रावासों में पाई गई शिकायतों एवं दोषी अधिकारी का विवरण एवं उनके विरूद्ध की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट ''ब'' पर उपलब्ध है।

(5) दिनांक 8.12.2003 से विभाग द्वारा छात्रावासों की स्थिति में सुधार हेतु किये गये उपायों का विवरण परिशिष्ट ''स 1'' एवं ''स 2'' पर संलग्न है।

(6) जी नहीं।

(7) इस वित्तीय वर्ष में प्रदेश में 75 राजकीय छात्रावास खोले जाने का सरकार का प्रस्ताव है, भरतपुर जिले में भी गुण-अवगुण के आधार पर छात्रावास खोले जाने पर विचार किया जा सकता है। ये छात्रावास इसी वित्तीय वर्ष में खोल दिये जायेंगे।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

डांग क्षेत्र विकास हेतु किये गये कार्य

79. श्री सुरेश मीणा (करौली) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र करौली डांग क्षेत्र है यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा डांग विकास बोर्ड का गठन किया गया था?

(2) उक्त बोर्ड के लिए सरकार द्वारा किस-किस मद में कितना-कितना धन कब-कब दिया गया?

(यातायात मंत्री)

(3) उक्त बोर्ड द्वारा डांग क्षेत्र में क्या-क्या विकास कार्य कब-कब कराये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र करौली की 39 ग्राम पंचायते डांग क्षेत्र में चिन्हित हैं। डांग क्षेत्र के लिए डांग विकास बोर्ड का गठन किया था।

(2) कार्यक्रम के अन्तर्गत सरकार द्वारा मदवार राशि आबंटित नहीं की गयी। वर्षवार जो बजट प्रावधान किया गया एवं उसके विरूद्ध जो व्यय हुआ उसका विवरण निम्न प्रकार है :

वर्ष	**बजट प्रावधान**	**व्यय**
	(लाख रुपये)	
1995-96	719.00	60.70
1996-97	500.00	663.11
1997-98	255.00	512.85
1998-99	350.01	410.34
1999-2000	125.00	307.15
2000-01	242.67	163.15
योग	**2191.68**	**2117.60**

(3) डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कराये गये विकास कार्यों का जिलेवार विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध हैं।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

सुपरवाइजर एवं महिला बाल विकास अधिकारियों के रिक्त पद

80. श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंज मण्डी) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में सुपरवाइजर एवं महिला बाल विकास अधिकारियों के कितने पद रिक्त हैं?

(2) क्या सरकार इन रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो

कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) उक्त पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे या विभागीय पदोन्नति द्वारा?

उत्तर

(1) राज्य में सुपरवाइजर के 300 पद एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी के वर्तमान में 105 पद रिक्त हैं।

(2) भारत सरकार के नवीनतम स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार महिला पर्यवेक्षक के रिक्त पदों को नहीं भरा जाना है। सीधी भर्ती एवं पदोन्नति से बाल विकास परियोजना अधिकारी के इन रिक्त पदों को भरे जाने की प्रक्रिया चल रही है।

(3) भारत सरकार के नवीनतम स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार महिला पर्यवेक्षक के रिक्त पदों को नहीं भरा जाना है। बाल विकास परियोजना अधिकारी के रिक्त पद सीधी भर्ती व पदोन्नति दोनों ही माध्यम से भरे जावेंगे।

शाहपुरा (जयपुर) में नवीन बस स्टैण्ड की स्थापना

81. श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बैराठ में शाहपुरा कस्बे में रोडवेज बस स्टेण्ड के लिए भूमि का अधिग्रहण किया गया है? यदि हां, तो कब और कितनी भूमि का? सम्बन्धित दस्तावेजों की प्रति सदन की मेंज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त भूमि को जिस उद्देश्य के लिए अधिग्रहित किया गया था उस उद्देश्य की प्राप्ति कर ली गई? यदि हां, तो अब तक इस दिशा में क्या प्रगति हुई? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) सरकार अब शाहपुरा कस्बे में रोडवेज का नया बस स्टेण्ड कब तक

स्थापित किये जाने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी नहीं। भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया है बल्कि दिनांक 14.8.1995 को 6000 वर्ग मीटर भूमि का कलक्टर जयपुर द्वारा आबंटन हुआ। सम्बन्धित आदेशों की प्रति परिशिष्ट ''1'' पर संलग्न है।

(2) पूर्ण उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाई है। आबंटित भूमि पर राजस्थान परिवहन निगम द्वारा वर्ष 2000 में बस स्टेण्ड का प्राथमिक निर्माण (चार दीवारी एवं दो कमरे बने हुए है) करा लिया गया है। चूंकि नवनिर्मित बस स्टेण्ड पर यात्रीभार उपलब्ध नहीं हो रहा है। अत: वाहन संचालन नहीं किया जा रहा है। रात्रि विश्राम करने वाली बसें वहां पर खडी हो रही है।

(3) नये बस स्टेण्ड का प्राथमिक निर्माण (चार दीवारी एवं दो कमरे) हो चुका है किन्तु नवनिर्मित बस स्टेण्ड कस्बे से आधा कि.मी. दूर होने से यात्रीभार उपलब्ध नहीं होने के फलस्वरूप पुराने बस स्टेण्ड से ही निगम बसों का संचालन हो रहा है।

परिशिष्ट-1

कार्यालय जिला कलक्टर, जयपुर

क्रमांक/आर-11ए/89/91/ **दिनांक:-**

आदेश

मुख्य प्रबन्धक राजस्थान परिवहन निगम कोटपुतली को कस्बा शाहपुरा में खोरी रोड़ पर पुलिस थाना के पास ग्राम बिदारा में आबाजी खसरा नम्बर 1 रकबा 8.25 हेक्टेयर किस्म गे.मु. नदी में से भूमि आबंटन करने की मांग अध्यक्ष नगरपालिका शाहपुरा ने अपने पत्रांक दिनांक 10.10.1991 से की है। इस सम्बन्ध में उपखण्ड अधिकारी, कोटपूतली व तहसीलदार शाहपुरा से आबंटन करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्राप्त किये गये। इस सम्बन्ध में मुख्य नगर नियोजक, राज. जयपुर से पत्रांक/ टी.पी.आर./1420 जे.पी. दिनांक 22.8.1994 से स्वीकृति प्राप्त की गई। उक्त स्वीकृति के आधार पर राज्य सरकार से स्वीकृति बाबत पत्रावली पत्रांक 6761 दिनांक

1	2	3	4

27.5.1992 से भिजवाई जाकर स्वीकृति पायी गई।

इस सम्बन्ध में शासन उप सचिव, राजस्व (ग्रुप-3) विभाग से स्वीकृति पत्रांक/प-2(316)राज/ग्रुप-3/92 दिनांक 11.7.1995 को प्राप्त हुई। प्राप्त स्वीकृति के अनुसार ग्राम बिदारा तहसील शाहपुरा के खसरा नम्बर 1 की भूमि रकबा 8.25 हेक्टेयर में से 6000 वर्गमीटर भूमि परिपत्र दिनांक 2.8.1984 में अंकित प्रावधानों/शर्तों के अन्तर्गत 99 वर्ष की सीज पर किस्म गे.मु.नदी से खारिज कर किस्म कृषि भूमि की प्रचलित बाजार दर के आधार प्रीमियम और इसके 10 प्रतिशत के बराबर वार्षिक किराया पर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को आबंटित किये जाने की स्वीकृति दी गई है।

अत: राज्य सरकार के स्वीकृति आदेश दिनांक 11.7.1995 के क्रम में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को ग्राम बिदारा तहसील शाहपुरा के खसरा नम्बर 1 रकबा 8.25 हेक्टेयर में से 6000 वर्ग मीटर बस स्टेण्ड की स्थापना हेतु निम्न वर्णित शर्तों पर आबंटित की जाती है :-

(1) भूमि 99 वर्ग की सील पर आबंटित की जाती है जिसका आगामी 99 वर्षों के लिये नवीनीकरण किया जा सकेगा।

(2) प्रीमियम की दर आबंटित भूमि की प्रचलित बाजार दर राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 2.8.1984 के अनुसार 6000 वर्ग मीटर अर्थात् 3373 2.372 बीघा जाराबी की कीमत 1 लाख 10 हजार रुपये प्रति बीघा की दर से रुपये 2,60,920/-रुपये तथा कीमत का 10 प्रतिशत किराया प्रतिवर्ष रुपये 26,090/- (छब्बीस हजार नब्बे रुपये मात्र) देय होगी।

(3) आबंटित भूमि का उपयोग केवल बस स्टेण्ड के लिये ही किया जा सकेगा। अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं। उक्त भूमि बिना किसी राज्य सरकार की पूर्वानुमति के विक्रय नहीं की जा सकेगी।

(4) रेटनिंग दीवार का पक्का निर्माण रा.रा.पथ परिवहन निगम करायेगा। उत्तर दिशा की तरफ 30 फीट कच्चा रास्ता छोड़ा जावेगा और पश्चिम दिशा प्रस्तावित नक्शे अनुसार किया जावेगा।

(5) बस स्टेण्ड के भराव आदि का कार्य रा.रा. पथ परिवहन निगम करायेगा।

(6) पूर्व दिशा में 80 फीट तथा उत्तर व दक्षिण दिशा में 20 फीट एरिया आवश्यक रूप से खाली रखा जावेगा।

(7) आबंटित भूमि का लीज डीड निष्पादित करना होगा।

कलक्टर, जयपुर।

जयपुर के आवासीय क्षेत्रों में संचालित व्यावसायिक गतिविधियां

82. श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा रिहायशी कालोनियों में अवैध रूप से बन रहे व्यवसायिक परिसरों को सील करने का अभियान चलाया गया है? यदि हां, तो वर्ष 1999 से 2003 तक कितने परिसरों को सील किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि जिन परिसरों को सील किया गया है उन्हें सरकार द्वारा खोलने का निर्णय लिया गया है? यदि हां, तो इसके लिए क्या नीति बनाई गई? प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा रिहायशी कालोनियों में अवैध रूप से बन रहे वर्ष 1999 से 2003 तक, 21 व्यावसायिक परिसरों को सील किया गया है, जिसका विवरण परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है।

(2) जी हां। जिन परिसरों को सील किया गया है उन्हें अध्यक्ष, जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा खोलने का निर्णय लिया गया है। इस हेतु यह नीति निर्धारण की गई है कि परिसरों के मालिकों से वगैर अनुमति व्यावसायिक उपयोग ना करने बाबत शपथ पत्र एवं क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र में वर्णित शर्तों की पालनार्थ अण्डरटेकिंग लेने के पश्चात् अध्यक्ष जयपुर विकास प्राधिकरण (माननीय मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार) का अनुमोदन प्राप्त कर सील किये गये परिसरों को सील से मुक्त किया जा सकेगा। इस सम्बन्ध में प्राधिकरण द्वारा निकाले गये आदेश दिनांक 30.1.2003 की प्रति, निर्धारित शपथ पत्र एवं क्षतिपूर्ति बंधक पत्र की

प्रतियां परिशिष्ट ''ब'' पर संलग्न है।

परिशिष्ट 'अ'

जयपुर विकास प्राधिकरण

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अवैध रूप से चल रहे व्यावसायिक परिसरों को सील किये जाने का विवरण

क्र. सं.	सील किये गए परिसर का विवरण	जोन संख्या	सील करने की दिनांक
1	2	3	4
1.	श्री रियालसिंह चावला, 689 दीप प्लाजा, बर्फखाना, फ्रन्टीयर कालोनी, आदर्श नगर, जयपुर	1	5.7.2002
2.	श्री एस. सी. खुराना (नितेश कुमार अग्रवाल) क्रेता, 410/3 राजापार्क, जयपुर	1	31.7.2002
3.	श्री पदम कोठारी, बी-1 गोविन्द मार्ग, उनियारा गार्डन, भारत पेट्रोल पम्प के पास, जयपुर	1	11.9.2002
4.	श्री हिरराम जुनेजा, बी-28, गोविन्द मार्ग, आदर्श नगर, जयपुर	1	13.5.2002
5.	श्री जगदीश डोडा, 388/2, राजापार्क, जयपुर	1	7.8.2002
6.	श्री रमेश मदान, 25, कल्याण कालोनी, गौरव टावर के सामने, मालवीय नगर, जयपुर	1	23.9.2002
7.	श्री पुरूषोत्तम मेहन्दीरत्ता, भूपेन्द्र मेहन्दीरत्ता 1क 7, मामा की होटल के पास, जवाहर नगर, जयपुर	1	23.8.2002
8.	श्री महेश कुमार गुप्ता, 32ए, एलबीएस कालेज के सामने, राजापार्क, आदर्श नगर, जयपुर	1	3.8.2002

9. श्री के. के. पोद्दार, मै., चन्दन बिल्डकान प्रा. लि. प्रोपराईटर बी-19, गोविन्द मार्ग, राजापार्क, जयपुर	1	4.6.2002
10. श्री डी. आर.बी. नाथ, 30 मिशन कम्पाउण्ड, अजमेर रोड़, जयपुर	1	11.6.2002
11. श्री गणपतलाल मेहता एवं श्रीमती उषा दोषी, 47, घीव विहार योजना, जलमहल के सामने, जयपुर	2बी	पत्रावली माननीय मंत्री महोदय को दिनांक 21.6.2004 को भेजी गई है
12. श्री कमलसिंह नाहटा, 3, विष्णुपुरी, जगतपुरा, मालवीय रोड, जयपुर	4	23.8.2002
13. श्री उमराव सिंह यादव, 1, विष्णुपुरी, जगतपुरा, मालवीय रोड, जयपुर	4	23.8.2002
14. श्रीमती पुनम सिंघानी, 559, निर्माण नगर एबी, अजमेर रोड, जयपुर	5	29.6.2002
15. श्री राजकुमार अग्रवाल, विजय कुमार एवं उमेश अग्रवाल, 44, वृन्दावन विहार, अजमेर रोड, जयपुर	5	30.8.2002
16. श्री रामस्वरूप शर्मा, 15, अजमेरा गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर	5	30.8.2003
17. श्री सत्यनारायण कुमावत, ई-189, मुरलीपुरा योजना, जयपुर	6	20.6.2002
18. श्रीमती उषा कुमावत एवं श्री चन्द्र प्रकाश, ई-208, मुरलीपुरा योजना, जयपुर	6	20.6.2002
19. श्री केदार चौधरी, 'झारखण्ड अपार्टमेन्ट' क्वीन्स रोड तिराहा, खातीपुरा, जयपुर	7	13.6.2003
20. श्रीमती विजयलक्ष्मी एवं श्रीमती सुधा जैन, खातीपुरा तिराहा, खातीपुरा रोड, जयपुर	7	17.6.2002
21. श्री प्रभूनारायण बागडा, बी-3, विष्णु विहार, मनोहरपुरा, जयपुर	9	4.9.2002

(ऊर्जा मंत्री)

उपायुक्त (समन्वय)

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक : जपिप्रा/अआ/पूर्व/2003/डी-174 **दिनांक : 30.1.2003**

1. आवासीय क्षेत्र में अवैध व्यवसायिक निर्माण/गतिविधियों को रोकने के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कुछ परिसर सील किये गये थे।

2. निर्देशानुसार इन परिसरों को संलग्न अण्डरटेकिंग लेने के पश्चात् अध्यक्ष, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर (माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान जयपुर) का अनुमोदन प्राप्त कर सील किये गये परिसर को सील से मुक्त किया जा सकता है। नगर निगम क्षेत्र के परिसरों से सम्बन्धित प्रकरणों को नगर निगम में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जावे।

3. उक्त आदेश अध्यक्ष, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा जविप्रा की पत्रावली श्रीमती मन्जू कोठारी एवं श्री पदम चन्द कोठारी निवासी प्लाट नम्बर बी-1 गोविन्द मार्ग जयपुर की कार्यालय टिप्पणी के अनुच्छेद 54/एन पर पुष्ट है। (नोट सीट की छाया प्रति संलग्न है।)

परिसर सील खोले जाने हेतु शपथ-पत्र एवं क्षतिपूर्ति बंधक पत्र

1. (मैं प्रार्थी/प्रार्थीया) ....पुत्र/पुत्री/पत्नी.............................
...................................उम्र..............जाति..............................
....
.........................शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूं कि :-

2. मेरा एक निर्मित भूखण्ड संख्या..................योजना...............................

.......................स्थान...
.......................में स्थित है।

(ऊर्जा मंत्री)

3. इस सम्बन्ध में मा. उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों में प्रदत्त निर्देशों की पालना में जविप्रा द्वारा अथवा अन्य गठित किसी भी कमेटी द्वारा अथवा अन्य सम्बन्धित विभाग द्वारा की गई कार्यवाही से पाबन्द रहूंगा/रहूंगी।

4. प्रश्नगत परिसर में आगे भविष्य में किसी प्रकार का व्यावसायिक निर्माण या अन्य प्रकार का निर्माण जविप्रा की अनुज्ञा के बिना नहीं करूंगा तथा न ही इस निमित्त किसी व्यक्ति या एजेन्सी को अधिकृत करूंगा/करूंगी। न ही व्यावसायिक उपभोग हेतु किराये पर दूंगा/दूंगी एवं न ही व्यावसायिक उपयोग रूपान्तरण कराये बिना करूंगा/करूंगी। यह अन्डरटेकिंग प्रार्थी द्वारा परिसर की सील खुलवाने के लिए प्रस्तुत की जा रही है एवं इससे मेरे पक्ष में जविप्रा के विरुद्ध किसी अधिकार का सृजन नहीं होगा।

5. ज.वि.प्रा. द्वारा परिसर सील किये जाने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है, भवन सील होने से यदि कोई क्षति हुई हो तो उसकी क्षतिपूर्ति के लिए मैं प्राधिकरण से कोई क्लेम नहीं करूंगा/करूंगी तथा इसे स्वयं ही वहन करूंगा/करूंगी। परिसर की सुरक्षा हेतु ज.वि.प्रा. द्वारा किये गये व्यय का भुगतान करने को तैयार हूं।

6. मैं अपने आपको वचनबद्ध करता/करती हूं कि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा भवन सील खोले जाने के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा किसी कानूनी विवाद को लेकर प्राधिकरण को यदि किसी प्रकार की आर्थिक हानि होती है तो उक्त राशि मुझसे पी.डी.आर. एक्ट के तहत वसूल की जा सकेगी।

7. यदि जविप्रा से रूपान्तरण कराकर एवं अनुज्ञा प्राप्त किये बिना इस भूखण्ड पर व्यावसायिक उपयोग करते हुए पाया जाये तो जविप्रा इसे ध्वस्त करने को स्वतंत्र

होगा।

8. यदि जविप्रा ने रूपान्तरण नहीं किया तो मैं स्वयं अपने खर्चे पर भवन का निर्माण हटा लूंगा अथवा नक्शे में सम्पूर्ण परिवर्तन कर एवं जविप्रा से अनुज्ञा प्राप्त कर इसे आवासीय भवन में परिवर्तित कर लूंगा व किसी भी रूप से इसका व्यावसायिक उपयोग जविप्रा अनुज्ञा के बिना नहीं करूंगा/करूंगी।

(शपथ गृहिता के हस्ताक्षर)

नाम :

पता :

गवाह-1

गवाह-2

(प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट/नोटेरी पब्लिक/ओथ कमिश्नर से प्रमाणित)

विद्युत वितरण निगमों की वित्तीय स्थिति

83. श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व), **श्री अमराराम** (धोद) एवं **श्री बृजकिशोर शर्मा** (जयपुर ग्रामीण) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार विभिन्न विद्युत वितरण निगमों के पृथक गठन के परिणामों से संतुष्ट है? यदि हां, तो किन कारणों से और नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार उक्त निगमों को भंग कर पूर्व की भांति एक ही बोर्ड या निगम बनाने का विचार रखती है?

(3) राज्य में तीनों विद्युत वितरण निगम कितने-कितने घाटे में चल रहे हैं और उनका कर्ज भार कितना है और इसे दूर करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

(4) बिजली कम्पनियों के निर्माण से पूर्व विद्युत की कितनी छीजत थी तथा विद्युत सुधार के अन्तर्गत बनायी गयी कम्पनियों के बाद नवम्बर, 2003 तक कितनी छीजत हुई तथा नवम्बर, 2003 से अब तक कितनी छीजत हुई?

(5) सरकार इस छीजत को रोकने के क्या उपाय कर रही है?

उत्तर

(1) जी हां। जहां तक विद्युत आपूर्ति में सुधार का सम्बन्ध है, सरकार संतुष्ट है। गत रबी मौसम में कृषि कार्य हेतु 8 घंटे के ब्लाक में विद्युत आपूर्ति की गई और वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्र में घरेलू उपभोक्ताओं को 16 घण्टे विद्युत आपूर्ति की जा रही है। इस प्रकार रबी के मौसम में औसतन 900 लाख यूनिट प्रतिदिन एवं वर्तमान में औसतन 800 लाख यूनिट प्रतिदिन की विद्युत आपूर्ति की जा रही है जो अधिकतम है।

(2) जी नहीं।

(3) राज्य के तीनों विद्युत वितरण निगमों के घाटे, कर्जभार एवं उसे को दूर करने के उपायों का विवरण परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है।

(4) बिजली कम्पनियों के गठन से पूर्व विद्युत छीजत 42.00 प्रतिशत थी। विद्युत सुधार के अन्तर्गत बनायी गई कम्पनियों में छीजत का ब्यौरा निम्नानुसार है: -

वर्ष	**छीजत का प्रतिशत**			
	जयपुर	**अजमेर**	**जोधपुर**	**कुल**
19.07.2000 से 31.03.2001	38.38	36.36	40.61	38.45
01.04.2001 से 31.03.2002	38.50	35.76	39.60	37.29
01.04.2002 से 31.3.2003	39.24	39.90	40.95	39.73
01.04.2003 से 30.11.2003	36.90	38.63	36.69	37.41
01.12.2003 से	37.78	44.48	47.92	43.39

(सहकारिता मंत्री)

31.03.2004

(5) प्रसारण हानि को कम करने के लिए निम्न कदम उठाये गये है:-

1. प्रसारण तंत्र का सुदृढीकरण किया जा रहा है।

2. स्थपित ग्रिड सब-स्टेशनों की आवश्यकतानुसार क्षमता वृद्धि की जा रही है।

3. वोल्टेज सुधार हेतु केपेसिटर बैंकों की स्थापना की जा रही है।

4. स्थापित ग्रिड सब-स्टेशनों को क्रमोन्नत करना (132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशनों को 220 के.वी. ग्रिड सब स्टेशनों में परिवर्तित करना) विचाराधीन है।

छीजत रोकने के लिए तीनों विद्युत निगमों द्वारा निम्न उपाय किये जा रहे हैं:-

1. तीनों कम्पनियों द्वारा 11 के.वी. फीडरों का योजनाबद्ध सुधार कार्य हाथ में लिया है। इन फीडरों पर वर्तमान में औसतन 70 प्रतिशत छीजत है, इस कार्य के होने के पश्चात् इन फीडरों की छीजत 25 प्रतिशत तक रह जाने की सम्भावना है। सभी फीडरों का रेनोवेशन का कार्य यथा सम्भव 5 वर्ष पूर्ण करने की योजना है।

2. ऊर्जा अंकेक्षण द्वारा छीजत क्षेत्रों को चिह्नित कर।

3. नए 33/11 के.वी. सब-स्टेशन के निर्माण कर।

4. फ्लेट रेट कनेक्शनों को मीटर प्रणाली में परिवर्तित कर।

5. एल.टी. लैस प्रणाली अपना कर।

6. विद्युत चोरी बाहुल्य क्षेत्रों में ओवर हैड लाइन को एबीसी केबल द्वारा बदल कर।

7. सघन एवं लगातार विजिलैंस चैकिंग जारी रखकर।

(श्री रिछपाल सिंह मिर्धा)

8. 11 के.वी. एवं एल.टी. लाइनों पर निम्न क्षमता के तारों को उच्च क्षमता केक तारों से बदल कर।

9. पर्याप्त क्षमता के केपेसिटर बैंक स्थापित कर।

10. खराब एवं बन्द मीटरों को शीघ्र नये इलेक्ट्रोनिक मीटर द्वारा बदल कर।

11. एक्सप्रेस फीडर खींचकर आदि।

परिशिष्ट-अ

राज्य में तीनों विद्युत वितरण निगमों का उनके स्थापनाकाल से वर्ष 2003-04 तक का वर्षवार घाटे एवं कर्जभार का विवरण निम्न प्रकार है

वर्ष	**वित्तीय घाटा**			**कर्जभार**		
	जयपुर	**अजमेर**	**जोधपुर**	**जयपुर**	**अजमेर**	**जोधपुर**
दिनांक 20.7.2000 से 2001 तक	311.66	243.29	264.90	661.28	688.62	592.51
2001-02	432.96	426.96	430.30	1000.97	1015.52	876.90
2002-03	522.91	462.85	524.17	1080.59	1080.00	984.60
2003-04 (अनुमानित)	526.56 अनुमानित	667.00	595.30	1450.15	1353.31	1309.38

घाटे एवं कर्जभार को कम करने के लिये निम्न उपाय किये जा रहे हैं।

1. फीडर सुधार कार्यक्रम द्वारा।

2. ऊर्जा अंकेक्षण द्वारा।

3. नए 33/11 के.वी. सब स्टेशन के निर्माण द्वारा।

4. फ्लेट रेट कनेक्शनों को मीटर प्रणाली में बदला जा रहा है।

(ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री)

5. एल.टी. लैस सिस्टम के द्वारा।

6. विद्युत चोरी बाहुल्य क्षेत्रों में ओवर हैड लाइन को एबीसी केबल द्वारा बदला जाना प्रस्तावित है।

7. सघन एवं लगातार विजिलैंस चैकिंग द्वारा।

8. 11 के.वी. एवं एल.टी. लाइनों पर निम्न क्षमता से उच्च क्षमता के तारों को बदल कर।

9. पर्याप्त क्षमता के केपेसिटरों के द्वारा।

10. खराब एवं बन्द मीटरों को शीघ्र नये इलेक्ट्रोनिक मीटर द्वारा बदल कर आदि।

11. एक्सप्रेस फीडर खींच कर।

झुंझुंनूं जिले के सहकारी विकास बैंकों द्वारा कृषकों को ऋण वितरण

84. श्रीमती प्रतिभा सिंह (नवलगढ़) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सहकारी संस्थाओं एवं सहकारी तथा भूमि विकास एवं अन्य बैंकों से ऋण लेने के लिए विभिन्न कागजात तैयार कराने के लिए किसानों का काफी समय एवं धन व्यय होता है? यदि हां, तो क्या सरकार ऋण प्रक्रिया सरल बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि किसानों को दिये जाने वाले ऋण की ब्याज दर बहुत अधिक है? यदि हां, तो ऋण राशि को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

(3) राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड द्वारा झुंन्झुनूं जिले में कौन-कौन सी योजना में वर्ष 2003-04 में ऋण वितरित किया गया एवं कितना अनुदान दिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री)

(4) राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड द्वारा चालू वित्त वर्ष में झुंन्झुनूं जिले में किस योजना में कितना ऋण कब तक वितरित किया जाने का लक्ष्य है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। नियमानुसार रिकार्ड के लिए दस्तावेजों की पूर्ति करवाई जाती है तथा सदस्य की हिस्सा राशि जमा की जाती है। ऋण प्रक्रिया का सरलीकरण समय समय पर किया गया है।

(2) जी नहीं। वर्तमान में 50,000/- तक के ऋण पर 9 प्रतिशत एवं 50,000/- के अधिक के ऋण पर 10 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज सहकारी भूमि विकास बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋणों पर वसूल किया जाता है।

(3) झुंझुंनूं भूमि विकास बैंक द्वारा वर्ष 2003-04 में निम्न योजनाओं में उनके नीचे अंकित राशि का ऋण वितरित किया गया है:-

लघु सिंचाई	**कृषि यंत्रिकरण**	**विविधिकृत**	**अकृषि**	**ग्रामीण आवास**	**अन्य**	**कुल**
6.98	481.39	109.77	95.15	22.26	-	715.55

इस बैंक द्वारा वर्ष 2003-04 में 51 मामलों में 3,53,500/-रुपये का अनुदान भी कृषकों को उपलब्ध करवाया गया है।

(4) प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड, झुन्झुनूं द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2004-05 में कुल 885.00 लाख रुपये के ऋण निम्न योजनाओं के अन्तर्गत 31.3.2005 तक वितरित किये जाने का लक्ष्य रखा गया है :-

(राशि लाखों में)

लघु सिंचाई	**कृषि यंत्रिकरण**	**विविधिकृत**	**अकृषि**	**ग्रामीण आवास**	**कुल**
30.00	525.00	170.00	110.00	50.00	885.00

उत्तर

(1) जी हां। निगम द्वारा वातानुकूलित वोल्वों बसों के निजी ठेकेदारों से संविदा पर लेकर संचालन हेतु दैनिक समाचार पत्र में विज्ञप्ति संख्या 222/02-03 दिनांक 29.12.2003 द्वारा आमंत्रित की गई थी परिशिष्ट-''1'' परिवहन निगम के संचालक मण्डल की सभा दिनांक 13.1.2003 में विचार विमर्श हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव संख्या 3/206/03-परिशिष्ट-''2'' एवं उस पर हुए निर्णय संख्या 3/2003-परिशिष्ट -''3'' में केवल वोल्वों बसों को संविदा पर लेने का निर्णय लिया गया था। वोल्वों बसों को संविदा पर लगाने के नियम/शर्तें परिशिष्ट-''1'' के अनुसार हैं।

(2) जयपुर से देहली चलने वाली वोल्वों बसों तथा जयपुर से दिल्ली चलने वाली डिलक्स वातानुकूलित बसों के गत एक वर्ष के आय-व्यय स्थिति का विवरण परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

वोल्वों बसों की दरें 600 कि.मी. प्रतिदिन संचालन पर 12.50 रु. प्रति कि.मी. एवं 600 कि.मी. प्रतिदिन से अधिक संचालन पर 11.50 रु. प्रति कि.मी. निर्धारित है। इन बसों को रु. 7.18 प्रति कि.मी. डीजल मद में पृथक से भुगतान किया जाता है जिसमें डीजल की दरें बढ़ने अथवा घटने पर आनुपातिक दर पर वृद्धि अथवा कमी का प्रावधान किया गया है और इसी दर से निजी ठेकेदार को भुगतान किया जा रहा है।

(3) वोल्वों बसों के संचालन से निगम को गत एक वर्ष में हुई आय-व्यय का विवरण परिशिष्ट-''5'' में दिया गया है।

(4) वोल्वो बसों के संचालन से निगम को लाभ हो रहा है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

अकलेरा नगरपालिका (झालावाड़) के विरुद्ध शिकायतें

88. श्री जगन्नाथ (मनोहर थाना) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला झालावाड़ की नगरपालिका अकलेरा के सम्बन्ध में सरकार को शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो कब व शिकायतें किन के द्वारा की गई?

(श्री जगन्नाथ)

(2) उक्त शिकायतों की जांच किन अधिकारियों द्वारा कब-कब की गई? जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार दोषी पाये जाने वालों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है। यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 03.02.2004 को श्री जगन्नाथ वर्मा, माननीय सदस्य राजस्थान विधान सभा के माध्यम से वार्ड पार्षद श्री अब्दुल वहीद, श्रीमती वीरथीबाई, श्री रामचन्द मेघवाल, श्री किशन बागरी, श्री शब्बीर हुसैन बोहरा, श्री बाबूलाल प्रजापत, श्री मामचन्द मीणा की शिकायत प्राप्त हुई है।

(2) जिला कलक्टर, झालावाड़ द्वारा उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा से जांच करवा कर, उनके पत्र दिनांक 19.02.2004 द्वारा इस विभाग को भिजवाई गई है। जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(3) जी हां। दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही शीघ्र की जावेगी।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

कृषि विद्युत कनेक्शन शिफ्ट करने हेतु निर्धारित दूरी

89. श्री रामलाल शर्मा (चौमूं) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

किसान के द्वारा उसके कुएं का पानी सूख जाने पर दूसरा कुआं बनाने या दूसरा बोरिंग कराने पर यदि दूसरे बोरिंग की दूरी पुराने बोरिंग से 10 मीटर से अधिक होती है तो क्या किसान को विद्युत् कृषि कनेक्शन शिफ्ट कराने के लिए शिफ्टिंग चार्ज देना पड़ता है? क्या सरकार नजदीक बोरिंग अथवा कुओं में पानी की कमी को ध्यान में रखकर इस दूरी को 20 मीटर करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां। 10 मीटर की सीमा को 20 मीटर करना व्यवहारिक नहीं है। क्योंकि तकनीकी कारणों से कृषि कनेक्शनों की सर्विस केबल की लम्बाई 10 मीटर तक सीमित रखनी होती है।

ग्राम सेवा सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों के सेवा नियम

90. श्री तगाराम चौधरी (बाडमेर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि ग्राम सेवा समितियों के व्यवस्थापकों के सेवा सम्बन्धी नियम नहीं बनाए गए हैं? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार ऐसे नियम बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

प्राथमिक कृषि ऋणदात्री सहकारी समितियां/वृहत कृषि बहुउद्देशीय सहकारी समितियां के व्यवस्थापकों की चयन, नियुक्ति व सेवा शर्तें 2003 दिनांक 2.7.2004 को जारी किये जा चुके हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं हेतु कार्य-योजना

91. श्री दुर्गा प्रसाद अग्रवाल (गंगापुर) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में ऐसी योजना विचाराधीन है जिसके तहत छोटे शहरों की 15 किलोमीटर की परिधि में आने वाले ग्रामों में वही समस्त सुविधाएं दी जाएंगी जो कि बड़े शहरों को मिल रही हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त योजना का नोडल आफीसर जिला कलक्टर को बनाया गया है व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् द्वारा योजना का प्रारूप बनाया जा रहा है?

(3) क्या यह सही है कि इस योजना के प्रारूप को बनाने में क्षेत्रीय विधायक के सुझाव नहीं लिए गए? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि जिस छोटे शहर गंगापुर सिटी (कस्बे) के 15 किलोमीटर के व्यास में पड़ने वाले गांवों को विकसित करने की योजना बनाई जा रही है, उसमें उक्त शहर (कस्बे) को इस योजना में विकसित करने हेतु नहीं लिया गया है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार उक्त शहर एवं कस्बे को भी उक्त योजना में शामिल करने का विचार रखती है?

(श्री दुर्गा प्रसाद अग्रवाल)

(5) क्या सरकार उक्त योजना के प्रारूप को बनाने में सम्बन्धित विधायक के सुझावों को शामिल करने व विचार विमर्श करने के लिए योजना के नोडल आफीसर जिला कलक्टर को निर्देश देने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। भारत सरकार द्वारा राज्य के 28 जिलों के चयनित 28 कस्बों के नजदीक स्थित 10 से 15 चयनित ग्रामों के क्षेत्रों में शहरी आधारभूत सुविधाओं के विस्तार हेतु (पुरा) योजना की बनाई जा रही हैं। जिसकी प्रारम्भिक रूपरेखा राज्य सरकार को प्राप्त हुई हैं। योजना के दिशा निर्देशों को भारत सरकार द्वारा अंतिम रूप दिया जाना शेष हैं।

(2) जी हां। जिला कलक्टर को इस योजना का नोडल आफीसर बनाया गया हैं एवं जिला परिषद् द्वारा ड्राफ्ट परियोजना हेतु सम्बन्धित आंकड़ों एवं क्षेत्र की आवश्यकताओं का आंकलन किया जा रहा है।

(3) भारत सरकार ने अभी योजना हेतु अंतिम दिशा निर्देश जारी नहीं किये हैं। दिशा निर्देश प्राप्त होने पर इस सम्बन्ध में निर्णय लिया जा सकेगा।

(4) भारत सरकार से विस्तृत दिशा-निर्देश प्राप्त होने पर ही विचार किया जा पाना सम्भव होगा।

(5) भारत सरकार से विस्तृत दिशा-निर्देश प्राप्त होने पर ही विचार किया जा पाना सम्भव होगा।

ग्रामीण क्षेत्रों हेतु जयपुर नगरीय बस सेवा का विस्तार

92. श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार जयपुर से 40 कि.मी. की परिधि में यात्रियों को नगरीय बस सेवा उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(श्री रामचन्द्र सराधना)

(2) क्या यह सही है कि जयपुर शहर की 40 कि.मी. की परिधि में अवैध यात्री वाहन चलते हैं? अवैध यात्री वाहनों को रोकने के लिए सरकार की क्या योजना है?

(3) अवैध वाहन रोकने के बाद उनमें यात्रा करने वालों के यातायात के लिए निगम क्या व्यवस्था करना चाहता है?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि विभाग जयपुर के आस-पास विकसित कस्बों को जिला मुख्यालय से जोड़ने के लिये उप-नगरीय मार्गों का गठन करने का विचार रखता है। इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा दिनांक 15.5.2004 को मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 102 के तहत उप नगरीय मार्गों के सम्बन्ध में राष्ट्रीयकरण योजनाओं में संशोधन करने हेतु प्रस्तावित अधिसूचना जारी की गई है। उक्त अधिसूचना पर दिनांक 17.6.2004 को जनता एवं परिवहन निगम से प्राप्त आक्षेप/सुझावों पर सुनवाई की गई थी तत्पश्चात् दिनांक 28.6.2004 को पुन: परिवहन निगम को सुनवाई का अवसर दिया गया था। उनके द्वारा एवं जनता से प्राप्त आक्षेप/सुझावों का विश्लेषण किया जा रहा है। विश्लेषण के पश्चात् प्रस्तावित अधिसूचना पर अन्तिम निर्णय लिया जावेगा।

(2) जी हां। जयपुर शहर की 40 कि.मी. की परिधि में अवैध यात्री वाहन चलते पाये जाते हैं। अवैध वाहनों की नियमित चैकिंग विभाग द्वारा की जाती है। यात्री वाहनों के अवैध संचालन को रोकने के लिये समय-समय पर पुलिस, जिला प्रशासन एवं परिवहन विभाग द्वारा संयुक्त चैकिंग अभियान चलाये जाते हैं, इसके अतिरिक्त जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित टास्क फोर्स द्वारा तिथि निर्धारित कर हर माह न्यूनतम एक सप्ताह की अवधि के लिये नियमित रूप से संयुक्त जांच अभियान चलाया जाता है।

(3) यात्रियों के परिवहन की समुचित व्यवस्था की जाती है।

कोटा शहर के विकास हेतु ए.डी.बी. परियोजना के तहत प्राप्त राशि

93. श्री भरत सिंह (दीगोद) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(भरत सिंह)

(1) एशिया विकास बैंक (ए.डी.बी.) परियोजना प्रदेश के कुल कितने शहरों में चल रही है तथा इसके लिए कुल कितनी राशि स्वीकृत की गई? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि प्रस्तावित राशि में से कोटा शहर को मिलने वाली राशि में कटौती की गई है? यदि हां, तो कितनी व क्यों?

(3) इस योजना के तहत कुल कितने कार्य पूर्ण हो गये तथा कितने कार्य चल रहे हैं एवं कितने कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं किये गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) एशिया विकास बैंक (ए.डी.बी.) योजना के कार्यों में विलम्ब होने के क्या कारण रहे तथा अब कब तक इन कार्यों को पूर्ण करवा दिया जावेगा?

उत्तर

(1) ए.डी.बी. परियोजना के तहत राज्य के 6 सम्भागीय मुख्यालयों जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर कोटा एवं उदयपुर में कार्य किया जा रहा है। इसके लिए कुल 1529 करोड़ रु. की परियोजना स्वीकृत हुई है। सूची परिशिष्ट-क'' पर संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(3) इस परियोजना के तहत 25 कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा 137 कार्य चल रहे हैं एवं 18 कार्य जिनकी निविदाएं आमंत्रित/विचाराधीन है, अभी तक आरम्भ नहीं किये गये हैं। सूची परिशिष्ट-ख-1 से ख-3 तक संलग्न है।

(4) ए.डी.बी. योजना के कार्यों में विलम्ब मूल रूप से सलाहकारों की नियुक्ति में समय लगना, कुछ प्रकरणों में भूमि अवाप्ति में देरी होना, बिना विस्फोट के ठोस चट्टानों में खुदाई करना, जमीन के अन्दर आने वाली पाइप लाइनों की शिफ्ट करना, ठेकेदारों फर्मों द्वारा सीमेन्ट व स्टील के अत्यधिक दरें बढ़ने के कारण धीमी प्रगति, वन विभाग तथा रेल विभाग से स्वीकृति में देरी होना, आदि मूल कारण रहे हैं। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट के कार्यों को छोड़कर अधिकांश कार्य लगभग माह जून 2005 तक पूर्ण होने की सम्भावना है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

विकलांग कर्मचारियों को वाहन भत्ता

91. श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विकलांग राज्य कर्मचारियों को वेतन के साथ वाहन भत्ता दिया जाता है? यदि हां, तो मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि वाहन भत्ता केन्द्र सरकार के विकलांग कर्मचारियों की दर से कम है यदि हां, तो क्या सरकार राज्य के विकलांग कर्मचारियों को केन्द्र के समान वाहन भत्ता देने का विचार रखती है यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी मानदण्डों की प्रति संलग्न है।

(2) केन्द्र सरकार के उन विकलांग कर्मचारियों को जिनका वेतन 2550/-एवं उससे अधिक किन्तु 3000/- से कम है तथा जो वेतनमान 6500-6900 रुपये या उससे उच्चतर वेतनमान में वेतन पा रहे हैं उन्हें राज्य सरकार के कर्मचारियों की तुलना में अधिक वाहन भत्ता मिलता है, परन्तु केन्द्र सरकार के उन विकलांग कर्मचारियों को जो वेतनमान 6500-6900 रुपये से कम वेतनमान में 3000/- से अधिक वेतन पा रहे है उन्हें राज्य सरकार के कर्मचारियों की तुलना में कम वाहन भत्ता मिलता है। राज्य सरकार के विकलांग कर्मचारियों को केन्द्र सरकार के विकलांग कर्मचारियों के समान वाहन भत्ता स्वीकृत करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

FINANCE (Gr. 2) Department

ORDER

No. F 10(4)FD (Gr. 2)/76 **Dated : Jaipur, 13th March, 1984**

Sub : Grant of Conveyance Allowance to Blind and Orthopodlcally handicapped Government servants.

The Governor has been pleased to order that conveyance allowance to the blind and orthopadically handicapped Government servants may be allowed 8% of their pay not exceeding Rs. 75/-p.m. subject to the following conditions :-

(i) An orthopaedically handicapped employee will be eligible for conveyance allowance only if he or she has a minimum of 40% permanent partial disablility of other upper or lower limbs or 50% permanent partial disability of both upper and lower limbs together for purpose as contained in the Manual for Orthopadic Surgeon in Evaluating Pormanent Physical Impairment brought out by the Amrioan Academy of Orthopaedic Surgeons, U.S.A., and published on their behalf by Artificial Limbs Menufacturing Corporation of India, G.T. Road, Kanpur shall apply.

(ii) In the of a blind employee, the allowance will be admissible only if he or she has a vision less than 3/60 of field less than 10, in both eyes.

(iii) The conveyance allowance will be admissible to the Orthopaedically handicapped employees on the recommendation of the Head of Orthopaedic Department of a Government Hospital.

(iv) In the case of blind employee, the allowance will be admissible on the recommendation of the Head of Opthalmoloical Department of a Government Hospital.

(v) The allowance will not be admissible during leave (except casual leave), joining time or suspension.

2. In cases where handicapped employee is required to undertake journey from the place of his posting to the nearest Government Hospital in the State in order to obtain the required certificate from the Head of Orthopaedic/ Opthalmological Department, he shall be treated as on duty for the period of the hospital is situated. He shell also be allowed Travelling Allowance as on tour for such a journey without halthing allowance on production of certificate of attendance given by the hospital authorities.

3. All Heads of Department will be competent to sanction conveyance allow-

ance under these orders. The Government servants concerned shall accordingly apply for the grant of conveyance allowance to their Head of Department. It shall be the responsibility of the Head of the Department concerned to refer the cases of the concerned empoloyee to the appropriate medical authorities for obtaining their recommendations for the grant of conveyance allowance. The allowance shall be granted with effect from the Date, the recommendations of the concerned medical authority is received by the Head of Department.

4. These orders are in supersession of all previous order issued in this regard.

By Order of the Government

Sd./-

(S. S. Parnami)

Deputy Secretary to Govt.

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

FINANCE (Gr. 2) Department

ORDER

No. F 10(4)FD (Gr. 2)/76 **Dated : Jaipur, 13th March, 1984**

Sub : Grant of Conveyance allowance to Mind and Orthopeadically handicapped Government servants.

In suspensession of this Department Order of even number dated 2-2-1987 on the subject cited above, the Governor has been pleased to order that conveyance allowance to the Blind and Orthopedically handicapped Government servents may be allowed @ 5% of their pay not exceeding Rs. 100/-per month on the same terms and conditions as mentioned in this department order of even number dated 13.3.1984 and 11.5.1984.

This order shall come into force with immediate effect.

By Order of the Government

Sd./-

(Shiv Nath Singh)

Deputy Secretary to Govt.

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

FINANCE Department

(RULES DIVISION)

ORDER

No. F 10(4)FD (Rules)/76 Jaipur, dated May 2, 1998

Sub : Grant of Conveyance allowance to Mind and Orthopeadically handi-capped Government servants.

Consequent upon promulgation of the Rajathan Civil Services (Revised Pay Scales) Rules, 1998, the Governor is pleased to order that in para 1 of the Finance Department Order No. F.10(4)FD(Gr. 2) 76 dated 13.3.1984 as amended vide order dated 18.8.1989, the existing words and figures "@ 5% of their pay not exceeding Rs. 100/-per month" shall be substituted by the words and figures "@ 5% of their pay not exceeding Rs. 200/-per month."

This order shall deemed to have come into force with effect from 1.1.1998.

By Order of the Government

Sd./-

(Dr. Adarsh Kishore)

Principal Secretary to Govt.

विभागीय पदोन्नतिसमिति की बैठकें

92. श्री बीरू सिंह राठौड़ (बनीपार्क) एवं **श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल** (देसूरी) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा कर्मचारियों की पदोन्नति समिति की बैठकें प्रति वर्ष कराये जाने का नियमों में प्रावधान किया गया है?

(2) क्या यह सही है कि सहायक लेखाधिकारी से लेखाधिकारी पद पर पदोन्नति हेतु वर्ष 1997-98 से 2004-05 तक की विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें आयोजित नहीं की गई?

(श्री बीरूसिंह राठौड़)

(3) क्या उक्त बैठकें आयोजित करने पर माननीय न्यायालय की रोक है? यदि नहीं, तो गत आठ वर्षों से विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें आयोजित नहीं करने के क्या कारण रहे? क्या यह राजकीय निर्देशों, नियमों की स्पष्ट अवहेलना की श्रेणी में नहीं आता है? बैठकें आयोजित नहीं करने के लिए कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं व उनके विरूद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है?

(4) क्या सरकार अब बकाया विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें आयोजित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(5) क्या यह सही है कि बकाया विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें न कराने से कई कर्मचारी अपने मूल पदों से ही सेवानिवृत्त हो गये? यदि हां, तो कितने? विवरण सदन की मेज पर रखें। विवरण सदन की मेज पर रखें। क्या सरकार ऐसे कर्मचारियों को राहत देने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस प्रकार व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं, सत्र 1997-98 की विभागीय पदोन्नति समिति आयोजित की गई थी, किन्तु राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सहमति प्रदान नहीं करने के कारण इसे प्रभावी नहीं किया गया। शेष वर्ष यथा 1998-99 से 2004-05 तक पदों की विभागीय पदोन्नति समिति आयोजित नहीं की गई।

(3) सितम्बर, 1997 में सहायक लेखाधिकारी एसोसियेशन द्वारा एस.बी.सिविल रिट संख्या 5636/94 में पारित निर्णय दिनांक 26.4.1997 के बारे में एक अवमानना याचिका दायर की गई। राज्य सरकार द्वारा एस.बी. सिविल रिट के निर्णय के विरूद्ध याचिका दायर की गई। राज्य सरकार द्वारा एस.बी. सिविल रिट के निर्णय के विरूद्ध डी.बी. स्पेशल अपील दायर की गई, जिस पर दिनांक 20.11.2001 को राज्य सरकार के पक्ष में निर्णय हुआ। तत्पश्चात् राजस्थान लोक सेवा आयोग को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें आयोजित करने हेतु लिखे जाने पर आयोग ने लिखा कि वर्ष 1997-98 के वरिष्ठ लेखा अधिकारियों की रिव्यू विभागीय पदोन्नति

(वित्त मंत्री)

समिति की बैठक आयोजित होने के पश्चात् ही सहायक लेखाधिकारियों की पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक हो सकती है। वर्ष 1997-98 के वरिष्ठ लेखाधिकारियों के पदों हेतु रिव्यू विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 21.6.2004 को ही सम्पन्न हुई है। राजस्थान लोक सेवा आयोग को सहायक लेखाधिकारियों की पदोन्नति हेतु बैठक आयोजित करने हेतु पुन: निवेदन कर दिया गया है। अत: राजकीय निर्देशों/नियमों की अवहेलना नहीं हुई है तथा कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है।

(4) जी हां। विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित करने के लिए तिथि निर्धारित करने हेतु सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को लिखा जा चुका है।

(5) विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें आयोजित करने से पूर्व यह नहीं बताया जा सकता कि कौन-कौन अधिकारी किस-किस वर्ष की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नत होते? पूर्व के वर्षो में पदोन्नत होने वाले उक्त सेवानिवृत अधिकारियों को नियमानुसार नोशनल फिक्सेशन का लाभ पेंशन के रूप में मिलेगा।

प्रश्न संख्या-93

(स्थगित)

मृत अधिशेष कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति

94. श्री हरीशचन्द्र कुमावत (नावां) : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विभिन्न विभागों के अधिशेष कर्मचारियों का समयोजन अन्य विभागों में रिक्त पदों पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा किया जाता है।

(2) अधिशेष कर्मचारियों जिनका समायोजन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अन्य विभागों में किया गया हो किन्तु कर्मचारी द्वारा नये विभाग में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व निधन होने की स्थिति में उसके आश्रित को अनुकम्पा नियुक्ति किस विभाग द्वारा दी जावेगी इस सम्बन्ध में जारी आदेश/परिपत्रों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जिस विभाग से कर्मचारी अधिशेष घोषित हुआ है वही विभाग अनुकम्पा नियुक्ति देने की कार्यवाही करेगा। आदेश की प्रति संलग्न है।

राजस्थान सरकार

सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग

क्रमांक : प.1(14)साप्र/3/78 **जयपुर दिनांक 12.7.2004**

परिपत्र

राजकीय विभागों से अधिशेष कार्मिकों के लिए समय-समय पर इस विभाग द्वारा जारी परिपत्र/दिशा निर्देशों के क्रम में यह स्पष्ट किया जाता है कि किन्हीं मामलों में कार्मिकों के अपने पैतृक विभाग से अधिशेष होने के उपरान्त सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा नये विभाग में समायोजन के आदेश जारी कर दिये जाते हैं, किन्तु अधिशेष कार्मिक की नये विभाग में कार्यभार सम्भालने से पूर्व ही मृत्यु हो जाती है तो ऐसे अधिशेष कार्मिकों के प्रकरण में "राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996" के अन्तर्गत नियुक्ति का लाभ हेतु पूर्व विभागाध्यक्ष जहां से कर्मचारी अधिशेष घोषित हुआ है, तो निर्धारित प्रपत्र में अपना आवेदन पत्र अनुकम्पात्मक नियुक्ति हेतु प्रस्तुत करेगा और सम्बन्धित विभागाध्यक्ष उक्त नियम, 1996 में निर्धारित प्रक्रियानुसार नियुक्ति सम्बन्धी प्रकरणों का निस्तार करेंगे।

यदि पूर्व विभागाध्यक्ष के कार्यालय में उक्त अधिशेष कार्मिक के आश्रित की योग्यतानुसार नियमानुसार नियुक्ति दिये जाने हेतु कोई पद उपलब्ध नहीं हो तो ऐसे प्रकरणों को वे कार्मिक विभाग को अपनी अभिशंषा के साथ अग्रेषित करेंगे।

अतः समस्त विभागाध्यक्षों से अनुरोध है कि यदि उनके विभाग में ऐसे प्रकरण लम्बित हो तो उनका निस्तारण उक्त प्रक्रियानुसार करने की व्यवस्था करें।

ह./-

(सी. एम. मीणा)

शासन सचिव

प्रश्न संख्या-95

(स्थगित)

मृतक वर्कचार्ज कर्मियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति

96. श्री सुरेन्द्र पारीक (हवामहल) : क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1972 से पूर्व के मृतक राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति दिये जाने का निर्णय सरकार ने लिया है एवं इसके नियम भी बनाये गये है यदि हां, तो आदेश/नियम की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि वर्कचार्ज कर्मचारियों पर जिनकी मृत्यु 1972 से पूर्व हो गयी उन पर भी यह नियम लागू किये गये हैं? यदि हां, तो नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। (परिशिष्ट ''क'')

(2) जी हां। (परिशिष्ट ''ख'')

राजस्थान सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

(कार्मिक-क-ग्रुप-II)

क्रमांक : एफ 3(6) कार्मिक/क-2/75 **दिनांक 31 जनवरी, 1991**

1. समस्त सम्भागीय आयुक्त
2. समस्त विभागाध्यक्ष (जिला कलक्टर्स सहित)

परिपत्र

विषय : मृतक राज्य कर्मचारियों के आश्रितों की नियुक्ति बाबत।

"राजस्थान रिकूटमेन्ट आफ डिपेन्डेन्ट्स आफ गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स ड्राईंग व्हाईल इन सर्विस रूल्स, 1975" में मृतक राज्य कर्मचारी की परिभाषा में वे ही

राज्य कर्मचारी आते हैं जिनकी मृत्यु दिनांक 2.9.1972 या इसके पश्चात् हुई हो। हाल ही में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा कुछ प्रकरणों में दिये गये निर्णय में मृतक कर्मचारी की परिभाषा में से दिनांक 2.9.1972 की सीमा रेखा को निरस्त कर दिया है। परिणामस्वरूप जिन मामलों में राज्य कर्मचारियों की मृत्यु दिनांक 2.9.1972 से पूर्व हुई थी उनके आश्रितों को भी नियमों की अन्य शर्तें पूर्ण करने पर नियुक्ति देय होती है। अत: दिनांक 2.9.1972 के पूर्व मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रित भी यदि उक्त नियमों के अन्तर्गत राजकीय सेवा हेतु आवेदन करें तो उनके आवेदन विचारार्थ ग्रहण किये जावें और केवल इस आधार पर अस्वीकृत न किये जावें कि अभिभावक राज्य कर्मचारी की मृत्यु दिनांक 2.9.1972 से पूर्व हुई थी।

ऐसे आवेदनों पर विचार करते समय यह अवश्य देख लिया जावे कि अभिभावक कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके किसी भी आश्रित को राजकीय सेवा में किसी भी प्रकार से नियुक्ति तो नहीं मिली है। यदि किसी आश्रित को नौकरी मिल गई है तो इन नियमों का लाभ मिला मान लिया जावेगा और अन्य आश्रित को लाभ देय नहीं होगा।

नियमों में संशोधन की कार्यवाही की जा रही है।

ह./-

(श्री नारायण ताम्बी)

उप शासन सचिव

राजस्थान सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

(कार्मिक-क-ग्रुप-2)

क्रमांक : एफ 3(6) कार्मिक/क-2/75-पार्ट-II **दिनांक 2 जनवरी, 1992**

1. समस्त सम्भागीय आयुक्त
2. समस्त विभागाध्यक्ष (जिला कलक्टर्स सहित)
3. सचिवालय के समस्त कोष्ठ/प्रकोष्ठ।

परिपत्र

विषय : मृतक राज्य कर्मचारियों के आश्रितों की नियुक्ति के सम्बन्ध में।

इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 31.1.1991 का अनुच्छेद 2 निम्न प्रकार है :

"ऐसे आवेदनों पर विचार करते समय यह अवश्य देख लिया जावे कि अभिभावक कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके किसी भी आश्रित को राजकीय सेवा में किसी भी प्रकार से नियुक्ति तो नहीं मिली है। यदि किसी आश्रित को नौकरी मिल गई है तो इन नियमों का लाभ मिला मान लिया जावेगा।"

उपरोक्त अनुच्छेद 2 के स्थान पर निम्न प्रतिस्थापित किया जाता है :

"ऐसे आवेदनों पर विचार करते समय यह अवश्य देख लिया जावे कि अभिभावक कर्मचारी की मृत्यु के पश्चात् उसके किसी भी आश्रित को राजकीय सेवा में इन नियमों के अन्तर्गत नियुक्ति तो नहीं मिली है। यदि किसी आश्रित को राजस्थान सेवाकाल के दौरान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों की भर्ती नियम, 1975 के अन्तर्गत नियुक्ति मिल गई है तो उसके अन्य आश्रित को नियमों का लाभ देय नहीं होगा।"

ह./-

(श्री नारायण ताम्बी)

उपशासन सचिव

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

DEPARTMENT OF PERSONAL AND ADMINISTRATIVE REFORMS (A-GROUP-II)

No. F.3(6)Karmik/Ka-II/75 Jaipur, dated 22 February, 1977

ORDER

Sub : Recruitment of dependants of work charged employees of Public Works Department including Gardens Irrigation, Water Works and Ayurvedic Department dying while in work charge service.

The Governor has been pleased to order that the Rajasthan Recruitment of Dependants of Government Servants Dying while in service Rules, 1975 issued vide this Department Notification No.F.3(6) Karmik (A-II)/75 dated 29.9.1975 as amended from time to time shall apply mutatis mutandis to the dependents of work charged employees of Public Works Department including Gardens, Irrigation, Water Works and Ayurvedic Departments for their appointment as work charged employee.

By Order and in the name of

The Governor,

Sd/-

(T.V. Ramanan)

Special Secretary to Government

भवन निर्माण/वाहन अग्रिम पर हजार्ड फण्ड की कटौती

97. **श्री बाबूलाल नागर** (दूदू) : क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि भवन निर्माण अग्रिम/वाहन अग्रिम पर अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन से हजार्ड फण्ड की कटौती की जाती है? यदि हां, तो कब से तथा हजार्ड फण्ड कटौती का कारण व उद्‌देश्य क्या है?

(2) क्या यह सही है कि भवन निर्माण अग्रिम/वाहन अग्रिम पर हजार्ड फण्ड की कटौती होने के बाद अधिकारी/कर्मचारी की मृत्यु व वाहन चोरी के पश्चात् शेष राशि माफ हो जाती है?

यदि नहीं, तो किन नियमों के तहत? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान एडवांस हजार्ड फण्ड नियमों के प्रावधानों के अनुसार 1.1.1970 से भवन अग्रिम एवं वाहन अग्रिम लेने वाले राज्य कर्मचारियों के वेतन से हजार्ड फण्ड की कटौती की जाती है। फण्ड के सदस्य कर्मचारी/अधिकारी की सेवा में मृत्यु होने पर, वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने अथवा भवन के आगजनी के कारण पूर्ण क्षतिग्रस्त होने की दशा में बकाया ऋण राशि का समायोजन उक्त फण्ड से किये जाने के उद्देश्य से यह योजना प्रारम्भ की गई है।

(2) भवन निर्माण अग्रिम/वाहन अग्रिम पर हजार्ड फण्ड की कटौती होने के बाद अधिकारी/कर्मचारी की मृत्यु की दशा में शेष राशि मय ब्याज हजार्ड फण्ड से समायोजित कर माफ की जाती है। वाहन चोरी हो जाने पर बकाया ऋण राशि का समायोजन हजार्ड फण्ड से किया जाकर माफ किया जाना प्रावधित नहीं है। नियमों की प्रति संलग्न है।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

कोटा जिले के मदिरा विक्रय केन्द्र

98. श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि देशी एवं विदेशी मदिरा के विक्रय के लिये नियम निर्धारित हैं? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या मदिरा की दुकानों की स्वीकृति के लिये शर्तें भी निर्धारित हैं? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त नियम एवं शर्तों के अधीन कोटा जिले में कितनी दुकानें स्वीकृत हैं तथा कितनी स्वीकृत नहीं होते हुए भी संचालित की जा रही हैं? नामजद सूची मय स्थान के सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त में से कतिपय दुकानों की स्वीकृति के लिये शर्तों में छूट दी गई है? यदि हां, तो किस दुकान के लिये किस आधार पर किसकी अभिशंषा से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या तथ्यों को छिपाकर गलत आधार पर दुकान स्वीकृति आदेश जारी करने वाले के विरूद्ध कार्यवाही की गई है? यदि हां, तो कितने प्रकरणों में तथा नहीं, तो क्यों व अब कब तक कार्यवाही की जावेगी?

उत्तर

(1) देशी मदिरा के अनुज्ञापत्र राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के नीयत 67 -झ के अधीन दिये जाते है जो निम्नानुसार है :-

67-झ. अनन्य विशेषाधिकार के लिये संदाय पर लाइसेन्स

1. धारा 24 के अधीन किसी स्थानीय क्षेत्र में देशी मदिरा के खुदरा विक्रय का अनन्य विशेषाधिकार लाईसेन्स, आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त या बजाय, एकमुश्त रकम संदाय की शर्त पर और उसके द्वारा अधिकथित अन्य शर्तों एवं निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए प्रदत्त किया जावेगा।

2. किसी दुकान पर देशी मदिरा के खुदरा विक्रय का अनन्य विशेषाधिकार लाईसेन्स-

अ. विद्यमान लाइसेन्सी से वार्ता द्वारा,

ब. नीलामी द्वारा,

स. सीलबन्द निविदा आमन्त्रित करके,

द. विद्यमान लाइसेन्सी के अतिरिक्त दुसरे व्यक्तियों से वार्ता द्वारा, दिया जावेगा।

3. इन नियमों की कोई बात किसी दुकान या दुकानों के वर्गो के लिये उक्त तरीकों में से कोई तरीका किसी क्रम में अपनाने या विभिन्न वर्गो की दुकानों के लिये विभिन्न तरीके अपनाने से नहीं रोकेगी।

विदेशी मदिरा के विक्रय हेतु अनुज्ञापत्र राजस्थान विदेशी मदिरा (थोक व्यापार तथा खुदरा बहि:पान अनुज्ञप्ति प्रदाय) नियम, 1982 के नियम 3-ए के अन्तर्गत प्रदान किये जाते है जो निम्नानुसार है :-

3-अ अनन्य विशेषाधिकार के लिये लाइसेन्स प्रदान करना-

राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 की धारा 24 के अधीन किसी स्थानीय क्षेत्र में विदेशी मदिरा के थोक या खुदरा विक्रय के अनन्य विशेषाधिकार का

(आबकारी मंत्री)

लाईसेन्स आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित आबकारी के शुल्क के अतिरिक्त या उसके बजाय एकमुश्त राशि संदाय की शर्त पर और उसके द्वारा अधिकथित शर्तों और निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए प्रदत्त किये जावेंगे।

परन्तु यह कि इन नियमों की कोई बात उसी क्षेत्र में एक से अधिक प्रणाली के अधीन विभिन्न संस्थाओं या व्यक्तियों को बीयर का लाईसेन्स देने से नहीं रोकेगी।

(2) मदिरा दुकानों की स्वीकृति के सम्बन्ध में प्रावधान राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के नियम 75 के रूप में है जो, निम्नानुसार है :-

75.- 1.देशी मदिरा, विदेशी या भारत निर्मित विदेशी मदिरा या हैम्प औषधियों के खुदरा विक्रय का लाईसेन्सधारी अपनी दुकान केवल सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी द्वारा अनुमोदित स्थान पर ही रखेगा।

2. देशी मदिरा, विदेशी या भारत निर्मित विदेशी मिदरा के खुदरा विक्रय की दुकान महाविद्यालयों, सीनियर माध्यमिक विद्यालय, सभी स्तर के कन्या शिक्षण संस्थानों, अस्पताल, पूजा स्थल, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान, कारखाना या श्रमिक अथवा हरिजन कालोनी से 200 मीटर की दूरी के अन्दर अवस्थित नहीं होगी।

3. खुदरा विक्रय के लिये जिला आबकारी अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदली नहीं जायेगी।

4. जिला आबकारी अधिकारी पर्याप्त कारणों को लेखबद्ध करने के पश्चात् किसी दुकान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदल सकेगा और दुकान बदलने के लिये लाईसेन्सधारी को कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी।

5. देशी मदिरा, विदेशी मदिरा और भारत निर्मित विदेशी मदिरा, बीयर हैम्प औषधियों के खुदरा विक्रय के लिये दुकान नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे के मध्य के दोनों और 150 मीटर की दूरी के अन्दर अवस्थित नहीं होगी, लेकिन यह शर्त नगर निगम, नगर परिषद् या नगर पालिका की सीमा में आने वाले क्षेत्रों में लागू नहीं होगी।

परन्तु यह है कि आबकारी आयुक्त द्वारा पर्याप्त कारणों को लेखबद्ध करने के पश्चात् अपवाद स्वरूप परिस्थितियों में उपरोक्त शर्तो में छूट प्रदान की जा सकेगी।

(आबकारी मंत्री)

स्पष्टीकरण :-

1. नियम 75 के उपनियम (2) के उद्देश्य के लिये पूजा के स्थान से दुकान की दूरी के सम्बन्ध में प्रतिबन्ध एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में केवल उन्हीं स्थानों के लिये लागू होंगे जो जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में रखी जाने वाली सूची में वर्णित होंगे।

2. हरिजन कालोनी से तात्पर्य नगर पालिका के ऐसे वार्ड से है जिसमें अन्तिम जनगणना के अनुसार वार्ड की समस्त जनसंख्या के 50 प्रतिशत से अधिक व्यक्ति अनुसूचित जाति के हो।

3. महाविद्यालय या सीनियर सैकण्डरी स्कूल स्तर के विद्यालय से भिन्न शैक्षणिक संस्थान के समीप स्थित कोई दुकान संस्थान के बन्द होने के कम से कम एक घण्टे के पश्चात् खोली जायेगी।

4. नियम 75 के उपनियम (2) के उद्देश्य के लिये मनोरंजन स्थान से तात्पर्य केवल थियेटर अथवा सिनेमा हाल से है।

(3) आबकारी जिला कोटा में स्वीकृत मदिरा दुकानों की सूची निम्नानुसार है:-

देशी मदिरा :-

1. अयाना 2. ढीबरी (चम्बल) 3. ढीबरी (कालीसिन्ध) 4. इटावा नं. 1 5. इटावा नं. 2 6. इटावा नं.-3 7. गणेश गंज 8. गैंता 9. ककरावंदा 10. करवाड 11. खतौली नं.-1 12. लुहावद 13. पीपल्दा 14. तलाब गांव 15. विनायका 16. बडगांव बावडी 17. बजरंगनगर 18. बालीता 19. बल्लभ बाडी 20. बडौद 21. भदाना 22. भाटापाडा रामपुरा 23. बूडीदीत 24. बोरखंडी 25. बोरखेडा 26. कुन्हाडी चूंगी नाका 27. दीगोद 28. गडेपान 29. गणेशपुरा 30. इटावा नं.-5 31. कालातलाब 32. खतौली नं. 2 33. खेडली फाटक 34. कोटा जंक्शन 35. कोटडा दीपसिंह 36. कुन्हाडी माताजी रोड 37. कुन्हाडी पेटोल पम्प 38. कुन्हाडी कमला उद्यान रोड 39. लाडपुरा 40. माला फाटक 41. मालारोड 42. मण्डावरा 43. मोखा पाडा 44. गूडला 45. नान्ता 46. नया नोहरा 47. नयापुरा बस स्टेण्ड 48. नयापुरा इस्माईल चौक 49. नयापुरा खाई रोड 50. नेहरू नगर बी केबिन 51. नीमोदा 52. प्रतापनगर 53. पुरोहितजी की टापरी 54. रेलगांव 55. रंगपुर 56. सकतपुरा बेराज रोड 57. सकतपुरा हताई

(आबकारी मंत्री)

का चौक 58. सौगरिया नं.-1 59. सौगरिया नं.-2 60. पुरानी सब्जी मण्डी 61. सुल्तानपुर नं. -1 62. सुल्तानपुर नं.-2 63. सुल्तानपुर नं.-3 64. तेलघर 65. तुलापुरा नं.-1 66. तुलापुरा नं.-2 67. उम्मेद गंज 68 बोराबास 69. अनन्तपुरा 70. आरामपुरा (खेडारसूलपुरा) 71. अरन्डखेड 72. बालाकुण्ड 73. भामाशा मण्डी 74. चारचौमा 75. छावनी रामचन्द्रपुरा 76. डी.सी.एम. 77. डगावद 78. डकनियां रेल्वे स्टेशन 79. धाकड खेडी 80. घोडाबस्ती 81. गोबरिया बावड़ी 82. गोविन्द नगर 83. गुमानपुरा सिंधी कालोनी 84. हरिओम नगर 85. इन्द्रा गांधी नगर 86. जगपुरा 87. झाडगांव 88. कैथून 89. कंसूवा 90. कसार 91. केशोपुरा 92. केवलनगर 93. कोटडी 94. मंडाना नं.-1 95. मंडाना नं.-2 96. मानपुरा 97. नईधान मण्डी 98. प्रेमनगर 99. रायपुरा 100. रामनगर 101. रंगबाडी 102. रानपुर 103. साजी देहडा 104. संजय नगर 105. संतोषी नगर 106. सीमलिया 107. शिवपुरा 108. शापिंग सेन्टर 109. श्री नाथपुरा नं.-1 110. श्रीनाथपुरम बी सेक्टर 111. सुभाषनगर 112. तलमण्डी 113. ताथेड 114. उडिया बस्ती 115. वीर सावरकर नगर 116. विज्ञान नगर 117. विज्ञान नगर मोटर मार्केट 118. अलोद 119. आवां 120. अतरालिया 121. बडौदिया 122. बागडस्या 123. बांस्या खेडी 124. बपावर कलां नं.-1 125. बपादर कलां नं.-2 126. भटवाडा 127. भोलू 128. चेचट नं.-1 129. चेचट नं.-2 130. दरा स्टेशन 131. दरागांव 132. देवली मांझी 133. ढाबादेह नं.-1 134. ढाबादेह नं.-2 135. धायपुरा 136. धूलेट नं.-1 137. धूलेट नं.-2 138. हांणदा 139. फतहपुर 140. गुणदी 141. गणेशपुरा 142. धानाहेडा 143. गोदल्या हेडी 144. गोयन्दा 145. गुलाब पुरा 146. हीरिया खेडी 147. इन्टरनेशनल (चेचट) 148. जुल्मी नं.-1 149. जुल्मी नं.-2 150. कमलपुरा नं.-1 151. कमलपुरा नं.-2 152. कमोलर 153. कनवास नं.-1 154. कनवास नं.-2 155. खेडा रूद्धा 156. खेरा बाद 157. खीमच 158. कूकडा 159. कुदायला 160. कुम्भकोट 161. कुम्भकोट कालोनी 162. कुन्दनपुर 163. कुराड 164. लखारिया 165. लक्ष्मीपुरा 166. मदनपुरिया 167. मोडक स्टेशन 168. मोडक गांव 169. मोईकलां 170. पीपल्दा 171. राजगढ 172. रामगंजमण्डी नं.-1 173. रामगंजमण्डी नं.-2 174. रामगंजमण्डी नं.-3 175. रामगंजमण्डी नं.-4 176. रामगंजमण्डी नं.-5 177. रामगंजमण्डी नं.-6 178. रामगंजमण्डी नं.-7 179. सांगोद 180. सहरावदा 181. सातलखेडी नं.-1 182. सातलखेडी नं.-2 183. सुकेत नं.-1 184. थुनपुर 185. उन्डवा 186. विनोद 187. मन्डा 188. सूरसागर कोटा 189. बन्यानी 190. झोपडिया 191. मायला 192. अमरपुरा चौराहा 193. रीछडिया 194. धरनावद 195. नाहरडी कॉलोनी 196. अमझार 197. सलावद 198. रकसपुरियां 199. मंडली 200. राजपुरा 201. नयागांव 202. सुकेत नं.-2 203. खैराबाद चूंगी नाका 204. इटावा नं.-4

भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर :-

कोटा जंक्शन बायां रोड 2. कोटा जंक्शन दाया रोड 3. पुरोहितजी की टापरी 4. खेडली फाटक 5. नयापुरा प्रथम चमन होटल 6. नयापुरा द्वितीय बस स्टेण्ड 7. रामपुरा आर्य समाज रोड 8. पुरानी सब्जी मण्डी 9. श्रीपुरा कोटा 10. केथूनी पोल 11. गुमानपुरा सिंधी कालोनी 12. गुमानपुरा छावनी रोड 13. कोटडी, कोटा 14. छावनी रामचन्द्रपुरा 15. छावनी चौराहा 16. शापिंग सेन्टर 17. नई धानमण्डी 18. डी.सी.एम. कोटा 19. नयापुरा पायल होटल 20. दादाबाडी, कोटा 21. केशवपुरा 22. महावीरनगर तृतीय 23. विज्ञाननगर 24. सकतपुरा 25. अन्नतपुरा 26. बोरखेडा 27. बडगांव बावडी 28. भामाशाह मण्डी 29. बजरंगनगर 30. कंसुआ एस.एस.एफ. चौराहा 31. कुन्हाडी चूंगीनाका 32. तुलापुरा 33. मालाफाटक 34. गोबरिया बावडी 35. सी.ए.डी. सर्किल 36. वीर सावरकर नगर 37. संतोषी नगर 38. ऐरोड्रम सर्किल 39. शिवपुरा 40. सरस्वती कालोनी बारां रोड 41. कुन्हाडी पेटोल पम्प 42. कैथून 43. रामगंजमण्डी 44. सांगोद

उक्त अनुसार स्वीकृत दुकानों के अलावा अन्य कोई दुकान संचालित नहीं की जा रही है।

(4) आबकारी जिला कोटा में निम्न मदिरा दुकान राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के नियम 75 के अन्तर्गत प्रदत्त शिथिलता के अन्तर्गत संचालित है:-

क्र.सं.	नाम दुकान	शिथिलता चाहने का कारण
1.	सीमल्या देशी मदिरा	राष्टीय राजमार्ग के समीप होने से
2.	जगपुरा देशी मदिरा	राष्टीय राजमार्ग के समीप होने से
3.	ढीबरी कालीसिंध देशी मदिरा	राष्टीय राजमार्ग के समीप होने से
4.	गणेशगंज देशी मदिरा	राष्टीय राजमार्ग के समीप होने से
5.	बिनायका देशी मदिरा	राष्टीय राजमार्ग के समीप होने से
6.	तालाब गांव देशी मदिरा	राष्टीय राजमार्ग के समीप होने से
7.	खतौली देशी मदिरा	राष्टीय राजमार्ग के समीप होने से
8.	इटावा देशी मदिरा	राष्टीय राजमार्ग के समीप होने से
9.	खातौली विदेशी मदिरा	राष्टीय राजमार्ग के समीप होने से
10.	इटावा विदेशी मदिरा	राष्टीय राजमार्ग के समीप होने से

(आबकारी मंत्री)

वर्ष 2004-05 में कोटा जिले में किसी नई लोकेशन के प्रति शिथिलता नहीं दी गई है। इन दुकानों हेतु शिथिलता पूर्व के वर्षों में तत्कालीन जिला आबकारी अधिकारियों की अनुशंषा पर प्रदान की गई थी एवं शिथिलता यथावत् जारी है।

(5) फिलहाल गलत तथ्यों के आधार पर कोटा जिले में मदिरा दुकान स्वीकृति का कोई मामला सामने नहीं आया है।

देवली नगरपालिका में हुई अनियमितताएं

99. डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि देवली नगरपालिका के पूर्ववर्ती अध्यक्षों के वर्ष 1985 से 2004 के कार्यकाल में हुई अनियमितताओं व भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई थी? यदि हां, तो क्या-क्या, कब-कब व किस-किस के द्वारा? शिकायतों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त सम्बन्ध में कोई जांच हुई थी, यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई? जांच की प्रति व की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। शिकायतों की प्रतियां संलग्न है।

(2) जी हां। जांच रिपोर्ट की प्रति एवं की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

स्वायत्तशासी संस्थाओं के चुनाव

100. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री संयम लोढ़ा)

(1) क्या सरकार वर्ष 2004 में नगरपालिकाओं के चुनाव करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस-किस नगरपालिका के व कब तक? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार नगरपालिका अध्यक्षों के चुनाव प्रत्यक्ष पद्धति से करवाने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) माह नवम्बर, 2004 में कुल 45 नगर निकायों के आम चुनाव सम्पन्न होने हैं। सूची संलग्न है।

(2) नगरपालिकाओं के अध्यक्षों के चुनाव प्रत्यक्ष पद्धति से करवाये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

सूची उन 45 नगरपालिकाओं की जहां चुनाव माह नवम्बर-2004 में कराये जाने हैं

क्र.सं.	नाम जिला	नाम नगरपालिका	वार्डों की संख्या
1	2	3	4
1.	गंगानगर	1. गंगानगर	45
		2. सूरतगढ़	30
2.	हनुमानगढ़	3. हनुमानगढ़	40
3.	बीकानेर	4. बीकानेर	55
4.	चूरू	5. चूरू	40
		6. राजगढ़	30
5.	झुंझुनूं	7. झुंझुनूं	35
		8. पिलानी	20

1	2	3		4
		9.	बिसाऊ	20
6.	सीकर	10.	सीकर	45
		11.	नीम का थाना	20
7.	जयपुर	12.	जयपुर	70
8.	अलवर	13.	अलवर	50
9.	भरतपुर	14.	भरतपुर	45
10.	टोंक	15.	टोंक	45
11.	अजमेर	16.	ब्यावर	45
		17.	पुष्कर	15
12.	कोटा	18.	कोटा	60
		19.	सांगोद	20
		20.	कैथून	20
13.	बारां	21.	मांगरोल	20
		22.	छबड़ा	20
14.	चित्तौड़गढ़	23.	चित्तौड़गढ़	35
		24.	निम्बाहेडा	30
		25.	रावतभाटा	25
15.	बांसवाड़ा	26.	बांसवाड़ा	35
16.	उदयपुर	27.	कानोड	15

1	2	3	4
		28. उदयपुर	50
17.	राजसमन्द	29. नाथद्वारा	25
		30. आमेट	15
18.	पाली	31. पाली	45
		32. सुमेरपुर	20
19.	सिरोही	33. सिरोही	25
		34. माउन्ट आबू	20
		35. शिवगंज	20
		36. पिण्डवाडा	20
20.	जालौर	37. जालौर	25
		38. भीनमाल	25
21.	बाडमेर	39. बाडमेर	35
		40. बालोतरा	30
22.	जैसलमेर	41. जैसलमेर	25
23.	जोधपुर	42. जोधुपर	60
		43. फलौदी	25
24.	नागौर	44. डीडवाना	25
		45. मकराना	30
			1450

कोटा नगर निगम क्षेत्र की सफाई व्यवस्था

101. श्री भरत सिंह (दीगोद) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) कोटा नगर निगम क्षेत्र में सफाई व मूलभूत सुविधाओं की निगरानी हेतु कितने कर्मचारी नियुक्त हैं तथा इन पर प्रति माह कितनी राशि व्यय होती है?

(2) क्या सफाई कर्मचारियों के अतिरिक्त भी ठेके पर सफाई कर्मी नियुक्त हैं? यदि हां, तो कितने तथा प्रति माह इन पर कितनी राशि व्यय होती है?

(3) क्या यह भी सही है कि अत्यधिक राशि व्यय करने के पश्चात् भी शहर की सफाई व्यवस्था अत्यन्त खराब है? यदि हां, तो किन कारणों से?

उत्तर

(1) कोटा नगर निगम क्षेत्र में सफाई व मूलभूत सुविधाओं की निगरानी हेतु 1548 व्यक्ति नियुक्त है। इन पर प्रतिमाह 1,02,29,393/- रुपये राशि व्यय होती है।

(2) जी नहीं। सफाई कार्य की अधिकता होने के कारण विभागीय परिपत्र क्रमांक प.1(ध)(का)(122) एसएमई/डीएलबी/93/2703-2948 दिनांक 17.5.2001 के अनुसार निगम क्षेत्राधिकार में सफाई कार्य को बीट प्रणाली के आधार पर कार्य का ठेका दिया जा कर सफाई कार्य करवाया जा रहा है, जिस पर औसतन 7,50,000/- रुपये प्रतिमाह राशि व्यय हो रही है।

(3) जी नहीं।

ब्यावर नगर परिषद् में लम्बित प्रकरण

102. श्री देवी शंकर भूतडा (ब्यावर): क्या स्वायत शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) नगर परिषद् ब्यावर में मानिचत्र, पट्टे एवं भू-नियमन के कितने मामले कितने समय से लम्बित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) नियमों के अनुरूप इनका निस्तारण अब तक क्यों नहीं किया गया? सम्बन्धित दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही करने का सरकार विचार रखती है?

उत्तर

(1) नगर परिषद, ब्यावर में 9 जुलाई, 2004 तक मानचित्र के 510 तथा पट्टे व भू-नियमन के 187 प्रकरण वर्ष 1999-2000 से लम्बित हैं। (सूची संलग्न है)

(राज्य मंत्री, स्वायत्त शासन)

(2) नगर परिषद, ब्यावर में मानचित्र तथा पट्टे व भू-नियमन के मामले लम्बित रहने के तथ्य ध्यान में आये हैं। इसलिये इस सम्बन्ध में जांच करवाई जा कर, दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर पर आबंटित भू-खण्ड

103. श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जनवरी, 1999 से अब तक जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर द्वारा जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर पर विभिन्न संस्थाओं/व्यक्तियों को भू-खण्ड आबंटित किये गये? यदि हां, तो किस-किस संस्था को, किस-किस प्रयोजन से, कितनी –कितनी कीमत पर? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त भू-खण्ड आबंटित करते समय बाजार दर क्या थी और आबंटन किस दर किये गये ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त मार्ग पर बाजार दर से भी कम कीमत पर भू-खण्ड आबंटित किये गये हैं ? यिद हां, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार उक्त प्रकरणों की जांच कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। आबंटित भूखण्डों की सूची परिशिष्ट-'अ' पर सलंग्न है।

(2) जवाहर लाल नेहरू मार्ग पर बाजार दर एवं आबंटन दर संलग्न परिशिष्ट - 'अ' में वर्णित है।

(3) जी हां। तत्कालीन राज्य सरकार द्वारा विनियोजन के आधार पर कतिपय परियोजनाओं को रियायती दर पर भूमि आबंटन की नीति के आधार पर तथा संस्थाओं के चेरिटेबल क्रियाकलापों के आधार पर आबंटन किया गया है।

(4) वर्तमान में राज्य सरकार का जांच कराने का कोई विचार नहीं है।

परिशिष्ट "अ"

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्र. सं.	संस्था का नाम	आवंटित स्थल का नाम	क्षेत्रफल	पंजीयन एवं मुद्रांक हेतु डी.एल.सी. द्वारा निर्धारित बाजारी दर रुपये प्र.व.मी.	आबंटन दर	राशि	आबंटन दिनांक	विशेष विवरण
1.	जी ई केपीटल इण्डिया लिमिटेड	जे एल एन मार्ग जयपुर	11487	22000/- 5000/-	750 रुपये प्रति व. मी.	रु. 86, 15, 250.00	31.10.2002	काल सेन्ट एवं आई.टी. फेसिलिटी हेतु भूमि आवंटित की गई।
2.	श्रीमती गोविन्दी देवी इन्दर लाल डेरेवाला ट्रस्ट	जे एल एन मार्ग जयपुर	2025	22000/- 5000/-	3000 रुपये प्रति व.मी.	75,86, 162.00	21.12.2002	अस्पताल निर्माण हेतु भूमि आबंटित की गई।

क्र. सं.	संस्था का नाम	आवंटित स्थल का नाम	क्षेत्रफल	पंजीयन एवं मुद्रांक हेतु डी.एल.सी. द्वारा निर्धारित बाजारी दर रुपये प्र.व.मी.		आबंटन दर	राशि	आबंटन दिनांक	विशेष विवरण
3.	मरूधर मेडिकल ट्रस्ट	जे एल एन मार्ग जयपुर	2375.40	22000/-	5000/-	750 रुपये प्रति व. मी.	रु. 21, 37, 887.00	22.12.2002	अस्पताल निर्माण हेतु भूमि आबंटित की गई।
4.	मैसर्स ग्रीन फायर हास्पिटल	जे एल एन मार्ग जयपुर	23633	22000/-	5000/-	1504.98 रुपये प्रति व.मी.	3,63, 08,126.26	09.09.2003 एवं 25.09.2003	अस्पताल निर्माण हेतु भूमि आबंटित की गई।

भांटावाला ग्राम (सांगानेर) में डेयरी हेतु आबंटित भूमि में पाइप लाइन

104. श्री रमेश खींची (कठूमर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर शहर से डेयरियों को अन्यत्र स्थापित करने के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण ने कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो इसके लिए कहां -कहां स्थान उपलब्ध करवाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि ग्राम भाटावाला (सांगानेर) व अन्य स्थानों पर डेयरी के लिए भू-खण्ड आबंटित किये गये हैं? यदि हां, तो यहां पर प्राधिकरण द्वारा क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध करवाने की योजना बनाई गई थी एवं इनमें से कितनी पूर्ण हो गई ? शेष योजनाएं कब तक पूर्ण हो जायेंगी? इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं?

(3) क्या यह भी सही है कि ग्राम भाटावाला में डेयरी के लिए आबंटित प्लाट संख्या 378 से 380 के सामने ठेकेदार द्वारा पेयजल के लिए डाली गई पाइप लाइन प्लाट की चारदीवारी के नीचे दब गई है? यदि हां, तो सरकार इसे कब तक दुरूस्त करवाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा रामल्यावाला (सीकर रोड), हरचन्दपुरा-बाल्यावाला (आगरा रोड) तथा सूरजपुरा भाटावाला (टोंक रोड) में डेयरी योजना बनाई गई है।

(2) जी हां। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा इन योजनाओं में सड़क, बिजली एवं पानी की सुविधाऐं उपलब्ध करानी थी, इनमें से प्राधीकरण ने डब्ल्यू.बी.एम. सड़क का निर्माण करवा दिया गया है एवं डामरीकरण का कार्य भूखण्डों के निर्माण के पश्चात् करवाया जायेगा। इन योजनाओं में विद्युतिकरण का कार्य पूर्ण कर जयपुर विद्युत वितरण निगम को हस्तान्तरित कर दिया गया है। रोड़ लाइट का कार्य बसावट होने पर किया जावेगा एवं इन योजनाओं में पेयजल की सुविधा उपलब्ध करवा दी गई है। भूखण्डों के निर्माण में देरी होने के कारण शेष कार्यों में विलम्ब हो रहा है। बसावट की स्थिति को देखते हुये शेष बचे हुये कार्य शीघ्र हाथ में लिए जाना उपयुक्त रहेगा।

(राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन)

(3) जी हां। प्लाट संख्या 378 से 380 के सामने पाइप लाइन चारदीवारी के नीचे दब गई थी। इसे दुरूस्त करा दिया गया है।

कोआपरेटिव कालोनी, अजमेर रोड में टूटी-फूटी सड़कें, सीवर लाइन का अभाव

105. श्री मदन मोहन सिंघल (कामां) **:** क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि अजमेर रोड, जयपुर स्थित को-आपरेटिव कॉलोनी, जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित है? यदि हां, तो इसके कितने व्यक्तियों को पट्टे जारी किये गये हैं?

(2) क्या यह सही है कि उक्त कालोनी में अजमेर रोड से प्रवेश का रास्ता केवल ग्यारह फुट चौडा ही है, जबकि नियमानुसार आम रास्ता कम से कम 30 फुट होना चाहिऐ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त रास्ते को 30 फुट चौडा करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि उक्त कालोनी की सड़कें सीवर लाइन डालने के कारण टूट-फूट गई हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़कों को पुन: बनवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त क्षेत्र का पार्क काफी समय से संधारण के अभाव में अविकसित अवस्था में है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पार्क का विकास करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा इस योजना में 30 भूखण्डधारियों को पट्टे जारी किये गये है।

(2) जी हां। यह सही है कि उक्त कालोनी में अजमेर रोड से प्रवेश का रास्ता केवल 11’ चौडा ही है। उपरोक्त वर्णित 11’ चौडा भाग इस अनुमोदित योजना का भाग नहीं है। वर्तमान में इस रास्ते को 30’ चौडा करने का कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है।

(राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन)

(3) जी हां। सीवर लाइन डालने से हुई रोड कट की मरम्मत डब्ल्यू.बी.एम. से कर दी गई है।

(4) जी नहीं। उक्त क्षेत्र के पार्क की चार दीवारी तथा अन्दर फुटपाथ सही रूप से बने हुए हैं तथा कुछ पेड़ भी लगे हुए हैं। पार्क में दूब लगाने की कार्यवाही की जा रही है।

ढहर का बालाजी (जयपुर) में निर्मित मकानों/दुकानों का नियमन

106. श्री मदनलाल मेघवाल (जायल) **:** क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार सीकर रोड, जयपुर स्थित ढहर के बालाजी बस स्टेण्ड से ढहर के बालाजी मंदिर के दक्षिण दिशा में स्थित क्षेत्र के मकानों, दुकानों को नियिमत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या उक्त क्षेत्र में वर्तमान में बनी हुई सड़कों आदि में परिवर्तन करने की सरकार की योजना विचाराधीन है? यदि हां, तो मानचित्र की प्रति माप सहित सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं, अपोलों गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना ढहर का बालाजी जो पूर्ण रूप से व्यवसायिक होने के कारण बी.पी.सी.– द्वितीय (सीपीसी) के निर्णय दिनांक 17,18 जनवरी 1997 के द्वारा योजना अस्वीकृत की गयी है। निर्धारित अवधि में प्रस्तुत इस क्षेत्र की कोई भी योजना विचाराधीन नहीं है।

(2) जी नहीं।

आवासन मण्डल पर ऋण

107. श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व): क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्रीमती अनिता भदेल)

(1) राज्य में आवासन मण्डल के द्वारा किन-किन शहरों में कितने-कितने निर्मित व अद्धनिर्मित आवास बिना आबंटन के लम्बित हैं ?

(2) उक्त बिना आबंटन के आवासों पर कुल कितनी राशि व्यय की जा चुकी है ? शहरवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) आवासन मण्डल पर कुल कितना कर्जा है और उस पर प्रतिमाह कितना ब्याज चुकाया जा रहा है ?

उत्तर

(1) राज्य में विभिन्न शहरों में आवासन मण्डल द्वारा निर्मित व अर्द्धनिर्मित बिना आबंटन के आवासों का विवरण निम्नानुसार है:-

1.	निर्मित आवास	3551
2.	अर्द्धनिर्मित आवास (कुर्सीतल एवं ढांचा)	2816
	कुल	**6367**

शहरवार सूची परिशिष्ट ''अ'' पर उपलब्ध है।

(2) बिना आबंटन के आवासों पर मंडल द्वारा कुल 7935.41 लाख रूपये की राशि व्यय की गई है। शहरवार खर्च की गई राशि का वितरण परिशिष्ट ''अ'' में अंकित है।

(3) राजस्थान आवासन मण्डल पर कुल रू. 3339.45 लाख का कर्जा है, जिस पर प्रतिमाह रूपये 21.36 लाख ब्याज चुकाया जा रहा है।

शहर निर्मित, अधनिर्मित (ढांचा एवं प्लिन्थ स्तर) आवासों का ब्यौरा

क्र.सं.	शहर	निर्मित	ढांचा	प्लिन्थ स्तर	कुल आवास	व्यय की गई राशि (लाख)
1	2	3	4	5	6	7
1.	जयपुर	41	124	280	445	635.22
2.	सांगानेर	1028	1212	9	2249	3155.91
3.	टोंक	63	-	-	63	72.10
4.	अजमेर	394	125	-	519	304.27
5.	ब्यावर	165	-	-	165	148.59
6.	किशनगढ़	24	-	-	24	52.35
7.	जोधपुर	67	125	30	222	113.42
8.	पाली	42	2	-	44	32.80
9.	सुमेरपुर	-	4	-	4	6.00
10.	आबूरोड़	64	2	-	66	67.20
11.	शिवाना (भीमगोडा)	201	25	-	226	30.95
12.	कोटा	156	32	-	188	555.76
13.	झालावाड़	9	-	-	9	5.85
14.	बारां	18	-	-	18	27.10
15.	भवानी मण्डी	3	-	-	3	2.76

1	2	3	4	5	6	7
16.	रामगंज मण्डी	15	-	-	15	29.90
17.	उदयपुर	63	1	9	73	65.00
18.	नाथद्वारा	-	69	-	69	115.09
19.	राजसमंद	-	1	-	1	1.30
20.	प्रतापगढ़	-	1	-	1	0.90
21.	डूंगरपुर	5	-	-	5	5.70
22.	बांसवाड़ा	2	1	-	3	5.90
23.	भीलवाड़ा	96	-	-	96	152.74
24.	राइला	6	-	-	6	2.40
25.	चित्तौड़गढ़	147	-	-	147	268.38
26.	निम्बाहेड़ा	17	-	-	17	67.45
27.	अलवर	402	285	8	695	513.78
28.	भिवाड़ी	-	316	4	320	589.99
29.	भरतपुर	15	27	3	45	54.40
30.	धोलपुर	70	33	-	103	60.13
31.	झुंझुनूं	17	7	-	24	75.27
32.	सीकर	86	1	-	87	52.49
33.	चूरू	60	60	-	120	123.44
34.	बीकानेर	18	20	-	38	37.67
35.	गंगानगर	4	-	-	4	2.66
36.	हनुमानगढ़	253	-	-	253	500.54
	योग	**3551**	**2473**	**343**	**6367**	**7938.41**

प्रश्न संख्या-108

(स्थिगत)

प्रश्न संख्या-109

(स्थिगत)

बांगड़ स्टेडियम (पाली) का जीर्णोद्धार

110. श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी) **:** क्या खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार पाली जिले के बांगड स्टेडियम जो जर्जर अवस्था में है, की मरम्मत कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?

(2) इस वित्तीय वर्ष में उक्त स्टेडियम की मरम्मत हेतु कितने बजट का प्रावधान किया गया है? क्या सरकार उपलब्ध बजट का उपयोग कर इसे बढाने का विचार रखती है?

(3) वित्तीय वर्ष 2003-04 में उक्त स्टेडियम के लिए कितना बजट आबंटित किया गया था तथा उस पर कितना व्यय किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पाली जिले में स्थित बांगड स्टेडियम के पुन:निर्माण/विकास हेतु जिला कलक्टर, पाली ने रूपये 107.53 लाख के प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रस्तुत किए थे। खेल विभाग ने उक्त प्रस्ताव दिनांक 27.04.2004 को भारत सरकार के खेल विभाग को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत कर दिये हैं। स्वीकृति आना अभी शेष है। भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त होने पर जिला कलक्टर के माध्यम से उक्त स्टेडियम का विकास/मरम्मत प्रस्तावित है।

(2) इस वित्तीय वर्ष के उक्त स्टेडियम की मरम्मत हेतु बजट का प्रावधान नहीं है। जिले द्वारा अतिरिक्त संसाधन यथा विधायक/सांसद कोष इत्यादि से उपलब्ध कराने पर राज्य सरकार भी अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध करवाने का विचार करती है।

(3) वित्तीय वर्ष 2003-04 में उक्त स्टेडियम के लिए कोई बजट आबंटित नहीं था।

मंदिर श्री गोवर्धननाथजी, जोधपुर की भूमि का अवैध बेचान

111. श्री रामरतन बैरवा (शाहपुरा) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या नागौरी गेट, बिशनपुरा, जोधपुर में श्री गोवर्धननाथजी के नाम से कोई मंदिर बना हुआ है? यदि हां, तो मूलदस्तावेजों के अनुसार मंदिर की कुल जमीन कितनी थी? वर्तमान में यह कितनी है? शेष जमीन कब-कब किस-किस व्यक्ति को किस-किस दर से बेची गई? सूची मय रिकार्ड सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि तत्कालीन भू-स्वामी ने मूल दस्तावेजों के खो जाने का कारण बताकर अवैध रूप से जमीन का बेचान एक ट्रस्ट को कर दिया था? क्या सरकार उक्त ट्रस्ट को किये अवैध बेचान को रद्द करने का विचार रखती है?

(3) उक्त ट्रस्ट किस आधार पर किन उद्देश्यों को लेकर बनाया गया था? क्या यह सही है कि ट्रस्ट के अधिकांश सदस्यों का निधन हो गया है? यदि हां, तो क्या उनके स्थान पर नये सदस्यों को नियुक्त किया गया? यदि नहीं, तो क्यों व अब कब तक नये सदस्यों को नियुक्त कर दिया जायेगा, नये सदस्यों की नियुक्ति नहीं होने की स्थिति में क्या ट्रस्ट को भंग कर दिया जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ट्रस्ट को भंग करने का विचार रखती है ?

(4) क्या वर्तमान में उक्त मंदिर में ट्रस्ट की और से नियमित रूप से पूजा कराई जा रही है ? क्या उक्त जीर्णशीर्ण मंदिर का जीर्णोद्धार कराने का ट्रस्ट के द्वारा कोई कार्य प्रारम्भ किया गया है ? क्या यह सही है कि सुरक्षा के अभाव में पूर्व में इस मंदिर से मूर्तियों की चोरी हो चुकी है एवं वर्तमान में भी इस मंदिर में मूर्तियां स्थापित नहीं हैं ? यदि हां, तो क्या ट्रस्ट इस हेतु जिम्मेदार है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ट्रस्ट को भंग कर मंदिर को देवस्थान विभाग के अधीन लेने का विचार रखती है ?

(5) किसी मंदिर को देवस्थान विभाग अपने अधीन किस आधार पर लेता है ? क्या देवास्थान विभाग उक्त मंदिर को अपने अधीन लेकर उस पर पुजारी की नियुक्ति करने एवं रिसीवर नियुक्त करने का विचार रखता है ? यदि हां, तो कब तक ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। नागौरी गेट बिशनपुरा, जोधपुर में श्री गोवर्धननाथजी का एक मंदिर स्थित है। इस मंदिर में वर्तमान में मूर्ति स्थापित नहीं है तथा सेवा-पूजा भी नहीं होती है। यह देवस्थान विभाग द्वारा प्रबन्धित एवं नियंत्रित राजकीय मंदिर सम्पदा नहीं है।

शिकायतें प्राप्त होने पर वर्ष 1984 में स्वप्रेरित कार्यवाही कर इस मंदिर ट्रस्ट को पंजीकृत किया गया था। किन्तु ट्रस्ट द्वारा सम्पति का विवरण देवस्थान विभाग में नहीं दिया गया। वर्ष 1980 में स्वयं की सम्पति बताकर उक्त ट्रस्ट द्वारा मंदिर का बेचान मातेश्वरी ट्रस्ट को कर दिया गया था। मातेश्वरी ट्रस्ट का देवास्थान विभाग में रजिस्ट्रेशन नहीं होने के कारण बेचान सम्बन्धी अन्य कोई सूचना विभाग में उपलब्ध नहीं है।

(2) जी हां। यह सही है कि मंदिर के तत्कालीन भू-स्वामी श्री इन्द्र चन्द पुत्र श्री मदन दास वैष्णव द्वारा मूल दस्तावेजों के गुम हो जाने का कारण बता कर मंदिर सम्पदा का बेचान मकान के रूप में श्री मातेश्वरी ट्रस्ट को वर्ष 1980 में किया गया है (बेचाननामा परिशिष्ट ''क'')

मातेश्वरी ट्रस्ट को किये गये उक्त अवैध बेचान को रद्द करने का अधिकार देवस्थान विभाग को न होकर सिविल न्यायालय को है।

(3) गोवर्धन मंदिर को ट्रस्ट द्वारा पंजीकरण के लिए देवस्थान विभाग में आवेदन नहीं किया गया था अपितु इसके विरूद्ध शिकायतें प्राप्त होने पर स्वप्रेरणा से सहायक आयुक्त, देवस्थान द्वारा इसका पंजीयन किया गया था। पंजीयन के समय ट्रस्ट द्वारा विधान प्रस्तुत नहीं किया गया था। प्रन्यासीगण की सूचना परिशिष्ट ''ख'' पर संलग्न है।

श्री मातेश्वरी ट्रस्ट सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम, 1959 के तहत पंजीकृत प्रन्यास नहीं है। इस कारण इस प्रन्यास का विधान (उद्देश्य व गठन के कारण) देवस्थान विभाग में उपलब्ध नहीं है। नये सदस्यों की नियुक्ति विभाग द्वारा नहीं की जाती है, वरन प्रन्यास के विधान अनुसार होती है। अपंजीकृत ट्रस्ट को पंजीयन की कार्यवाही सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम, 1959 के तहत करके पंजीकृत किया जाता है। पंजीकृत ट्रस्ट होने पर अनियमितता पाई जाती है तो नियमों के तहत कार्यवाही की

(देवस्थान मंत्री)

जाती है व सदस्यों का चुनाव, मनोनयम ट्रस्ट विधान अनुसार होता है। श्री मातेश्वरी ट्रस्ट पंजीकृत प्रन्यास न होने के कारण देवस्थान विभाग द्वारा ट्रस्ट को भंग करने की कार्यवाही सम्भव नहीं है।

(4) वर्तमान में श्री मातेश्वरी ट्रस्ट द्वारा उक्त मंदिर में सेवा-पूजा नहीं कराई जाती है। उक्त मंदिर में ट्रस्ट द्वारा किसी प्रकार का जीर्णोद्वार नहीं कराया गया है। वर्तमान में मंदिर में मूर्ति स्थापित नहीं है। मातेश्वरी ट्रस्ट देवस्थान विभाग में पंजीकृत नहीं है। इसलिये विभाग द्वारा इसे भंग करने की कार्यवाही नहीं की जा सकती है। मंदिर श्री गोवर्धननाथजी का पंजीकरण राज. सार्वजनिक प्रन्यास के रूप में राज. सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम, 1959 के तहत किया जा चुका है।

(5) देवस्थान विभाग द्वारा रियासतों के विलीनीकरण के पश्चात् उत्तरदायित्व में प्राप्त हुए राजकीय मंदिरों का प्रबन्ध व नियंत्रण किया जाता है। अराजकीय मंदिरों की समुचित व्यवस्था हेतु राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम, 1959 के प्रावधान 1.7.1962 से प्रभावशील है। वर्तमान में गोवर्धन मंदिर को देवस्थान विभाग के अधीन लेने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(सूचना विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

सुल्तानपुर पंचायत समिति (कोटा) के सूर्य मंदिर का जीर्णोद्धार

112. **श्री भरत सिंह** (दीगोद): क्या कला एवं संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिले की पंचायत समिति सुल्तानपुर के बूढादीत कस्बे का प्राचीन सूर्य मंदिर पर्यटन व पुरामहत्व का दर्शनीय स्थल है ? यदि हां, तो इसके संरक्षण हेतु सरकार द्वारा क्या प्रशासनिक प्रयास किए गये ?

(2) क्या यह सही है कि मंदिर का ऊपरी भाग का एक हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है ? यदि हां, तो इस मंदिर के जीर्णोद्धार हेतु सरकार की क्या योजना प्रस्तावित है ?

(3) मंदिर परिसर में खुले में पडी मूर्तियों तथा मंदिर की देखभाल हेतु सरकार द्वारा कितने कर्मचारी नियुक्त किए गये तथा वह कहां निवास करते हैं?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि कोटा जिले की पंचायत समिति सुल्तानपुर के बूढादीत कस्बे का सूर्य मंदिर पर्यटन व पुरामहत्व का दर्शनीय स्थल है। यह सूर्य मंदिर राजस्थान स्मारक, पुरावशेष स्थान तथा प्राचीन वस्तु अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत संरक्षित स्मारक घोषित है।

सरकार द्वारा इसके संरक्षण के प्रशासनिक प्रयास के अन्तर्गत एक स्मारक परिचारक कर्तव्यस्थ किया गया है तथा चौकीदार क्वार्टर के निर्माण पर रूपये 13,240/- व्यय हुए है।

(2) जी हां, यह सही है कि मंदिर के ऊपरी भाग का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो चुका है।

12वें वित्त आयोग को प्रेषित प्रस्तावों में इस स्मारक के संरक्षण कार्य के लिये 50.00 लाख रूपये के प्रस्ताव स्वीकृति हेतु केन्द्र सरकार को प्रेषित किये हैं।

(3) मंदिर परिसर में खुले में पडी मूर्तियों तथा मंदिर की देखभाल हेतु एक स्मारक परिचारक नियुक्त है तथा वह बूढादीत में ही निवास करता है।

भरतपुर जिले की पुरा सम्पदा का संरक्षण

113. श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (नदबई) **:** क्या कला, संस्कृति एवं पुरातत्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि जिला भरतपुर के विभिन्न गांवों में हजारों की संख्या में रियासतकालीन तोपें व पुरा सम्पदा संरक्षण के अभाव में नष्ट होने के कगार पर है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त तोपों व पुरा सम्पदा को नष्ट होने से बचाने के लिये इन्हें संग्रहालय में रखे जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जिला भरतपुर के विभिन्न गांवों में हजारों की संख्या में रियासत कालीन तोपें व पुरा सम्पदा की अधिकृत पुष्ट जानकारी विभाग के पास नहीं हैं।

सीमित वित्तीय एवं मानवीय संसाधनों के अन्तर्गत तोपों व पुरासम्पदा के संरक्षण तथा राजकीय संग्रहालय, भरतपुर में रखे जाने के प्रकरण में कार्यवाही प्रक्रियान्तर्गत है।

ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति

114. श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़) **:** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में घरेलू बिजली कितने घण्टे कब से कब तक दी जा रही है ? क्या सरकार इसे पर्याप्त मानती है ? यदि हां, तो कैसे और नहीं, तो सरकार इसके लिये क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

उत्तर

वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्र में घरेलू (सिंगल फेज सप्लाई) विद्युत आपूर्ति सांय 7 बजे से प्रात: 5 बजे तक की जा रही है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्र में 6 घण्टे 3 फेज सप्लाई ब्लाकवार की जा रही है। जी हां, ग्रामीण क्षेत्र के घरेलू उपभोक्ताओं को लगभग 16 घण्टे बिजली उपलब्ध कराई जा रही है जो गत वर्ष के मुकाबले 100 लाख यूनिट प्रतिदिन अधिक दी जा रही है।

बांसवाडा जिले की क्षतिग्रस्त विद्युत लाइनें

115. श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) **:** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला बांसवाडा में विद्युत की पुरानी लाइनें होने से पुराने पोल आये दिन झुक जाते हैं व एल.टी. इलेवन लाइन के तार गिर जाते हैं ?

(2) क्या सरकार उक्त जिले में पुरानी लाइनों के पोल व कंडक्टर (तार) ठीक कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जिला बांसवाड़ा में स्थित काली मिट्टी की वर्षा के मौसम में गीली होने पर पकड कमजोर हो जाती है। तेज हवाएं चलने से कभी-कभी पोल झुक जाते हैं, जिससे तार भी ढीले हो जाते हैं।

(2) सम्बन्धित विद्युत कम्पनी द्वारा झुके हुए पोलों व तारों को ठीक करने का कार्य समय-समय पर अभियान चलाकर किया जाता है। आवश्यकता होने पर पोल व तारों को बदलने की कार्यवाही भी की जाती है।

अकालग्रस्त क्षेत्रों के सूखे कुओं की विद्युत राशि में छूट

116. श्री सुरेश मीणा : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा राज्य में अकाल ग्रस्त क्षेत्र में सुखे कुओं के प्रमाण-पत्र तहसील द्वारा जारी किये गये ? यदि हां, तो कितने व किस-किस गांव में?

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा अकाल ग्रस्त क्षेत्र के सूखे कुओं पर किसानों को बिजली के बिल में छूट दी गई? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार अकाल ग्रस्त गांवों को यह सुविधा मुहैया करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) कृषि भूमि में स्थित सभी कुओं के लिये मालिकाना हक की दृष्टि से प्रमाण-पत्र जारी किये जाते हैं। यह प्रक्रिया निरन्तर है।

(2) जी हां।

(3) जी हां।

नोखा तहसील के ग्रामों का विद्युतीकरण

117. श्री गोविन्दराम चौहान (नौखा)**:** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि नोखा तहसली के ग्राम जसरासर, हंदा मियाकोर लोहिया में अनुसूचित जाति/जनजाति के मोहल्लों में विद्युतीकरण नहीं किया गया है तथा इस वर्ग के गृह विद्युत सम्बन्ध हेतु आवेदन-पत्र नोखा कार्यालय में प्रस्तुत किये हुये हैं? यदि हां, तो कितने? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार नोखा तहसील के ग्रामों में विद्युतीकरण से शेष रहे मोहल्लों में विद्युतीकरण का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि नोखा तहसील के ग्राम जसरासर एवं कोलायत तहसील के हदामियाकोर व लोहिया के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के मोहल्लों का विद्युतीकरण नहीं किया गया है। उक्त मोहल्लों के विद्युतीकरण की कार्यवाही हेतु निर्धारित प्रारूप में सम्बन्धित पंचायत द्वारा रोड लाइट कनेक्शन हेतु कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। अत: इन मोहल्लों में विद्युत तंत्र का विस्तार नहीं किया जा सका है और न ही उक्त मोहल्लों में घरेलू कनेक्शन हेतु कोई आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं।

(2) नोखा तहसील के ग्रामों में विद्युतीकरण से शेष रहे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के मोहल्लों के विद्युतीकरण का कार्य सम्बन्धित पंचायत द्वारा निर्धारित प्रारूप में आवेदन करने पर निगम के नियमानुसार किया जावेगा।

फुलेरा में वृद्धावस्था पेंशन

118. श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा) **:** क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत दिनांक 01 अप्रैल, 1999 से 31 मार्च, 2004 तक कितनी-कितनी राशि किस-किस व्यक्ति को भुगतान की गई? वर्षवार व ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

फुलेरा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन की पात्रता रखने वाले वृद्धजनों को 1 अप्रैल, 1999 से 31 मार्च, 2004 तक निम्नानुसार राशि भुगतान की गई-

वर्ष	**भुगतान की गई राशि**
1999-2000	रुपये 8,18,575
2000-2001	रुपये 18,55,277
2001-2002	रुपये 22,00,372
2002-2003	रुपये 26,98,832
2003-2004	रुपये 26,52,835

व्यक्तिवार, वर्षवार एवं गांववार सूची संलग्न है।

(समाज कल्याण मंत्री)

वित्तीय वर्ष 2002-03 से राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना अन्य दो योजनाओं नामत: राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना एवं अन्नपूर्णा योजना के साथ राज्य के आयोजना मद में हस्तान्तरित कर दी गयी। इन तीनों योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में केन्द्र सरकार द्वारा समेकित राशि उपलब्ध करायी जा रही है। वर्ष 2002-03 एवं 2003-04 में उपलब्ध करायी गयी अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता अपर्याप्त होने के कारण राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना अंतर्गत भुगतान की गयी राशि राज्य सरकार के आयोजना भिन्न मद में वृद्धावस्था पेंशन के भुगतान हेतु आबंटित राशि में से की गयी।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

बयाना के क्रय-विक्रय सहकारी केन्द्र से व्याप्त अनियमितताएं

119. श्री अतर सिंह भड़ाना (ब्यावर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बयाना के क्रय-विक्रय सहकारी केन्द्र, बयाना में अनियमितताएं पाई गई हैं ? यदि हां, तो क्या-क्या ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अनियमितताओं के लिए विभाग ने किस-किस व्यक्ति को दोषी पाया और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

(3) क्या सरकार इन दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या व कब तक ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(3) समिति में कोई अनियमिततायें नहीं पाई गई हैं। अंत: कार्यवाही करने का सवाल ही नहीं उठता है।

शिक्षक विहार योजना, जयपुर का अवसायन

120. श्री रमेश खींची (कठूमर) **:** क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर में शांति नगर गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित शिक्षक विहार योजना (जगतपुरा) में समिति के पदाधिकारियों द्वारा प्रशासक को रेकार्ड नहीं सम्भलवाने को लेकर सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या प्रकरण में कार्यवाही किये जाने में विलम्ब के लिए विभागीय अधिकारी भी दोषी हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करवाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि इस समिति को अवसायन किये जाने की कार्यवाही विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब व इसकी प्रक्रिया कब तक पूर्ण कर ली जावेगी ? इस समिति के अवसायन के पश्चात् आबंटियों के हितों की रक्षा के लिये क्या-क्या उपाय किये गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं। विलम्ब नहीं होने के कारण कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

(3) समिति को आदेश दिनांक 24.1.2004 द्वारा अवसायन में लाया जाकर अवसायक नियुक्त किया जा चुका है। अवसायनाधीन सहकारी समितियों के सदस्यों के हितों की रक्षा के लिए राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 64 व राजस्थान सहकारी संस्था नियम 1966 के नियम 79 के तहत अधिनियमांतर्गत व नियमान्तर्गत प्रावधान किये हुए हैं।

आहोर (जालौर) पंचायत समिति परिसर में कर्मचारियों को भूमि का अनियमित आबंटन

121. श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि कार्यालय पंचायत समिति आहौर (जालौर) के परिसर में किन्हीं कर्मचारियों को भूमि आबंटित की गई है ? यदि हां, तो कब एवं क्यों ?

(2) उक्त भूमि का वर्तमान बाजार मूल्य कितना है तथा आबंटी से कितनी राशि वसूल की गई ?

(3) उक्त भूमि का क्षेत्रफल कितना है तथा आबंटी इसका क्या करेगा ?

(4) क्या उक्त आबंटन के सम्बन्ध में पंचायत समिति द्वारा कोई प्रस्ताव पारित किया गया था ? यदि हां, तो किस बैठक में कब तथा क्या? प्रस्ताव से सम्बन्धित की कार्यवाही के विवरण की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन सरकार से भी करवाया गया था ? यदि हां, तो किस स्तर के अधिकारी ने किन नियमों के तहत इसका अनुमोदन किया ?

(6) क्या सरकार उक्त प्रकरण की जांच किसी निष्पक्ष अधिकारी से कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) यह सही नहीं है कि कार्यालय पंचायत समिति आहोर (जालौर) के परिसर में कर्मचारियों को भूमि आबंटन की गई है। पंचायत समिति की निजी भूमि खसरा नं. 539 नया खसरा नं. 906/1354 रकबा 58 बीघा 4 बिस्वा भूमि में से 30x 20 वर्गमीटर का भूखण्ड राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 141 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा रियायती दर पर श्री चांदबाबू पठान, सेवानिवृत कर्मचारी को आबंटन किया गया क्योंकि पंचायत समिति आहोर की प्रशासन एवं स्थापना समिति की बैठक दिनांक 3.9.2001 की कार्यवाही एवं पंचायत समिति आहोर की साधारण

(ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री)

बैठक दिनांक 21.9.2001 के प्रस्ताव सं. 13 की अनुशंसा को मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जालौर द्वारा सम्भागीय आयुक्त को भिजवाने की एवं उनके द्वारा राज्य सरकार को भिजवाने स्थिति में राज्य सरकार द्वारा आबंटन करने का निर्णय लिया गया। श्री चांदबाबू पठान को उक्त भूखण्ड राज्य सरकार द्वारा उक्त भूखण्ड रियायती दर पर पारितोषिक के रूप में देने का निर्णय इसलिये लिया गया क्योंकि मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, जालौर द्वारा यह अभिशंषा व्यक्त की गई है कि पंचायत समिति की निजी आबादी भूमि खसरा नं. 539 रकबा 58 बीघा 4 बिस्वा भूमि अतिकर्मियों के विरूद्ध वर्ष 1997 से 2001 तक 25 मुकदमों की ईमानदारी से पैरवी करने के फलस्वरूप विभिन्न न्यायालयों में फैसले पंचायल समिति के पक्ष में होने से पंचायत समिति को करोडों की सम्पति की हानि होने से श्री पठान द्वारा बचाया गया है। इसके अतिरिक्त अल्प बचत योजना में उत्कृष्ट कार्य किए जाने एवं 1992-93 के जवाहर नवोदय विद्यालय, जसवन्तपुरा के अभिभावक अध्यक्ष के रूप में सराहनीय कार्य एवं प्रशस्ति पत्रों से सम्मानित किए जाने आदि कार्यों की वजह से श्री पठान को राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज नियम 1996 के नियम 141 के अंतर्गत 30x20 वर्गमीटर का भूखण्ड रियायती दर पर पारितोषिक के रूप में दिए जाने का निर्णय लिया गया है।

(2) घोषित डीएलसी की दरों के आधार पर आबंटित 30x 20 वर्गमीटर आवासीय भूखण्ड की कीमत वर्तमान में 69/- रू. प्रति वर्ग फीट बनती है। पंचायत समिति के निजी खाते में चालान नं. 77 दिनांक 23.8.2002 के द्वारा 24120/- रू. आबंटी द्वारा राशि जमा कराई गई है।

(3) उक्त भूमि का क्षेत्रफल 30x20 वर्ग मीटर है। आबंटी को उक्त भूखण्ड आवासीय प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा दिया गया है।

(4) जी हां। पंचायत समिति की प्रशासन एवं स्थापना समिति की बैठक दिनांक 3.9.2001 एवं पंचायत समिति आहोर की साधारण सभा की बैठक दिनांक 21.9.2001 के प्रस्ताव सं. 13 पारित किया गया है। इन दोनों प्रस्तावों की प्रतियां सदन के पटल पर रख दी गई हैं।

(5) जी हां। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जालोर द्वारा अपने पत्र दिनांक 4.6.2002 के द्वारा सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर को उक्त प्रस्ताव पर

(ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री)

अनुमोदन हेतु अनुशंसा की थी। सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जालोर के उपरोक्त अभिशंषा को पंचायती राज विभाग में आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाया गया। राज्य सरकार द्वारा उक्त प्रस्तावों पर विचार करने के पश्चात् ही प्रस्तावों का अनुमोदन करते हुए भूमि का आबंटन किया गया है।

(6) जी नहीं, क्योंकि राज्य सरकार ने राजस्थान पंचायती राज नियम की धारा 141 के अंतर्गत निर्णय लिया गया है। वर्तमान में माननीय अदालत द्वारा यथास्थिति बनाये रखने का आदेश उपरोक्त भूखण्ड पर दिया हुआ है।

प्रशासन एवं स्थापना समिति बैठक दिनांक 3.9.2001 की आंशिक प्रतिलिपि

आज दिनांक 3.9.2001 को स्थायी प्रशासन कमेटी की बैठकों में श्री चांदबाबू पठान वरिष्ठ लिपिक पंचायत समिति आहोर का प्रार्थना पत्र पूर्व विकास अधिकारी की कार्यालय टिप्पणी दिनांक 2.7.2001 सहित पत्रावली सदन के समक्ष बैठक में प्रेषित की गई। सदन में पत्रावली का गहन अवलोकन किया गया। श्री चांदबाबू वरिष्ठ लिपिक इस पंचायत समिति में वर्ष 1965 में निरन्तर कार्यरत हैं। श्री पठान द्वारा वर्ष 1997 में वर्ष 2001 तक विभिन्न न्यायालयों में पंचायत समिति की निजी आबादी भूमि खसरा नं. 539 न.ख 906/1354 का रकबा 58 बीघा भूमि (रकबा में) अतिक्रमियों के विरूद्ध करीब 25 मुकदमों की पेरवी अपनी ईमानदारी, निष्ठा के साथ अधिवक्ताओं को सही समय पर सही रेकार्ड में समय समय पर जानकारी, अभिलेखों से सम्बन्धी रेकार्ड की जानकारी से अवगत कराए जाने से पंचायत समिति की निजी भूमि रकबा 58 बीघा में करीब 25 मुकदमें विभिन्न न्यायालयों में चल रहे थे, सभी मुकदमों के फैसले पंचायत समिति के पक्ष में हुए है।

अत: पंचायत समिति की निजी भूमि खसरा नं. 539 नया ख.नं. 906/1554 रकबा 58 बीघा को भूमाफिया गिरोह से बचाकर पंचायत समिति को करोड़ों की सम्पत्ति से होने वाले नुकसान को श्री चांदबाबू पठान वरिष्ठ लिपिक पंचायत समिति आहोर द्वारा बचाया गया है।

स्थायी प्रशासन कमेटी द्वारा गहन विचार विमर्श कर निर्णय किया गया कि श्री चांदबाबू पठान द्वारा अपने ईमानदारी निष्ठा के साथ सेवाऐं देकर पंचायत समिति

को निजी भूमि रकबा 58 बीघा को भूमाफिया गिरोह से पं. सं. की करोड़ों की सम्पत्ति को बचाया गया है। अत: श्री चांदबाबू पठान को राज्य स्तर पर सम्भावित कराए जाने एवं परितोषिक के रूप में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 की नियम 158 उप नियम (ग) में प्रावधान अनुसार परितोषिक रियायती दर पर Rs.10 प्रति वर्ग मीटर की दर से खसरा नं. 539 में से आवासीय भूखण्ड 67मीx 36मी (उत्तर-दक्षिण 36मीxपूर्व -पश्चिम 67मी.)=2412 वर्ग मीटर

उक्त आबंटन भूखण्ड खसरा नं. 539 के भू भाग में से पूर्व दिशा में आय सडक (आहोर से खारीगाव जाने वाली सड़क ने उत्तर दिशा में जलदाय विभाग कार्यालय एवं आवास गृह है दक्षिण दिशा में पं. सं. की खुली भूमि एवं पं. सं. के आवास गृह नं. 2 व 3 है तथा पश्चिम दिशा की तरफ एक रास्ता है जो जलदाय विभाग कार्यालय एवं आवास गृह में जाता है तथा सामने पं. सं. के गोदाम व आवास गृह नं. 4 व 5 बने हुए हैं।

उक्त आडोस-पाडोस के बीच में जो भूखण्ड खसरा नं. 539 ख. नं. 906/1354 के रकबे का भूभाग है, में से 67मीx36मी आवासीय भूखण्ड आबंटन श्री पठान किया जाने की सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की जाती है। (2412 वर्ग मीटर)

श्री चांदबाबू पठान इस पंचायत समिति वर्ष 1996 से निरन्तर ईमानदारी, निष्ठा के साथ सेवाऐं देने, पंचायत समिति की करोड़ों की भूमि बचाकर ईमानदारी का परिचय दिया है। इन्हें रियायती दर पर पारितोषिक के रूप में आवासीय भूखण्ड 67 मीx36मी खसरा नं. 539 में से आबंटन एवं राज्य सरकार द्वारा राज्य/राष्ट्रीय स्तर पर सम्भावित किए जाने हेतु सर्व सम्मति से स्वीकृति प्रदान की जाती है।

साधारण सभा दिनांक 21.9.2001

प्रस्ताव सं. 13

आज दिनांक 21.9.2001 को पंचायत समिति की साधारण बैठक (जनरल बैठक) में विकास अधिकारी द्वारा सदन के समक्ष स्थायी प्रशासन कमेटी की बैठक दिनांक 3.9.2001 के प्रस्ताव सं. 13 को मूल पत्रावली सहित प्रेषित की गई। स्थायी प्रशासन कमेटी की बैठक में उक्त स्वीकृत (पारित) प्रस्ताव के सम्बन्ध में आज की साधारण बैठक में प्रस्ताव का पठन किया गया। जिसमें श्री चांदबाबू पठान वरिष्ठ

लिपिक प. सं. आहोर द्वारा वर्ष 1977 से वर्ष 2001 तक पं. सं. की निजी आबादी भूमि खसरा नं. 539 नमा ख.नं. 906/1354 रकबा 58 बीघा 9 बिस्वा भूमि पर आहोर के स्थानिय निवासियों (भू-माफिया गिरोह) द्वारा पं. सं. की निजी आबादी भूमि के बहुत बड़े भू-भाग पर अतिक्रमण किए हुए थे। जिनके विरूद्ध विभिन्न न्यायालयों में करीब 25 मुकदमें चल रहे थे। पंचायत समिति की निजी आबादी भूमि 58 बीघा को बचाने के लिए श्री चांदबाबू पठान द्वारा विभिन्न न्यायालयों में पेरवी कर, अधिवक्ताओं को समय-समय पर भूमि अवगत कराते रहे एवं न्यायालयों में अपनी इमानदारी निष्ठा के साथ पेरवी कराने के कारण प.सं. की निजी आबादी भूमि खसरा नं. 539 (90611354) रकबा 58 बीघा भूमि जो करोड़ों की सम्पत्ति को श्री चांदबाबू पठान द्वारा पंचायत समिति के हक में बचाकर सभी लम्बित 25 मुकदमों के फैसले पंचायत समिति के हक में हुए हैं। पंचायत समिति की करोड़ों की सम्पत्ति के नुकसान को बचाने में श्री पठान का बहुत बड़ा सहयोग देकर अपनी इमानदारी एवं निष्ठा का परिचय दिया है। पंचायत समिति की साधारण बैठक में सदन द्वारा गहन विचार विमर्श किया गया तथा स्थायी प्रशासन कमेटी की बैठक दिनांक 3.9.2001 के प्रस्ताव सं. 13 में किए गए निर्णय को सर्वसम्मति से अनुमोदन कर प्रस्ताव पारित किया गया। कि श्री चांद बाबू पठान व. लिपिक द्वारा पंचायत समिति की करोड़ों सम्पत्ति, पंचायत समिति के हक में बचाकर अपनी ईमानदारी व निष्ठा के साथ पं. सं. को सेवाएं देने के फलस्वरूप पंचायत समिति की निजी आबादी भूमि खसरा नं. 539 न ख. नं. 906/1354 रकबा 58 बीघा 9 बिस्वा भूमि को बचाना है।

सदन द्वारा गहन विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि पंचायत समिति की निजी आबादी भूमि खसरा नं. 539 रकबा 58 बीघा 9 बिस्वा में से एक भूखण्ड 67+67x36+36मी. पारितोषिक के रूप में रियायती दर Rs. 10/-(दस रुपए) प्रति वर्ग मीटर की दर में श्री चांदबाबू पठान वरिष्ठ लिपिक पं.सं. आहोर को सर्वसम्मति से आबंटन किया जाता है। उक्त आबंटन भूखण्ड प.सं. की निजी आबादी भूमि खसरा नं. 539 न.ख.नं. 906/1534 में से पूर्व दिशा में आम सड़क (आहोर से खारा गांव की ओर जाने वाली सड़क व आम रास्तों में उत्तर दिशा में जलदाय विभाग का कार्यालय एवं आवास गृह हैं।) दक्षिण दिशा में से पं.सं. की खुली भूमि एवं पं. सं. के 36 मीटर आवास गृह नं. 1, 2 व 3 है। तथा पश्चिम दिशा की तरफ जलदाय विभाग के आवास गृह एवं कार्यालय में जाने का रास्ता है तथा रास्ते के सामने प. सं. के गोदाम व आवास गृह नं. 4 व 5 बने हुए हैं। 67 मीटर उपरोक्त आडोस पाडोस के बीच का भूखण्ड खसरा

नं. 539 के रकबे का भू भाग 2412 वर्ग मीटर (भूखण्ड) भी चांदबाबू पठान वरिष्ठ लिपिक, पंचायत समिति आहोर को पारितोषिक के रूप में भूखण्ड 67x36मी. रियायती दर Rs.10/-प्रति वर्ग मीटर (दस रुपए) की दर से सर्वसम्मति से आबंटन किया गया, प्रस्ताव पारित किया गया।

इसके अतिरिक्त भी श्री चांदबाबू पठान राष्ट्रीय अल्प बचत अभिकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं। अल्प बचत योजना में भी समय-समय पर जिला स्तर पर सम्भावित किए जाते रहे हैं। अत: सराहनीय एवं उत्कृष्ट कार्यों के लिए श्री चांदबाबू पठान वरिष्ठ लिपिक प. सं. आहोर को राज्य/राष्ट्रीय स्तर पर सम्भावित कराने हेतु सर्वसम्मति से निर्णय पारित किया गया। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से राज्य/राष्ट्रीय स्तर पर भी पठान को सम्भावित करने हेतु प्रस्ताव स्वीकृत किया जाता है। तथा राज्य सरकार से निवेदन किया जाने हेतु निर्णय सर्व सम्मति से पारित किया गया।

प्रस्ताव सं. 14

नव निर्वाचित जिला परिषद् सदस्य श्री नरपतसिंह बालोत एवं श्री रामलाल नवनिर्वाचित सरपंच ग्राम पंचायत सराड़ा का नव निर्वाचित होने के फलस्वरूप सदन द्वारा स्वागत किया गया।

अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक में माननीय सदस्यों को सदन की गरिमा बनाए रखने एवं सदन की कार्यवाही सम्पादित करने में सहयोग के लिए दिया गया एवं आज की बैठक कार्यवाही समापन की घोषणा की गई।

संग्रामगढ (भीलवाडा) ग्राम पंचायत में पंचायत राशि का गबन

122. श्री हंगामी लाल मेवाड़ा (आसीन्द): क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत संग्रामगढ, तहसील आसीन्द, जिला भीलवाडा के पूर्व उप सरपंच श्री गोविन्द सिंह तथा सचिव ग्राम पंचायत ने मिलकर पंचायत की राशि 4.56 लाख का गबन किया है ? यदि हां, तो सरकार ने अब तक दोषियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की तथा गबन की गई राशि को पुन: दोषियों से वसूल किये जाने की सरकार की क्या मंशा है?

उत्तर

जी नहीं। उक्त श्री गोविन्द सिंह के विरुद्ध कराऐ गए निर्माण कार्यों का हिसाब फर्जी तैयार कर माप पुस्तिका में फर्जी माप दर्ज कर राजकीय राशि 4,56,635/- रुपयों का अपहरण/दुरूपयोग किये जाने सम्बन्धी आरोपों की जांच अतिरिक्त मुख्य कायर्कारी अधिकारी, जिला परिषद, भीलवाडा से करवाई गई थी। जांच अधिकारी ने माप पुस्तिका में फर्जी माप दर्ज करने एवं राजकीय राशि के दुरूपयोग के लिए आरोपित पूर्व उप सरपंच को दोषी नहीं बताया तथा जांच प्रतिवेदन में वर्णित इन्ही तथ्यों के परीक्षणोपरात उक्त श्री गोविन्द सिंह के विरूद्ध लम्बित जांच प्रकरण को विभाग के आदेश क्रमांक 468-71 दिनांक 12.1.2001 द्वारा समाप्त किया गया।

इस प्रकार स्पष्ट है कि कराई गई जांच से चूंकि राजकीय राशि का कोई दुरूपयोग प्रमाणित नहीं पाया गया। अत: श्री गोविन्द सिंह से राशि वसूल किये जाने का कोई औचित्य नहीं है।

बस्सी (जयपुर) पंचायत समिति में निर्माण

123. श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या पंचायत समिति बस्सी परिसर में वर्ष 2003-04 में पांच दुकानों एवं एक हाल का निर्माण किया गया था ? यदि हां, तो निर्माण स्वीकृति किस से व कब ली गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कार्यों पर कितनी-कितनी राशि किस-किस मद से व्यय की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) हां। पंचायत समिति बस्सी में सन् 2003-04 में पांच दुकानों एवं एक हाल का निर्माण किया गया है। दुकान निर्माण की प्रशासनिक/वित्तिय स्वीकृती क्रमांक 524 दिनांक 31.7.2003 एवं तकनीकी स्वीकृति क्रमांक 42 दिनांक 16.7.2003 द्वारा जारी की गई है। साधारण सभा दिनांक 26.5.2004 के प्रस्ताव संख्या 2 द्वारा दुकानों पर हुए व्यय का अनुमोदन कर दिया गया है।

(ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री)

हाल निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति क्रमांक 718-721 दिनांक 10.9.2003 तथा वित्तीय स्वीकृती क्रमांक 745-748 दिनांक 25.9.2003 से जारी की गई है। दिनांक 14.6.2004 की साधारण सभा में हाल निर्माण के व्यय का अनुमोदन सर्वसम्मति से कर दिया गया है।

(2) पांच दुकानों के निर्माण पर राशि रुपये 1,80,000/- का व्यय निजी आय से एवं हाल के निर्माण पर व्यय राशि रुपये 4,15,953/- राज्य वित्त आयोग (द्वितीय) मद से किया गया है।

प्रश्न संख्या-124

(स्थगित)

सांख्यिकी अधिकारी/सहायकों के रिक्त पद

125. श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा) **:** क्या आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में सांख्यिकी अधिकारी और सांख्यिकी सहायकों के कुल कितने पद हैं ? उक्त पदों में से कितने पद पदौन्नति से और कितने पद सीधी भर्ती से भरे जाने वाले हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सांख्यिकी अधिकारी एवं सांख्यिकी सहायकों की भर्ती की क्या प्रक्रिया है? योग्यता, पाठ्यक्रम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) वर्तमान में सांख्यिकी अधिकारी एवं सांख्यिकी सहायकों के सीधी भर्ती से भरे जाने वाले कुल कितने पद 30 जून, 2004 तक रिक्त हैं? क्या सरकार इन पदों को विज्ञापित कर भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राज्य में सांख्यिकी अधिकारी और सांख्यिकी सहायकों के कुल स्वीकृत पद क्रमश: 67 और 863 है।

सांख्यिकी अधिकारी के 34 पद पदोन्नति से तथा 33 पद सीधी भर्ती से भरे जाने के लिये हैं। सांख्यिकी सहायकों के 431 पद (50 प्रतिशत) सीधी भर्ती के तथा शेष 432 पद पदौन्नति के है।

(आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री)

(2) सांख्यिकी अधिकारियों के पद राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाते है। सांख्यिकी सहायकों की भर्ती लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंको के आधार पर की जाती है।

सांख्यिकी अधिकारी एवं सांख्यिकी सहायक की भर्ती के लिये निर्धारित योग्यता परिशिष्ट-1, सांख्यिकी अधिकारी के लिये पाठ्यक्रम परिशिष्ट-2 एवं सांख्यिकी सहायक के लिये पाठ्यक्रम परिशिष्ट-3 पर है।

(3) वर्तमान में सीधी भर्ती से भरे जाने के लिये सांख्यिकी अधिकारी के 14 पद एवं सांख्यिकी सहायकों के 65 पद रिक्त हैं।

जी हां। वित्त विभाग एवं कार्मिक विभाग की सहमति उपरान्त ही इन पदों को विज्ञापित करने की कार्यवाही की जानी सम्भव होगी।

परिशिष्ट-1

क्र.सं.	**पद**	**भर्ती के लिये योग्यता**
1	**2**	**3**
1.	सांख्यिकी अधिकारी	1. कम से कम द्वितीय श्रेणी में अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि। या 2. कम से कम द्वितीय श्रेणी में सांख्यिकी में स्नातकोत्तर उपाधि। या 3. कम से कम द्वितीय श्रेणी में गिणत में स्नातकोत्तर उपाधि साथ में सांख्यिकी का एक पेपर ह। या 4. कम से कम सांख्यिकी के, भारत में मान्य विश्विवद्यालय से या राज्य सरकार द्वारा इन योग्यताओं के समकक्ष घोषित विदेशी योग्यता। 5. देवनागरी में लिखी हिन्दी का व्यवहारिक ज्ञान एवं राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए।

1	2	3
2.	सांख्यिकी सहायक	1. आवेदक अर्थशास्त्र, सांख्यिकी, वाणिज्य अथवा गणित विषय में से कम से कम एक विषय में प्रथम अथवा द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर होना चाहिए। अथवा 2. उपरोक्त विषयों में से किसी एक विषय में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ किसी विधि मान्य संस्था/विश्वविद्यालय से सांख्यिकी में एक वर्षीय डिप्लोमा प्राप्त होना चाहिए। 3. देवनागरी में लिखी हिन्दी का व्यवहारिक ज्ञान एवं राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए।

परिशिष्ट-2

Syllabus for the post of Statistical Officer

Part-A

Statistics:

Statistics Methods, Probability and Expectation, Classification and tabulation of statistical, data frequency distribution Measures of location and dispersion Moments, classical definition of probability, Methematical expectation and simple problems.

Distribution and Tests of Significance.

Binomial, Poisson and Normal distributions. Concept of level of significance and degree of freedom. Testing of mean, variance in large as well as small samples. Use of 2 teat in contingency tables.

Correlation, Regression and Time Series.

Definition of Correlation and regression, correlation coefficient, rank correlation coefficient, regression lines, definition of time series and its components.

Index Number :

Definition, index numbers of prices, cost of living index numbers,

(यातायात मंत्री)

concept of splicing, deflating and base shifting. Other indices, Index of Industrial Production, Agricultural Production, Area, Productivity, Construction Costs etc.

Sampling techniques and Designs of Experiments.

Sampling V/s complete enumeration, simple random sampling, stratified random sampling. One way and two way classification. Completely randomized and randomized block designs.

Statistical System in the country and the State, sources of data, National Sample Survey, Census of Population, Registration of Births and deaths, Educational, Medical, Transport and other statistics, Collection of Statistics Act, Survey of Industries, Employment Statistics, Small Scale and Cottage Industry Statistics, Price Statistics.

Part-B

Economics:

General Economic Theory, Factors determine demand, Concept of market, regulated markets V/s free market, factors determining supply of agricultural commodities manufactured commodities and other commodities and goods, Factors determining prices inflation, deflation, measures for controlling inflation.

Principles of Macro Economic Analysis, National and Regional Economic Accounts, Growth of National & State Income, Concepts of capital formation, Savings, Consumption, Poverty and growth, elements. Material product planning, sectroal planning, regional planning and problems, Five Year Plans in Rajasthan.

Indian Economics, Features of village economy and land utilisation; Crop planning, Dry Farming, Problems of Landless Labour. Irrigation and Water Management, Agricultural Credit and Cooperation in Rajasthan, Agricultural situation in Rajasthan.

Problems of Industrial Development, Localisation of Industries, Industrial Disputes, Industrial Production in Rajasthan.

General Principles of Public Finance, Sources of Revenue of the State Government, Direct and Indirect Taxes in Rajasthan, Non Tax Revenue in Rajasthan, Expenditure of Government, Financial Policy and Economic Development, Finances of the Government of Rajasthan.

(यातायात मंत्री)

Statistical System in the country and the State. Sources of data National Sample Survey, Census of Population, Registration of Births and Deaths, Educational, Medical, Transport and other statistics, collection of statistics Act, survey of Industries, Employment Statistics, small scale and cottage, Industry statistics, Price statistics.

Note :

1.Relevant abstracts from statistical tables will be provided in the question papers when needed.

2.Pattern of Question Paper :

• Very Short Questions	-	30%
• Short Questions	-	40%
• Essay Type Question	-	30%
• Durations of Question Paper	-	Three Hours

3. Candidate may attempt any one part.

परिशिष्ट-3

Syllabus for the post of Statistical Assistant

There shall be one compulsory paper for the candidates for the post of Statistical Assistants, comprising of two parts as under:-

1.	General Knowledge of Mathematics	30Marks	]100 Marks
2.	Elementary Knowledge of Mathematics,		]3 Hours
	Economics & Statistics	70 Marks	]

Scope of Paper :

1. General Knowledge & Every-day Science :

It includes knowledge of current events and of such matters of everyday observation and experience of their scientific aspects as may be expected of an educated person who has not made a special study of any special subject.

2. Elementary Mathematics, Economics & Statistics :

(आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री)

Rates, ratios and percentage, indices and logarithms, scrutiny of date and cross checks; Classification and tabulation of data. Sample surveys, sampling Vs complete enumeration, Sampling and non-sampling errors. Economic development of India with special reference of Rajasthan.

In view of the nature of work for the post of Statistical Assistant, the candidates are expected to have a good proficiency in the subject.

हर्ष की पहाड़ी (सीकर) का पर्यटकीय विकास

126. श्री केसर देव बाबर (लक्ष्मणगढ़) **:** क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सीकर जिले के ग्राम हर्ष स्थित पहाड़ी ऐतिहासिक महत्व रखती है एवं पर्यटन की दृष्टि से उपयुक्त स्थल है ?

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा उक्त हर्ष की पहाड़ी पर पर्यटन विकास हेतु कोई योजना बनाई गई थी ? यदि हां, तो योजना का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार हर्ष पहाड़ी को हैरीटेज स्वरूप प्रदान करते हुए प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या इसके लिए सरकार की कोई योजना प्रस्तावित है? यदि हां, तो क्या?

उत्तर

(1) जी हां। इस पहाडी पर हर्ष का प्राचीन मिन्दर स्थित होने के कारण इस स्थान का विशेष महत्व है तथा पर्यटन की दृष्टि से भी यह उपयुक्त है।

(2) हर्षनाथ मिन्दर, सीकर राष्ट्रीय महत्व का संरक्षित स्मारक है, जिसका संरक्षण एवं रख-रखाव भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किया जाता है। यहां पर स्थित स्मारकों की समय-समय पर मरम्मत करायी गयी है तथा स्मारक अच्छी हालत में हैं। चालू वित्त वर्ष में भी इस स्मारक के संरक्षण एवं रख-रखाव हेतु 3 लाख रुपये का प्रावधान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा रखा गया है।

हर्ष पर्वत पर पेयजल सुविधा हेतु पर्यटन विभाग द्वारा वर्ष 1995-96 में राशि स्वीकृत की गई, जिसके तहत रुपये 47.07 लाख के कार्य पूर्ण कराये गये।

(3) वर्तमान में ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

शेखावाटी क्षेत्र टूयरिस्ट सर्किल की स्थापना

127. श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सीकर) **:** क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार शेखावाटी क्षेत्र में ट्यूरिस्ट सर्किल बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो इसकी क्या योजना है एवं इसे कब तक मूर्त स्वरूप प्रदान कर दिया जायेगा ?

(2) क्या सरकार शेखावाटी क्षेत्र में खाटूश्यामजी, जीणमाता, रैवासा, हर्ष, सालासर, शाकम्भरी एवं लोहार्गल के प्रसिद्ध मिन्दरों को हैरिटेज स्वरूप प्रदान कर पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) वर्तमान में शेखावाटी क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर पर्यटक सुविधाएं स्थापित करने एवं सौन्दर्यकरण कार्यों के लिए राशि रुपये 207.50 लाख के कार्य करवाये जा रहे हैं, जो अगले एक वर्ष में पूर्ण कराये जाने प्रस्तावित हैं।

(2) राजस्थान में आध्यात्मिक पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों का विकास प्रस्तावित है। जिसके लिए एक कार्य योजना तैयार की जा रही है।

कोटा सम्भाग में पर्यटन विकास की विचाराधीन योजनाएं

128. श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्ड़ोली) **:** क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने बून्दी, कोटा एवं बारां में पर्यटन के विकास हेतु कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो यह योजनायें किस-किस स्तर पर विचाराधीन हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार ने पर्यटन विकास हेतु उक्त जिलों की योजनाओं को केन्द्र सरकार के पास स्वीकृति हेतु भेजा है ? यदि हां, तो कौन-कौन सी

योजनायें केन्द्र सरकार के समक्ष विचाराधीन हैं और कब से ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) हाडौती क्षेत्र को एक पर्यटक सर्किट के रूप में विकसित करने हेतु सर्वप्रथम राज्य सरकार द्वारा विशिष्ट अध्ययन करवाया जाना प्रस्तावित है। इस बाबत प्रारम्भिक प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है एवं कार्यादेश देने की प्रक्रिया विचाराधीन है।

(2) इस क्षेत्र के विकास कार्य कराये जाने का निर्धारण सलाहकार संस्था से रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त किया जावेगा। तत्पश्चात् चिह्नित कार्यों को पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार को उनकी योजना के तहत राशि स्वीकृत करने हेतु प्रस्तुत किया जावेगा।

सुपरवाइजर पद से पदोन्नति पर वेतन विसंगति

129. श्री रमेश खींची (कठूमर) **:** क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विभाग में सुपरवाईजर का वेतनमान 3400-5000 है ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि सुपरवाईजर की आगामी पदोन्नति सहायक बाल विकास परियोजना अधिकारी के पद पर होती है एवं इनका वेतनमान 5500-8000 है ?

(2) क्या यह भी सही है कि सुपरवाईजर को 9:18:27 का लाभ 9 साल बाद सहायक बाल विकास परियोजना अधिकारी के वेतनमान के बराबर नहीं देकर सीनियर सुपरवाईजर का काल्पनिक पद मानते हुए 5000-8000 वाली ग्रेड में दिया जाता है ? यदि हां, तो किन नियमों के तहत?

(3) विभाग का काल्पनिक सुपरवाईजर के पद से क्या तात्पर्य है ? क्या उक्त पद सरकार द्वारा सृजित है ? यदि हां, तो कहां-कहां व कितने और नहीं, तो इस पद पर एक वर्ष बाद वेतन वृद्धि किस आधार पर दी जाती है ? विवरण सदन की मेज

पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त वेतन विसंगति को ठीक करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। सुपरवाइजर का वेतनमान 3400-5000 है। सुपरवाईजर की आगामी पदोन्नति विभागीय सेवा नियमों के अनुसार सहायक बाल विकास परियोजना अधिकारी (ACDPO) के पद पर नहीं होती है।

(2) सुपरवाईजर को 9:18:27 का लाभ 9 वर्ष बाद सहायक बाल विकास परियोजना अधिकारी के वेतनमान के बराबर न देकर विभागीय सेवा नियम-1998 में वरिष्ठ महिला पर्यवेक्षक का पद विद्‌यमान होने के कारण वित्त विभाग की सहमती के आधार पर 5000-8000 वाली ग्रेड में दिया जाता है।

(3) विभाग में महिला पर्यवेक्षक का कोई काल्पनिक पद राज्य सरकार द्‌वारा सृजित नहीं है। विभाग में महिला पर्यवेक्षक को नियमानुसार प्रतिवर्ष वेतन वृद्‌धि उनकी वेतन श्रृंखला अनुसार दी जाती है।

(4) महिला पर्यवेक्षकों को नियमानुसार ही चयनित वेतनमान स्वीकृत किया जा रहा है।

निगम बसों में दी गई रियायतों की बकाया

130. श्री अमराराम (धोद) **:** क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में विभिन्न वर्गों को दी गई रियायत का कितना भुगतान सरकार में बकाया है?

(2) क्या यह सही है कि निगम द्‌वारा 31 मार्च, 2004 तक पुनर्भरण का दावा राज्य सरकार के सामने पेश किया है? यदि हां, तो कितनी राशि का?

(3) सरकार निगम की बकाया राशि का भुगतान कब तक करने का विचार रखती है? यदि नहीं तो क्यों?

उत्तर

(1) वित्तीय वर्ष 2003-04 की समाप्ति तक राजस्थान परिवहन निगम की बसों में विभिन्न वर्गों को दी गई रियायत का कोई भुगतान बकाया नहीं है।

(2) जी नहीं। अपितु निगम द्वारा वर्ष 1999-2000 तक के लिए 136.85 करोड रुपये का दावा पेश किया गया था, जिसका निष्पादन किया जा चुका है।

(3) प्रश्न का उत्तर खण्ड ''1'' में दिया जा चुका है।

जयपुर-करौली हेतु निगम बस सेवा

131. श्री सुरेश मीणा (करौली) **:** क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर से करौली वाया गंगापुर सिटी सायं 5.00 बजे बाद परिवहन निगम की कोई बस नहीं जाती है ?

(2) क्या यह सही है कि करौली जिला हैड क्वार्टर होने के कारण जनता का जयपुर आना जाना रहता है एवं यातायात के साधन नहीं होने से भारी समस्या रहती है ?

(3) क्या सरकार करौली से जयपुर सायंकालीन बस सेवा संचालित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी नहीं। जयपुर (घाटगेट) से करौली वाया गंगापुर सिटी मार्ग पर सायं 5.00 बाद (800) सायं 6.00 बजे एक सेवा संचालित की जा रही है।

(2) जी नहीं। वर्तमान में करौली से जयपुर मार्ग पर उपलब्ध यात्रीभार के अनुसार निम्नानुसार निगम बस सेवाओं का संचालन किया जा रहा है :-

करौली-जयपुर वाया महुवा	0500
	0600
	0815
	0930
	1030
	1230

(यातायात मंत्री)

	1345
	1430
करौली-जयपुर वाया गंगापुर	0530
	0615
	0700
	0745
	0900
	0915
	1000
	1100
	1300
	1600
	1730

अंत: यात्रियों को करौली से जयपुर आने में निगम बसों की वजह से कोई समस्या नहीं है।

(3) जी हां। वर्तमान में करौली से जयपुर वाया गंगापुर मार्ग पर (730) (सायं 5.30 बजे) बजे जयपुर के लिए पूर्व से ही एक सायंकालीन बस सेवा संचालित की जा रही है।

निगम बस स्टैण्ड, अजमेर का विस्तार

132. श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व) **:** क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के अजमेर बस स्टेण्ड के विस्तार पर कितना व्यय होगा व सरकार अब कब तक इस कार्य को पूर्ण करने का विचार रखती है ?

(2) क्या सरकार अजमेर में रोडवेज के केन्द्रीय वर्कशाप के विस्तार का विचार रखती है ?

(3) क्या सरकार अजमेर को जोडने वाली नई बस सेवाओं में विस्तार का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान परिवहन निगम द्वारा अजमेर बस स्टेण्ड के विस्तार एवं निर्माण हेतु रु. 29.30 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। जिसमें अनुमानित कार्य समाप्ति की दिनांक 6.5.2005 है।

(2) जी नहीं। निगम में वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(3) जी हां। नीचे वर्णित मार्गों पर सम्बन्धित राज्यों यथा-उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, पजांब, जम्मूकश्मीर एवं मध्यप्रदेश से अन्तरराज्यीय परिवहन करार के समय सहमति हो जाने पर निगम वाहन संचालन किया जाना सम्भव हो सकेगा। इन मार्गों के प्रस्ताव राज्य शासन को प्रेषित किए हुए हैं।

1.अजमेर-हरिद्वार वाया दिल्ली ।

2.अजमेर-बरेली वाया मथुरा-सौरोंजी।

3.अजमेर-इटावा वाया भरतपुर।

4.अजमेर-गोवर्धन वाया भरतपुर-मथुरा।

5.अजमेर-मेरठ वाया जयपुर-दिल्ली।

6.अजमेर-अयोध्या वाया जयपुर-आगरा।

7.अजमेर-डेराव्यास वाया कुचामन-डीडवाना-अबोहर-मलोट।

8.अजमेर-कटरा वाया दिल्ली।

9.अजमेर-ग्वालियर वाया टोंक-सवाईमाधोपुर-श्योपुर-शिवपुरी।

वागौर ग्राम (करौली) हेतु निगम बस सेवा

133. श्री बाबू लाल नागर (दूदू) **:** क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम-वागौर जिला-करौली में ग्रामवासियों की सुविधा हेतु सरकार ने बस सेवा संचालित नहीं कर रखी है ? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या सरकार उक्त ग्रामवासियों हेतु निगम की बस सेवा शुरू करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी नहीं, यह सही नहीं है। करौली जिले के ग्राम वागौर को 22 निजी बसों की 32 वापसी सेवाएं उपलब्ध हैं।

(2) जी नहीं।

नागौर जिले में संचालित निगम बसों के किराये में असमानता

134. श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) **:** क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला नागौर के रूटों से होती हुई विभिन्न डिपों की कौन-कौन सी बसें प्रतिदिन निगम द्वारा संचालित की जा रही है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि विभिन्न डिपो की द्रुतगामी बसों द्वारा यात्रियों से अलग-अलग किराया वसूला जा रहा है ? यदि हां, तो विभिन्न रूटों की बसों की किराया सूची का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त अलग-अलग किराया वसूले जाने से यात्रियों को बेवजह अतिरिक्त आर्थिक भार सहना पड रहा है ? क्या सरकार एक समान किराया तय करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला नागौर के मार्गों पर होती हुई निगम के विभिन्न आगारों की प्रतिदिन संचालित होने वाली बस सेवाओं की सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। विभिन्न आगारों की द्रुतगामी सेवाओं जिनमें रियायती दरों तथा द्रुतगामी दरों पर यात्रियों से किराया वसूल किया जा रहा है कि सूची परिशिष्ट

(यातायात मंत्री)

-2 पर सलंग्न है। रियायती दरों पर संचालित बस सेवायें जो निजी वाहनों की प्रतिस्पर्धा में संचालित है, निगम बसों में यात्रियों को और अधिक आकर्षित करने हेतु संचालित की जा रही हैं। किराया दरों में सेवावार विसंगति नहीं हो इस सम्बन्ध में मुख्यालय द्वारा स्पष्ट आदेश क्रमांक एफ-4 मु/याता/लेखा/02/815 दिनांक 11.11.2002 जारी किये हुये हैं कि निगम की आगारों की किसी भी मार्ग पर सेवावार किराये में की गई कमी (सुविधा वाहनों को छोडकर) उस मार्ग पर संचालित होने वाली निगम की सभी आगारों की वाहनों पर समान रूप से लागू होगी। किन्तु जिन आगारों के अधीन किसी विशेष मार्ग पर निजी वाहनों से कडी प्रतिस्पर्धा है उन पर द्रुतगामी सेवाओं को साधारण अथवा रियायती किराये पर संचालित किया जा रहा हो।

(3) जी नहीं। राज्य सरकार द्वारा सेवावार अधिकतम समान किराया दर निर्धारित की जाती है। निगम के सभी आगारों द्वारा एक समान मार्ग एक प्रकार की बस सेवा के लिये समान किराया वसूल किये जाने के निर्देश हैं। यदि किसी आगार द्वारा किसी मार्ग व सेवा का किराया कम किया जाता है तो आदेश क्रमांक एफ 4/मु./याता/लेखा/02/815 दिनांक 11.11.2002 की पालना में सभी आगारों द्वारा उस मार्ग पर संचालित एक श्रेणी की सेवाओं के लिये समान किराया वसूल किया जाता है किन्तु सेवाओं की प्रकृति अलग होने के कारण सभी सेवाओं का किराया एक समान नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार यात्रियों को अतिरिक्त आर्थिक भार वहन नहीं करना पडता है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जयपुर-ललितपुर (उत्तर प्रदेश) हेतु निगम बस सेवा

135. श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (नदबई) **:** क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा जयपुर से मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश के मध्य बस सेवा संचालित की जा रही है ? यदि

हां, तो किन-किन शहरों तक ? बसों के रूट, श्रेणी, किराया व समय सारिणी सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार जयपुर से उत्तर प्रदेश के ललितपुर के लिए वाया झांसी डीलक्स/स्लीपर कोच बस सेवा प्रारम्भ करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां। जयपुर से मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश के शहरों तक निगम द्वारा संचालित बस मार्ग, श्रेणी, किराया व समय सारिणी का विवरण दर्शाते हुए सूची परिशिष्ट-1 पर सलंग्न है।

(2) जी नहीं । जयपुर से उत्तर प्रदेश के ललितपुर वाया झांसी मार्ग पर ~~डीलक्स/स्लीपर कोच बस सेवा का संचालन दोनों राज्यों के बीच उक्त मार्ग पर बस~~ संचालन का परस्पर करार नहीं होने तक नहीं हो पाएगा।

परिशिष्ट-1

निगम द्वारा उत्तरप्रदेश एवं मध्यप्रदेश के शहरों तक जयपुर से संचालित बस सेवाओं का विवरण

क्र.सं.	मार्ग का नाम	जयपुर से प्रस्थान समय	किराया रुपयों में	श्रेणी
1	2	3	4	5
1.	जयपुर-आगरा वाया	0030	105	द्रुतगामी
	महुवा-भरतपुर	0130	105	"
		0230	105	"
		1240	105	"
		1440	105	"
		0600	105	डीलक्स

1	2	3	4	5
		0700	123	”
		0745	123	”
		0830	123	”
		0930	123	”
		1030	123	”
		1200	123	”
		1415	123	”
		1515	123	”
		1700	123	”
		2300	123	”
		2330	142	”
		2400	123	”
2.	जयपुर-गोवर्धन वाया	0415	77	साधारण
	खोडली-नगर	0545	77	”
		1010	77	”
		1100	77	”
	घाटगेट से	0615	76	”
	घाटगेट-पूछडी	1115	76	”
	घाटगेट-गोवर्धन	1145	76	”
	” ”	1300	76	”
3.	जयपुर-बरेली वाया	0540	191	द्रूतगामी
	भरतपुर			

1	2	3	4	5
4.	जयपुर-अलीगढ़ वाया भरतपुर	0610	122	द्रूतगामी
	मथुरा-ईगलास	0750	122	"
		0850	122	"
		1150	122	"
		1950	122	"
		2150	122	"
		2200	122	"
		2310	122	"
		2300	142	डीलक्स
5.	जयपुर-कानपुर वाया	0640	232	द्रूतगामी
	फिरोजाबाद-मैनपुरी			
6.	जयपुर-मथुरा वाया भरतपुर	0650	96	द्रूतगामी
		1320	96	"
		1550	96	"
		2230	112	डीलक्स
7.	जयपुर-लखनऊ वाया	0740	268	द्रूतगामी
	आगरा-फिरोजपुर-कानपुर	1820	268	"
8.	जयपुर-सौरों वाया	0810	151	द्रूतगामी
	भरतपुर-मथुरा-कासगज	0950	151	"
		1630	151	"
		1810	151	"
		1830	151	"

1	2	3	4	5
		2250	151	”
9.	जयपुर-कायमगंज वाया आगरा-मैनपुरी	0840	175	द्रूतगामी
10.	जयपुर-ग्वालियर वाया	0900	129	द्रुतगामी
	बाडी-सरमथुरा	1215	129	”
		2100	129	”
		2330	129	”
		2230	198	डीलक्स
11.	जयपुर-फर्रूखाबाद वाया	1100	188	द्रुतगामी
	आगरा-फिरोजाबाद–मैनपुरी	1840	188	”
		2040	188	”
12.	जयपुर-वृन्दावन वाया भरतपुर	1350	102	द्रुतगामी
13.	जयपुर-हरिद्वार वाया भरतपुर मथुरा-अलीगढ़	1450	245	द्रुतगामी
14.	जयपुर-हरिद्वार वाया	0457	222	द्रुतगामी
	देहली-मेरठ-मुजफरनगर	1643	222	”
		1736	222	”
		1907	222	”
		1959	222	”
		2023	222	”
		2111	222	”
		2142	222	”
		2210	222	”

1	2	3	4	5
		2235	222	”
		2200	392	डीलक्स
15.	जयपुर-फिरोजाबाद वाया आगरा	2200	124	द्रुतगामी
16.	जयपुर-इटावा वाया आगरा-मैनपुरी	2400	161	द्रुतगामी
17.	जयपुर-देहरादून वाया देहली मुजफरनगर-रूडकी	0643	244	द्रुतगामी
18.	जयपुर-मुरादाबाद वाया गाजियाबाद हापुड-दिल्ली	1008	208	द्रुतगामी
19.	जयपुर-मेरठ वाया दिल्ली	1014	160	द्रुतगामी
20.	जयपुर-रामनगर वाया मुरादाबाद	1305	247	द्रुतगामी
21.	जयपुर-हल्द्वानी वाया हापुड-मुरादाबाद	2136	255	द्रतगामी
	मध्यप्रदेश क्षेत्र में			
1.	जयपुर-इन्दौर वाया	0500	237	द्रुतगामी
	आगरा-उज्जैन	1040	237	”
		1455	237	”
		1900	237	”
2.	जयपुर-भोपाल वाया	1200	248	द्रुतगामी
	झालावाड़-पाटन-राजगढ़	1530	248	”

		1800	248	”
		2100	248	”
3.	जयपुर-ओंकारेश्वर वाया उज्जैन-इन्दौर	1600	271	द्रुतगामी

सौ दिवसीय कार्य योजना के तहत नागौर जिले में स्वीकृत कार्य

136. श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) **:** क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा ‘‘100 दिवसीय कार्य योजना’’ राज्य में शुरु की गई थी ? यदि हां, तो इस योजना की क्या उपलब्धि रही ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना के तहत जिला नागौर में कौन-कौन से कार्य सम्पादित किये गये तथा उन पर कितनी राशि स्वीकृत की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि सरकार की 100 दिवसीय कार्य योजना के अन्तर्गत पूर्ववर्ती सरकार द्वारा स्वीकृत कार्यों में से ही कुछ को छांट कर पूर्ण करवाया गया एवं नई स्वीकृतियां बिल्कुल जारी नहीं की गई ? यदि नई स्वीकृतियां जारी की गई तो नागौर जिले की विभागवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार द्वारा घोषित 100 दिवसीय कार्य योजना में 2 बिन्दु ग्रामीण विकास विभाग से सम्बन्धित थे, जिनकी दिनांक 31.3.2004 तक अर्थात् 100 दिवस की प्रगति परिशिष्ट-1 पर अवलोकनीय है।

इसके अतिरिक्त ग्रामीण विकास विभाग द्वारा वर्तमान में क्रियान्वित सभी योजनाओं की तीव्र प्रगति करने हेतु भी दिनांक 17.1.2004 को सभी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिणयों को निर्देशित किया गया था, जिसकी प्रति परिशिष्ट-2 पर अवलोकनीय है।

(ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री)

विभाग के पत्र दिनांक 17.1.2004 में दिये गये निर्देशों की अनुपालना में नागौर जिले में निम्न कार्य कराये गये :-

1.गत वर्षों के 1077 अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करवाया गया।

2. ग्रामीण आवास योजनान्तर्गत 773 प्रगतिरत आवासों में से 636 आवास पूर्ण करवाये गये।

3. बी.पी.एल.सेन्सस 2002 की प्रोविजनल सूची तैयार की गई।

4. अपना गांव अपना काम योजना में एक कार्य अधूरा था, जिसको पूर्ण करवाया गया।

(3) जी नहीं, योजनान्तर्गत 229 सांसद स्थानीय विकास क्षेत्र योजना एवं 74 विधायक स्थानीय विकास क्षेत्र योजना के तहत नये कार्य भी स्वीकृत किये गये, जिनकी सूची परिशिष्ट-3 पर अवलोकनीय है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

बारां जिले में संविदा स्टाफ हेतु आमंत्रित निविदाएं

137. श्री प्रमोद जैन ''भाया'' (बारां) **:** क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या संविदा पर ठेकेदार के माध्यम से स्टाफ लगाने हेतु जिला गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम बारां द्वारा वर्ष 2004 में विज्ञापन प्रकाशित कर निविदायें आमंत्रित की गई ? यदि हां, तो सम्बन्धित विज्ञापित पदों की निविदा की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) संविदा स्टाफ लगाने हेतु कितने संवेदकों द्वारा निविदायें डाली गयी एवं इनमें से किस संवेदक को योग्य मानकर कार्य आदेश जारी किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या संविदा पर स्टाफ लगाने हेतु जारी निविदा पत्र में सुविधानुसार शर्तें डालकर किसी संवेदक विशेष को लाभान्वित करने की कार्यवाही की गयी एवं क्या इस सम्बन्ध में शिकायत पत्र जिला कलक्टर बारां को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो सम्बन्धित शिकायत पत्र एवं इस पर की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर

रखें।

(4) क्या सरकार भेदभाव पूर्ण निविदायें आमंत्रित करने वाले जिम्मेदार अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक?

(5) क्या सरकार दोषपूर्ण निविदा जारी करने एवं उसके आधार पर दिये गये कार्य आदेश को निरस्त कर पुनः निविदायें आमंत्रित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं तो, क्यों?

उत्तर

(1) हां। निविदा की प्रति संलग्न है। (प्रपत्र-1)

(2) संविदा स्टाफ लगाने हेतु सात संवेदकों द्वारा निविदायें डाली गई। इनका विवरण निम्न प्रकार है :-

1.मैसर्स गांधी ग्रामीण विकास संस्थान, कोटा।

2.मैसर्स भारद्वाज सिक्योरिटी सर्विसेज, कोटा।

3.मैसर्स कृति प्रशिक्षण संस्थान, बारां।

4.मैसर्स रामकृष्ण विद्या मन्दिर, बारां।

5.मैसर्स राजस्थान महिला विकास संस्थान, दौसा।

6.मैसर्स यादव ट्रेडर्स, बारां।

7.मैसर्स देव एण्ड कम्पनी, बारां।

मैसर्स यादव ट्रेडर्स, बारां को चयन समिति द्वारा सफल घोषित कर आदेश दिया गया।

(3) जिला परियोजना प्रबंधन इकाई, बारां में राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित प्रक्रिया जो कि राज्य परियोजना निदेशक की आज्ञा सं. प.-1 (35) ग्रा.वि./डीपीआईपी/2000 दिनांक 14.7.2003 के द्वारा प्रसारित सामान्य दिशा-निर्देशों के अनुरूप निविदा प्रक्रिया अपनाई गई। हां, शिकायत-पत्र जिला कलक्टर, बारां को प्राप्त हुआ। इस पर कार्यवाही की जा चुकी है तथा निविदायें आमंत्रित करने हेतु राज्य निदेशालय द्वारा राज्य सरकार से अनुमोदित प्रक्रिया अपनाई गई।

(ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री)

(4) जी नहीं। निविदाएं भेदभावपूर्ण रूप से आमंत्रित न की जाकर परियोजना के समस्त सात जिलों में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत दिशा-निर्देशों एवं मापदण्डों के आधार पर आमंत्रित की गई थी। अत: कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

(5) निविदाएं नियमानुसार दोषपूर्ण नहीं हैं, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत दिशा-निर्देशानुसार के अंतर्गत जारी की गई है। अंत: परियोजना पुन: निविदायें आमंत्रित करने का विचार नहीं रखती है।

जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई (डी.पी.आई.पी.)

कलक्ट्रट, बारां

क्रमांक:-DPIP/2004/5427 दिनांक-31.3.2004

निविदा सूचना 2/2004-05

विश्व बैंक के सहयोग से संचालित जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना (डीपीआईपी में विभिन्न पदों की सेवाएं प्राप्त करने हेतु इस कार्यक्षेत्र के अनुभवी रजिस्टर्ड संस्थाओं, श्रम विभाग/रजिस्ट्रार संस्थाओं, रजिस्ट्रार कम्पनीज तथा इस प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु प्राधिकृत संस्थाओं से निर्धारित प्रपत्र में मोहरबन्द निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र इस कार्यालय समय में दिनांक 13.05.2004 तक 100/-रु. का बैंक ड्राफ्ट (जिला परियोजना प्रबन्धक, डीपीआईपी, बारां के नाम से देय) भेजकर प्राप्त किए जा सकते हैं। सेवाओं से सम्बन्धित निर्धारित योग्यता, अनुभव सम्बन्धी अन्य विवरण कार्यालय समय में किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं तथा निविदा में 18360/-रु. अमानत राशि बैंक ड्राफ्ट जमा करवाकर भाग ले सकते हैं। निविदा का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:-

क्रम संख्या	**निविदा विवरण**	**मासिक सेवा राशि**
1.	अनुबन्ध आधार पर विभिन्न पदों की सेवाएं	निविदा प्रपत्र में दिए

(ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री)

उपलब्ध करवाना गए विवरणानुसार

1. भरी हुई निविदाएं दिनांक 13.05.2004 को अपरान्ह 2 बजे तक मय धरोहर राशि जमा करवाई जा सकेगी।

2. सशर्त निविदा स्वीकार्य नहीं होगी।

3. बिना धरोहर राशि प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा।

4. प्राप्त निविदाएं दिनांक 14.5.2004 को दोपहर 3.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई डीपीईपी-बारां जिले में खोली जावेगी।

5. निविदा प्रपत्र एवं अनुबन्ध में वर्णित शर्तें मान्य होगी।

6. पदों को कम/अधिक करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा।

7. किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा।

8. डाक से भेजी गई निविदाएं यदि निर्धारित समय पर कार्यालय में नहीं पहुंचेगी तो उन पर विचार नहीं किया जावेगा।

जिला परियोजना प्रबन्धक

डीपीआईपी, बारां

जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई (डीपीआईपी) कलक्टट, बारां

क्रमांक DPIP/2004/5427 दिनांक 31.3.2004

निविदा सूचना 2/2004-05

विश्व बैंक के सहयोग से संचालित जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना (डीपीईपी) में विभिन्न पदों की सेवाएं प्राप्त करने हेतु इस कार्यक्षेत्र के अनुभवी रजिस्टर्ड संस्थाओं, श्रम विभाग/रजिस्ट्रार संस्थाओं, रजिस्ट्रार कम्पनीज तथा इस

प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु प्राधिकृत संस्थाओं से निर्धारित प्रपत्र में मोहरबन्द निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। निविदा प्रपत्र इस कार्यालय से कार्यालय समय में दिनांक 13.05.2004 तक 100/-रुपये का बैंक ड्राफ्ट (जिला परियोजना प्रबंधक, डीपीआईपी, बारां के नाम से देय) भेजकर प्राप्त किए जा सकते हैं। सेवाओं से सम्बन्धित निर्धारित योग्यता, अनुभव सम्बन्धी अन्य विवरण कार्यालय समय में किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते है तथा निविदा में 18360/- रुपये अमानत राशि बैंक ड्राफ्ट जमा करवाकर भाग ले सकते हैं। निविदा का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:-

क्रम संख्या	**निविदा विवरण**	**मासिक सेवा राशि**
1.	अनुबन्ध आधार पर विभिन्न पदों की सेवाएं उपलब्ध करवाना	निविदा प्रपत्र में दिए गए विवरणानुसार

1. भरी हुई निविदाएं दिनांक 13.05.2004 को अपरान्ह 2 बजे तक मय धरोहर राशि जमा करवाई जा सकेगी।
2. सशर्त निविदा स्वीकार्य नहीं होगी।
3. बिना धरोहर राशि प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा।
4. प्राप्त निविदाएं दिनांक 14.5.2004 को दोपहर 3.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई डीपीईपी-बारां जिले में खोली जावेगी।
5. निविदा प्रपत्र एवं अनुबन्ध में वर्णित शर्तें मान्य होगी।
6. पदों को कम/अधिक करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा।
7. किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा।
8. डाक से भेजी गई निविदाएं यदि निर्धारित समय पर कार्यालय में नहीं पहुंचेगी तो उन पर विचार नहीं किया जावेगा।

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

जिला परियोजना प्रबन्धक

डीपीआईपी, बारां

तारानगर व राजगढ (चूरू) तहसील में केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं हेतु प्राप्त राशि

138. डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर) **:** क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पंचायती राज विभाग को चूरू जिला एवं चूरू जिले की तारानगर एवं राजगढ तहसीलों के लिये भारत सरकार की केन्द्रीय प्रवर्तित योजना, विभिन्न केन्द्रीय योजना तथा अन्य योजनाओं के अन्तर्गत दिनांक 1 जनवरी, 2004 से अब तक कितनी राशि प्राप्त हुई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त राशि में से कितनी राशि का उपयोग नहीं किया गया तथा इसके क्या कारण रहे एवं कौन उत्तरदायी है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) चूरू जिले में दिनांक 1.1.2004 से अब तक विभिन्न योजनाओं में प्राप्त राशि का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्रम संख्या	**नाम योजना**	**प्राप्त राशि (लाखों में)**
1.	एस.जी.आर. 20 प्रतिशत	11.25
		56.50
2.	राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम भोजन तैयार करने हेतु	215.97
3.	एन.एम.बी.एस.	0.80
4.	बायोगैस	0.51
5.	एन.एफ.बी.एस. (National Family Benefit Schme)	35.00

(ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री)

6.	ए.जी.ए.के.	2.00
7.	डी.डी.पी. फैज-6	13.07
8.	एस.एफ.सी.-II	310.13
9.	ई.एफ.सी.तुल्य अंशदान	59.72
10.	सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम	10.00
	योग	**714.95**

पंचायत समिति-राजगढ एवं तारानगर को 1.1.2004 से भिजवाई गई राशि का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्रम	**नाम योजना**	**पंचायत समिति**	
संख्या		**तारानगर**	**राजगढ़**
1.	एस.जी.आर. 20 प्रतिशत	8.18	12.33
2.	राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम भोजन तैयार करने हेतु	18.36	32.03
3.	एन.एम.बी.एस.	4.70	5.10
4.	बायोगैस	0.16	0.83
5.	एन.एफ.बी.एस. (National Family Benefit Schme)	-	-
6.	ए.जी.ए.के.	-	-
7.	डी.डी.पी. फैज-6	-	-

(ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री)

8.	एस.एफ.सी.		
9.	ई.एफ.सी. तुल्य अंशदान	6.76	12.05
10.	सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम	-	-
11.	ई.एफ.सी.	3.75	6.69
	योग	**109.97**	**190.41**

(2)चूरू जिले में उक्त राशि में निम्न प्रकार राशि का उपयोग नहीं हुआ :-

क्रम संख्या	**नाम योजना**	**प्राप्त राशि (लाखों में)**
1.	राष्ट्रीय पोषाहार घूघरी तैयार करने हेतु	109.46
2.	ए.जी.ए.के. (राज्य योजना)	2.00
3.	डी.डी.पी. फैज-6	13.07
4.	एस.एफ.सी.-II	310.13
5.	सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम	10.00

क्रम संख्या 1 पर अंकित राशि अधिक आबंटन होने के कारण व्यय नहीं हुई। जो इस वर्ष व्यय कर ली जावेगी।

क्रम संख्या 2 पर अंकित राशि उपयोग पर राज्य सरकार के निर्देशानुसार 25.6.2004 से रोक है।

क्रम संख्या 3, 4 व 5 पर अंकित राशि विधान सभा एवं लोकसभा आम चुनाव की आचार संहिता लागू होने के कारण व्यय नहीं हुई जो शीघ्र ही व्यय कर दी जावेगी।

ग्रामीण विकास विभाग के कनिष्ठ अभियन्ताओं का पदोन्नति प्रकरण

139. श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्रामीण विकास विभाग के आदेश संख्या 5651-5940 द्वारा जलग्रहण विकास के 80 कनिष्ठ अभियन्ताओं को दी गयी पदोन्नति में वरिष्ठ कनिष्ठ अभियन्ताओं को पदोन्नति से वंचित रखते हुए उनसे कनिष्ठ व्यक्तियों को पदोन्नति दी गई?

(2) क्या यह सही है कि जिन पांच वरिष्ठ कनिष्ठ अभियन्ताओं को उक्त पदोन्नति से वंचित रखा गया था उनमें से दो कनिष्ठ अभियन्ताओं को दिनांक 1 जून, 2004 को पदोन्नति दे दी गयी है ? यदि हां, तो शेष तीन को दुबारा की गई पदोन्नति में किस कारण से वंचित रखा गया?

(3) क्या यह सही है कि वर्ष 1994 से सहायक कृषि अभियन्ता का वेतनमान 8000-13500 प्राप्त करने वाले कनिष्ठ अभियन्ताओं को तो उक्त पदोन्नति से वंचित रखा गया तथा उनसे काफी जूनियर व्यक्तियों को जिनको उक्त वेतनमान दिसम्बर 2003 में स्वीकृत हुआ है, को पदोन्नति दे दी गई ? उक्त पदोन्नति में क्या मानदण्ड अपनाये गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त पदोन्नति में की गई अनियमितता के लिये दोषी अधिकारी/कर्मचारी के खिलाफ कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या व कब तक तथा नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। मात्र कार्यकारी व्यवस्था के अन्तर्गत पूर्ण अस्थायी तौर पर सहायक अभियन्ता के नव सृजित अस्थायी पद के विरुद्ध स्वयं के पाते वेतन पर 80 कनिष्ठ अभियन्ताओं को स्थानान्तरित/पदस्थापित किया गया है।

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या 65 का प्रपत्र)

प्रपत्र-अ

जिला चूरू की तारानगर व राजगढ़ तहसील के गैर आबाद ग्रामों की सूची

क्रम संख्या	राजगढ़ तहसील	कोड नम्बर
1.	रेख-खेरथली	3/1/20
2.	खेरथली	3/1/21
3.	शेखवास	3/1/44
4.	श्याम पाण्डियां	3/1/47
5.	ढ़ाणी भाटियान	3/1/53
6.	महेन्द्रवास	3/1/54
7.	भांगेरा	3/1/56
8.	मुगलवास	3/1/63
9.	दमलीवास	3/1/65
10.	माला	3/1/96
11.	चलकोई गुसाईयान	3/1/98

राजगढ़ तहसील

क्रम संख्या	तारानगर तहसील	कोड नम्बर
1.	बोड राजगढ़	3/2/36
2.	करोली	3/2/62
3.	भाटावास	3/2/110

परिशिष्ट-2
(तारांकित प्रश्न संख्या 66 की सूची)

परिशिष्ट-अ

राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ द्वारा संचालित मेडिकल शाखाओं का विवरण

क्रम संख्या	जिला	स्थान जहां दुकान कार्यरत है	पता
1	2	3	4
1.	जयपुर	एस.एम.एस. प्रथम	एस.एम.एस. अस्पताल परिसर, जयपुर
2.		एस.एम.एस. द्वितीय	एस.एम.एस. अस्पताल परिसर, जयपुर
3.		एस.एम.एस. 3 ए	एस.एम.एस. अस्पताल परिसर, जयपुर
4.		एस.एम.एस. 3 बी	एस.एम.एस. अस्पताल परिसर, जयपुर
5.		एस.एम.एस. 6	एस.एम.एस. अस्पताल परिसर, जयपुर
6.		एस.एम.एस. 7	एस.एम.एस. अस्पताल परिसर, जयपुर
7.		एस.एम.एस. 8	एस.एम.एस. अस्पताल परिसर, जयपुर
8.		एस.एम.एस. रात्रि प्रथम	एस.एम.एस. अस्पताल परिसर, जयपुर
9.		एस.एम.एस. रात्रि द्वितीय	एस.एम.एस. अस्पताल परिसर, जयपुर
10.		एस.एम.एस. 8 ई	एस.एम.एस. अस्पताल परिसर, जयपुर
11.		एस.एम.एस. 9 ई	एस.एम.एस. अस्पताल परिसर, जयपुर
12.		एस.एम.एस. पेंशनर	एस.एम.एस. अस्पताल परिसर, जयपुर
13.		जे. के. लोन प्रथम	जे. के. लोन अस्पताल परिसर
14.		जे. के. लोन द्वितीय	जे. के. लोन अस्पताल परिसर
15.		जे. के. लोन तृतीय	जे. के. लोन अस्पताल परिसर
16.		आमेर	आमेर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र परिसर, आमेर
17.		बिहारी बाजार	अजमेरी गेट, जयपुर
18.		चेस्ट अस्पताल	वक्ष एवं क्षय रोग अस्पताल परिसर ए झोटवाडा रोड, जयपुर

1	2	3	4
19.		चौमूं	राजकीय अस्पताल परिसर, चौमूं
20.		गांधीनगर प्रथम	गांधीनगर डिस्पेन्सरी परिसर के पीछे, जयपुर
21.		गांधीनगर द्वितीय	गांधीनगर डिस्पेन्सरी परिसर के पीछे, जयपुर
22.		जयपुरिया अस्पताल	जयपुरिया अस्पताल परिसर, जयपुर
23.		झोटवाडा	खातीपुरा रोड, पुलिया के पास ए झोटवाडा, जयपुर
24.		जवाहर नगर	डिस्पेन्सरी परिसर, जवाहर नगर, जयपुर
25.		कांवटिया अस्पताल	कांवटिया अस्पताल के पास, शास्त्रीनगर, जयपुर
26.		करधनी	मालवीय शापिंग सेन्टर परिसर, जयपुर
27.		किरणपथ मानसरोवर	डिस्पेन्सरी के पीछे, मानसरोवर, जयपुर
28.		मोती कटला	मोतीकटला डिस्पेन्सरी परिसर, जयपुर
29.		मिनी सचिवालय	मिनीसचिवालय परिसर, जयपुर
30.		मानसरोवर अग्रवाल फार्म	अग्रवाल फार्म डिस्पेन्सरी के पास, जयपुर
31.		न्यू कॉलोनी	जाजू डिस्पेन्सरी के पास, न्यू कालोनी, जयपुर
32.		नाहरी का नाका	पोस्ट आफिस के सामने, हाउसिंग बोर्ड नाहरी का नाका, जयपुर
33.	टोंक	निवाई	अस्पताल परिसर, निवाई
34.	जयपुर	पुरानी बस्ती प्रथम	गणगौरी बाजार डिस्पेन्सरी के पास, जयपुर
35.		पुरानी बस्ती द्वितीय	गणगौरी बाजार डिस्पेन्सरी के पास, जयपुर
36.		प्रताप नगर सांगानेर	प्रताप नगर सांगानेर डिस्पेन्सरी परिसर, जयपुर

1	2	3	4
37.		राजभवन	राजभवन डिस्पेन्सरी परिसर, जयपुर
38.		सिरहडयोढी	सिरहडयोढी डिस्पेन्सरी परिसर हवामहल गेट के पास, जयपुर
39.		सचिवालय	सचिवालय के पीछे, तिलक मार्ग, जयपुर
40.		सेठी कालोनी	सेटेलाईट अस्पताल परिसर, सेठी कालोनी, जयपुर
41.		सहकार भवन	नेहरू सहकार भवन परिसर, 22 गौदाम,
42.		सांगानेर	सिटी बस स्टेण्ड, सांगानेर ग्राम सेवा सहकारी सेवा परिषद सांगानेर, जयपुर
43.		तिलक नगर	एल.बी.एस. कालेज के सामने, तिलक नगर, जयपुर
44.		विधान सभा	विधान सभा परिसर, जयपुर
45.		वैशाली नगर	राजकीय डिस्पेन्सरी परिसर, वोली नगर, जयपुर
46.		जनाना प्रथम	जनाना अस्पताल परिसर, जयपुर
47.		जनाना द्वितीय	जनाना अस्पताल परिसर, जयपुर
48.		जनाना तृतीय	जनाना अस्पताल परिसर, जयपुर
49.		मोती डूंगरी सांगानेरी गेट	रेडक्रास सोसायटी परिसर, सांगानेरी गेट, जयपुर
50.		ईएसआई	ईएसआई अस्पताल परिसर, जयपुर
51.		बरकत नगर	बरकत नगर डिस्पेन्सरी के पास, बरकत नगर, जयपुर
52.		एसएमएस 10 ई	एसएमएस परिसर, जयपुर
53.		प्रतापनगर सांगानेर-II	सैक्टर-11, कुम्भा मार्ग, सांगानेर, जयपुर
54.		सेठ सूरजमल बम्बईवाला, आयुर्वेद	बम्बई वाला अस्पताल, किशनपोल बाजार, जयपुर
55.		इन्दिरा बाजार, आयुर्वेद	अजमेरी गेट के पास, जयपुर
56.		रा. आयुर्वेद संस्थान	जोरावर सिंह गेट, आमेर रोड, जयपुर
57.	भरतपुर	नगर	भरतपुर जिला

परिशिष्ट-3

(तारांकित प्रश्न संख्या 68 की सूची)

परिशिष्ट-अ

वर्ष 2002-04 तक जिला बांसवाडा में कृषि कनेक्शन दिये गये अनुदान की पंचायत समितिवार सूची

क्रम संख्या	कृषक का नाम	ग्राम	पंचायत समिति
1	2	3	4
1.	श्री रकमा/वागा	रूपजी का खंडा	घाटोल
2.	श्री नानुराम/हीराजी	बीजोर	घाटोल
3.	श्री रावजी/लेम्बा	बडलिया	घाटोल
4.	श्री केरेंग/विठला	बडलिया	घाटोल
5.	श्री गौतमलाल/थावरा	चान्दु का वेला	घाटोल
6.	श्री हवजी/वेलिया	जाम्बाई	घाटोल
7.	श्री देवा/गौदिया	जाम्बोई	घाटोल
8.	श्री मोतिया/पूजा	नौका	घाटोल
9.	श्री मंगला/दीपा	नौका	घाटोल
10.	श्री हुरा/हेगता	गोलपाडा घंटाला	घाटोल
11.	श्री धारजी/हमीरा	बारीगामा	बागीदौरा
12.	श्री वाला/हीरा	बारीगामा	बागीदौरा
13.	श्री टीटा/लखजी	बारीगामा	बागीदौरा
14.	श्रीमती काली/कानजी	बारीगामा	बागीदौरा
15.	श्री सवती/वंलती	बारीगामा	बागीदौरा
16.	श्री हवजी/हूरजी	बारीगामा	बागीदौरा
17.	श्री गराना/हरजी	बारीगामा	बागीदौरा
18.	श्री वरसंग/धीमा	बारीगामा	बागीदौरा
19.	श्री वालिया/जोखा	बारीगामा	बागीदौरा
20.	श्री हूरजी/ लखमा	बागीदौरा	बागीदौरा
21.	श्री कान्तिलाल/बिजिया	बागीदौरा	बागीदौरा
22.	श्री जीवा/नाथु	बडोदिया	बागीदौरा

1	2	3	4
23.	श्री कलसिंह/हडिया	कलिंजरा	बागीदौरा
24.	श्री गजहीग/नरजी	कलिंजरा	बागीदौरा
25.	श्री उंकार/नाथु	करजी	बागीदौरा
26.	श्री पुना/वागजी	करजी	बागीदौरा
27.	श्री वेस्ता/लालु	करजी	बागीदौरा
28.	श्री रिटा/विजा	करजी	बागीदौरा
29.	श्री पुना/भुरा	करजी	बागीदौरा
30.	श्री मेगजी/लालु	करजी	बागीदौरा
31.	श्री मेहजी/पुजा	करजी	बागीदौरा
32.	श्री प्रकाश/वेस्ता	करजी	बागीदौरा
33.	श्री हवजी/भुरा	करजी	बागीदौरा
34.	श्री कालिया/लालु	करजी	बागीदौरा
35.	श्री वारजी/नाथु	करजी	बागीदौरा
36.	श्री हरजी/नाथु	करजी	बागीदौरा
37.	श्री कानजी/चीखा	करजी	बागीदौरा
38.	श्री भारता/दीपा	करजी	बागीदौरा
39.	श्री थावरा/नाथु	करजी	बागीदौरा
40.	श्री लालजी/वीजा	करजी	बागीदौरा
41.	श्री रावजी/वीजा	करजी	बागीदौरा
42.	श्री लालू/पूजा	करजी	बागीदौरा
43.	श्री हरजी/वेला	करजी	बागीदौरा
44.	श्री दीला/जोखा	करजी	बागीदौरा
45.	श्री लीजा/मनजी	करजी	बागीदौरा
46.	श्री प्रभु/तेलीया	करजी	बागीदौरा
47.	श्री तेलीया/दीपा	करजी	बागीदौरा
48.	श्री भारजी/मनजी	करजी	बागीदौरा
49.	श्री जीवा/वागजी	करजी	बागीदौरा
50.	श्री पूजा/डालू	करजी	बागीदौरा
51.	श्री हलिया/जोरजी	करजी	बागीदौरा
52.	श्री हिन्दूडा/खातू	करजी	बागीदौरा

1	2	3	4
53.	श्री परसेंग/मखजी	करजी	बागीदौरा
54.	श्री कालिया/नाथु	करजी	बागीदौरा
55.	श्री भानजी/जीवा	करजी	बागीदौरा
56.	श्री दूदा/केहरेंग	करजी	बागीदौरा
57.	श्री उंकार/कालिया	करजी	बागीदौरा
58.	श्री टीटा/नाथु	करजी	बागीदौरा
59.	श्री लालू नाहरेंग	करजी	बागीदौरा
60.	श्री दिलीप/हेरेंग	लिलवानी	बागीदौरा
61.	श्रीमती हतरी/भेरीया	पाडलिया	बागीदौरा
62.	श्री नानु/हकूडा	जलदा	बागीदौरा
63.	श्री हवजी/पूजा	जलदा बोडीगामा	बागीदौरा
64.	श्री अणजी/कमा	जलदा बोडीगामा	बागीदौरा
65.	श्री रामजी/सवा	जलदा बोडीगामा	बागीदौरा
66.	श्रीमती हुरती/रामपल	धनपुरी बोदला	कुशलगढ़
67.	श्री कचरू/मंगला	धनपुरी बोदला	कुशलगढ़
68.	श्री हकजी/होकजी	खाखरिया	कुशलगढ़
69.	श्री तोलिया/वरसिंग	खाखरिया	कुशलगढ़
70.	श्री दला/पुनीया	खाखरिया	कुशलगढ़
71.	श्री हातेंग/कालिया	खाखरिया	कुशलगढ़
72.	श्री हरदार/वरसिंग	खाखरिया	कुशलगढ़
73.	श्री माहनेंग/नगा	बांसडी	कुशलगढ़
74.	श्री कल्याणमल/भीता	बांसडी	कुशलगढ़
75.	श्री मानजी/हडिया	बांसडी	कुशलगढ़
76.	श्री कसीया/परतु	बोदला	कुशलगढ
77.	श्री मडिया/जोगी	बगायचा	कुशलगढ
78.	श्री भावजी/हकरिया	बगायचा	कुशलगढ
79.	श्री रामचन्द्र/सेमला	काकनवाडी	कुशलगढ
80.	श्री कालिया/फूलजी	काकनवाडी	कुशलगढ
81.	श्री देवा/हीरा	पाटन	कुशलगढ
82.	श्री रूपसिंह/बिजिया	पाटन	कुशलगढ

1	2	3	4
83.	श्री नाथूलाल/युनिया	घन्टाली	पीपलखूंट
84.	श्री नगजी/गमना	घन्टाली	पीपलखूंट
85.	श्री बदामीलाल/खेमा	घन्टाली	पीपलखूंट
86.	श्री कानिया/धरमा	घन्टाली	पीपलखूंट
87.	श्री प्रभुलाल/रामलाल	घन्टाली	पीपलखूंट
88.	श्री मोतीलाल/चूनीया	घन्टाली	पीपलखूंट
89.	श्री मंगला/गलबा	करमोडा	पीपलखूंट
90.	श्री होमला/कानिया	करमोडा	पीपलखूंट
91.	श्री गमीरा/हेमता	करमोडा	पीपलखूंट
92.	श्री लक्ष्मण/गंगाराम	करमोडा	पीपलखूंट
93.	श्री रकीया/नाथु	करमोडा	पीपलखूंट
94.	श्री रामेंग/कमजी	करमोडा	पीपलखूंट
95.	श्री मणिया/हेमता	करमोडा	पीपलखूंट
96.	श्री धारजी/गलबा	करमोडा	पीपलखूंट
97.	श्री बाबूलाल/उंकारजी	दौलतपुरा	पीपलखूंट
98.	श्री कचरू/उंकार	दौलतपुरा	पीपलखूंट
99.	श्री लालू/जालमा	दौलतपुरा	पीपलखूंट
100.	श्री गोतमा/कालिया	दौलतपुरा	पीपलखूंट
101.	श्री देवा/मंगला	दौलतपुरा	पीपलखूंट
102.	श्री भेरूलाल/रकमा	दौलतपुरा	पीपलखूंट
103.	श्री मईला/हकरू	दौलतपुरा	पीपलखूंट
104.	श्री रूपा/लालू	दौलतपुरा	पीपलखूंट
105.	श्री नाथू/उंकार	दौलतपुरा	पीपलखूंट
106.	श्री देवीलाल/दुबलाजी	राणगी	सज्जनगढ़
107.	श्री देवीलाल/दुबलाजी	राणगी	सज्जनगढ़
108.	श्री वासु/मोती	सागवा	सज्जनगढ़
109.	श्री गलिया/वरेसंग	सागवा	सज्जनगढ़
110.	श्री दिलीप कुमार/हरिनाथ	सकरवट	तलवाड़ा
111.	श्री भारता/जीवा	सकरवट	तलवाड़ा
112.	श्री गलिया/हमीरा	सकरवट	तलवाड़ा

1	2	3	4
113.	श्री कान्ति/धारजी	सकरवट	तलवाड़ा
114.	श्री रूपा/उंकार	सकरवट	तलवाड़ा
115.	श्री सोहन/हीरा	सकरवट	तलवाड़ा
116.	श्री आबु/रकमा	सकरवट	तलवाड़ा
117.	श्री केला/उंकार	सकरवट	तलवाड़ा
118.	श्री मानेंग/दीता	सकरवट	तलवाड़ा
119.	श्री वीरजी/धनजी	सकरवट	तलवाड़ा
120.	श्री लालू/होमला	सामरिया	तलवाड़ा
121.	श्री धारजी/रामजी	सामरिया	तलवाड़ा
122.	श्री लक्ष्मण/रामाजी	सामरिया	तलवाड़ा
123.	श्री भूरा/होमला	सामरिया	तलवाड़ा
124.	श्री कमजी/हकरू	सामरिया	तलवाड़ा
125.	श्री केरेग/धारजी	सामरिया	तलवाड़ा
126.	श्री वाला/धावरा	सामरिया	तलवाड़ा
127.	श्री लालू/होमजी	तलवाडा	तलवाड़ा
128.	श्री रंगजी/दितीया	तलवाडा	तलवाड़ा
129.	श्री हकरू/नागजी	गणाउ	तलवाड़ा
130.	श्री सम्या/नारायण	गणाउ	तलवाड़ा
131.	श्री प्रभु/धावरा	गणाउ	तलवाड़ा
132.	श्री कालिया/कचरू	गणाउ	तलवाड़ा
133.	श्री हकरा/दीतीया	गणाउ	तलवाड़ा
134.	श्री नगजी/कोदर	गणाउ	तलवाड़ा
135.	श्री कालिया/कचरू	गणाउ	तलवाड़ा
136.	श्री मारेंग/जीवा	इटाउवा	गढ़ी
137.	श्री नाथुलाल/हुकिया	परतापुर	गढ़ी
138.	श्री नगजी/वेसात	परतापुर	गढ़ी

परिशिष्ट-ब

जनजाति कृषकों के कृषि कनेक्शन अनुदान के लम्बित प्रस्ताव

क्रम संख्या	नाम कृषक मय पिता	निवासी	कृषक द्वारा जमा राशि	टीएडी से देय अनुदान	योग
1	2	3	4	5	6
1.	महिया/मेहजी	भाट महूडी	10000	10000	20000
2.	श्यामा/दिता	सुलिया मालपाडा	5600	5600	11200
3.	हमीरा/गुल्ला	पाटन	6767	6767	13534
4.	रंगा/वजीग	पाटन	6767	6767	13534
5.	लालु/मावजी	पाटन	7667	7667	15334
6.	गौतम/विरा	परणीयादेव	21000	10000	31000
7.	धर्मा/नग्गा	परणीयादेव	19200	10000	29200
8.	रुपा/हिरा	परणीयादेव	13500	10000	23500
9.	वालिया/धन्ना	परणीयादेव	13500	10000	23500
10.	जोखा/हडिया	भंवरकोट	6184	6183	12367
11.	राजहीग/दिता	भंवरकोट	6184	6183	12367
12.	प्रेमचन्द्र/दिपा	भंवरकोट	6184	6183	12367
13.	भोगा/जिथिंग	पाडला	15700	10000	25700
14.	दिता/कानजी	डूंगरभीत	10200	8900	19100
15.	हुस्तेग/लालु	डूंगरभीत	10200	8900	19100
16.	लालसिंह/तेरसिंह	डूंगरभीत	10200	8900	19100
17.	हकजी/होमजी	रेणदा	7350	5017	12367
18.	रामजी/नारूजी	रेणदा	8250	5917	14167
19.	रामचन्द्र/पीधा	गलवाणी	10200	10000	20200
20.	समसु/दीपा	गलवाणी	10200	10000	20200
21.	हुबला/वर्सेग	गलवाणी	5600	5600	11200
22.	वारजी/दिपा	गलवाणी	5600	5600	11200
23.	रुपा/नागजी	करमदिया	15700	10000	25700
24.	लालचन्द/मुलजी	पीपलोन	6500	6500	13000
25.	मणिया/रुपा	पीपलोन	5625	5625	11250
26.	माला/मोदर	बडलीपाडा	3850	3850	7700

1	2	3	4	5	6
27.	वालिया/पूजा	आमलियामाल	7350	7350	14700
28.	तेजिया/कमजी	पाडला	6913	6912	13825
29.	मडीया/दलेग	पाडला	5600	5600	11200
30.	लालु/मलजी	पाडला	6913	6912	13825
31.	हडिया/सेवला	पाडला	6913	6912	13825
32.	किका/हुस्तान	पाडला	6913	6912	13825
33.	कलसिंह/बदिया	पाडला	7350	7350	14700
34.	भीम/वागजी	काकणिया	7350	7350	14700
35.	राजिया/देवा	सुलिया माल	5600	5600	11200
36.	मानहिंग/जोती	बासडी	7350	7350	14700
37.	कालु/जोखिया	पाडला	15700	1000	25700
38.	मडिया/मेहजी	मरमउडी	10000	10000	20000
39.	तोलसिंह/हुस्तेग	काकनवाडी	5600	5600	11200